दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जनवरी भाग-2

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 7

- ई-गवर्नेंस 2021 पर 24वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 7
- 'ओपन डेटा' सप्ताह 9
- भारत में भुखमरी की स्थिति 11
- मीडिया की स्वतंत्रता 12
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 14
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध 16
- 'अखिल भारतीय सेवा' अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 18
- चुनावी बॉण्ड 19
- स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण 20
- साझा पालन-पोषण 22
- गणतंत्र दिवस 2022 23
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 25
- चुनाव मुफ्त 27
- सत्यनिष्ठ समझौता 29
- पदोन्नति में आरक्षण हेतु मापदंड निर्धारण से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार 30
- विधायकों के एक वर्ष के निलंबन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 31

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम 34

- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 34
- अर्द्धचालकों के लिये डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव 35
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 37
- वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022: ILO 39
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिकूल उच्च शुल्क 40
- कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना 42
- के-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी 43
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन 45
- बैड बैंक के लिये आरबीआई की मंजूरी लंबित 47
- लाला लाजपत राय की जयंती 49
- जलीय कृषि' में 'केज कल्चर' 50
- भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र– चरण-II में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने की योजना 52
- विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 53
- बजट का निर्माण 54
- नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 57
- चीन के साथ भारत का व्यापार 59

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 59

- दावोस शिखर सम्मेलन: विश्व आर्थिक मंच 60
- हूती विद्रोहियों का यूएई पर हमला 62
- देवास-एंट्रिक्स डील 65
- मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना 67

नोट :

➢ खाद्य सुरक्षा पर भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग 69

➢ बुर्किना फासो में सैन्य शासन 71

➢ भारत और इज़रायल संबंध 72

➢ भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 74

➢ चीन-लिथुआनिया तनाव 76

➢ भारत और ओमान 78

➢ आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक 80

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **82**

➢ वेब 3.0 82

➢ 5G टेलीकॉम और एयरलाइन सुरक्षा 83

➢ डार्क मैटर आकाशगंगाओं को आकार देता है 84

➢ नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी 86

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **88**

➢ घरेलू खतरनाक अपशिष्ट 88

➢ 2021 छठा सबसे गर्म वर्ष 89

➢ तेज़ी से हरित मंज़ूरी पर राज्यों की रैंकिंग 91

➢ बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 92

➢ भारतीय पर्यावरण सेवा (IES) 94

➢ पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल 95

➢ नजफगढ़ झील के लिये पर्यावरण प्रबंधन योजना 97

➢ ग्रेट निकोबार द्वीप में विकास परियोजना: त्रुटिपूर्ण EIA 98

नोट :

दृष्टि The Vision

- फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन 100
- दुर्लभ मृदा तत्त्व 103

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 103

- इंडोनेशिया द्वारा अपनी राजधानी का स्थानांतरण 104
- प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' 106
- असामान्य ठंड और वृष्टि-बहुल शीत ऋतु 107

इतिहास 110

- कोहिमा वार सीमेट्री 110
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस 111
- टीपू सुल्तान 112
- विशेष विवाह अधिनियम 1954 115

सामाजिक न्याय 115

- ऑक्सफैम रिपोर्ट: इनइक्वालिटी किल्स 116
- देश के मेंटर कार्यक्रम: दिल्ली सरकार 118
- बेटियों की विरासत पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 119
- वैवाहिक/दांपत्य अधिकारों पर याचिका 121
- राष्ट्रीय बालिका दिवस 123
- चकमा और हाजोंग समुदाय 125
- भारत-रूस: 'PASSEX' अभ्यास 127

नोट :

दृष्टि The Vision

आंतरिक सुरक्षा 127

➢ आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 128

चर्चा में 130

➢ मकर संक्रांति 130

➢ तिरुवल्लुवर 130

➢ टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट 131

➢ स्ट्रीट्स फॉर पीपल एंड नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज 134

➢ सारेथी मोबाइल ऐप 135

➢ इस्टर्न स्वैंप डियर 135

➢ ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन 137

➢ अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित 138

➢ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 141

➢ अमेरिका प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 142

➢ वीरता पुरस्कार 145

➢ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) 146

➢ भारतीय अनार के लिये बांग्लादेश शीर्ष गंतव्य 147

➢ हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 148

➢ यूएस फेडरल रिज़र्व और भारतीय बाज़ार 149

➢ धार्मिक तीर्थयात्राओं पर भारत-पाकिस्तान संयुक्त प्रोटोकॉल, 1974 150

विविध 152

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

ई-गवर्नेंस 2021 पर 24वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से 24वें ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference on e-Governance-NCeG)-2021 का आयोजन किया।

- DARPG प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सामान्य रूप से राज्यों और विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।

प्रमुख बिंदु

- 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में:
  - यह सम्मेलन ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये कुछ नवीनतम तकनीकों पर आधारित विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - दो दिवसीय सम्मेलन में आयोजित सत्रों के दौरान गहन विचार-विमर्श के बाद ई-गवर्नेंस समापन में 'हैदराबाद घोषणा' (Hyderabad Declaration) को स्वीकार किया गया।
    - घोषणा का उद्देश्य नागरिकों और सरकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब लाना तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा नागरिक सेवाओं को परिवर्तित करना है।
  - सम्मेलन ने संकल्प लिया कि भारत सरकार और राज्य सरकारें निम्नलिखित में सहयोग करेंगी:
    - आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस), ई-हस्ताक्षर और सहमति रूपरेखा सहित इंडिया स्टैक की कलाकृतियों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं में बदलाव।
    - संबद्ध सेवाओं हेतु ओपन इंटर-ऑपरेबल आर्किटेक्चर को अपनाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से कार्यान्वयन करना।
    - सरकारी संस्थाओं के भीतर डेटा साझा करने की सुविधा के लिये डेटा गवर्नेंस ढाँचे का संचालन करना और नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी डेटा को data.gov.in पर उपलब्ध कराना।
    - सामाजिक अधिकारिता के लिये उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5जी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आदि के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देना।
    - भविष्य की प्रौद्योगिकियों को लेकर कुशल संसाधनों के एक बड़े पूल के निर्माण के माध्यम से भारत को उभरती हुई प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाना।
    - महामारी जैसे व्यवधानों का सामना करने के लिये मज़बूत तकनीकी समाधानों के साथ लचीला सरकारी बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करना।
    - जन शिकायतों के निर्बाध निवारण हेतु सभी राज्य/ज़िला पोर्टलों को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के साथ एकीकृत करना।
    - ई-गवर्नेंस परिदृश्य में सुधार के लिये एमईआईटीवाई (MeITY) के सहयोग से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) 2021 को अपनाया जाएगा।

नोट :

- थीम: "महामारी के बाद वर्ल्ड में डिजिटल गवर्नेंस"
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2021:
  - ई-गवर्नेंस से संबंधित पहलों के कार्यान्वयन को मान्यता देने के लिये उद्घाटन सत्र के दौरान राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2021 प्रदान किये गए हैं।
  - केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों, ज़िलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को पुरस्कार योजना की 6 श्रेणियों के तहत 26 पुरस्कार प्रदान किये गए।
- ये पुरस्कार वर्ष 2003 से दिये जा रहे हैं।

ई-गवर्नेंस:

- परिचय:
  - इसे सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि सरकारी सेवाएँ, सूचना का आदान-प्रदान और विभिन्न स्टैंडअलोन सिस्टम तथा सेवाओं का एकीकरण किया जा सके।
  - ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों और व्यवसायों को सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
- ई-गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार
  - सरकार-से-सरकार (G2G):
    - इसमें सरकार के भीतर यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच या एक ही सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है।
  - सरकार-से-नागरिक (G2C):
    - इसमें नागरिकों के पास एक मंच होता है जिसके माध्यम से वे सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
  - सरकार-से-व्यापार (G2B):
    - व्यवसायों को दी जाने वाली सरकार की सेवाओं के संबंध में व्यवसाय, सरकार के साथ निर्बाध रूप से बातचीत करने में सक्षम हैं।
  - सरकार-से-कर्मचारी (G2E):
    - सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच वार्ता एक कुशल और त्वरित तरीके से होती है।
- उद्देश्य:
  - सरकार, नागरिकों और व्यवसायों के लिये शासन का समर्थन एवं सरलीकरण करना।
  - कुशल सार्वजनिक सेवाओं और लोगों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रभावी वार्ता के माध्यम से समाज की ज़रूरतों एवं अपेक्षाओं को पूरा करते हुए सरकारी प्रशासन को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाना।
  - सरकार में भ्रष्टाचार को कम करना।
  - सेवाओं और सूचनाओं का त्वरित प्रशासन सुनिश्चित करना।
  - व्यापार की कठिनाइयों को कम करने के लिये तत्काल जानकारी प्रदान करना और ई-व्यवसाय द्वारा डिजिटल संचार को सक्षम करना।
- चुनौतियाँ
  - कंप्यूटर साक्षरता की कमी: भारत एक विकासशील देश है और अधिकांश नागरिकों में कंप्यूटर साक्षरता का अभाव है जो ई-गवर्नेंस की प्रभावशीलता में बाधा डालता है।
  - पहुँच की कमी: देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट या यहाँ तक कि कंप्यूटर तक पहुँच की भारी कमी ई-गवर्नेंस हेतु चुनौतीपूर्ण है।
  - मानव संपर्क का नुकसान: ई-गवर्नेंस के परिणामस्वरूप मानव-से-मानव के बीच संपर्क में कमी आती है। जैसे-जैसे प्रणाली अधिक यंत्रीकृत होती जाती है, लोगों के बीच अंत:क्रिया कम हो जाती है।

नोट :

- डेटा चोरी का जोखिम: यह व्यक्तिगत डेटा की चोरी और रिसाव के जोखिम को जन्म देता है।
- लचर प्रशासन: ई-गवर्नेंस एक ढीले और लचर प्रशासन को बढ़ावा देता है। सेवा प्रदाता आसानी से 'सर्वर डाउन' या 'इंटरनेट काम नहीं कर रहा है' आदि जैसे तकनीकी आधार पर सेवा प्रदान नहीं करने का बहाना बन सकते हैं।

- भारतीय संदर्भ में ई-गवर्नेंस:
  - भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में ई-गवर्नेंस पहलें शुरू की गई हैं।
  - वर्ष 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिये सुलभ बनाना, दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सस्ती कीमत पर ऐसी सेवाएँ प्रदान करना।
  - NeGP ने कई ई-गवर्नेंस पहलों को सक्षम किया है::
    - डिजिटल इंडिया, आधार, myGov.in, (नए जमाने के शासन के लिये एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन) ऐप, डिजिटल लॉकर, PayGov, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण।
    - myGov.in एक राष्ट्रीय नागरिक जुड़ाव मंच है, जहाँ लोग विचारों को साझा कर सकते हैं और नीति और शासन के मामलों में शामिल हो सकते हैं।
    - PayGov सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह

- ग्रामीण क्षेत्रों में ई-शासन की पहल ज़मीनी हकीकत की पहचान और विश्लेषण करके की जानी चाहिये।
- सरकार को विभिन्न हितधारकों अर्थात नौकरशाहों, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों, आदि के लिये उचित, व्यवहार्य, विशिष्ट और प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- ई-गवर्नेंस से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बड़ी भूमिका है। क्लाउड कंप्यूटिंग न केवल लागत में कमी लाने का एक उपकरण है, बल्कि नई सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होने के साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार और नई नौकरियों / अवसरों के सृजन में भी मदद करता है।
- मेघराज- जीआई क्लाउड सही दिशा में एक कदम है। इस पहल का उद्देश्य सरकार के आईसीटी खर्च को कम करते हुए देश में ई-सेवाओं के वितरण में तेज़ी लाना है।
- क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-गवर्नेंस भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिये अत्यंत प्रासंगिक है।
- ई-गवर्नेंस सेवाएँ भारत में गति पकड़ रही हैं, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता बढाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की आवश्यकता है।
- ई-गवर्नेंस उपायों की सफलता काफी हद तक हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है, और निकट भविष्य में 5-जी तकनीक का देशव्यापी प्रसार हमारे संकल्प को मज़बूत करेगा।

'ओपन डेटा' सप्ताह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने ओपन डेटा अपनाने को प्रोत्साहित करने और भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये 'ओपन डेटा' सप्ताह शुरू करने की घोषणा की है।

- यह जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान यानी 17 जनवरी, 2022 से 21 जनवरी, 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जो जटिल शहरी मुद्दों, जैसे कि कोविड -19 महामारी को संबोधित करने हेतु डेटा के उपयोग और प्रचार को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करता हो।

प्रमुख बिंदु

- ओपन डेटा के विषय में:
  - 'ओपन डेटा' वह डेटा है, जिसे किसी के द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग, पुन: उपयोग और पुनर्वितरित किया जा सकता है। इसे तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
    - उपलब्धता और पहुँच: यह न्यूनतम लागत पर आसानी से उपलब्ध होता है और यह प्रयोग करने योग्य रूप में भी उपलब्ध होना चाहिये।
    - पुन: उपयोग और पुनर्वितरण: यह पुन: उपयोग और पुनर्वितरण पर बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध कराया जाता है।
    - सार्वभौम भागीदारी: कोई भी या हर कोई इसका उपयोग कर सकता है और/या इसका पुन: उपयोग भी कर सकता है। किसी भी मानदंड के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये।
- शहरी नियोजन में ओपन डेटा के लाभ:
  - पारदर्शिता: सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और अखंडता। यह सार्वजनिक धन के प्रवाह और बाज़ार अंतर्दृष्टि को ट्रैक करने की संभावना को बढ़ाता है।
  - बहु-आयामी सहसंबंध: यह वर्तमान और ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को प्रकाशित करता है जिसे सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय जलवायु की जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है।
  - क्रिया-उन्मुख दृष्टिकोण: यह वास्तविक समय में परिवर्तनों को पहचानने, प्रतिक्रिया करने या यहाँ तक कि भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करता है।
    - मॉडलिंग और सिमुलेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान और उपलब्ध डेटा की मात्रा के आधार पर उच्च सटीकता के साथ पूर्वानुमानों का परीक्षण करने की क्षमता।
    - अक्षम या अप्रभावी प्रथाओं की आसान पहचान की अनुमति देकर प्रक्रियाओं और सेवाओं को सुव्यवस्थित करके उत्पादकता में वृद्धि करना।
  - पर्यावरणीय स्थिरता: अपने स्रोतों की पहचान को सरल बनाकर तथा मौजूदा परियोजनाओं, सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन में सहायता करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।
  - अनुरूप समाधान: समान समस्याओं को विभिन्न कानूनी ढाँचे और विभिन्न जनसांख्यिकी में संबोधित करने की अनुमति देना।
  - डेटा का लोकतंत्रीकरण: यह सूचना को औसत अंतिम-उपयोगकर्त्ता तक पहुँचाने की अनुमति देगा।
    - यह मूल्यों और कार्यों के एक पद्धतिगत ढाँचे का वर्णन करता है जो लोगो या विशिष्ट उपयोगकर्त्ताओं के किसी भी नुकसान को कम करने में सक्षम है।

आगे की राह

- कॉन्टैक्टलेस इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ: भारतीयों के पास बड़े पैमाने पर डेटा की कमी के कारण एक स्केलेबल मॉडल हेतु बिल्डिंग ब्लॉक्स तेजी से अपने डिजिटल पदचिह्न का विस्तार कर रहे हैं-खासकर कोविड- 19 के बाद।
  - भारत पहले से मौजूद संपर्क रहित व्यवहार का लाभ उठा सकता है।
  - आधार ने भारत में 1 अरब से अधिक लोगों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है।
  - वित्तीय लेन-देन को एक नई परिभाषा देने के लिये एकीकृत भुगतान इंटरफेस जैसे अंतर-संचालित भुगतान तंत्र।
- व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिये सहमति: एक ऐसे कानूनी ढाँचे की आवश्यकता है जो डेटा गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करे और इस तरह शासन को डेटा लोकतांत्रिकरण की ओर ले जाए।
  - इस संदर्भ में डेटा प्राइवेसी के लिये गठित जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा समिति की सिफारिशें बेहद महत्त्वपूर्ण हैं।
  - ऐसा कानून भारत के डिजिटल भविष्य को परिभाषित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण है, जो व्यक्ति पर केंद्रित हो।

भारत में भुखमरी की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि हाल के वर्षों में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भुखमरी से मृत्यु (भूख से मृत्यु) की कोई सूचना नहीं मिली है।

प्रमुख बिंदु

- याचिका:
  - न्यायालय में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भुखमरी से होने वाली मौतें जीवन के अधिकार और सामाजिक ताने-बाने की गरिमा को समाप्त कर रही हैं और गरीबों व भूखे लोगों को खिलाने के लिये देश भर में सामुदायिक रसोई जैसे उपायों कों स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - याचिका में राजस्थान की अन्नपूर्णा रसोई, कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन, दिल्ली की आम आदमी कैंटीन, आंध्र प्रदेश की अन्ना कैंटीन, झारखंड मुख्यमंत्री दल भट और ओडिशा के आहार केंद्र का भी ज़िक्र किया गया है।
  - सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
  - SC ने केंद्र से एक "मॉडल" सामुदायिक रसोई (Community kitchen) योजना की संभावना तलाशने को कहा है ताकि वह गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये राज्यों का समर्थन कर सके।
  - इसने केंद्र से एक मॉडल योजना बनाने और राज्यों को उनके व्यक्तिगत भोजन की आदतों के आधार पर दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिये कहा गया है।
  - केंद्र द्वारा एक राष्ट्रीय खाद्य जाल बनाने का आह्वान किया गया जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर है।

भारत में खाद्य संबंधी आँकड़े:

- संबंधित डेटा:
  - खाद्य और कृषि रिपोर्ट, 2018 में कहा गया है कि भारत में दुनिया के 821 मिलियन कुपोषित लोगों में से 195.9 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया के भूखे लोगों का लगभग 24% है। भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 14.8% है, जो वैश्विक और एशियाई दोनों के औसत से अधिक है।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा 2017 में बताया गया था कि देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं।
  - इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला आँकड़ा सामने आया है कि देश में पाँच साल से कम उम्र के हर दिन लगभग 4500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मर जाते हैं, जबकि अकेले भूख के कारण हर साल तीन लाख से अधिक बच्चों की मौतें होती हैं।
- कुपोषण का कारण:
  - भारत में कुपोषण के कई आयाम हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - कैलोरी की कमी- हालाँकि सरकार के पास खाद्यान्न का अधिशेष है, लेकिन कैलोरी की कमी है क्योंकि आवंटन और वितरण उचित नहीं है। यहाँ तक कि आवंटित वार्षिक बजट का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।
    - प्रोटीन की कमी- प्रोटीन को दूर करने में दालों का बड़ा योगदान है। हालाँकि इस समस्या से निपटने के लिये पर्याप्त बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। विभिन्न राज्यों में मध्याह्न भोजन के मेनू से अंडे गायब होने के कारण, प्रोटीन सेवन में सुधार करने का एक आसान तरीका विलुप्त हो गया है।
    - सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी (जिसे 'प्रच्छन्न भुखमरी (hidden hunger) के रूप में भी जाना जाता है): भारत सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इसके कारणों में खराब आहार, बीमारी या गर्भावस्था एवं दुग्धपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किया जाना शामिल है।
  - अन्य कारक:
    - सुरक्षित पेयजल तक पहुँच में कमी;
    - स्वच्छता (विशेष रूप से शौचालय) तक बदतर पहुँच;

नोट :

- टीकाकरण का निम्न स्तर; और
- शिक्षा विशेषकर महिलाओं की शिक्षा की बुरी स्थिति।

- सरकारी हस्तक्षेप:
  - 'ईट राइट इंडिया मूवमेंट': भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा नागरिकों के लिये सही तरीके से भोजन ग्रहण करने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि।
  - पोषण (POSHAN) अभियान: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह अभियान स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं में) को कम करने का लक्ष्य रखता है।
  - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित यह केंद्र प्रायोजित योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जो 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू है।
  - फूड फोर्टिफिकेशन: फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिनों और खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D) को संलग्न करने की प्रक्रिया है, ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - मिशन इंद्रधनुष: यह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन-निवारक रोगों (VPD) के विरुद्ध टीकाकरण के लिये लक्षित करता है।
  - एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: वर्ष 1975 में शुरू की गई यह योजना 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिये छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है।

आगे की राह

- कृषि-पोषण लिंकेज योजनाओं में कुपोषण से निपटने के मामले में व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकने की क्षमता है और इसलिये इन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।
- शीघ्र निधि संवितरण: सरकार को निधियों का शीघ्र संवितरण और पोषण से जुड़ी योजनाओं में धन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना: कई बार इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि विभिन्न पोषण-आधारित योजनाओं के तहत किया गया व्यय इस मद में आवंटित धन की तुलना में पर्याप्त कम रहा है। इसलिये क्रियान्वयन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।
- अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण: पोषण का विषय महज़ आहार तक ही सीमित नहीं होता है और आर्थिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, लैंगिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक मानदंड जैसे कारक भी बेहतर पोषण में योगदान करते हैं। यही कारण है कि अन्य योजनाओं का उचित क्रियान्वयन भी बेहतर पोषण में योगदान दे सकता है।
- प्रधानमंत्री पोषण योजना: प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य स्कूलों में संतुलित आहार प्रदान करके स्कूली बच्चों के पोषण को बढ़ाना है। प्रत्येक राज्य के मेनू में दूध और अंडे को शामिल करके, जलवायु परिस्थितियों, स्थानीय खाद्य पदार्थों आदि के आधार पर मेनू तैयार करने से विभिन्न राज्यों में बच्चों को सही पोषण प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

मीडिया की स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कश्मीर प्रेस क्लब के बंद होने पर नाराज़गी जताई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक, कश्मीर प्रेस क्लब का बंद होना मीडिया की स्वतंत्रता के लिये एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

- एडिटर्स गिल्ड की स्थापना वर्ष 1978 में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- मीडिया और लोकतंत्र की स्वतंत्रता:
  - विचारों का मुक्त आदान-प्रदान: लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिये विचारों का मुक्त आदान-प्रदान, सूचनाओं एवं ज्ञान का मुक्त प्रवाह, वार्ता एवं अलग-अलग दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति काफी महत्त्वपूर्ण है।
    - एक स्वतंत्र प्रेस ही अपने नेताओं की सफलताओं या विफलताओं के बारे में नागरिकों को सूचित कर सकता है।
    - यह लोगों की ज़रूरतों और इच्छाओं को सरकारी निकायों तक पहुँचाता है, सूचित निर्णय लेने में मदद करता है और परिणामस्वरूप समाज को मज़बूत करता है।
    - यह अलग-अलग विचारों के बीच स्वतंत्र वार्ता को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने में मददगार होता है।
  - सरकार को जवाबदेह बनाना: फ्री मीडिया लोगों को सरकार के फैसलों पर सवाल खड़ा करने में मदद करता है और उसे आम जनमानस के प्रति जवाबदेह बनाता है।
  - हाशिये पर पड़े लोगों की आवाज़: जनता की आवाज़ होने के कारण स्वतंत्र मीडिया उन्हें राय व्यक्त करने का अधिकार देता है।
    - इस प्रकार लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया महत्त्वपूर्ण है।
  - लोकतंत्र का चौथा स्तंभ: इन विशेषताओं के कारण मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जा सकता है, अन्य तीन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं।
- प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा:
  - फेक न्यूज़: सोशल मीडिया लोगों को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका देता है। कभी-कभी इसका इस्तेमाल किसी के द्वारा अफवाह फैलाने और गलत सूचना फैलाने के लिये भी किया जा सकता है।
  - पेड न्यूज़: भ्रष्टाचार-पेड न्यूज़, एडवर्टोरियल और फेक न्यूज़ स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के लिये खतरा हैं।
  - पत्रकारों पर हमला: पत्रकारों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दों को कवर करने वाले पत्रकारों पर हत्याएँ और हमले आम घटनाएँ हैं।
    - सोशल मीडिया पर साझा और प्रसारित अभद्र भाषा को सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले पत्रकारों के खिलाफ लक्षित किया जाता है।
    - 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 (फ्रीडम हाउस, यूएस)', 'ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, 2020 (यूएस स्टेट डिपार्टमेंट)', 'ऑटोक्रेटाइजेशन गोज़ वायरल (वी-डेम इंस्टीट्यूट, स्वीडन)' जैसी रिपोर्टों ने भारत में पत्रकारों को मिली धमकी को उजागर किया है।
  - पक्षपातपूर्ण मीडिया: कॉरपोरेट और राजनीतिक शक्ति ने प्रिंट व विजुअल दोनों तरह के मीडिया के बड़े हिस्से को व्याकुल कर दिया है जो निहित स्वार्थों को जन्म देता है तथा स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है।
- भारत में प्रेस की स्वतंत्रता:
  - रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950: रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है।
  - अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो 'भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण' से संबंधित है।
  - निहित अधिकार: प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित है।
    - एक कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल प्रतिबंध लगा सकता है, यह अनुच्छेद 19 (2) के तहत कुछ प्रतिबंधों का सामना करता है, जो इस प्रकार है:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या में
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानि
- किसी अपराध के लिये उकसाना।

- भारतीय प्रेस परिषद (PCI):
  - यह भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित एक नियामक संस्था है।
  - इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और सुधारना है।
- प्रेस की स्वतंत्रता के लिये अंतर्राष्ट्रीय पहल:
  - विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2021 में भारत को 180 देशों में से 142वें स्थान पर रखा गया है।
  - पेरिस स्थित 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (RWB) वार्षिक रूप से 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (WPFI) प्रकाशित करता है।
    - 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' विश्व के 180 देशों में मीडिया के लिये उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर का मूल्यांकन करने व सरकारों और अधिकारियों को स्वतंत्रता के खिलाफ उनकी नीतियों एवं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूक बनाता है।

आगे की राह

- संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ बनाना: भारतीय प्रेस परिषद, एक नियामक संस्था है जो मीडिया को चेतावनी दे सकती है और नियंत्रित कर सकती है यदि उसे पता चलता है कि किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने मीडिया नैतिकता का उल्लंघन किया है।
  - न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिये जो निजी टेलीविज़न समाचार और करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
- भ्रामक खबरों से निपटना: मीडिया की स्वतंत्रता को कम किये बिना उसमें विश्वास बहाल करने के लिये कंटेंट में हेराफेरी और फेक न्यूज को रोकने हेतु निम्नलिखित को सक्षम करना होगा।
  - लोक शिक्षा,
  - नियमों का सुदृढ़ीकरण
  - टेक कंपनियों का प्रयास न्यूज क्यूरेशन के लिये उपयुक्त एल्गोरिदम बनाना है।
- मीडिया नैतिकता: यह महत्त्वपूर्ण है कि मीडिया सच्चाई और सटीकता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, ज़िम्मेदारी जैसे मूल सिद्धांतों पर टिका रहे।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31 मार्च, 2022 के बाद अगले तीन वर्ष के लिये बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

- देश में सफाई कर्मचारी और पहचाने गए हाथ से मैला ढोने वाले प्रमुख लाभार्थी होंगे।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) को "सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों और सीवर की सफाई" के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में:
  - NCSK की स्थापना वर्ष 1993 में NCSK अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार सरकार को सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में यह अपनी सिफारिशें देने के लिये की गई थी।
    - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 29 फरवरी, 2004 से प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद एनसीएसके के कार्यकाल को समय-समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर-सांविधिक संस्था के रूप में बढ़ाया गया है।
    - सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में यह सरकार को अपनी सिफारिशें देता है, सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है।
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, NCSK को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये निविदा सलाह देने, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन/कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जाँच करने का काम सौंपा गया है।
  - आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सफाई कर्मचारियों व उनके आश्रितों की सामाजिक-आर्थिक और रहने की स्थिति का अध्ययन करने के लिये देश का व्यापक दौरा करते हैं।
  - आयोग इन शिकायतों/याचिकाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगता है और प्रभावित सफाई कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिये उन पर दबाव डालता है।
- स्थिति:
  - NCSK (2020 डेटा) के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कुल 631 लोगों की मौत हुई है।
    - पिछले पाँच वर्षों में मैला ढोने से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या वर्ष 2019 में देखी गई। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 110 मजदूरों की मौत हो गई।
    - यह वर्ष 2018 की तुलना में 61% की वृद्धि है, जिसमें इस तरह की मौतों के 68 मामले देखे गए।
  - वर्ष 2018 में एकत्र किये गए आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 29,923 लोग हाथ से मैला ढोने के कार्य में लगे थे, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है।
- संबंधित योजनाएँ:
  - अत्याचार निवारण अधिनियम
    - वर्ष 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम, स्वच्छता कार्यकर्त्ताओं के लिये एक एकीकृत उपाय बन गया, क्योंकि मैला ढोने वालों में से 90% से अधिक लोग अनुसूचित जाति के थे। वर्तमान में यह मैला ढोने वालों को निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है।
  - सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:
    - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर) पर लॉन्च किया गया था।
    - सरकार ने सभी राज्यों से अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इस 'चुनौती' का शुभारंभ किया है, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गियर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान किये जाते हैं।
  - 'स्वच्छता अभियान एप':
    - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान और जियोटैग करने के लिये विकसित किया गया है, ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सेनेटरी शौचालयों से प्रतिस्थापित किया जा सके तथा हाथ से मैला ढोने वालों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिये उनका पुनर्वास किया जा सके।
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:
    - यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी है।

नोट :

- इसका प्राथमिक उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उत्थान करना है।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
  - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिये उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया, जो वर्ष 1993 से सीवेज के कार्य में मारे गए तथा उनके परिवारों को मुआवज़े के रूप में प्रत्येक को 10 लाख रुपए प्रदान किये गए।
  - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के माध्यम से सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह वर्ष 1993 के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य करने के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करे और उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवज़ा प्रदान करे।

हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:

- यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन, बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर व सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई और अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाता है।
- किसी भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी (जैसे नगर निगम) को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिये लोगों को नियुक्त या नियोजित नहीं करना चाहिये। सेप्टिक टैंकों की यंत्रीकृत सफाई एक निर्धारित मानदंड है।
- यह मैनुअल मैला ढोने वालों का पुनर्वास करने और उनके वैकल्पिक रोज़गार प्रदान करने का प्रयास करता है। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, छावनी बोर्ड और रेलवे प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के लिये ज़िम्मेदार हैं तथा वे कई स्वच्छता सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण करेंगे।
- अस्वच्छ शौचालयों का प्रत्येक अधिभोगी अपने स्वयं के खर्च पर शौचालय को परिवर्तित या ध्वस्त करने के लिये ज़िम्मेदार होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो स्थानीय प्राधिकारी शौचालय को परिवर्तित करेगा और उससे लागत वसूल करेगा।
- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया गया है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध

चर्चा में क्यों?

ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (GRAM) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में AMR (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) के प्रत्यक्ष परिणाम के 1.27 मिलियन लोगों की मौत हुई।

- AMR के कारण होने वाली मौतें अब दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है, जो एचआईवी/एड्स या मलेरिया से ज़्यादा हैं।
- AMR से अधिकांश मौतें श्वसन संक्रमण, जैसे निमोनिया, और रक्त प्रवाह संक्रमण के कारण हुईं, जिससे सेप्सिस हो सकता है।
  - MRSA (मेथिसिलिन-रेसिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस) विशेष रूप से घातक था, जबकि ई. कोलाई और कई अन्य बैक्टीरिया भी दवा प्रतिरोध के उच्च स्तर से जुड़े थे।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, आदि) द्वारा रोगाणुरोधी दवाओं (जैसे- एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल और एंटीहेल्मिंटिक्स) के खिलाफ प्राप्त प्रतिरोध है जिसे संक्रमण के इलाज के लिये उपयोग किया जाता है।
  - नतीजतन, मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण बना रहता है और दूसरों में फैल सकता है।
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को कभी-कभी "सुपरबग" कहा जाता है।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष दस खतरों में से एक के रूप में पहचाना है।

- AMR के प्रसार का कारण:
  - दवा में रोगाणुरोधी दवाओं का दुरुपयोग और कृषि में अनुपयुक्त उपयोग।
  - फार्मास्यूटिकल निर्माण स्थलों के आसपास संदूषण जहाँ अनुपचारित अपशिष्ट पर्यावरण में बड़ी मात्रा में सक्रिय रोगाणुरोधी छोड़ते हैं।
- भारत में AMR:
  - भारत में बड़ी आबादी के संयोजन के साथ बढ़ती हुई आय जो कि एंटीबायोटिक दवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करती है, संक्रामक रोगों का उच्च बोझ और एंटीबायोटिक दवाओं के लिये आसान ओवर-द-काउंटर (Over-the-Counter) पहुँच की सुविधा प्रदान करती है, प्रतिरोधी जीन की पीढ़ी को बढ़ावा देती है।
  - बहु-दवा प्रतिरोध निर्धारक, नई दिल्ली मेटालो-बीटा-लैक्टामेज़-1 (एनडीएम -1), इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर तेज़ी से उभरा है।
    - अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अन्य भाग भी दक्षिण एशिया से उत्पन्न होने वाले बहु-दवा प्रतिरोधी टाइफाइड से प्रभावित हुए हैं।
  - भारत में सूक्ष्मजीवों (जीवाणु और विषाणु सहित) के कारण सेप्सिस से प्रत्येक वर्ष 56,000 से अधिक नवजात बच्चों की मौत होती है जो पहली पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं।
  - 10 अस्पतालों में ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि जब कोविड-19 के मरीज़ अस्पतालों में दवा प्रतिरोधी संक्रमण की चपेट में आते हैं तो मृत्यु दर लगभग 50-60% होती है।
- AMR (भारत में) को संबोधित करने के लिये किये गए उपाय:
  - AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम: इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करके AMR निगरानी नेटवर्क को मज़बूत किया गया है।
  - AMR पर राष्ट्रीय कार्ययोजना: यह स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है और अप्रैल 2017 में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क (AMRSN): इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूत और प्रवृत्तियों तथा पैटर्न का अनुसरण किया जा सके।
  - AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने AMR में चिकित्सा अनुसंधान को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं को विकसित करने की पहल की है।
    - वर्ष 2017 में ICMR ने नॉर्वे रिसर्च काउंसिल (RCN) के साथ मिलकर रोगाणुरोधी प्रतिरोध में अनुसंधान के लिये एक संयुक्त आह्वान किया।
    - ICMR ने संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (BMBF) जर्मनी के साथ AMR पर शोध हेतु एक संयुक्त भारत-जर्मन पहल को शुरू किया है।
  - एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम: ICMR ने अस्पताल वार्डों और आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अति प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये भारत में एक पायलट परियोजना पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया है।
    - DCGI ने अनुपयुक्त पाए गए 40 निश्चित खुराक संयोजन (Fixed Dose Combinations- FDCs) पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- वैश्विक उपाय:
  - विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW):
    - वर्ष 2015 से सालाना आयोजित किया जाने वाला, WAAW एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के विकास और प्रसार को धीमा करने के लिये आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम उपायों को प्रोत्साहित करना है।.
  - वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (ग्लास):
    - वर्ष 2015 में WHO ने ज्ञान अंतराल को समाप्त करने और सभी स्तरों पर रणनीतियों को सूचित करने हेतु ग्लास (GLASS) को लॉन्च किया।

- ग्लास की कल्पना मनुष्यों में AMR की निगरानी, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग की निगरानी, खाद्य शृंखला और पर्यावरण में AMR डेटा को प्राप्त करने के लिये की गई है।

'अखिल भारतीय सेवा' अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने राज्यों को लिखा है कि केंद्र सरकार 'भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम-1954' के नियम 6 (कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति) में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है।

- इसके तहत केंद्र सरकार IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से स्थानांतरित करने हेतु राज्य सरकारों की मंज़ूरी लेने की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु अधिभावी शक्तियों का अधिग्रहण करेगी।

प्रमुख बिंदु

- अखिल भारतीय सेवाएँ:
  - परिचय: अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) में भारत की तीन सिविल सेवाएँ शामिल हैं:
    - भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
    - भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
    - भारतीय वन सेवा (IFoS)।
  - अखिल भारतीय सेवाओं की संघीय प्रकृति: अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा (UPSC के माध्यम से) की जाती है और उनकी सेवाओं को विभिन्न राज्य संवर्गों के तहत आवंटित किया जाता है।
    - इसलिये उनकी राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा करने की जवाबदेही होती है।
    - हालाँकि अखिल भारतीय सेवाओं की कैडर नियंत्रण अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास है।
    - DoPT भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है।
    - भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अधिकारियों (IFoS) की प्रतिनियुक्ति के लिये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्रमशः गृह मंत्रालय (MHA) और पर्यावरण मंत्रालय के पास हैं।
  - केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व: राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व (Central Deputation Quota) के तहत निर्धारित करना है।
    - प्रत्येक राज्य कैडर/संवर्ग सेवा का एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा प्रदान करता है जिसके लिये केंद्र सरकार में पदों पर सेवा देने हेतु प्रशिक्षित और अनुभवी सदस्यों को प्रदान करने के लिये सेवा में अतिरिक्त भर्ती की आवश्यकता होती है।
- एआईएस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति और वर्तमान नियम:
  - सामान्य व्यवहार में केंद्र हर साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर जाने के इच्छुक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की "प्रस्ताव सूची" मांगता है जिसके बाद वह उस सूची से अधिकारियों का चयन करता है।
  - अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार से मंज़ूरी लेनी होती है।
  - राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय यह कुल संवर्ग की संख्या के 40% से अधिक नहीं हो सकती है।
- प्रस्तावित संशोधन:
  - यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में नियुक्ति करने में देरी करती है और निर्दिष्ट समय के भीतर केंद्र सरकार के निर्णय को लागू नहीं करती है, तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा।
  - केंद्र, राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा।
  - केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य, केंद्र के फैसले को लागू करेगा।

- विशिष्ट स्थितियों में जब केंद्र सरकार द्वारा "जनहित" में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णयों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी करेगा।

- DoPT का पक्ष:
  - डीओपीटी ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्रालयों में अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों की कमी के मद्देनज़र यह फैसला ले रहा है।
  - डीओपीटी के अनुसार, राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं और अधिकारियों की संख्या केंद्र में आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
- कुछ राज्यों द्वारा विरोध:
  - यह सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है।
  - प्रस्तावित संशोधन नौकरशाही पर राज्य के राजनीतिक नियंत्रण को कमज़ोर करेगा।
  - यह प्रभावी शासन को बाधित करेगा और परिहार्य कानूनी और प्रशासनिक विवाद पैदा करेगा।
  - केंद्र एक चुनी हुई राज्य सरकार के खिलाफ नौकरशाही को हथियार बना सकता है।

चुनावी बॉण्ड

चर्चा में क्यों?

पाँच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) की 19वी किश्त, जिसे नकद विकल्प के रूप में पेश किया किया जाता है, की बिक्री की गई।

- पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड के जरिये राजनीतिक दलों को मिली धनराशि के दुरुपयोग पर आशंका जताई है।
- यह चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने और राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने हेतु भी इन बॉण्डों को पेश करने के मूल विचार को खंडित कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- चुनावी बॉण्ड के बारे में:
  - चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
  - भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
  - यह बॉण्ड इन्हें एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है।
  - बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
  - एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
  - बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।
- संबंधित मुद्दे:
  - लोकतंत्र के लिये झटका: वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त चंदे का खुलासा करने से छूट दी है।
    - इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्तपोषित किया है।
    - हालाँकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों को वोट देना पसंद करते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

- जानने के अधिकार से समझौता: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि "जानने का अधिकार" (Right To Know) विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ: चुनावी बॉण्ड नागरिकों को इस संदर्भ में कोई विवरण नहीं देते हैं।
  - उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से डेटा की मांग करके हमेशा दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।
  - इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व निष्पक्ष होने वाले चुनाव को बाधित कर सकती है।
- क्रोनी कैपिटलिज्म: चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले निगमों को चुनावों के लिये धन देने की अनुमति देती है जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म का मार्ग प्रशस्त होता है।

आगे की राह:

- चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता: कई उन्नत देशों में चुनावों को सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है। यह समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है।
  - 2nd ARC, दिनेश गोस्वामी समिति और कई अन्य ने भी चुनावों हेतु राज्य के लिये वित्तपोषण की सिफारिश की है।
  - इसके अलावा जब तक चुनावों को सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित नहीं किया जाता है, तब तक राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान पर सीमाएँ लागू हो सकती हैं।
- न्यायपालिका का रेफरी/अंपायर के रूप में कार्य करना: एक कार्यशील लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के लिये रेफरी/अंपायर के रूप में कार्य करना है।
  - चुनावी बॉण्ड ने सरकार की चुनावी वैधता पर सवाल खड़े कर दिये हैं और इस तरह पूरी चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं।
  - इस संदर्भ में न्यायालयों को एक रेफरी/अंपायर के रूप में कार्य करना चाहिये और लोकतंत्र के ज़मीनी नियमों को लागू करना चाहिये।
- नागरिक संस्कृति की ओर ट्रांज़ीशन: भारत लगभग 75 वर्षों से लोकतंत्र के रूप में बेहतर तरीके से काम कर रहा है।
  - अब सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिये मतदाताओं को स्वयं जागरूक होकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों तथा पार्टियों को खारिज करना चाहिये।

स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने दिसंबर 2021 के आदेश को वापस लेने का फैसला किया, जिसके माध्यम से स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की ज़िम्मेदारी पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी है।
- महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई गई थी। दिसंबर 2021 में, शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार के लिये एक समान आदेश पारित किया, जिसमें ओबीसी सीटों को तीन-परीक्षण मानदंडों (जैसा कि 2010 के फैसले में कहा गया है) का पालन करने में विफल रहने पर सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया था।
  - इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का एक आवेदन किया है, जिसमें राज्य में 51% ओबीसी आबादी होने का दावा किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - मार्च 2021 में SC ने राज्य सरकार को तीन शर्तों का पालन करने के लिये कहा था- ओबीसी आबादी से संबंधित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिये एक समर्पित आयोग की स्थापना, आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना और यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित सीटों का संचयी हिस्सा कुल सीटों में से 50% का उल्लंघन न करे।
  - सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने ओबीसी के अनुभवजन्य डेटा के लिये समर्पित आयोग की नियुक्ति की और 50% आरक्षण की सीमा को पार किये बिना स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% तक आरक्षण देने के लिये एक अध्यादेश भी जारी किया।
  - हालाँकि शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2021 में यह कहते हुए रोक लगा दी कि इसे अनुभवजन्य डेटा के बिना लागू नहीं किया जा सकता है और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी में रखकर चुनाव कराने को कहा है।
- दलील:
  - महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा दिये गए दिसंबर के आदेश के दो प्रतिकूल प्रभाव होंगे।
  - ओबीसी से संबंधित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित पदों पर चुने जाने के अवसर से वंचित होंगे, जो न केवल ओबीसी समुदाय के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा बल्कि अन्य सभी समुदायों के विकास में मदद करते थे।
  - ओबीसी का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या गैर-प्रतिनिधित्व संवैधानिक योजना के उद्देश्य व मंशा के बिल्कुल विपरीत है।
  - राज्य ने यह भी दावा किया कि उसने पहले ही एक आयोग नियुक्त करके और डेटा एकत्र करके तीन परीक्षण दिशा निर्देशों में से दो का पालन किया था।
  - महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में आरक्षण ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है और पूरे महाराष्ट्र राज्य के सभी ज़िलों में 27% का समग्र आरक्षण नहीं है।
  - स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी कोटा को सही ठहराने हेतु एक मध्यवर्ती उपाय के रूप में राज्य ने एक नमूना सर्वेक्षण का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि नमूना आकार में ओबीसी का वितरण 48.6% पाया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को 'महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग' (MSCBC) द्वारा ओबीसी डेटा की जाँच करने और स्थानीय निकायों के चुनावों में उनके प्रतिनिधित्व पर सिफारिशें करने का निर्देश दिया।
- निहितार्थ:
  - सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में OBC कोटा बहाल करने की संभावना को बढ़ा दिया है।
  - सरकारी आँकड़ों में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग और शहरी विकास विभाग के गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रों हेतु स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न सर्वेक्षण शामिल हैं।
  - सरकार पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के आँकड़ों और वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का भी हवाला दे सकती है।
  - सरकार को MSCBC और राज्य चुनाव आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करना होगा और स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा बहाल करने हेतु मिलकर कार्य करना चाहिये।

वर्ष 2010 का निर्णय

- के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ वाद (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) की व्याख्या की थी, जो कानून के अधिनियमन द्वारा क्रमश: पंचायतों और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की अनुमति देते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएँ, शिक्षा एवं रोज़गार तक पहुँच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं हैं।
- समान अवसर देने हेतु आरक्षण को वांछनीय माना जाता है, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेदों द्वारा अनिवार्य है जो कि आरक्षण के लिये एक अलग संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शिक्षा व रोज़गार में आरक्षण की परिकल्पना की गई है।

नोट :

- यद्यपि स्थानीय निकायों को आरक्षण की अनुमति है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि यह आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन है।

साझा पालन-पोषण

चर्चा में क्यों ?

माता-पिता के विवाह से अलग होने की स्थिति में बच्चे की कस्टडी मांगना बच्चों के लिये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। यद्यपि तलाक के बाद माता-पिता अलग हो जाते हैं, लेकिन यह 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' में नहीं है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में फैसला सुनाया था कि 'एक बच्चे को अपने माता-पिता दोनों के स्नेह का अधिकार है'।
- इस संदर्भ में 'साझा पेरेंटिंग' की अवधारणा बच्चे के लिये मददगार हो सकती है। हालाँकि, पुरातन कानूनों के कारण यह भारत में एक विकल्प नहीं है।
- 'साझा पेरेंटिंग' का आशय उस स्थिति से है, जब बच्चों को माता-पिता के अलगाव के बाद माता-पिता दोनों के प्यार और मार्गदर्शन के साथ पाला जाता है।

प्रमुख बिंदु

- 'बच्चे के सर्वोत्तम हितों' का आशय:
  - भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
  - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में UNCRC में मौजूद 'बच्चे के सर्वोत्तम हितों' की परिभाषा को शामिल किया गया है।
  - "बच्चे के सर्वोत्तम हित" का अर्थ है "बच्चे के संबंध में लिये गए किसी भी निर्णय का आधार उसके मूल अधिकारों और ज़रूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण एवं शारीरिक, भावनात्मक व बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये" तथा किसी भी हिरासत की लड़ाई/कस्टडी बेटल (custody battle) में सर्वोपरि है।
- भारत में बच्चों की कस्टडी का निर्धारण करने वाले कानून:
  - वर्ष 1956 का हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम (HMGA):
    - इस अधिनियम में कहा गया है कि एक हिंदू नाबालिग लड़के या अविवाहित लड़की का नैसर्गिक अभिभावक (Natural Guardian) पिता और माता होंगे, बशर्ते कि एक नाबालिग की कस्टडी जिसकी पाँच वर्ष की उम्र पूरी नहीं हुई है सामान्यत मां के पास होगी।
    - हालाँकि HMGH में कस्टडी अधिकार तय करने या न्यायालय द्वारा अभिभावक घोषित करने हेतु कोई स्वतंत्र, कानूनी या प्रक्रियात्मक तंत्र शामिल नहीं है।
  - संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (GWA)
    - यह बच्चे और संपत्ति दोनों के संबंध में एक व्यक्ति को बच्चे के 'अभिभावक' के रूप में नियुक्त करने से संबंधित है।
    - माता-पिता के बीच चाइल्ड कस्टडी, संरक्षकता और मुलाकातों के मुद्दों को GWA के तहत निर्धारित किया जाता है, अगर नैसर्गिक अभिभावक अपने बच्चे के लिये एक विशेष अभिभावक के रूप में घोषित होना चाहते हैं।
    - GWA के तहत एक याचिका में माता-पिता के बीच विवाद होने पर, HMGA के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, अभिभावकता और कस्टडी एक माता-पिता के साथ दूसरे माता-पिता के मिलने या मुलाकत के अधिकारों के साथ निहित हो सकती है।
    - ऐसा करने में नाबालिग या "बच्चे के सर्वोत्तम हित" का कल्याण सर्वोपरि होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णय:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह मामले में 'पेरेंटल एलीनेशन सिंड्रोम' की अवधारणा पर प्रकाश डाला।
    - यह अपने माता-पिता के प्रति एक बच्चे के अनुचित तिरस्कार को संदर्भित करता है।
    - निर्णय में इसके "मनोवैज्ञानिक विनाशकारी प्रभावों" को रेखांकित किया गया।

- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'लहरी सखामुरी बनाम शोभन कोडाली मामले' में कहा कि "बच्चे के सर्वोत्तम हित" अपने अर्थ में व्यापक हैं और "प्राथमिक देखभाल, के मामले में माँ का प्यार और देखभाल ही काफी नहीं है।
- वर्ष 2022 में वसुधा सेठी बनाम किरण वी. भास्कर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक बच्चे का कल्याण माता-पिता का व्यक्तिगत या व्यक्तिगत कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि अभिरक्षा की लड़ाई में सर्वोपरि है। माता-पिता के अधिकारों पर बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

- साझा पालन-पोषण पर कानूनी राय:
  - वर्ष 2015 में भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट में भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा कानूनों में सुधार के मुद्दे पर संयुक्त अभिरक्षा एवं साझा पालन-पोषण की सिफारिश की गई।
    - यह एक माता-पिता के साथ एकल बाल अभिरक्षा के विचार से असहमत था।
    - इसने संयुक्त अभिरक्षा के लिये HMGA और GWA में संशोधन हेतु और इस तरह की हिरासत, बाल सहायता और मुलाक़ात व्यवस्था से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत सिफारिशें कीं।
  - भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट 263, जिसका शीर्षक है बच्चों का संरक्षण (अंतर-देश निष्कासन और ध्यान) विधेयक, 2016 ने यूएनसीआरसी (UNCRC) के अनुसार हिरासत से संबंधित "बच्चों के सर्वोत्तम हितों" की रक्षा के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश की है।
  - वर्ष 2018 में सरकार को सौंपी गई जस्टिस बिंदल कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूएनसीआरसी (UNCRC) के मद्देनज़र चाइल्ड कस्टडी से संबंधित मामलों में "बच्चों के सर्वोत्तम हित" सर्वोपरि हैं।

आगे की राह

- एक बाल-केंद्रित मानवाधिकार न्यायशास्त्र (child-centric human rights jurisprudence) जो समय के साथ विकसित और इस सिद्धांत पर स्थापित किया गया है कि सार्वजनिक भलाई बच्चे के उचित विकास की मांग करती है,जो राष्ट्र का भविष्य है।
- इसलिये समान अधिकारों के साथ साझा या संयुक्त पालन-पोषण बच्चे के इष्टतम विकास हेतु एक व्यवहार्य, व्यावहारिक, संतुलित समाधान हो सकता है।

गणतंत्र दिवस 2022

चर्चा में क्यों?

हर वर्ष 26 जनवरी को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस (वर्तमान 73वाँ) मनाया जाता है, जो 1950 में इसी दिन अर्थात् 26 जनवरी को लागू हुआ था।

- संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और नागरिकों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - 15 अगस्त, 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह वह तारीख है जिसे लॉर्ड लुई माउंटबेटन द्वारा निर्धारित किया गया था जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों की शक्तियों को जापान की अधीनता की दूसरी वर्षगाँठ के रूप में चिह्नित किया गया था।
  - भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसका अपना कोई संविधान नहीं था। जो कानून उस समय विद्यमान थे, वे एक सामान्य कानून प्रणाली और "भारत सरकार अधिनियम, 1935" के एक संशोधित संस्करण पर आधारित थे, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था।
  - लगभग दो सप्ताह बाद डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक मसौदा समिति नियुक्त की गई और अंतत: भारतीय संविधान 26 नवंबर, 1949 (संविधान दिवस) को तैयार हुआ और इसे स्वीकार किया गया।
    - दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।.
  - 19 दिसंबर, 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में "पूर्ण स्वराज" या पूर्ण स्वशासन का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया।

- कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी, 1930 को भारतीयों द्वारा "स्वतंत्रता दिवस" के रूप में मनाया जाएगा।
  - कॉन्ग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। इस दिन को अगले 17 वर्षों तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता राह।
- इस प्रकार जब 26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, तो कई लोगों ने राष्ट्रीय गौरव से जुड़े इस दिन (26 जनवरी) पर कानूनी दस्तावेज़ को स्वीकार करना और लागू करना आवश्यक समझा।

- महत्त्व:
  - गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था और देश के अपने कानूनों की घोषणा की थी।
  - ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम (1935) को अंतत: बदल कर देश एक नई शुरुआत करने के लिये तैयार था।
  - इसके अतिरिक्त इसी दिन भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी लागू किया गया था।
    - प्रस्तावना मोटे तौर पर एक व्यापक बयान है जो संविधान के प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है।
  - इसी दिन भारत ने औपनिवेशिक व्यवस्था को समाप्त किया और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर एक नई सुबह की शुरुआत की।
  - यह दिन हमारे समाज और हमारे सभी नागरिकों के बीच स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिये हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र के मूल्यों को मनाने का अवसर है।
  - यह दिन एक विशाल राष्ट्र की इच्छा का जश्न मनाता है जो भारत की विविधता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एकल संविधान के माध्यम से शासित होना चाहता है।
- भारतीय लोकतंत्र के लिये खतरा:
  - हालाँकि भारत ने दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी एक जगह बनाई है, लेकिन यह विकास के नाम पर बहुत पीछे छूट जाता है।
  - गरीबी वर्तमान भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे अमीर एवं गरीब के बीच एक विशाल विभाजन के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।
  - विषम महिला अनुपात, आर्थिक अवसरों तथा मज़दूरी में असमानता, हिंसा, कुपोषण आदि के साथ लैंगिक भेदभाव जैसे सभी स्तरों पर बना हुआ है।
  - सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद ने भारत में एक बहुत ही खतरनाक रूप ओए भयानक अनुपात हासिल कर लिया है। यह भारत की राष्ट्रवादी पहचान का अपमान है तथा इसकी उभरती धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के लिये दुखद है।
  - भारतीय लोकतंत्र भी क्षेत्रवाद की चुनौतयों का सामना कर रहा है जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय असमानताओं और विकास में असंतुलन का परिणाम है।
  - राज्य स्तर पर और राज्य के भीतर निरंतर असमानता के कारण उपेक्षा, अभाव और भेदभाव की भावना पैदा होती है।
  - चुनाव,जो कि लोकतंत्र की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति के रूप में काम करते हैं, राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा धन एवं बाहुबल के दुरुपयोग से प्रभावित होते हैं।
  - अधिकांश राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं; वहीं चुनाव के लिये धन का स्रोत संदिग्ध बना हुआ है।

संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र

- संप्रभु: 'संप्रभु' का तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, यह अपने मामलों का संचालन करने हेतु स्वतंत्र है।
- लोकतांत्रिक: यह 'लोकप्रिय संप्रभुता' के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति का अधिकार आम लोगों के पास होता है।
- गणतंत्र: प्रस्तावना इंगित करती है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख होता है ,जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिये चुना जाता है।

आगे की राह

- हमारे गणतंत्र ने एक लंबा सफर तय किया है और हमें इस बात की सराहना करनी चाहिये कि नई पीढ़ियाँ इस गणतंत्र को कितनी दूर ले आई हैं। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है।
- मात्रा से गुणवत्ता तक- उपलब्धि और सफलता के हमारे मानदंड को फिर से जाँचने की आवश्यकता है; ताकि इसे एक साक्षर समाज से एक ज्ञानी समाज की ओर ले जाया जा सके।
- समावेश की भावना को अपनाए बिना भारत के विकास की कोई भी अवधारणा पूरी नहीं हो सकती है। भारत का बहुलवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के लिये यह सबसे बड़ा उदाहरण है।
- 'भारतीय मॉडल' विविधता, लोकतंत्र और विकास के एक तिपाई पर टिका हुआ है जहाँ हम एक को दूसरे के ऊपर नहीं चुन सकते हैं।
- राष्ट्र को सभी वर्गों और सभी समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र एक ऐसे परिवार में बदल जाए जो प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्टता और क्षमता का आह्वान व प्रोत्साहन कर सके।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा 'भ्रष्टाचार बोध सूचकांक' 2021 (CPI) जारी किया गया।

- समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86 प्रतिशत देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या तो काफी हद तक स्थिर या खराब रही है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन (जर्मनी) में की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्रवाई करना है।
- इसके प्रकाशनों में वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - सूचकांक के तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है।
  - यह 13 स्वतंत्र डेटा स्रोतों पर निर्भर करता है और इसमें 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न उपयोग किया जाता है, जहाँ 0 का अर्थ सबसे अधिक भ्रष्टाचार है और 100 का अर्थ सबसे कम भ्रष्ट से है।
  - दो-तिहाई से अधिक देशों (68%) का स्कोर 50 से नीचे रहा है और औसत वैश्विक स्कोर 43 पर स्थिर बना हुआ है। वर्ष 2012 के बाद से अब तक 25 देशों ने अपने स्कोर में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन इसी अवधि में 23 देशों के स्कोर में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता:
  - इस वर्ष शीर्ष देशों में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूज़ीलैंड शामिल रहे, जिनमें से प्रत्येक को 88 का स्कोर प्राप्त हुआ है। नॉर्वे (85), सिंगापुर (85), स्वीडन (85), स्विट्ज़रलैंड (84), नीदरलैंड (82), लक्ज़मबर्ग (81) और जर्मनी (80) शीर्ष 10 में रहे।
- खराब प्रदर्शनकर्त्ता
  - दक्षिण सूडान (11), सीरिया (13) और सोमालिया (13) सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहे।
  - सशस्त्र संघर्ष या सत्तावाद का सामना करने वाले देश जैसे- वेनेज़ुएला (14), अफगानिस्तान (16), उत्तर कोरिया (16), यमन (16), इक्वेटोरियल गिनी (17), लीबिया (17) और तुर्कमेनिस्तान (19) आदि को सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ।

नोट :

- भारत का प्रदर्शन:
  - भारत मौजूदा सूचकांक में 180 देशों में 85वें स्थान (वर्ष 2020 में 86 और वर्ष 2019 में 80) पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को 40 का CPI स्कोर दिया।
    - भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों को निचली रैंकिंग मिली है। पाकिस्तान सूचकांक में 16 स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुँच गया है।
  - पिछले एक दशक में भारत का स्कोर काफी हद तक स्थिर रहा है, वहीं कुछ ऐसे तंत्र जो भ्रष्टाचार में मदद कर सकते हैं, कमज़ोर हो रहे हैं।
  - हालाँकि सूचकांक में देश की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई है, क्योंकि मौलिक स्वतंत्रता और संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन का क्षय होता दिख रहा है।
    - जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, देशद्रोह, अभद्र भाषा और न्यायालय की अवमानना के आरोपों व विदेशी फंडिंग संबंधी नियमों के माध्यम से निशाना बनाया जाता है।
- लोकतंत्र का पतन:
  - बेलारूस में विपक्षी समर्थकों के दमन से लेकर निकारागुआ में मीडिया आउटलेट और नागरिक समाज संगठनों को बंद करने तक, सूडान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हिंसा तथा फिलीपींस में मानवाधिकार रक्षकों की हत्या जैसी घटनाओं के कारण दुनिया भर में मानवाधिकार और लोकतंत्र को खतरा है।
  - न केवल प्रणालीगत भ्रष्टाचार और कमज़ोर संस्थानों वाले देशों में बल्कि स्थापित लोकतांत्रिक देशों में भी अधिकारों, नियंत्रण तथा संतुलन में तेज़ी से कमी आ रही है।
    - वर्ष 2012 के बाद से लगभग 90% देशों ने लोकतंत्र सूचकांक पर अपने नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की है।
  - वैश्विक कोविड-19 महामारी का उपयोग कई देशों में बुनियादी स्वतंत्रता और संतुलन को कम करने के बहाने के रूप में भी किया गया है।
  - गुमनाम मुखौटा कंपनियों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिये बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय गति के बावजूद अपेक्षाकृत "स्वच्छ" सार्वजनिक क्षेत्रों वाले कई उच्च स्कोरिंग देश अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार को जारी रखते हैं।
  - सत्तावाद की वर्तमान लहर तख्तापलट और हिंसा से नहीं, बल्कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने के क्रमिक प्रयासों से प्रेरित है। यह आमतौर पर नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर हमलों, निरीक्षण और चुनाव निकायों की स्वायत्तता को कमज़ोर करने के प्रयासों तथा मीडिया के नियंत्रण के साथ शुरू होती है।
  - इस तरह के हमले भ्रष्ट शासनों को जवाबदेही और आलोचना से बचने की अनुमति देते हैं जिससे भ्रष्टाचार पनपता है।
- सुझाव:
  - लोगों की मांग:
    - भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक पतन के दुष्चक्र की समाप्ति हेतु लोगों को निम्नलिखित मांग करनी चाहिये कि उनकी सरकारें:
    - सत्ता पर अपनी पकड़ को मज़बूत करने हेतु आवश्यक अधिकारों को बनाए रखना।
    - सत्ता पर संस्थागत जाँच को बहाल तथा मज़बूत करना।
    - भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का मुकाबला करना।
    - सरकारी व्यय में 'सूचना के अधिकार' को कायम रखना।
  - मौलिक विफलताओं को संबोधित करना:
    - भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में एक साथ आगे बढ़ने के लिये आर्थिक सुधार रणनीतियों की उन मूलभूत विफलताओं को दूर करना चाहिये जिनके कारण कई देशों की व्यवस्थाएँ भ्रष्ट हुई हैं।
    - भ्रष्टाचार और सामान्य समृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण केवल ज़ागरूक लोगों की भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होने, खुले तौर पर बोलने में सक्षम हैं।

नोट :

- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ:
  - भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी या कमज़ोर संस्थानों वाले देशों को भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के सिद्धांतों पर वर्ष 2012 के जकार्ता स्टेटमेंट, कोलंबो कमेंट्री और क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे कि टीनिवा विज़न (Teieniwa Vision), भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आवश्यक अन्य सभी कदमों के साथ बनाए रखा जाना चाहिये।
  - भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार-विरोधी साधन है।

संबंधित भारतीय पहल

- भारतीय दंड संहिता, 1860
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010
- कंपनी अधिनियम, 2013
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- केंद्रीय सतर्कता आयोग

चुनाव मुफ्त

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India-ECI) द्वारा चुनाव चिह्न को ज़ब्त करने या चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से "तर्कहीन मुफ्त (irrational freebies)" का वादा करने या वितरित करने वाले राजनीतिक दल को अपंजीकृत करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

- याचिका में यह तर्क दिया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा हाल ही में चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त उपहार देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रवृत्ति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व के लिये सबसे बड़ा खतरा है बल्कि संविधान की भावना को भी चोट पहुँचाती है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय राजनीति में मुफ्त (Freebies) के बारे में:
  - राजनीतिक दल लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिये मुफ्त बिज़ली / पानी की आपूर्ति, बेरोज़गारों, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं महिलाओं, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट आदि को देने का वादा करते हैं।
- याचिका के बारे में:
  - याचिकाकर्त्ता का कहना है कि तर्कहीन मुफ्त के मनमाने वादे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनाव आयोग के जनादेश का उल्लंघन करते हैं।
  - निजी वस्तुओं-सेवाओं का वितरण जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये नहीं हैं, सार्वजनिक धन से संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 162 (राज्य की कार्यकारी शक्ति), 266 (3) (भारत की संचित निधि से व्यय) और 282 (विवेकाधीन अनुदान) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।
  - याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में एक कानून बनाने के लिये संघ को निर्देश देने की भी मांग की गई है।
  - इसने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रासंगिक पैराग्राफ में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ने के लिये चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की।
    - यह एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता हेतु शर्तों से संबंधित है कि "राजनीतिक दल चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त का वादा / वितरण नहीं करेगा"।

- मुफ्त उपहारों/वादों के पक्ष में तर्क:
  - अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक: भारत जैसे देश में जहाँ राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर है (या नहीं है), चुनावों के उद्भव पर लोगों की ओर से ऐसी उम्मीदें होती हैं जो मुफ्त के ऐसे वादों से पूरी होती हैं।
    - इसके अलावा जब आस-पास के अन्य राज्यों के लोगों (विभिन्न सत्तारूढ़ दलों के साथ) को मुफ्त उपहार वितरित किये जाते हैं तो तुलनात्मक अपेक्षाएँ भी उत्पन्न होती हैं।
  - कम विकसित राज्यों के लिये सहायक: गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों के लिये इस तरह के मुफ्त उपहार आवश्यकता/मांग-आधारित हो जाते हैं और लोगों को अपने स्वयं के उत्थान हेतु इस तरह की सब्सिडी की पेशकश करना आवश्यक हो जाता है।
- मुफ्त उपहारों से संबंधित मुद्दे:
  - आर्थिक भार: यह राज्य के साथ-साथ केंद्र के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ डालता है।
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है तथा चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बाधित करता है।
    - यह एक अनैतिक प्रथा है जो मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है।
  - समानता के सिद्धांत के विपरीत: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से निजी वस्तुओं या सेवाओं का वितरण, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये नहीं है, संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) शामिल है।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: वर्ष 2013 के एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अवास्तविक चुनावी वादे और मुफ्त उपहार एक गंभीर मुद्दा है जो चुनाव में समान अवसर प्रदान करने की भावना का उलंघन करता है।
  - न्यायालय ने यह भी माना कि चुनावी घोषणा पत्र में वादों को जनप्रतिनिधित्व कानून या किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत "भ्रष्ट आचरण" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसलिये जब सत्ताधारी पार्टी राज्य विधानसभा में विनियोग अधिनियम पारित करके इस उद्देश्य हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग करती है तो मुफ्त वितरण को रोकना संभव नहीं है।
  - न्यायालय ने कहा कि वर्तमान ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, जो चुनाव घोषणापत्र को प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित करता हो और साथ ही न्यायालय ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।

आगे की राह

- बेहतर नीतिगत पहुँच: विभिन्न राजनीतिक दल, जिन आर्थिक नीतियों या विकास मॉडलों को अपनाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा विभिन्न दलों में ऐसी नीतियों के आर्थिक प्रभाव की उचित समझ विकसित करनी चाहिये।
- विवेकपूर्ण मांग-आधारित मुफ्त सुविधाएँ: भारत एक बड़ा देश है और अभी भी ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।
  - देश की विकास योजना में सभी लोगों को शामिल करना भी ज़रूरी है।
  - मुफ्त या सब्सिडी की विवेकपूर्ण पेशकश, जिसे राज्यों के बजट में आसानी से समायोजित किया जा सकता है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगी और इसका लाभ आसानी से लोगों तक पहुँच सकेगा।
- 'सब्सिडी' और 'मुफ्त' के बीच अंतर को स्पष्ट करना: आर्थिक रूप से 'मुफ्त वितरण' के प्रभावों को समझने और इसे करदाताओं के पैसे से जोड़ने की ज़रूरत है।
  - 'सब्सिडी' और 'मुफ्त' के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ है, जो मांगों से उत्पन्न होती है।
- लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना: लोगों को यह महसूस कराना चाहिये कि वे अपने वोट बर्बाद करके क्या गलती करते हैं। यदि वे विरोध नहीं करते हैं, तो वे अच्छे नेताओं की अपेक्षा नहीं कर सकते।

सत्यनिष्ठ समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सरकारी निकायों में स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्त्ता (IEM) के नामांकन के मानदंड में संशोधन किया है।

- यह संशोधन कुछ महीने बाद आया जब इसने 'सत्यनिष्ठ समझौता' खंड को अपनाने और लागू करने के लिये एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जो सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये है।

प्रमुख बिंदु

- सत्यनिष्ठ समझौता:
  - 'सत्यनिष्ठ समझौता' संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की परिकल्पना करता है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों और अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू या चरण में किसी भी भ्रष्ट व्यवहार का सहारा नहीं लेने के लिये प्रतिबद्ध करता है।
  - खंड के किसी भी उल्लंघन में बोलीदाताओं की अयोग्यता और भविष्य के व्यापारिक सौदों से बहिष्करण शामिल है।
  - यह समझौता सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्द्धात्मकता भी सुनिश्चित करता है
- स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्त्ता:
  - IEM स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से दस्तावेज़ों की समीक्षा करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।
  - वे किसी भी अनुबंध से संबंधित शिकायतों की जाँच के बाद संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें देते हैं।
  - यदि वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितताएँ पाते हैं, तो संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी को या सीधे 'मुख्य सतर्कता अधिकारी' (CVO) या फिर CVC को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।
- IEM नियम संशोधन: IEM के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु किन लोगों पर विचार किया जाएगा, उनकी सूची में संशोधन किया गया है। इसमें अब शामिल हैं:
  - अधिकारी जो भारत सरकार के तहत अतिरिक्त सचिव का पद धारण कर चुके हैं;
  - जो अनुसूची 'A' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) थे।
  - सेवानिवृत्ति के समय केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष/उच्चतर व्यक्ति।
  - सेवानिवृत्ति के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के CMDs/MDs और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs)।
  - सशस्त्र बलों के अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के समय अतिरिक्त सचिव के समकक्ष या उससे अधिक वेतनमान पर थे।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है।
  - यह एक स्वतंत्र निकाय है, जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- सरकार द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (The Central Vigilance Commission Act) द्वारा आयोग के सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई।

नोट :

पदोन्नति में आरक्षण हेतु मापदंड निर्धारण से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये मापदंड तय करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय का यह फैसला देश भर में दाखिल उन याचिकाओं पर दिया गया है, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण देने के तौर-तरीकों पर और स्पष्टता की मांग की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
  - डेटा एकत्र करने हेतु 'कैडर':
    - न्यायालय ने पदोन्नति कोटा देने हेतु मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से इकाई के रूप में 'कैडर' का निर्धारण किया है, न कि वर्ग, समूह या संपूर्ण सेवा।
    - न्यायालय ने कहा कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित डेटा संग्रह पूरी 'सेवा' के संदर्भ में किया जाता है, तो पदोन्नति में आरक्षण की पूरी कवायद निरर्थक हो जाएगी।
  - कोई मापदंड नहीं:
    - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रश्न निर्धारित करने के लिये संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिये और न्यायालय प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है।
  - 'बी.के. पवित्रा' वाद (2019) के निर्णय को रद्द करना:
    - मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिये इकाई के रूप में 'कैडर' की मान्यता के साथ न्यायालय ने 'बी.के. पवित्रा' वाद (2019) के निर्णय को रद्द कर दिया था।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समूहों के आधार पर डेटा के संग्रह को मंज़ूरी देने वाला निष्कर्ष 'नागराज और जरनैल सिंह' वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत है।
    - न्यायालय ने माना कि 'नागराज और जरनैल सिंह' वाद के फैसले का 'प्रत्याशित प्रभाव' होगा।
  - समीक्षा का आदेश:
    - सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पदोन्नति में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के उद्देश्य से डेटा के संबंध में समीक्षा की जानी चाहिये।
    - हालाँकि न्यायालय ने राज्यों के लिये समीक्षा करने हेतु "उचित" समय तय करने का निर्णय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है।
- पृष्ठभूमि:
  - पदोन्नति में आरक्षण:
    - 1950 के दशक से केंद्र और राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदायों के पक्ष में पदोन्नति में सीटें आरक्षित करने की नीति का पालन कर रही हैं क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में निर्णय निर्माण प्रक्रिया के स्तर पर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
  - इंदिरा साहनी वाद 1992:
    - पदोन्नति में आरक्षण की इस नीति को इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और शून्य माना गया क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के समय केवल प्रवेश के स्तर पर अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य को पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है।
    - 77वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4A) को शामिल किया गया।

- एम नागराज वाद 2006:
  - इस मामले में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले (1992) में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया, जिसमें उसने एससी/एसटी (जो ओबीसी पर लागू था) को क्रीमी लेयर की अवधारणा में बाहर कर दिया था।
  - SC ने संवैधानिक संशोधनों जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 (4A) और 16 (4B) को जोड़ा गया था यह कहते हुए बरकरार रखा कि वे अनुच्छेद 16 (4) से संबंधित हैं तथा ये अनुच्छेद की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं करते हैं।
  - इसने सार्वजनिक रोज़गार में एससी और एसटी समुदायों के लोगों की संख्या को बढ़ाने हेतु तीन शर्तें भी रखीं:
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिये।
  - सार्वजनिक रोज़गार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव हो।
  - आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करेगी।
  - न्यायालय ने कहा कि सरकार अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों हेतु पदोन्नति में कोटा तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि विशेष समुदाय पिछड़ा हुआ, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से लोक प्रशासन की समग्र दक्षता प्रभावित नहीं होगी।
  - सरकार की राय मात्रात्मक आँकड़ों पर आधारित होनी चाहिये।
- जरनैल सिंह वाद 2018:
  - जरनैल सिंह मामले (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज फैसले को एक उच्च पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में यह कहकर अपने निर्णय को बदल दिया कि राज्यों को SC/ST समुदायों के पिछड़ेपन के मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
  - न्यायालय ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के सदस्यों के लिये "परिणामी वरिष्ठता के साथ त्वरित पदोन्नति" प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया था।

आरक्षण में पदोन्नति हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16 (4B): इसे 81वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें एक विशेष वर्ष के रिक्त SC/ST कोटे को अगले वर्ष के लिये स्थानांतरित कर दिया गया।
- अनुच्छेद 335: के अनुसार, सेवाओं और पदों को लेकर SC और ST के दावों पर विचार करने हेतु विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाया जा सके।
- 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 ने अनुच्छेद 335 में एक शर्त सम्मिलित की जो कि राज्य को किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

विधायकों के एक वर्ष के निलंबन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों (MLAs) के एक वर्ष के निलंबन को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक वर्ष के लिये निलंबन 'असंवैधानिक तथा काफी हद तक अवैध और तर्कहीन' था।

प्रमुख बिंदु

- विधायकों (MLAs) के निलंबन के बारे में:
  - विधायकों को OBCs के संबंध में डेटा के खुलासे को लेकर विधानसभा में दुर्व्यवहार करने के लिये निलंबित किया गया था।

- निलंबन की चुनौती मुख्य रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खंडन और निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर निर्भर करती है।
    - निलंबित 12 विधायकों ने कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और निलंबन की इस प्रक्रिया ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया।
- महाराष्ट्र विधानसभा का नियम 53: इसके तहत "अध्यक्ष किसी भी सदस्य को तुरंत विधानसभा से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है यदि कोई उसके निर्णय का पालन करने से इनकार करता है या उसकी राय में उसका आचरण घोर उच्छृंखल है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य:
    - शेष दिन की बैठक में स्वयं अनुपस्थित रहता हो।
    - यदि किसी सदस्य को उसी सत्र में दूसरी बार निलंबन का आदेश दिया जाता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष उस सदस्य को "किसी एक विशिष्ट अवधि के लिये सत्र से अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है, जो कि सदन की शेष अवधि से अधिक नहीं हो सकता।

- महाराष्ट्र विधानसभा का तर्क:
- अनुच्छेद 212: सदन ने अनुच्छेद 212 के तहत अपनी विधायी क्षमता के भीतर कार्य किया तथा न्यायालयों के पास विधायिका की कार्यवाही की जाँच करने का अधिकार नहीं है।
- अनुच्छेद 212 (1) के तहत "किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा"।
- सीटों की रिक्ति: राज्य ने यह भी कहा है कि यही सदस्य 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता है तो भी यह सीट स्वत: रिक्त नहीं होती है, बल्कि सदन द्वारा ऐसा घोषित करने पर ही यह सीट रिक्त होती है।
    - साथ ही यह भी कहा गया था कि सदन ऐसी सीट को रिक्त घोषित करने के लिये बाध्य नहीं है।
- अनुच्छेद 194: राज्य ने सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों पर अनुच्छेद 194 का भी उल्लेख किया और तर्क दिया है कि इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की अंतर्निहित शक्तियों के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है।
    - राज्य द्वारा इस बात से भी इनकार किया गया है कि किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा के नियम 53 के माध्यम से किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के तर्क:
    - तर्कहीन निलंबन: विधानसभा में व्यवस्था बहाल करने के लिये किसी सदस्य के निलंबन को अल्पकालिक या अस्थायी, अनुशासनात्मक उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
        - इससे अधिक कुछ भी तर्कहीन निलंबन होगा।
    - विपक्ष में हेरफेर: इसने कहा कि एक कम बहुमत वाली गठबंधन सरकार विपक्षी दल के सदस्यों की संख्या में हेरफेर करने के लिये इस तरह के निलंबन का इस्तेमाल कर सकती है।
        - विपक्ष अपने सदस्यों को लंबी अवधि के लिये निलंबित किये जाने के डर से सदन में चर्चा/बहस में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पाएगा।
    - संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन: विधानसभा में पूरे एक साल तक निलंबित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होने से संविधान का मूल ढाँचा प्रभावित होगा।
    - संवैधानिक आवश्यकता: पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 190 (4) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, "यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य साठ दिनों की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।"
    - वैधानिक आवश्यकता: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 (ए) के तहत "किसी भी रिक्ति को भरने के लिये वहाँ एक उप-चुनाव, रिक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा"।
        - इसका मतलब है कि इस धारा के तहत निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र छह महीने से अधिक समय तक प्रतिनिधि के बिना नहीं रह सकता है।

- समग्र निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करना: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक वर्ष का निलंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानिक था, क्योंकि यह छह महीने की सीमा से अधिक था और यह केवल "सदस्य को दंडित करना नहीं, बल्कि समग्र निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने" जैसा है।
- सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रश्न पर हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है कि क्या न्यायपालिका सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है।
  - हालाँकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय ने पिछले निर्णयों में स्पष्ट किया है कि सदन द्वारा किये गए असंवैधानिक कृत्य के मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है।

संसद सदस्य के निलंबन के प्रावधान:

- लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत नियम 373, 374, और 374A में उस सदस्य के निलंबन का प्रावधान है जिसका आचरण 'बेहद अव्यवस्थित' है और जो सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है या उसके कामकाज में जान-बूझकर बाधा डालता है।
- इन नियमों के अनुसार अधिकतम निलंबन 'लगातार पाँच बैठकों या शेष सत्र, जो भी कम हो' के लिये हो सकता है।
- नियम 255 और 256 के तहत राज्यसभा से भी अधिकतम निलंबन शेष सत्र से अधिक नहीं है।
- इसी तरह के नियम राज्य विधानसभाओं और परिषदों पर भी लागू हैं, जो सत्र के शेष समय से अधिक नहीं हो सकता है।

दृष्टि The Vision

आर्थिक घटनाक्रम

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया है।

- यह भी घोषणा की गई है कि स्टार्टअप संस्कृति को देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जाने के लिये 16 जनवरी (स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में इसी दिन शुरू किया गया था) को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने कर प्रोत्साहन प्रमाण पत्र के लिये ब्लॉकचैन-सक्षम सत्यापन के साथ 'डिजिलॉकर सक्षम डीपीआईआईटी स्टार्टअप मान्यता प्रमाण पत्र' भी लॉन्च किया है।

स्टार्टअप इंडिया पहल:

- इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, यह देश में नवाचार के पोषण और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने हेतु एक मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत करता है।
- यह निम्नलिखित तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है:
    - सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग।
    - वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन।
    - उद्योग-अकादमी भागीदारी और इन्क्यूबेशन।

प्रमुख बिंदु

- डिज़ाइन:
    - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- उद्देश्य:
    - ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम एनेबलर्स को पहचानना व पुरस्कृत करना जो नवोन्मेषी उत्पादों या समाधानों एवं स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोज़गार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता शामिल है, जो मापन योग्य सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं।
- वर्ष 2021 का पुरस्कार:
    - पुरस्कार के दूसरे संस्करण में 15 क्षेत्रों और 49 उप-क्षेत्रों में आवेदन आमंत्रित किये गए।
    - इस पुरस्कार के वर्ष 2021 के संस्करण ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु राष्ट्रीय प्रयासों की प्रशंसा करने के लिये असाधारण स्टार्टअप्स को भी सम्मानित किया।
        - सभी आवेदकों का मूल्यांकन छह व्यापक मानकों- नवाचार, मापनीयता, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव और समावेशिता एवं विविधता के आधार पर किया गया था।
- पुरस्कार:
    - विजेता स्टार्टअप संस्थापकों को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों एवं कॉरपोरेट्स के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर को जीत की राशि के रूप में 15 लाख रुपए मिलेंगे।
        - 1 इनक्यूबेटर और 1 एक्सेलेरेटर के साथ 46 स्टार्टअप को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारत में स्टार्टअप की स्थिति:

- परिचय:
  - वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र है (स्टार्टअप की संख्या के अनुसार) जहाँ वर्ष 2010 में 5000 स्टार्टअप्स की तुलना में वर्ष 2020 में 15,000 से अधिक स्टार्टअप्स की स्थापना हुई।
  - इस स्टार्टअप पारितंत्र के अंतर्निहित प्रवर्तकों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) और एक राष्ट्रीय भुगतान स्टैक शामिल हैं।
  - इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के बीच भारत में केवल वर्ष 2021 में ही इतनी संख्या में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप) सामने आए हैं, जितने वर्ष 2011-20 की पूरी दशकीय अवधि में भी नहीं आए थे।
  - हालाँकि, अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जो भारत में स्टार्टअप्स की वास्तविक क्षमता को साकार करने में अवरोध उत्पन्न करती हैं।
- अन्य संबंधित पहलें:
  - स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर राज्यों की रैंकिंग: यह एक विकसित मूल्यांकन उपकरण है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समर्थन के लिये समग्र रूप से अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
  - SCO स्टार्टअप फोरम: पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) स्टार्टअप फोरम को सामूहिक रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और सुधारने के लिये अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
  - प्रारंभ: 'प्रारंभ' (Prarambh) शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्टअप्स और युवा विचारों को नए नवाचारों व आविष्कारों को एक साथ आने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
  - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज: मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का उद्घाटन किया।

अर्द्धचालकों के लिये डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (Design Linked Incentive- DLI) योजना के तहत 100 घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन फर्मों, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) से आवेदन आमंत्रित किये हैं।

- DLI योजना देश में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिये MeitY के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।
- हाल ही में वैश्विक स्तर पर अर्द्धचालकों के उपयोग में एकाएक व्यापक कमी आई है।

अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर्स:

- एक कंडक्टर और इन्सुलेटर के मध्य विद्युत चालकता में मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी वर्ग।
- अर्द्धचालकों को डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, बिजली दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है।
- असतत घटकों के रूप में, उन्हें सॉलिड स्टेट लेज़र सहित बिजली उपकरणों, ऑप्टिकल सेंसर और प्रकाश उत्सर्जक में उपयोग किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में:
  - DLE योजना के तहत घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन तथा डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद प्रदान की जाएगी।
  - यह मदद अगले पाँच साल के लिये एकीकृत सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर्स, सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन के विकास एवं डिप्लॉयमेंट के विभिन्न चरणों में प्रदान की जाएगी।
- पात्रता:
  - योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने वाले स्वीकृत आवेदकों को अपनी घरेलू स्थिति (अर्थात, इसमें पूंजी का 50% से अधिक लाभकारी रूप से निवासी भारतीय नागरिकों और/या भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में हो) बनाए रखने के लिये तीन साल की अवधि हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा
  - योजना के तहत प्रोत्साहन के वितरण की पात्रता हेतु एक आवेदक को सीमा और उच्चतम सीमा को पूरा करना होगा।
    - एक समर्पित पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है।
- लक्ष्य:
  - सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में शामिल कम-से-कम 20 घरेलू कंपनियों का पोषण करना और उन्हें अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हासिल करने की सुविधा प्रदान करना।
- दृष्टिकोण:
  - डीएलआई योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के उत्पादों की पहचान करने और उनके पूर्ण या निकट स्वदेशीकरण व परिनियोजन के लिये रणनीतियों को लागू करने हेतु एक वर्गीकृत और पूर्व दृष्टिकोण अपनाएगी, जिससे रणनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन एवं मूल्यवर्द्धन की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
- नोडल एजेंसी:
  - C-DAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग), एक वैज्ञानिक सोसायटी है यह एमईआईटीवाई (MeitY) के तहत कार्य कर रही है, जो डीएलआई योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- डीएलआई के घटक: इस योजना के तीन घटक हैं- चिप डिज़ाइन अवसंरचना समर्थन, उत्पाद डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन और परिनियोजन लिंक्ड प्रोत्साहन:
  - चिप डिजाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट: इसके तहत सी-डैक अत्याधुनिक डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ईडीए टूल्स, आईपी कोर और MPW (मल्टी प्रोजेक्ट वफर फैब्रिकेशन) की मेज़बानी के लिये इंडिया चिप सेंटर की स्थापना करेगा और पोस्ट-सिलिकॉन सत्यापन के लिये समर्थित कंपनियों तक इसकी पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा।
  - उत्पाद डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन: इसके तहत अर्द्धचालक की डिज़ाइन में लगे अनुमोदित आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन पात्र व्यय के 50% तक की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
  - डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव: इसके तहत 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार के 6% से 4% की प्रोत्साहन राशि और 30 करोड़ रुपए प्रति आवेदन की सीमा के अधीन उन अनुमोदित आवेदकों को प्रदान की जाएगी जिनके इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स के लिये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन (SoCs), सिस्टम और IP कोर एवं सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में तैनात किये गए हैं।
- संबंधित पहल:
  - सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स हेतु:
    - सरकार सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिये परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

नोट :

- सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (SCL):
  - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी(SCL) के आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।
- कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स:
  - सरकार योजना के तहत स्वीकृत इकाइयों को पूंजीगत व्यय की 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन:
  - सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक सतत् प्रणाली विकसित करने हेतु दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष और स्वतंत्र "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)" स्थापित किया जाएगा।
- उत्पादन-सह प्रोत्साहन
  - उत्पादन-सह प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, PLI के लिये आईटी हार्डवेयर, SPECS योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के लिये 55,392 करोड़ रुपए (7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की प्रोत्साहन सहायता को मंज़ूरी दी गई है।

प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC):

- 'प्रगत संगणन विकास केंद्र' यानी सी-डैक आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है।
- भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 'PARAM 8000' स्वदेशी रूप से (वर्ष 1991 में) प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) द्वारा ही बनाया गया था।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' कार्यक्रम के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियोटेक्सटाइल (Specialty fibers and Geotextiles) के क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपए की 20 रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

तकनीकी वस्त्र:

- तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं।
  - तकनीकी वस्त्र उत्पाद की मांग किसी देश के विकास और औद्योगीकरण पर निर्भर करती है।
- प्रयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र खंड हैं: एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबिल्टेक, क्लोथेक, ओईटेक, जियोटेक, पैकटेक, हॉमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक और स्पोर्टेक।
  - उदाहरण: मोबिलटेक (Mobiltech) वाहनों में सीट बेल्ट और एयरबैग, हवाई जहाज़ की सीट जैसे उत्पादों को संदर्भित करता है। जियोटेक (Geotech) जो कि संयोगवश सबसे तेज़ी से उभरता हुआ खंड है, का उपयोग मृदा आदि को जोड़े रखने में किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय
  - इसे वर्ष 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थान प्रदान करने और घरेलू बाज़ार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था।
  - इसका लक्ष्य घरेलू बाज़ार के आकार को वर्ष 2024 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है।

नोट :

- मंत्रालय:
  - कपड़ा मंत्रालय के तहत एक मिशन निदेशालय।
- घटक: इसे वर्ष 2020-2021 से चार वर्षों के लिये लागू किया गया है और इसके चार घटक होंगे-
  - पहला घटक: यह 1,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुसंधान, विकास एवं नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
    - यह अनुसंधान फाइबर और भूमि, कृषि, चिकित्सा, खेल और मोबाइल वस्त्रों एवं बायोडिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्रों के विकास में अनुप्रयोग-आधारित दोनों स्तरों पर होगा।
    - अनुसंधान गतिविधियों में स्वदेशी मशीनरी और प्रक्रिया के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
  - दूसरा घटक: यह तकनीकी वस्त्रों के लिये बाज़ार के प्रचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - तीसरा घटक: यह निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि देश से तकनीकी कपड़ा निर्यात वर्ष 2021-2022 तक 14,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए तक पहुँच जाए और मिशन समाप्त होने तक प्रतिवर्ष 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित करे।
    - तकनीकी वस्त्रों के लिये निर्यात प्रोत्साहन परिषद का गठन किया जाएगा।
  - चौथा घटक: यह शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित होगा।
    - मिशन तकनीकी वस्त्रों और इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों से संबंधित उच्च इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा।
- तकनीकी वस्त्र परिदृश्य:
  - भारत में तकनीकी वस्त्रों के विकास ने पिछले पाँच वर्षों में गति पकड़ी है, जो वर्तमान में 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है।
    - अगले पाँच वर्षों के दौरान इस वृद्धि को 15-20% की सीमा तक ले जाने का लक्ष्य है।
  - मौजूदा विश्व बाज़ार 250 अरब अमेरिकी डॉलर का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी 19 अरब अमेरिकी डॉलर है।
  - भारत इस बाज़ार में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (8% शेयर) के साथ एक महत्त्वाकांक्षी देश है।
    - सबसे बड़े देश यूएसए, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान (20-40%) हैं।
- वस्त्र उद्योग से संबंधित पहल:
  - कपड़ा क्षेत्र के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) कपड़े, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  - एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Parks- SITP): यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है।
  - समर्थ (कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना): कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिये वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना (SAMARTH Scheme) की शुरुआत की गई।
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्द्धन योजना (North East Region Textile Promotion Scheme- NERTPS): यह कपड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों को बुनियादी ढाँचा, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करके NER में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है।
  - पावर-टेक्स इंडिया: इसमें पावरलूम टेक्सटाइल में नए अनुसंधान और विकास, नए बाज़ार, ब्रांडिंग, सब्सिडी एवं श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं।
  - रेशम समग्र योजना: यह योजना घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हो सके।
  - जूट आईकेयर: वर्ष 2015 में शुरू की गई इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जूट की खेती करने वालों को रियायती दरों पर प्रमाणित बीज प्रदान करना और सीमित जल वाली परिस्थितियों में कई नई विकसित रेटिंग प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।
  - राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन: इसका उद्देश्य देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थान देना और घरेलू बाज़ार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक घरेलू बाज़ार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है।

वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022: ILO

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स' (WESO Trends) 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

- रिपोर्ट के मुताबिक, रोज़गार स्थिति काफी नाज़ुक बनी हुई है, क्योंकि भविष्य में महामारी को लेकर अनिश्चित स्थिति बनी हुई है।
- वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स में वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिये व्यापक श्रम बाज़ार अनुमान भी शामिल हैं। यह आकलन बताता है कि दुनिया भर में श्रम बाज़ार में किस प्रकार सुधार हुआ है और जो महामारी से उबरने के लिये विभिन्न राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को दर्शाता है और श्रमिकों तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न समूहों पर प्रभावों का विश्लेषण करता है।

प्रमुख बिंदु

- रोज़गार
  - वैश्विक बेरोज़गारी वर्ष 2023 तक पूर्व-कोविड-19 स्तरों से ऊपर रहने की आशंका है।
  - वर्ष 2019 के 186 मिलियन की तुलना में वर्ष 2022 में यह 207 मिलियन होने का अनुमान है।
- वैश्विक कार्य घंटे:
  - वर्ष 2022 में यह उनके पूर्व-महामारी स्तर से लगभग 2% कम होगा, जो कि 52 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर है। यह घाटा वर्ष 2021 में ILO के पूर्वानुमान से दोगुना है।
- वैश्विक श्रम बल भागीदारी:
  - अनुमान है कि वर्ष 2022 में लगभग 40 मिलियन लोग वैश्विक श्रम शक्ति में भाग नहीं लेंगे।
- क्षेत्रीय अंतर:
  - यह प्रभाव विकासशील देशों के लिये विशेष रूप से गंभीर रहा है, जिन्होंने महामारी से पहले भी उच्च स्तर की असमानता और अधिक भिन्न कार्य परिस्थितियों तथा कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा दायित्वों का अनुभव किया था।
  - कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों के पास टीकों की पहुँच कम है और संकट को दूर करने के लिये सरकारी बजट का विस्तार करने की सीमित गुंज़ाइश है।
- स्पष्ट रूप से अन्य प्रभाव:
  - रिपोर्ट में श्रमिकों और देशों के समूहों के बीच होने वाले संकट के प्रभाव में भारी अंतर की चेतावनी दी गई है, जबकि विकास की स्थिति की परवाह किये बिना यह लगभग हर राज्य के आर्थिक वित्तीय एवं सामाजिक बनावट को कमज़ोर कर रहा है।
  - श्रम बलों की घरेलू आय और सामाजिक तथा राजनीतिक सामंजस्य के लिये संभावित दीर्घकालिक परिणामों के साथ क्षतिपूर्ति हेतु अधिक समय की आवश्यकता है।
- विभिन्न क्षेत्र:
  - कुछ क्षेत्र, जैसे यात्रा और पर्यटन विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि अन्य क्षेत्र जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र फले-फूले हैं।
- महिलाओं और युवा जनसंख्या पर प्रभाव:
  - श्रम बाज़ार संकट से महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं और यह जारी रहने की संभावना है।
  - शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के बंद होने से युवाओं, खासकर उन लोगों के लिये जिनके पास इंटरनेट नहीं है, दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा।
- अपेक्षित रिकवरी:
  - व्यापक श्रम बाज़ार में सुधार के बिना इस महामारी से कोई वास्तविक रिकवरी नहीं हो सकती है।
  - सतत् रिकवरी संभव है लेकिन यह अच्छे काम के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिये, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, समानता, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संवाद शामिल हैं।

- नए श्रम बाज़ार का पूर्वानुमान भारत जैसे देश के लिये नीति नियोजन हेतु महत्त्वपूर्ण हो सकता है, जहाँ अधिकांश काम अनौपचारिक है, ताकि आगे रोज़गार संबंधी नुकसान और काम के घंटों में कटौती को रोका जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- परिचय
  - इस संगठन को वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो कि इस विश्वास के साथ गठित किया गया था कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।
    - वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बना।
  - यह एक त्रिपक्षीय संगठन है, जो अपने कार्यकारी निकायों में सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।
- सदस्य
  - भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और इसमें कुल 187 सदस्य हैं।
  - वर्ष 2020 में भारत ने ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की।
- मुख्यालय
  - जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड)
- पुरस्कार
  - वर्ष 1969 में ILO को राष्ट्रों के बीच भाईचारे और शांति के संदेश को बढ़ावा देने, श्रमिकों के लिये बेहतर कार्य एवं न्याय प्रणाली स्थापित करने और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिकूल उच्च शुल्क

चर्चा म क्यों ?

हाल ही में इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के आयात पर उच्च टैरिफ अपनाने की भारत की नीति प्रतिकूल साबित हो सकती है।

- ICEA मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का शीर्ष उद्योग निकाय है जिसमें निर्माता भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उच्च शुल्क:
  - भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा से ज़ोखिम कम करने और घरेलू कंपनियों को बचाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के आयात पर उच्च शुल्क लगाया है।
    - हालाँकि यह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी योजनाओं के प्रतिकूल साबित हो सकता है।
- भारत बनाम अन्य राष्ट्र: सभी देशों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने, घरेलू क्षमताओं और प्रतिस्पर्द्धा में सुधार, निर्यात में वृद्धि एवं अपने बाज़ारों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने जैसी लगभग समान रणनीतियों को अपनाकर अपने भौगोलिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है।
  - चीन: वर्ष 1980 से चीन ने कार्यालयी और दूरसंचार उपकरण निर्यात के मामले में 35 से 1 सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।
  - मेक्सिको: इसी प्रकार मेक्सिको, जो 1980 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्यात के मामले में 37वें स्थान पर था पिछले दो दशकों में 11 वें स्थान पर बना हुआ है।
  - थाईलैंड: वर्ष 1980 में 45वें स्थान पर था, रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 15 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातकों में भी इसने अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है।

- तक अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जबकि वियतनाम, जो कि 1990 के दशक तक ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्यात नहीं करता था, वह केवल 20 वर्षों में आठवें भारत: दूसरी ओर भारत जो 1980 के दशक में 40वें स्थान पर था, 2019 तक 28वें स्थान पर पहुँचा है।

- उच्च टैरिफ और भारत का नुकसान:
  - हालाँकि सभी देशों ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु लगभग एक ही नीति का पालन किया है। भारत और बाकी देशों के बीच एक बड़ा अंतर टैरिफ पर निर्भरता का था।
  - यह इस तरह के उच्च टैरिफ का कारण है कि वैश्विक बाज़ारों के निवेशक और इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माता भारत से एक बाज़ार के रूप में दूरी बनाते हैं क्योंकि वैश्विक मूल्य शृंखला में भारत की भागीदारी कम रही है।
  - इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के बावजूद निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भागीदारी कम रही है।
  - यहाँ तक कि घरेलू बाजारों के लिये भी यह धारणा गलत है कि यह ज़्यादातर कंपनियों हेतु फायदेमंद होगी क्योंकि यह तेजी से बढ़ रही है।
    - उदाहरण के लिये मोबाइल फोन के मामले में जहाँ सबसे बड़ी पीएलआई योजनाओं में से एक वर्तमान में चालू है, घरेलू बाज़ार का आकार वर्ष 2025-26 तक बढ़कर 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है, जबकि वैश्विक बाज़ार के 625 अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। ।
  - इस प्रकार वर्तमान में भारतीय घरेलू बाज़ार वैश्विक बाजार का लगभग 6.5% है, यदि विकास के पूर्वानुमान यथोचित रूप से मज़बूत रहे हैं, तो इसके 8.8% तक बढ़ने की संभावना है।
  - वर्तमान में भारत का बाज़ार इतना आकर्षक नहीं है कि वह मुख्य रूप से अपने घरेलू बाजार के आधार पर एफडीआई को आकर्षित कर सके।
- पीएलआई योजना की प्रतिकूलता:
  - रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रमुख कारणों में से एक कारण यह है कि यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आयात पर एक उच्च शुल्क उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लाभ को समाप्त कर सकता है।
  - हालाँकि भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वैश्विक दृष्टि से वे बहुत छोटे हैं। इसके अलावा भारत उन लगभग 50% घटकों का उत्पादन नहीं करता है जिन पर टैरिफ में वृद्धि की गई है। इसलिये टैरिफ के भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है।
  - यद्यपि विश्व स्तर पर अमेरिका जैसी कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर टैरिफ बढ़ा रही हैं, भारत को अपने टैरिफ को कम-से-कम रखना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एशियाई पड़ोस में अपने साथियों के बीच प्रतिस्पर्द्धी बना रहे।
- संबंधित पहलें:
  - इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्द्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS)
  - संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना
  - इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019

भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र:

- भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र मज़बूती से आगे से बढ़ रहा है और वर्ष 2023-24 तक यह 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को पार कर जाएगा।
- घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में लगभग 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर (25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) हो गया है।
- इस उत्पादन का अधिकांश भाग भारत में स्थित अंतिम असेंबल इकाइयों (अंतिम-मील उद्योग) में होता है और उन पर ध्यान केंद्रित करने से अति पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने में मदद मिलेगी, इस प्रकार औद्योगिकीकरण को प्रेरित किया जाएगा।
  - यह विचार अर्थशास्त्री अल्बर्ट ओ. हिर्शमन ने अपने 'असंतुलित विकास' के सिद्धांत में प्रतिपादित किया था।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ने भी इसी प्रकार के विचार को प्रस्तुत किया है और 'भारत में विश्व स्तरीय लिये असेंबलिंग क्षमता' स्थापित करने का सुझाव दिया, विशेष रूप से 'नेटवर्क उत्पादों' में, इससे वर्ष 2025 तक चार करोड़ नौकरियाँ और वर्ष 2030 तक आठ करोड़ नौकरियाँ सृजित हो सकेंगी।

कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिये ड्रोन को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से "कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन" (Sub-Mission on Agricultural Mechanization- SMAM) योजना के संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- ये वित्तपोषण दिशा-निर्देश कृषि ड्रोन को खरीदने, किराए पर लेने और उनके निरूपण मंक सहायता करके इस तकनीक को किफायती बनाएंगे।
- वित्तीय सहायता और अनुदान 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे।
- SMAM योजना वर्ष 2014-15 में लघु और सीमांत किसानों तथा दुर्गम क्षेत्रों (जहाँ कृषि बिजली की उपलब्धता कम है) में कृषि मशीनीकरण की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- 40-100% सब्सिडी:
  - ड्रोन की खरीद हेतु अनुदान या सब्सिडी के रूप में कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो, सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    - लेकिन यह 100% अनुदान केवल फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तक ही सीमित होगा।
- कृषि स्नातकों को सब्सिडी:
  - कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन और उसके संलग्नकों की मूल लागत का 50% या ड्रोन खरीद के लिये 5 लाख रुपए तक का अनुदान तक प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- एफपीओ या किसानों की सहकारी समिति को सब्सिडी:
  - मौजूदा या नए CHCs पहले से स्थापित या किसानों की सहकारी समिति द्वारा स्थापित किये जाने वाले किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और ग्रामीण उद्यमी ड्रोन की मूल लागत पर अनुदान के रूप में 4% (अधिकतम 4 लाख रुपए) प्राप्त करने के हकदार हैं।
    - कृषि यंत्रीकरण को लोकप्रिय बनाने के लिये CHCs ज़मीनी स्तर की मुख्य एजेंसियाँ हैं और जब तक उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, ड्रोन के उपयोग में तेज़ी नहीं आएगी।
    - ग्रामीण उद्यमियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रिमोट पायलट लाइसेंस है।
- प्रदर्शन के उद्देश्य:
  - FPOs ड्रोन की लागत का 75% सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र होंगे यदि उनका उपयोग केवल प्रदर्शन उद्देश्यों के लिये किया जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, ऐसी कार्यान्वयन एजेंसियों को 6,000 रुपए/हेक्टेयर दिया जाएगा जो तकनीक प्रदर्शनों हेतु CHCs, हाई-टेक हब, ड्रोन निर्माताओं और स्टार्ट-अप से ड्रोन किराये पर लेती हैं।
  - लेकिन, यदि वे केवल प्रदर्शनों के लिये ड्रोन खरीदती हैं, तो उन्हें 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर ही मिलेगा।
- महत्त्व
  - CHCs/हाई-टेक हब के लिये कृषि ड्रोन की सब्सिडी के माध्यम से खरीद इस प्रौद्योगिकी को सस्ती बना देगी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें व्यापक रूप से अपनाया जा सकेगा।

- यह भारत में आम आदमी के लिये ड्रोन को अधिक सुलभ बना देगा और घरेलू ड्रोन उत्पादन को भी काफी प्रोत्साहित करेगा।
- अन्य संबंधित पहलें
  - कृषि वानिकी पर उप-मिशन
  - राष्ट्रीय संवहनीय कृषि मिशन
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
  - 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (MIDH)
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  - परंपरागत कृषि विकास योजना

कृषि मशीनीकरण

- परिचय:
  - मशीनीकृत कृषि, कृषि कार्य को यंत्रीकृत करने के लिये कृषि मशीनरी का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है।
  - कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिये उन्नत कृषि उपकरण और मशीनरी आवश्यक इनपुट हैं।
- कृषि मशीनीकरण का स्तर:
  - भारत में लगभग 40-45% के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में मशीनीकरण का स्तर बहुत अधिक है, लेकिन उत्तर-पूर्वी राज्यों में मशीनीकरण नगण्य है।
  - कृषि यंत्रीकरण का यह स्तर अभी भी अमेरिका (95%), ब्राज़ील (75%) और चीन (57%) जैसे देशों की तुलना में कम है।
- महत्त्व:
  - यह उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र की उत्पादकता को अधिकतम करने और ग्रामीण युवाओं के लिये कृषि को अधिक लाभदायक एवं आकर्षक पेशा बनाने हेतु भूमि, जल ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति तथा अन्य इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के उपयोग को अनुकूलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह कृषि क्षेत्र के सतत् विकास हेतु प्रमुख चालकों में से एक है।
- नकारात्मक प्रभाव:
  - कार्यबल कम होने के कारण कृषि रोज़गार में कमी होती है।
  - मशीनरी का प्रयोग प्रदूषण को बढ़ावा देता है।

के-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी

चर्चा में क्यों?

ICE360 सर्वे 2021 के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, K-आकार की रिकवरी (K-shaped recovery) कोरोनोवायरस महामारी की चपेट में आई अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होती है।

- यह सर्वेक्षण मुंबई स्थित थिंक टैंक पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज़्यूमर इकॉनमी (PRICE) द्वारा किया गया है।
- सर्वेक्षण में अप्रैल और अक्टूबर 2021 के बीच, पहले दौर में 2,00,000 घरों और दूसरे दौर में 42,000 घरों को कवर किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- वार्षिक आय पर प्रभाव:
  - सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की वार्षिक आय वर्ष 1995 से लगातार बढ़ रही थी, जो महामारी वर्ष 2020-21 में वर्ष 2015-16 के स्तर से 53% कम हो गई है।

- इसी पाँच वर्ष की अवधि में सबसे अमीर 20% की वार्षिक घरेलू आय में 39% की वृद्धि हुई है, जो पिरामिड के सबसे निचले और शीर्ष भाग पर कोविड के विपरीत आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।

- शहरी गरीब सर्वाधिक प्रभावित:
  - सर्वेक्षण से पता चलता है कि महामारी ने शहरी गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया जिससे उनकी घरेलू आय कम हो गई है।
    - इसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक श्रमिकों और घरेलू कामगारों का रोज़गार चौपट हो गया, जिससे उनकी आय में कमी आई है।
    - महामारी ने वर्ष 2020-21 में कम-से-कम दो तिमाहियों के लिये आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% का संकुचन हुआ।
- शहरों में गरीबों की संख्या में वृद्धि:
  - यद्यपि वर्ष 2016 में सबसे गरीब 20% में से 90% लोग ग्रामीण भारत में रहते थे, यह संख्या वर्ष 2021 में घटकर 70% हो गई।
  - दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में सबसे गरीब 20% की हिस्सेदारी अब लगभग 10% बढ़कर 30% हो गई है।
- 'के-शेप्ड' रिकवरी पर अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण:
  - सरकार को कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था की 'के-शेप्ड' रिकवरी को रोकने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ 'ब्राइट स्पॉट' और बहुत से 'डार्क स्टेंस' हैं तथा सरकार को अपने व्यय को 'सावधानीपूर्वक' लक्षित करना चाहिये, ताकि कोई बड़ा घाटा न हो।
    - बड़ी फर्में, आईटी और आईटी-सक्षम क्षेत्र 'ब्राइट स्पॉट' हैं, साथ ही इसमें यूनिकॉर्न का उदय और वित्तीय क्षेत्र भी शामिल है।
    - 'डार्क स्टेंस' के तहत बेरोज़गारी और 'निम्न खरीद शक्ति' शामिल हैं, विशेष रूप से निम्न मध्यम वर्ग के बीच, वहीं छोटे और मध्यम आकार की फर्में वित्तीय तनाव का अनुभव कर रही हैं, इसके साथ ही 'क्रेडिट वृद्धि' कमज़ोर हो गई है तथा स्कूली शिक्षा की स्थिति भी काफी चिंतनीय है।

आर्थिक रिकवरी

- परिचय:
  - यह मंदी के बाद 'व्यापार चक्र' का एक विशिष्ट चरण है, जिसमें प्राय: व्यावसायिक गतिविधि में निरंतर आधार पर सुधार दर्ज किया जा रहा है।
  - आमतौर पर आर्थिक रिकवरी के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ GDP में बढ़ोतरी होती है, आय में वृद्धि होती है और बेरोज़गारी में गिरावट आती है।
- प्रकार:
  - आर्थिक सुधार कई रूप ले सकता है, जिसे अल्फाबेटिक नोटेशन का उपयोग करके दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिये- Z- शेप्ड रिकवरी, V- शेप्ड रिकवरी, U- शेप्ड रिकवरी, W- शेप्ड रिकवरी, L- शेप्ड रिकवरी और K- शेप्ड रिकवरी।
- K-शेप्ड रिकवरी:
  - K-शेप्ड रिकवरी (K-Shaped Recovery) तब होती है, जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दर, समय या परिमाण में 'रिकवरी' होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान 'रिकवरी' के सिद्धांत के विपरीत है।
  - K-शेप्ड रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं।
  - इस प्रकार की रिकवरी को 'K-शेप्ड कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ चलते हैं तो डायवर्ज़न के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि रोमन अक्षर 'K' की दो भुजाओं से मिलती-जुलती है।

आगे की राह

- अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों को संतुलित करने हेतु सरकार को इस समय जहाँ आवश्यक हो वहाँ खर्च करना चाहिये।
- अगले पाँच वर्षों में देश के समेकित ऋण के लिये विश्वसनीय लक्ष्य की घोषणा के साथ-साथ बजट की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने हेतु एक स्वतंत्र वित्तीय परिषद की स्थापना करना बहुत उपयोगी कदम होगा।
- सरकारी उद्यमों के कुछ हिस्सों और अधिशेष सरकारी भूमि सहित परिसंपत्ति बिक्री के माध्यम से बजटीय संसाधनों का विस्तार किया जा सकता है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों ?

भारत में वर्ष 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन हासिल करने की संभावना है, जो कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE) 2019 के अनुसार निर्धारित वर्ष 2025 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य से कम है।

- यह अनुमान भारत सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी "वर्ष 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स" नामक 5 वर्षीय रोडमैप और विज़न दस्तावेज़ के अनुसार है।
    - ICEA मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का शीर्ष औद्योगिक निकाय है जिसमें निर्माता भी शामिल हैं।
- यह रोडमैप दो-भाग वाले विज़न दस्तावेज़ का दूसरा खंड है - जिसमें से पहला शीर्षक "भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs) में हिस्सेदारी" को नवंबर 2021 में जारी किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का विकास:
    - दस्तावेज़ के अनुसार, लक्ष्य में कमी होने के बावजूद अभी भी वर्तमान स्तर से 400% की वृद्धि का लक्ष्य है।
    - मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मौजूदा 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक उत्पादन को पार करने की उम्मीद है, जो इस महत्त्वाकांक्षी वृद्धि का लगभग 40% होने की उम्मीद है।
- प्रमुख अपेक्षित उत्पाद:
    - इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भारत के विकास का नेतृत्त्व करने वाले प्रमुख उत्पादों में मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप, टैबलेट), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी और ऑडियो), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक घटक, LED लाइटिंग, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबीए (Printed Circuit Board Assembly) पहनने और सुनने योग्य व दूरसंचार उपकरण शामिल हैं।
- चुनौतियाँ:
    - उद्योगों को गुणात्मक (गैर-टैरिफ, बुनियादी ढाँचे से संबंधित) और मात्रात्मक (टैरिफ, मुक्त व्यापार समझौते आदि से संबंधित) पहलुओं में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- सुझाव:
    - वर्ष 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक लक्ष्य प्रोत्साहन के माध्यम से पैमाने के निर्माण और लागत अक्षमताओं को दूर करना होगा।
    - दस्तावेज़ों में अगले 1,000 दिनों के भीतर मौजूदा नीतियों के संबंध में 'तेज़ी से बदलाव' का आह्वान किया गया है, जिसमें आयात शुल्क में स्थिरता, भारत में बिना विनिर्माण आधार वाले घटकों के लिये आयात शुल्क में कमी, कौशल का विकास और भारत में घटक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु प्रमुख विदेशी निर्माताओं को प्रोत्साहित करना शामिल है।

नोट :

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कुल घरेलू मूल्यवर्द्धन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता का मज़बूती से समर्थन करता है, ताकि भारत अपनी वर्तमान स्थिति से एक ऐसी स्थिति में आ जाए जो चीन और वियतनाम के विकल्प के रूप में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये तैयार हो।
- यह वैश्विक कंपनियों के अलावा भारतीय समर्थकों (चैंपियंस) की अग्रणी भूमिका का भी महत्त्वपूर्ण विवरण देता है - दोनों पहले से ही उत्पादन-सह प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का हिस्सा हैं।
    - 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा घोषित यूएसडी 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर पीएलआई योजना के अंतर्गत आता है। सरकार ने अगले 6 वर्षों में चार पीएलआई योजनाओं - सेमीकंडक्टर और डिज़ाइन, स्मार्टफोन, आईटी हार्डवेयर एवं घटकों में लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया है।

- संबंधित पहल:
    - इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्द्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना
    - संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना
    - डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग

- परिचय:
    - भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वर्ष 2015-16 के 37.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 67.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
        - हालाँकि कोविड -19 से संबंधित व्यवधानों ने वर्ष 2020-21 में विकास प्रक्षेपवक्र को प्रभावित किया और विनिर्माण उत्पादन में 67.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई।
    - इस दस्तावेज़ के अनुसार, रणनीति में पूरी तरह से बदलाव आया है जो आयात प्रतिस्थापन की दृष्टि से "मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" के दृष्टिकोण से परे है।
    - इस नए दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता, पैमाने और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करके भारत के विनिर्माण कौशल को बदलना है।
    - इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन को जारी रखते हुए भारत का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार अगले 4-5 वर्षों में मौजूदा USD65 बिलियन से 150-180 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
        - इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये 120-140 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात महत्वपूर्ण है।
    - यह क्रमशः 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था और MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा परिकल्पित 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात लक्ष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- महत्त्व:
    - चीन में श्रम लागत में वृद्धि, भू-राजनीतिक व्यापार एवं सुरक्षा वातावरण और कोविड -19 का प्रकोप कई वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स अग्रणियों/प्रमुखों को वैकल्पिक विनिर्माण स्थलों की तलाश करने और अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने के लिये विवश कर रहा है।
    - भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिये वैकल्पिक समाधान के प्रमुख दावेदारों में से एक है।
    - इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में इतनी क्षमता है कि वह आगामी 3-5 वर्षों में भारत के शीर्ष निर्यात में शामिल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात विदेशी मुद्रा आय और रोज़गार सृजन के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

बैड बैंक के लिये आरबीआई की मंज़ूरी लंबित

चर्चा में क्यों ?

'बैड बैंक' स्थापित करने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मंज़ूरी अभी भी लंबित है।

- सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तनावग्रस्त ऋण संपत्ति प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (National Asset Reconstruction Company Limited-NARCL)) द्वारा जारी रसीदों को वापस करने हेतु 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- NARCL & IDRCL:
  - NARCL की स्थापना और एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) के रूप में कारोबार करने के लिये आरबीआई द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है।
    - NARCL विभिन्न चरणों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की दबावग्रस्त संपत्ति का अधिग्रहण करेगी।
    - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) NARCL में 51% के साथ स्वामित्त्व बनाए रखेंगे।
  - इसके साथ ही इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) नामक एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करने के लिये एक अलग कंपनी की स्थापना की गई है, जो परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं समाधान प्रदान करेगी और मूल्य से संबंधित परिचालन पहलुओं में भी मदद करेगी तथा इसका उद्देश्य सर्वोत्तम संभव वसूली एवं समाधान प्रक्रिया को विकसित करना होगा।
  - IDRCL में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (FI) की अधिकतम 49% की हिस्सेदारी होगी। शेष 51% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी।
  - NARCL प्रमुख रूप से 51% स्वामित्त्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्त्व में है, लेकिन IDRCL के मामले में 51% शेयर निजी क्षेत्र के हाथों में हैं।
- दोहरी संरचना का कार्य:
  - NARCL पहले बैंकों से बैड लोन खरीदेगा।
  - यह सहमत मूल्य (agreed price) का 15% नकद और शेष 85% "सुरक्षा रसीद" के रूप में भुगतान करेगा।
  - जब संपत्तियाँ बेची जाएंगी तो IDRCL की मदद से वाणिज्यिक बैंकों को बाकी का भुगतान किया जाएगा।
  - यदि बैड बैंक बैड लोन को बेचने में असमर्थ है, या उसे घाटे में बेचना है, तो सरकारी गारंटी लागू होगी।
    - वाणिज्यिक बैंक को क्या मिलना चाहिये था और बैड बैंक क्या जुटाने में सक्षम था, इसके मध्य का अंतर सरकार द्वारा प्रदान किये गए 30,600 करोड़ रुपए से पूरा किया जाएगा।
  - यह गारंटी पाँच वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाई गई है।
- भारतीय बैंकों की मांग:
  - आमतौर पर एक एकल इकाई को मालिक के रूप में जवाबदेह ठहराया जाता है तथा संपत्ति की वसूली के लिये भौगोलिक क्षेत्रों का पालन किया जाता है।
  - संभवत: इस मुद्दे को हल करने के लिये एक 'प्रिंसिपल एंड एजेंट मैकेनिज्म' (Principal and Agent mechanism) या इसी प्रकार की व्यवस्था विकसित हो सकती है।
  - ऐसा माना जाता है कि भारतीय बैंक संघ द्वारा एक दोहरी संरचना की मांग की गई थी जिसमें AMC को निजी तौर पर आयोजित एक इकाई के रूप में, नियामक संस्थाओं के दायरे से बाहर रखा जाए।

नोट :

- आरबीआई द्वारा छूट:
  - RBI दोहरी संरचना की अनुमति देने के लिये इच्छुक नहीं है जिसमें एक इकाई गैर-निष्पादित ऋण (Non-Performing Loans) प्राप्त करती है और दूसरी समाधान है। RBI द्वारा इस बात के संकेत दिये गए हैं कि अधिग्रहण और समाधान दोनों को एक ही कानूनी इकाई के तहत रखा जाना चाहिये।
  - उत्पन्न समस्याओं में दो अलग-अलग संस्थाओं - NARCL और IDRCL की प्रस्तावित स्थापना के साथ स्वामित्व संरचना और परिचालन तंत्र से उत्पन्न होने वाले मुद्दे शामिल हैं।

बैड बैंक

- बैड बैंक के बारे में:
  - तकनीकी रूप से बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (Asset Reconstruction Company-ARC) या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC) है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और निर्धारित समय पर धन की वसूली करती है।
  - बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रकिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है।
  - बैड लोन का अधिग्रहण आमतौर पर ऋण के बुक वैल्यू से कम होता है और बैड बैंक बाद में जितना संभव हो उतना वसूल करने की कोशिश करता है।
- बैड बैंक के प्रभाव:
  - वाणिज्यिक बैंकों का दृष्टिकोण: वाणिज्यिक बैंक उच्च NPA स्तर के कारण परेशान हैं, बैड बैंक की स्थापना से इससे निपटने में मदद मिलेगी।
    - ऐसा इसलिये है क्योंकि बैंक अपनी सभी ऐसी संपत्तियों से छुटकारा पा लेगा, जो एक त्वरित कदम में उसके मुनाफे को कम कर रहे थे।
    - जब वसूली का पैसा वापस भुगतान के रूप में दिया जाएगा, तो यह बैंक की स्थिति में सुधार करेगा। इस बीच यह फिर से उधार देना शुरू कर सकता है।
  - सरकार और करदाता परिप्रेक्ष्य: चाहे डूबे हुए ऋणों से ग्रसित PSB का पुनर्पूंजीकरण हो या सुरक्षा रसीदों की गारंटी देना हो, पैसा करदाताओं की जेब से आ रहा है।
    - जबकि पुनर्पूंजीकरण और इस तरह की गारंटी को प्राय: "सुधार" के रूप में नामित किया जाता है, वे एक अच्छे रूप में बैंड अनुदान/सहायता (Band Aids) हैं।
    - PSBs में ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है।
    - अगर बैड बैंक बाज़ार में ऐसे बैड एसेट्स को बेचने में असमर्थ रहते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों को राहत देने की योजना ध्वस्त हो जाएगी। इसका भार वास्तव में करदाता पर पड़ेगा।

आगे की राह

- जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति समर्पित रहेगा, व्यावसायिकता में कमी बनी रहेगी और उधार देने में विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन होता रहेगा।
- इसलिये एक बैड बैंक एक अच्छा विचार है, लेकिन मुख्य चुनौती बैंकिंग प्रणाली में अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं से निपटने और उसके अनुसार सुधारों की घोषणा करने में है।

लाला लाजपत राय की जयंती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

- लाला लाजपत राय की जयंती प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाई जाती है।

प्रमुख बिंदु

- जन्म:
  - उनका जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोज़पुर ज़िले (Ferozepur District) के धुडीके (Dhudike) नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था।
- परिचय:
  - लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।
  - उन्हें 'पंजाब केसरी' (Punjab Kesari) और 'पंजाब का शेर' (Lion of Punjab) नाम से भी जाना जाता था।
  - उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की।
  - वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज (Arya Samaj) में शामिल हो गए।
  - उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म के आदर्शवाद, राष्ट्रवाद (Nationalism) के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State) की स्थापना करेगा।
  - बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी (लाल-बाल-पाल) बनाई।
  - वे हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) से भी जुड़े थे।
  - उन्होंने छुआछूत के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया।
- योगदान:
  - राजनीतिक:
    - वे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress- INC) में शामिल हो गए और पंजाब के कई राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया।
    - राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण उन्हें वर्ष 1907 में बर्मा भेज दिया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुछ महीनों बाद वे वापस लौट आए।
    - उन्होने बंगाल विभाजन का विरोध किया।
    - उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका (Home Rule League of America) की स्थापना की और इसके द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिये नैतिक समर्थन मांगा।
    - वह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (All India Trade Union Congress) के अध्यक्ष भी रहे।
    - उन्होंने वर्ष 1920 में कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) का समर्थन किया।
    - उन्होंने रौलेट एक्ट (Rowlatt Act) और जलियांवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh massacre) का विरोध किया।
    - उन्हें वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उप नेता चुना गया।
    - वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था।
  - सामाजिक:
    - उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिये वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन (Hindu Relief Movement) शुरू किया।

नोट :

- उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी (Servants of People Society) की स्थापना की।

- साहित्य:
  - उनके द्वारा लिखित महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में यंग इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवद्गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिप्रेस्ड ग्लासेस और अमेरिका का यात्रा वृतांत शामिल हैं।
- संस्थागत कार्य:
  - उन्होंने हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कॉन्ग्रेस, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति जैसे कई संस्थानों एवं संगठनों की स्थापना की।
  - वह आर्य गजट के संपादक थे, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी।
  - वह वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के सह-संस्थापक थे।

- मृत्यु:
  - 1928 में वह लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध का नेतृत्त्व कर रहे थे, जब पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा उन पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया जिससे लगी चोटों के चलते कुछ सप्ताह बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।

जलीय कृषि' में 'केज कल्चर'

चर्चा में क्यों?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में "केज एक्वाकल्चर इन रिज़र्वायर: स्लीपिंग जाइंट्स" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

- भारत सरकार के तहत मत्स्य पालन विभाग ने 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) के तहत 'केज कल्चर' जलीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु निवेश लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - 'केज एक्वाकल्चर' के तहत मौजूदा जल संसाधनों के भीतर ही मत्स्यपालन शामिल होता है, जबकि यह एक केज/पिंजरे के माध्यम से संलग्न होता है जो पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है।
  - यह एक जलकृषि उत्पादन प्रणाली है, जो फ्लोटिंग फ्रेम, जाल और मूरिंग सिस्टम (रस्सी, बोया, लंगर आदि के साथ) से बनी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ने और पालने के लिये एक गोल या चौकोर आकार का तैरता हुआ जाल शामिल होता है और इसे जलाशय, नदी, झील या समुद्र में स्थापित किया जा सकता है।
  - 'केज एक्वाकल्चर' के तहत प्राकृतिक धाराओं का उपयोग करने के लिये इसे इस तरह से तैनात किया जाता है, जो मछली को ऑक्सीजन तथा अन्य उपयुक्त प्राकृतिक स्थितियाँ प्रदान करते हैं।
- 'केज कल्चर' के कारण:
  - मछली की बढ़ती खपत, जंगली मछलियों के घटते स्टॉक और खराब कृषि अर्थव्यवस्था जैसे कारकों ने 'केज कल्चर' में मछली उत्पादन में रुचि बढ़ा दी है।
  - कई छोटे या सीमित संसाधन वाले किसान पारंपरिक कृषि फसलों के विकल्प तलाश रहे हैं।
  - केज कल्चर प्रणाली में प्राप्त होने वाले उच्च उत्पादन को देखते हुए यह भारत में समग्र मछली उत्पादन को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- महत्त्व:
  - भूमि पर मत्स्य पालन की बाधाओं को दूर करता है

- यह मौजूदा जल निकायों में मत्स्य पालन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अर्थात् ऑक्सीजन युक्त जल के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता को दूर करती है।
- कम-से-कम कार्बन उत्सर्जन
- 'केज कल्चर' एक कम प्रभाव वाली कृषि पद्धति है जिसमें उच्च रिटर्न और कम-से-कम कार्बन उत्सर्जन गतिविधि होती है।

- विस्तार के अवसर:
  - एक्वाकल्चर तेज़ी से विस्तार करने वाला उद्योग प्रतीत होता है और यह छोटे पैमाने पर भी अवसर प्रदान करता है।
- भारत की लंबी तटरेखा का बेहतर उपयोग:
  - भारत की लंबी तटरेखा के किनारे स्थित तटीय राज्यों में उपलब्ध विशाल लवणीय जल के क्षेत्र और अन्य कम उपयोग वाले जल निकायों का बेहतर उपयोग 'केज कल्चर' को अपनाकर किया जा सकता है।
- वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करता है:
  - चूँकि निवेश कम होता है और इसके लिये बहुत कम/बिलकुल भी भूमि क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, कृषि का यह तरीका छोटे पैमाने के मछुआरों के लिये एक वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में आदर्श है।
  - इसे एक घरेलू/महिला गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल श्रम न्यूनतम है और इसे एक छोटे परिवार द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है।
  - केज और उसके सहायक उपकरण का डिज़ाइन किसान की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सकता है।
- चुनौतियाँ:
  - केज में बंद मछलियों को दिया जाने वाला चारा पोषक तत्त्वों से भरपूर होना चाहिये और ताज़ा रखा जाना चाहिये।
  - लो डीज़ॉल्व ऑक्सीजन सिंड्रोम (LODOS) एक सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिये यांत्रिक वातन (mechanical aeration) की आवश्यकता हो सकती है।
  - नेट केज फाउलिंग।
  - बर्बरता या अवैध शिकार एक संभावित समस्या है।
  - नेविगेशन संबंधी मुद्दे।
  - अप्रयुक्त भोजन और मल के संचय से जल प्रदूषण के साथ-साथ सुपोषण भी होगा।
  - जल गुणवत्ता मानकों में परिवर्तन।
  - स्थानीय समुदाय के भीतर संघर्ष।
  - जलीय स्तनधारियों और पक्षियों द्वारा पूर्वानुमान।
  - पलायन।
  - पिंजरों में जलीय जीवों की भीड़भाड़।

मत्स्य पालन से संबंधित पहलें:

- मत्स्य सेतु
- मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)
- नीली क्रांति
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

आगे की राह:

- किसानों हेतु अच्छा रिटर्न सुनिश्चित करने के लिये संभावित बाज़ारों सहित जलाशयों में एक मज़बूत पिंजरा संवर्द्धन प्रणाली (Robust Cage Culture System) की आवश्यकता है।

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वैज्ञानिकों तथा मात्स्यिकी विभागों को मत्स्य किसानों को प्रेरित करने और लाभ बढ़ाने, इनपुट लागत में कमी लाने, प्रजातियों के विविधीकरण एवं जलाशयों में पिंजड़े (केज) के माध्यम से खेती प्रणालियों द्वारा उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिये नवीन तरीकों के साथ-साथ नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- देश के जलाशयों में अच्छी प्रबंधन प्रथाओं का पालन कर और सहायक सेवाएँ प्रदान करके पिंजड़े (केज) की जलीय कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र- चरण-II में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने की योजना

चर्चा में क्यों?

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र– चरण-II में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने की योजना की अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान की जा सके।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने वाली इस योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य पहले चरण की प्रायोगिक योजना के प्रभाव को विस्तार देना और उसे आगे बढ़ाना है। इस तरह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा योग्य पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की मज़बूत रचना करके उसमें तेज़ी लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र निर्माण क्षेत्र में कम से कम 25 प्रतिशत का योगदान करता है।
    - प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढाँचे के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु नवंबर 2014 में 'भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि' योजना को अधिसूचित किया गया था।
- वित्तीय परिव्यय:
  - इस योजना में 975 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन और 232 करोड़ रुपए के उद्योग योगदान के साथ 1207 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय शामिल है।
- घटक:
  - प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान।
  - चार नए 'उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों' की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का विस्तार।
  - पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देना-कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिये योग्यता पैकेज बनाना।
  - चार 'कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर्स' (CEFCs) की स्थापना और मौजूदा CEFCs का संवर्द्धन।
  - मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार।
  - दस 'इंडस्ट्री एक्सेलरेटर्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट' की स्थापना करना।

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र:

- पूंजीगत वस्तुएँ:
  - पूंजीगत वस्तुएँ (Capital Goods) भौतिक संपत्तियाँ हैं जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है तथा जिनका बाद में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।
  - पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण शामिल हैं।
  - पूंजीगत वस्तुएँ तैयार माल नहीं होतीं बल्कि उनका उपयोग माल को निर्मित करने के लिये किया जाता है।
  - पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का गुणक प्रभाव होता है और उपयोगकर्त्ता उद्योगों के विकास पर इसका असर पड़ता है क्योंकि यह विनिर्माण गतिविधि के अंतर्गत आने वाले शेष क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण इनपुट, यानी मशीनरी और उपकरण प्रदान करता है।

- परिदृश्य:
  - पूंजीगत वस्तु उद्योग का कुल विनिर्माण गतिविधि में 12% का योगदान है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8% है।
  - यह लगभग 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है।.
- संबंधित नीतियाँ:
  - इस क्षेत्र के लिये किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
  - स्वत: मार्ग (RBI के माध्यम से) पर 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
  - विदेशी सहयोगी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, डिज़ाइन और ड्राइंग, रॉयल्टी आदि के लिये भुगतान की मात्रा की कोई सीमा नहीं है।
  - आमतौर पर अधिकतम मूल सीमा शुल्क दर (maximum basic customs duty rate) 7.5-10% है।
  - भारत ने कई मुक्त व्यापार समझौते (FTA) दर्ज किये हैं, जिसमें शुल्क की दरें और भी कम हैं तथा परियोजना आयात सुविधा के तहत कम शुल्क दरें भी उपलब्ध हैं।
  - विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों एवं घटकों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देकर निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हालिया आँकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange- Forex) 21, जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह के दौरान 678 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट के साथ 634.287 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- भंडार में गिरावट विदेशी मुद्रा आस्तियों (Foreign Currency Assets- FCA) में गिरावट के कारण थी जो समग्र भंडार का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। समीक्षाधीन सप्ताह में FCA 1.155 अरब डॉलर घटकर 569.582 अरब डॉलर रह गया।
- रिपोर्ट किये गए सप्ताह में सोने का भंडार 567 मिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 40.337 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ विशेष आहरण अधिकार (SDR) 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 19.152 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

प्रमुख बिंदु

- विदेशी मुद्रा भंडार:
  - विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं।
    - गौरतलब है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किये जाते हैं।
  - भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:
    - विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ
    - स्वर्ण भंडार
    - विशेष आहरण अधिकार (SDR)
    - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास रिज़र्व ट्रेंच
- विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य:
  - मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन हेतु निर्मित नीतियों के प्रति समर्थन व विश्वास बनाए रखना।
  - यह राष्ट्रीय या संघ मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है।

- संकट के समय या जब उधार लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो संकट के समाधान के लिये विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाहरी प्रभाव को सीमित करता है।

- विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का महत्त्व:
  - सरकार के लिये बेहतर स्थिति: विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही बढ़ोतरी भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में सरकार तथा रिज़र्व बैंक को बेहतर स्थिति प्रदान करता है।
  - संकट प्रबंधन: यह आर्थिक मोर्चे पर भुगतान संतुलन (BoP) संकट की स्थिति से निपटने में मदद करता है।
  - रुपया मूल्यह्रास (Rupee Appreciation): बढ़ते भंडार ने डॉलर के मुकाबले रुपए को मज़बूत करने में मदद की है।
  - बाज़ार में विश्वास: भंडार बाज़ारों और निवेशकों को विश्वास का एक स्तर प्रदान करेगा जिससे एक देश अपने बाहरी दायित्वों को पूरा कर सकता है।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA):

- FCA ऐसी संपत्तियाँ हैं जिनका मूल्यांकन देश की स्वयं की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है।
- FCA विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- FCA में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव या मूल्यह्रास का प्रभाव पड़ता है।

विशेष आहरण अधिकार (SDRs):

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। बल्कि यह IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- SDR के मूल्य की गणना 'बास्केट ऑफ करेंसी' में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड।
- SDRs या SDRi पर ब्याज दर सदस्यों को उनके SDR होल्डिंग्स पर दिया जाने वाला ब्याज है।
- हाल ही में IMF ने भारत को SDR 12.57 बिलियन (लगभग 17.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) का आवंटन किया है। अब भारत की कुल होल्डिंग्स 13.66 बिलियन SDR है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति:

- एक की रिज़र्व ट्रेन्च स्थिति का तात्पर्य मुद्रा के आवश्यक कोटे के एक हिस्से से है जो प्रत्येक सदस्य देश को आईएमएफ को प्रदान करना चाहिये, जिसका उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।
- रिज़र्व ट्रेन्च वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये कर सकते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यत: आपातकाल की स्थिति में किया जाता है।

बजट का निर्माण

चर्चा में क्यों?

01 फरवरी, 2022 को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट 'विकास, मुद्रास्फीति और व्यय' से संबंधित चिंताओं को संबोधित करेगा।

- बजट, सरकार के 'व्यय', कर लगाने की योजना है और अन्य लेनदेनों, जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, का ब्लूप्रिंट होता है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का 'बजट प्रभाग' बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है।

प्रमुख बिंदु

- बजट के घटक: केंद्रीय बजट के मुख्यत: तीन प्रमुख घटक होते हैं- व्यय, प्राप्तियाँ और घाटा। परिभाषा के आधार पर व्यय, प्राप्तियों और घाटे के कई वर्गीकरण और संकेतक हो सकते हैं।
- व्यय:
- संपत्ति और देनदारियों पर उनके प्रभाव के आधार पर:
- पूंजीगत व्यय एक टिकाऊ प्रकृति की संपत्ति का निर्माण करने या आवर्ती देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है।
  - इसके तहत नए स्कूलों या नए अस्पतालों के निर्माण हेतु किया गया व्यय शामिल होता है। इन सभी को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे नई संपत्ति के निर्माण की ओर ले जाते हैं।
- राजस्व व्यय में कोई भी ऐसा व्यय शामिल होता है, जो संपत्ति के निर्माण या देनदारियों को कम नहीं करता है।
  - मज़दूरी और वेतन, सब्सिडी या ब्याज भुगतान पर व्यय को आमतौर पर राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने के आधार पर:

- व्यय को (i) सामान्य सेवाओं (ii) आर्थिक सेवाओं, (iii) सामाजिक सेवाओं और (iv) सहायता अनुदान एवं योगदान में वर्गीकृत किया गया है।
- आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यय के योग से विकास व्यय का निर्माण होता है।
  - आर्थिक सेवाओं में परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर व्यय शामिल होता है।
  - शिक्षा या स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र पर व्यय को सामाजिक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसी प्रकार परिसंपत्ति निर्माण या देयता में कमी पर इसके प्रभाव के आधार पर विकास व्यय को आगे राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- प्राप्तियाँ:
  - सरकार की प्राप्तियों के तीन घटक होते हैं- राजस्व प्राप्तियाँ, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ और ऋण-सृजन पूंजी प्राप्तियाँ।
  - राजस्व प्राप्तियों में ऐसी रसीदें शामिल होती हैं जो देनदारियों में वृद्धि से जुड़ी नहीं होती हैं और इसमें करों व गैर-कर स्रोतों से राजस्व भी शामिल होता है।
  - गैर-ऋण प्राप्तियाँ (Non-debt receipts) पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा हैं जो अतिरिक्त देनदारियाँ उत्पन्न नहीं करती हैं। ऋण की वसूली और विनिवेश से प्राप्त आय को भी गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ माना जाएगा क्योंकि इन स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करने से देनदारियों या भविष्य की भुगतान प्रतिबद्धताओं में सीधे वृद्धि नहीं होती है।
  - ऋण-सृजन पूंजी प्राप्तियाँ (Debt-creating capital receipts) वे हैं जिनमें सरकार की उच्च देनदारियाँ और भविष्य की भुगतान प्रतिबद्धताएँ शामिल होती हैं।
- राजकोषीय घाटा:
  - परिभाषित रूप में राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर है। यह दर्शाता है कि सरकार शुद्ध रूप में कितना खर्च कर रही है।
  - चूँकि सकारात्मक राजकोषीय घाटा राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से अधिक व्यय की मात्रा को दर्शाता है, इसलिये इसे ऋण-सृजन पूंजी प्राप्ति द्वारा वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है।
  - प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है।
  - राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय घटाकर निकाला जाता है।

नोट :

- अर्थव्यवस्था पर बजट के प्रभाव/निहितार्थ:
  - सभी सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को उत्पन्न करते हैं क्योंकि इसमें सरकारी क्षेत्र द्वारा निजी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद शामिल होती है।
  - सभी कर और गैर-कर राजस्व निजी क्षेत्र की शुद्ध आय को कम करते हैं एवं इससे निजी और कुल मांग में कमी आती है।
  - लेकिन असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सकल घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्ति और व्यय में सामान्यत: समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है।
  - इस प्रकार व्यय और प्राप्तियों के निरपेक्ष मूल्य की प्रवृत्ति का बजट के सार्थक विश्लेषण हेतु बहुत कम उपयोग होता है।
    - व्यय और राजस्व की प्रवृत्ति का विश्लेषण या तो सकल घरेलू उत्पाद द्वारा किया जाता है या फिर मुद्रास्फीति दर के लिये लेखांकन के बाद विकास दर के रूप में किया जाता है।
    - व्यय जीडीपी अनुपात (Expenditure GDP Ratio) में कमी या राजस्व प्राप्ति-जीडीपी अनुपात (Revenue Receipt-GDP Ratio) में वृद्धि सकल मांग को कम करने के लिये सरकार की नीति को इंगित करती है
    - इसी प्रकार राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात (Fiscal Deficit-GDP Ratio) और प्राथमिक घाटा-जीडीपी अनुपात (Primary Deficit-GDP Ratios) में कमी और वृद्धि सरकार की मांग को कम करने की नीति को इंगित करती है।
  - चूँकि व्यय और राजस्व के विभिन्न घटकों का विभिन्न वर्गों व सामाजिक समूहों की आय पर अलग-अलग प्रभाव हो सकता है। बजट का आय वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है।
    - उदाहरण के लिये रोज़गार गारंटी योजनाओं या खाद्य सब्सिडी जैसे राजस्व व्यय सीधे गरीबों की आय को बढ़ा सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट कॉर्पोरेट आय को सीधे एवं सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

राजकोषीय नियम और नीति पर इसका प्रभाव

- अर्थ: राजकोषीय नियम विशिष्ट नीति लक्ष्य प्रदान करते हैं जिनके आधार पर राजकोषीय नीति बनाई जाती है।
  - विभिन्न नीतिगत साधनों का उपयोग करके नीतिगत लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। ऐसा कोई विशिष्ट वित्तीय नियम मौजूद नहीं है जो सभी देशों पर लागू हो। बल्कि नीति के लक्ष्य आर्थिक सिद्धांत की प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं और एक अर्थव्यवस्था की विशिष्टता पर निर्भर करते हैं।
  - राजकोषीय नीति का तात्पर्य आर्थिक स्थितियों विशेष रूप से व्यापक आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिये सरकारी खर्च और कर नीतियों के उपयोग से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, रोज़गार, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक विकास शामिल होते हैं।
- भारत का मामला: इसका वर्तमान वित्तीय नियम एन.के. सिंह समिति की रिपोर्ट (2016 में स्थापित) द्वारा निर्देशित है
  - असाधारण अवधि के तहत कुछ विचलन की अनुमति के साथ इसके तीन नीति लक्ष्य हैं - ऋण-जीडीपी अनुपात (स्टॉक लक्ष्य), राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात (प्रवाह लक्ष्य) और राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात (संरचना लक्ष्य) का एक विशिष्ट स्तर बनाए रखना।
  - यद्यपि व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ दोनों संभावित रूप से राजकोषीय नियमों के विशिष्ट समूह को पूरा करने के लिये नीतिगत साधनों के रूप में कार्य कर सकते हैं, मौजूदा नीति ढाँचे के भीतर कर-दरें अर्थव्यवस्था की व्यय आवश्यकता से स्वतंत्र निर्धारित की जाती है।
  - संस्थागत ढाँचे में यह मुख्य रूप से वह व्यय है जिसे दिये गए कर-अनुपातों पर राजकोषीय नियमों को पूरा करने हेतु समायोजित किया जाता है।
- निहितार्थ: इस तरह के समायोजन तंत्र में राजकोषीय नीति के लिये कम-से-कम दो संबंधित, लेकिन विश्लेषणात्मक रूप से अलग निहितार्थ हैं।
  - सबसे पहले अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने या श्रम आय को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक व्यय की सीमा से स्वतंत्र, मौजूदा वित्तीय नियम तीन नीतिगत लक्ष्यों को लागू करके व्यय पर एक सीमा प्रदान करते हैं।
  - दूसरा, किसी भी स्थिति में जब ऋण-अनुपात या घाटा अनुपात लक्षित स्तर से अधिक होता है, तो नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिये व्यय को समायोजित किया जाता है।

- निहितार्थ से अर्थव्यवस्था की स्थिति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति की आवश्यकता से स्वतंत्र, मौजूदा नीतिगत लक्ष्य सरकार को व्यय कम करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।
- बेरोज़गारी और कम उत्पादन वृद्धि दर की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिये राजकोषीय नीति की अपर्याप्तता के बीच भारत में राजकोषीय नियमों की प्रकृति और उद्देश्य की फिर से जाँच करनी होगी।

एन.के. सिंह समिति की सिफारिशें:

- ऋण-जीडीपी अनुपात:
  - वित्त वर्ष 2022-23 तक केंद्र सरकार के लिये ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 38.7% तथा राज्य सरकारों के लिये 20% होना चाहिये।
- राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात:
  - सरकार को 31 मार्च 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटे को लक्षित करना चाहिये, इसे वर्ष 2020-21 में 2.8% और 2023 तक 2.5% तक कम करना चाहिये।
- राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात:
  - राजस्व घाटा- GDP अनुपात (Revenue deficit to GDP ratio) में प्रतिवर्ष 0.25% अंकों तक कमी की जाए एवं वर्ष 2023 में इसे 0.8% तक लाया जाए।
- मौजूदा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को निरस्त करने तथा एक वित्तीय परिषद बनाने के बाद एक नया ऋण व वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाने की सिफारिश करना।

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वह नॉर्ड स्ट्रीम योजना को रोक देगा।

- हालाँकि जर्मनी के नेतृत्त्व में यूरोपीय देश, नॉर्ड स्ट्रीम पर इसके महत्त्व के कारण प्रतिबंध लगाने हेतु शुरू में अनिच्छुक लग रहे थे, लेकिन अब कहा गया है कि यह प्रतिबंध तालिका से बाहर नहीं है।
- नॉर्ड स्ट्रीम, समुद्र के नीचे सबसे लंबी एक निर्यात गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के रास्ते होकर रूस से यूरोप तक गैस ले जाती है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - नॉर्ड स्ट्रीम में दो पाइपलाइन हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो लाइनें हैं।
    - नॉर्ड स्ट्रीम-1 का कार्य वर्ष 2011 में पूरा हुआ था जो लेनिनग्राद (रूस) में वायबोर्ग से जर्मनी के ग्रिफ़्सवाल्ड के पास लुबमिन तक पहुँचती है।
    - नॉर्ड स्ट्रीम-2 जो लेनिनग्राद में उस्त-लुगा से होकर लुबमिन तक पहुँचती है, यह सितंबर 2021 में पूरी हुई और इसके चालू होने के बाद इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की क्षमता है।
  - दोनों पाइपलाइन एक साथ कम-से-कम 50 वर्षों के लिये कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) गैस को यूरोप तक पहुँचा सकती हैं।
  - नॉर्ड स्ट्रीम रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) एवं रूस, डेनमार्क एवं जर्मनी के क्षेत्रीय जल से होकर गुज़रती है।
  - यह पाइपलाइन जर्मनी में OPAL (बाल्टिक सागर पाइपलाइन) और NEL (उत्तरी यूरोपीय पाइपलाइन) से जुड़ती है जो आगे यूरोपीय ग्रिड से जुड़ती है।

- पाइपलाइन पर आपत्ति:
    - जर्मनी द्वारा:
        - पर्यावरणविदों के अनुसार, यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कटौती और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के जर्मन प्रयासों के अनुकूल नहीं है।
        - नॉर्ड स्ट्रीम 2 ने अभी तक संचालन शुरू नहीं किया है क्योंकि जर्मनी का कहना है कि यह जर्मन कानून का पालन नहीं करती है और इसकी मंज़ूरी को निलंबित कर दिया है। इस परियोजना को यूरोपीय आयोग की मंज़ूरी का भी इंतजार है।
    - सामरिक आपत्ति:
        - विशेष रूप से यू.एस. की रणनीतिक आपत्ति यह है कि यह यूरोप को रूस पर भी निर्भर बना देगा, जिससे यूरोप में रूस का प्रभाव बढ़ जाएगा।
        - इसके अलावा चिंता यह भी है कि रूस इसे भू-राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
        - यूक्रेन ने आपत्ति की है कि पाइपलाइन के चालू होने के बाद उसे पारगमन शुल्क में लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा.
        - इसके अलावा जब तक रूस में उत्पादित गैस यूक्रेन के माध्यम से पारगमन करती है, रूस के हस्तक्षेप करने और यूक्रेन में अस्थिरता पैदा करने की संभावना नहीं है और यूरोप इसकी सुरक्षा में व्यस्त रहेगा।
        - पोलैंड और बेलारूस जैसे देश भी पारगमन शुल्क से वंचित हो सकते हैं और इसलिये पाइपलाइन का विरोध करते हैं क्योंकि यह उनके माध्यम से चलने वाली मौजूदा पाइपलाइनों को बाईपास कर देगा।
- यूरोप और रूस के लिये महत्त्व:
    - यूरोप:
        - यूरोप को प्रतिवर्ष 100 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) से अधिक प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है और इसकी लगभग 40% गैस रूस से आती है।
        - पिछले कुछ वर्षों में घरेलू गैस उत्पादन में कमी के कारण यूरोप गैस के आयात पर और अधिक निर्भर हो गया है। रूसी गैस पर निर्भरता कम करना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप के पास इसका कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है।
        - कई यूरोपीय व्यवसायों का 'नॉर्ड स्ट्रीम-2' में काफी बड़ा निवेश है और इन व्यवसायों से सरकारों पर काफी दबाव है। अंत में, रूस से गैस में कमी पहले से ही उच्च गैस की कीमतों में और अधिक वृद्धि करेगी तथा यह घरेलू स्तर पर काफी प्रतिकूल हो सकता है।
    - रूस:
        - रूस, जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है, की कुल बजट प्राप्ति का लगभग 40% हिस्सा गैस एवं तेल की बिक्री से आता है।
        - इस लिहाज़ से 'नॉर्ड स्ट्रीम-2' काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह पारगमन देशों के माध्यम से गैस भेजने से संबंधित जोखिमों को समाप्त करता है, पारगमन शुल्क को हटाकर परिचालन लागत में कटौती करता है और अपने सबसे महत्त्वपूर्ण यूरोपीय ग्राहक, जर्मनी तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।
        - यह विश्वसनीयता का निर्माण करके रूस पर यूरोप की निर्भरता को और अधिक बढ़ाता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

चीन के साथ भारत का व्यापार

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2021 में चीन के साथ भारत के व्यापार ने 125 बिलियन अमेरिकी के डॉलर का आँकड़े को पार कर दिया, जिसमें चीन से आयात रिकॉर्ड 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुँच गया है, जो कि चीन की वस्तुओं, विशेष रूप से मशीनरी की निरंतर मांग को रेखांकित करता है।

- यह बढ़ोतरी तब दर्ज की गई है जब पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध के कारण दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई है।

प्रमुख बिंदु

- चीन को भारत से निर्यात:
  - हाल के वर्षों में चीन को भारत से सबसे अधिक निर्यात लौह अयस्क, कपास और अन्य कच्चे माल पर आधारित वस्तुओं का किया जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष (2021) चीन में इन वस्तुओं की मांग में सुधार देखा गया है।
- चीन से भारत में आयात:
  - भारत ने पिछले दो वर्षों में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs), ऑटो कंपोनेंट्स एवं ऑक्सीजन कंसंटेटर्स से लेकर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPEs) तक कई तरह की मेडिकल सामग्री का आयात किया है।
- द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि:
  - भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में साल-दर-साल 43% की वृद्धि चीन के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में सबसे अधिक थी।
  - चीन के शीर्ष तीन व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार के आँकड़ों में आसियान के साथ 28.1% (878.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर), यूरोपीय संघ के साथ 27.5% (828.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 28.7% (755.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की वृद्धि दर्ज की गई।
- चीन के साथ व्यापार घाटा:
  - भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2021 में बढ़कर 69.38 अरब डॉलर हो गया।
  - भारत एक दशक से अधिक समय से चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर अपनी चिंताओं को उजागर करता रहा है और चीन से भारत के आईटी एवं फार्मास्यिटिकल उत्पादों के लिये अपने बाज़ार खोलने का आह्वान कर रहा है।
    - जब किसी देश का कुल आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को उसके व्यापार घाटे के रूप संदर्भित किया जाता है।
- चीन पर निर्भरता का मुकाबला करने के लिये उठाए गए कदम:
  - चाइनीज एप्स पर बैन।
  - भारत द्वारा कई क्षेत्रों में चीनी निवेश की जाँच में सख्ती की गई है, साथ ही सरकार द्वारा चीनी कंपनियों को 5G परीक्षण से बाहर रखने के निर्णय पर विचार किया जा रहा है।
  - सरकार ने हाल ही में चीन से टायरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही घरेलू कंपनियों के "अवसरवादी अधिग्रहण" पर अंकुश लगाने के लिये भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देशों हेतु विदेशी निवेश के लिये पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी है। यह एक ऐसा कदम है जो चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सीमित करेगा।

- एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट (Active Pharmaceutical Ingredients-APIs) के लिये चीन पर आयात निर्भरता में कटौती करने हेतु सरकार ने मार्च, 2020 में एक पैकेज को मंज़ूरी दी जिसमें देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को उनके निर्यात के साथ बढ़ावा देने के लिये कुल 13,760 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ चार योजनाएँ शामिल हैं।
- वर्ष 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत को वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता बनाने तथा आयात बिलों में कटौती करने हेतु 12 क्षेत्रों की पहचान की।
  - इन क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, लोहा, एल्युमीनियम और तांबा, कृषि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी, फर्नीचर, चमड़ा एवं जूते, ऑटो पार्ट्स, कपड़ा, मास्क, सैनिटाइज़र और वेंटिलेटर शामिल हैं।

भारत-चीन संबंधों में वर्तमान मुद्दे

- पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध:
  - भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध मई 2020 में पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक टकराव के बाद शुरू हुआ और दोनों पक्षों ने धीरे-धीरे हजारों सैनिकों एवं भारी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है।
  - 12 जनवरी, 2022 को दोनों पक्षों ने कोर कमांडर-स्तरीय चर्चा के 14वें दौर हेतु शेष क्षेत्रों में गतिरोध को समाप्त करने हेतु मुलाकात की और उन्होंने शीघ्र ही दोनों देशों ने फिर से मिलने का वादा किया।
- नया सीमा कानून:
  - भू-सीमाओं पर चीन का नया कानून नए वर्ष (2022) से लागू हो गया है।
  - यह कानून अन्य बातों के अलावा बताता है कि चीन भूमि सीमा मामलों पर संधियों का पालन करता है या संयुक्त रूप से अन्य देशों द्वारा स्वीकार किया जाता है।
- अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नामकरण:
  - भारतीय राज्य पर अपने दावे के हिस्से के रूप में हाल ही में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदल दिया गया है।
  - भारत ने वैश्विक स्तर पर इस कदम की निंदा की और एक स्पष्ट बयान के साथ जवाब दिया कि नए नामों को निर्दिष्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा और न ही यह तथ्य बदलेगा कि ये स्थान अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हैं।
- पैंगोंग झील पर पुल:
  - हाल ही में यह पाया गया कि चीन पैंगोंग त्सो पर एक नया पुल बना रहा है जो झील के उत्तर और दक्षिण किनारों के बीच व एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के करीब सैनिकों को तेज़ी से तैनात करने के लिये एक अतिरिक्त धुरी प्रदान करेगा।
    - पुल उनके क्षेत्र में है और भारतीय सेना को अपनी परिचालन योजनाओं में इसे शामिल करना होगा।

आगे की राह

- चीनी उत्पादों पर निर्भरता को कम करने के लिये भारत को चीन से आयात का विश्लेषण करने और आगे का रास्ता विकसित करने की ज़रूरत है।
- इसके अलावा आर्थिक जटिलता मॉडल के आधार पर भारत सरकार प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षमताओं के अनुसार उन्हें विभाजित करके उचित रोड मैप तैयार कर सकती है।

दावोस शिखर सम्मेलन: विश्व आर्थिक मंच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum's - WEF) के दावोस एजेंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।

- दावोस (स्विट्ज़रलैंड) में WEF की वार्षिक बैठक वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिये विश्व के शीर्ष नेताओं को शामिल करती है।

प्रमुख बिंदु:

- एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य:
  - कोविड- 19 के दौरान भारत ने 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' के अपने दृष्टिकोण का पालन करते हुए आवश्यक दवाओं और टीकों का निर्यात करके कई लोगों की जान बचाई।
    - भारत ने 31 दिसंबर 2021 तक 97 देशों को कोविड- 19 टीकों की 1154.173 लाख खुराकें पहुँचाई हैं।
  - भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है और इसे 'विश्व के लिये फार्मेसी' माना जाता है।
- प्रो-प्लेनेट पीपुल्स (P3) एप्रोच:
  - वैश्विक मंच (UNFCCC COP 26) में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने वाले "पी3 (प्रो-प्लैनेट-पीपल) मूवमेंट" के विचार का प्रस्ताव रखा गया।
    - भारत के "स्वच्छ, हरित, टिकाऊ और विश्वसनीय" ऊर्जा लक्ष्यों को दोहराया गया, जो वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net-Zero Carbon Emission) प्राप्त करने पर केंद्रित हैं।
  - LIFE (पर्यावरण के लिये जीवन शैली- UNFCCC COP-26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई) को एक जन आंदोलन बनाना P3 के लिये एक मज़बूत आधार हो सकता है।
    - LIFE एक लचीली और टिकाऊ जीवनशैली की दृष्टि है जो जलवायु संकट व भविष्य की अन्य अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने में काम आएगी।
    - इस संस्कृति और उपभोक्तावाद ने जलवायु चुनौती को बढ़ा दिया है।
- भारत द्वारा हाल ही में किये गए सुधार:
  - 6 लाख गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर जैसे भौतिक और डिजिटल, कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढाँचे में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का निवेश, परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 80 बिलियन डॉलर के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
  - गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिये वस्तु, लोगों और सेवाओं की निर्बाध कनेक्टिविटी के लिये नई गतिशीलता का संचार करता है।
  - आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है।
    - दिसंबर 2021 में भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के ज़रिये 4.4 अरब ट्रांज़ेक्शन किये गए।
  - कोरोना संक्रमणों पर नज़र रखने के लिये आरोग्य-सेतु ऐप और टीकाकरण के लिये CoWinPortal जैसे तकनीकी समाधान।
- एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत:
  - हाल ही में सरकार द्वारा विभिन्न सुधार उपाय किये गए हैं, जैसे कि पूर्वव्यापी कराधान को हटाना, अनुपालन आवश्यकताओं में कमी और कॉर्पोरेट टैक्स दर संरचना का सरलीकरण, जो इसे मौजूदा सबसे अच्छा निवेश गंतव्य बनाता है।
    - केवल पिछले वर्ष में ही भारत ने 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया है।
  - आज भारत में विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या मौजूद है। वहीं पिछले छह महीनों में 10,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स पंजीकृत किये गए हैं।
  - भारत विभिन्न उपायों के माध्यम से व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही सरकारी हस्तक्षेप को कम कर रहा है।
  - नीति-निर्माण के तहत अगले 25 वर्षों के लिये 'स्वच्छ और हरित' के साथ-साथ 'सतत् एवं विश्वसनीय' विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- बहुपक्षीय संगठनों के समक्ष चुनौतियाँ:
  - जब इन संस्थाओं का गठन हुआ तो स्थितियाँ काफी अलग थीं। आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं हैं।
  - इसलिये प्रत्येक लोकतांत्रिक देश की यह ज़िम्मेदारी है कि वह इन संस्थानों में सुधारों पर ज़ोर दे ताकि वे वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें।

नोट :

- भविष्य की चुनौतियों के लिये सामूहिक प्रयास:
  - प्रत्येक देश और प्रत्येक वैश्विक एजेंसी द्वारा एक सामूहिक और समन्वित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।
  - आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
  - एक अन्य उदाहरण क्रिप्टोकरेंसी है। इससे जिस प्रकार की तकनीक जुड़ी हुई है, उसमें किसी एक देश द्वारा लिये गए निर्णय संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु अपर्याप्त होंगे।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

- परिचय:
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक स्विस गैर-लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी।
  - स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मिशन:
  - WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिये प्रतिबद्ध है।
- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)।
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index- ETI)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global IT Report)
    - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
  - वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
  - वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report)
  - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)

हूती विद्रोहियों का यूएई पर हमला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में एक संदिग्ध ड्रोन हमले में कई विस्फोट हुए जिसमें दो भारतीय भी मारे गए है।

- यमन के शिया हूती विद्रोहियों, जो लगभग सात वर्षों से राजधानी सना सहित देश के उत्तरी हिस्सों को नियंत्रित कर रहे हैं, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
- भारत ने इस तरह के अस्वीकार्य कृत्यों के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता व्यक्त की है।
- इससे पहले वर्ष 2021 में सऊदी की राजधानी रियाद पर हूती विद्रोहियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- हूती :
  - हूती आंदोलन की जड़ें "बिलीविंग यूथ" (मुंतदा अल-शहाबल-मुमिन) में खोजी जा सकती हैं, जो हुसैन अल-हूती और उसके पिता बद्र अल-दीन अल-हूती द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित एक ज़ायदी पुनरुत्थानवादी समूह था।

- बद्र अल-दीन उत्तरी यमन में एक प्रभावशाली ज़ायदी मौलवी था। वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति और 1980 के दशक में दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के उदय से प्रेरित होकर बद्र अल-दीन एवं उसके बेटों ने यमन के ज़ायदियों के बीच विशाल सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क का निर्माण कार्य शुरू किया, जो सुन्नी-बहुसंख्यक आबादी वाले देश का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनाते हैं।
- लेकिन जब आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया और अली अब्दुल्ला सालेह (यमन में) के "भ्रष्ट" शासन पर हमला करना शुरू कर दिया तो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का युद्ध के लिये उनका समर्थन सालेह के लिये घातक बन गया।
- उसने खुद को अंसार अल्लाह कहा और सरकार के खिलाफ उत्तर में आदिवासियों को लामबंद किया।
- वर्ष 2004 में सालेह की सरकार ने हुसैन अल हूती के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इस गिरफ्तारी के विरोध में विद्रोह की शुरुआत हुई।
- सितंबर 2004 में सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों पर हमला कर हुसैन को मार डाला। तब से सरकार ने प्रतिरोध को समाप्त करने के लिये ज़ायदी के गढ़ सादा में कई सैन्य अभियान शुरू किये जिसे स्थानीय रूप में हूती आंदोलन कहा गया।
- लेकिन इसने हूती विद्रोहियों को मजबूत किया जिन्होंने वर्ष 2010 तक यानी जब यह युद्ध विराम की स्थिति तक पहुँच गया तो सरकारी सैनिकों की मदद से सादा पर कब्ज़ा कर लिया था।

ज़ायदी

- ज़ायदी शियाओं की सबसे पुरानी शाखा है। ज़ायदियों का नाम ज़ैद बिन अली, इमाम अली के परपोते, पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद के नाम पर रखा गया है, जो शिया, सुन्नी और ज़ायदी का सम्मान करते हैं।
- ज़ायद बिन अली ने आठवीं शताब्दी में उम्मायद खलीफा के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। जिसमे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी शहादत के कारण जायदी संप्रदाय का उदय हुआ। हाँलाकि धर्मशास्त्र और व्यवहार के संदर्भ में जायदी को इस्लाम की शिया शाखा का हिस्सा माना जाता है। वे ईरान, इराक और लेबनान के 'ट्वेल्वर' शियाओं से भिन्न हैं।
- सदियों से यमन के भीतर जायदी एक शक्तिशाली संप्रदाय था।
- वर्ष 1918 में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ज़ायदी देश में एक राजशाही (मुतावक्किलित साम्राज्य) स्थापित करना चाहते थे लेकिन उनका प्रभुत्व वर्ष 1962 में उस समय समाप्त हो गया जब मिस्र समर्थित गणतंत्रों ने राजशाही को उखाड़ फेंका।
- हूती के उदय का कारण:
  - वर्ष 2011 में जब ट्यूनीशियाई और मिस्र के तानाशाहों को गिराने वाले अरब स्प्रिंग विरोध के हिस्से के रूप में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो हूती (Houthis), उस समय अपनी सैन्य जीत से आश्वस्त थे और सदाह में उन्हें जो समर्थन मिला, उसने आंदोलन का समर्थन किया।
  - राष्ट्रपति सालेह, (एक जायदी) जो 33 वर्षों तक सत्ता में थे, ने नवंबर 2011 में इस्तीफा दे दिया तथा अपने डिप्टी, अब्दराबुह मंसूर हादी, जो एक सऊदी समर्थित सुन्नी था को बागडोर सौंप दी।
  - सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संरक्षण में यमन ने आंतरिक मतभेदों को हल करने के लिये एक राष्ट्रीय वार्ता शुरू की।
  - हूथी इस संवाद का हिस्सा थे लेकिन वे हादी की संक्रमणकालीन सरकार (Transitional Government) के साथ ही इस संवाद से बाहर हो गए तथा यह दावा करते हुए कि प्रस्तावित संघीय समाधान, जो ज़ायदी-प्रभुत्व वाले उत्तर को दो भूमि-बंद प्रांतों में विभाजित करने की मांग करता था, का उद्देश्य आंदोलन को कमजोर करना था।
  - वे शीघ्र ही विद्रोह में पुन: शामिल हो गए। सालेह जिन्हें अंतरिम सरकार और उसके समर्थकों द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के साथ हाथ मिलाया और एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया।
  - जनवरी 2015 तक हूती-सालेह गठबंधन (Houthi-Saleh alliance) ने सना और उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें महत्त्वपूर्ण लाल सागर तट भी शामिल था। (बाद में हूती, सालेह के खिलाफ हो गए और दिसंबर 2017 में उसे मार डाला)।
- यमन पर सऊदी अरब के हमले का कारण:
  - यमन में हूती विद्रोहियों के तेज़ी से उदय ने सऊदी अरब में खतरे की घंटी बजा दी, जो कि उन्हें ईरानी प्रॉक्सी के रूप में देखता है।

- सऊदी अरब ने मार्च 2015 में हूती विद्रोहियों के खिलाफ त्वरित जीत की उम्मीद में एक सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन सऊदी अरब के हवाई हमले के बावजूद हूती विद्रोही पीछे नहीं हटे।
- ज़मीनी स्तर पर कोई प्रभावी सहयोगी नहीं होने और कोई विशिष्ट योजना न होने के कारण, सऊदी के नेतृत्व वाला अभियान बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया। पिछले छह वर्षों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी हवाई हमलों के जवाब में उत्तरी यमन के सऊदी शहरों पर कई हमले किये हैं।
- वर्ष 2019 में हूती विद्रोहियों ने दो सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमले का दावा किया था, जो कि देश के तेल उत्पादन के आधे हिस्से हेतु उत्तरदायी है (हूती विद्रोहियों के दावे को विशेषज्ञों और सरकारों द्वारा खंडित कर दिया गया था, जिन्होंने कहा कि विद्रोहियों के लिये यह हमला करना संभव नहीं था। अमेरिका ने इसके लिये ईरान को दोषी ठहराया था)।
- हूती विद्रोहियों ने उत्तर में एक सरकार का गठन किया। युद्ध में सऊदी अरब और हूती दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
- जबकि सऊदी बम विस्फोटों में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए, हूती विद्रोहियों पर अधिकार समूहों और सरकारों द्वारा, सहायता को रोकने, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बलों को तैनात करने तथा नागरिकों व शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का उपयोगप्रयोग करने का आरोप लगाया गया।

- हूती विद्रोहियों के संयुक्त अरब अमीरात पर हमला करने का कारण:
  - यह पहली बार नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया हो। वर्ष 2018 में जब संयुक्त अरब अमीरात समर्थित बल यमन में आगे बढ़ रहे थे, हूती विद्रोहियों ने अमीरात के खिलाफ हमलों का दावा किया।
  - तब संयुक्त अरब अमीरात ने यमन से अपने सैनिकों को वापस ले लिया और अदन स्थित विद्रोहियों के एक समूह, दक्षिणी ट्रांजीशनल परिषद को सामरिक समर्थन की पेशकश की, जो संयुक्त अरब अमीरात के सऊदी समर्थित सरकारी बलों से भी लड़ रहा था।
  - इस अवधि के दौरान हूती विद्रोही पूरी तरह से सऊदी अरब और यमन के अंदर सऊदी समर्थित बलों पर केंद्रित रहे।
  - लेकिन हाल के महीनों में, जायंट्स ब्रिगेड्स, एक मिलिशिया समूह, जो बड़े पैमाने पर दक्षिणी यमनियों (यूएई द्वारा समर्थित) से बना है और संयुक्त बलों (मारे गए पूर्व राष्ट्रपति सालेह के भतीजे के नेतृत्व में मिलिशिया) ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बंदूक उठा ली थी।
  - अब हमलों के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि हूती विद्रोहियों ने अमीरात को एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि वह यमन से दूर रहे या अधिक हमलों का सामना करें।
- चिंताएँ:
  - यमन रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले जलडमरूमध्य पर स्थित है, जिसके माध्यम से दुनिया के अधिकांश तेल शिपमेंट गुज़रते हैं।
  - यह अल-कायदा या आईएस से जुड़े-देश के हमलों के खतरे के कारण भी पश्चिम को चिंतित करता है -जो अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं।
  - अमेरिका द्वारा विद्रोहियों को आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध करने और छह साल से संघर्ष को कम करने के प्रयासों के बाद भी हूती विद्रोहियों ने राज्य पर सीमा पार हमले तेज कर दिये हैं।
  - संघर्ष को शिया शासित ईरान और सुन्नी शासित सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष के हिस्से के रूप में भी देखा जाता है।
- भारत का हित:
  - भारत के लिये यह एक ऐसी चुनौती है जिसे तेल सुरक्षा और इस क्षेत्र में रहने वाले 8 मिलियन प्रवासियों को ध्यान में रखकर नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता है जिनसे सालाना 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रेषण होता है।
- भारतीय पहल:
  - ऑपरेशन राहत:
    - भारत ने अप्रैल 2015 में यमन से 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिये बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री अभियान शुरू किये।

- मानवीय सहायता:
  - भारत ने अतीत में यमन को भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की है और पिछले कुछ वर्षों में हजारों यमन नागरिकों ने भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाया है।
  - भारत ने विभिन्न भारतीय संस्थानों में बड़ी संख्या में यमन नागरिकों के लिये शिक्षा की सुविधा जारी रखता है।

देवास-एंट्रिक्स डील

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स और बंगलूरु स्थित स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया के बीच विवादास्पद सौदा एक दशक से अधिक समय से सवालों के घेरे में है।

प्रमुख बिंदु:

- स्पेक्ट्रम का आवंटन: अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को एस-बैंड स्पेक्ट्रम 1970 के दशक में प्रदान किया था।
- इसरो को स्पेक्ट्रम सौंपना: वर्ष 2003 तक यह संकोच था कि यदि इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो स्पेक्ट्रम नष्ट हो सकता है।
  - स्थलीय उपयोग के लिये दूरसंचार विभाग (DoT) को 40 मेगाहर्ट्ज का एस-बैंड दिया गया था।
  - 70 मेगाहर्ट्ज का अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा उपयोग किया जाना था।
- संचार प्रणालियों के विकास के लिये वैश्विक बातचीत: प्रारंभ में भारत में संचार प्रणालियों के विकास हेतु उपग्रह स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिये जुलाई 2003 में फोर्ज (एक यूएस कंसल्टेंसी) और एंट्रिक्स द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे, लेकिन बाद में एक स्टार्टअप की परिकल्पना की गई और देवास मल्टीमीडिया शुरू किया गया।
  - इसके बाद देवास मल्टीमीडिया विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहा।
- सौदे पर हस्ताक्षर: वर्ष 2005 में पट्टे पर एस-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले मोबाइल उपयोगकर्त्ताओं को मल्टीमीडिया सेवाएँ प्रदान करने के लिये सौदे पर हस्ताक्षर किये गए।
  - इस सौदे के तहत इसरो देवास को दो संचार उपग्रह (जीसैट-6 और 6ए) 12 वर्ष के लिये लीज़ पर देगा।
  - बदले में देवास उपग्रहों पर एस-बैंड ट्रांसपोंडर का उपयोग करके भारत में मोबाइल प्लेटफॉर्म को मल्टीमीडिया सेवाएँ प्रदान करेगा।
  - सौदे के परिणामस्वरूप देवास ने पहले जैसी तकनीकों को पेश कर उनका उपयोग किया।
- सौदे को रद्द करना: इस सौदे को वर्ष 2011 में इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में घोटाला हुआ है।
  - यह फैसला 2जी घोटाले के बीच लिया गया था और आरोप लगाया गया कि देवास सौदे में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के संचार स्पेक्ट्रम को कुछ समय के लिये सौंपना शामिल है।
  - सरकार ने यह भी माना कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिये एस-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है।
- भ्रष्टाचार के आरोप: इस बीच अगस्त 2016 में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने देवास इसरो और एंट्रिक्स के अधिकारियों के खिलाफ "आपराधिक साजिश का पक्ष" होने के लिये सौदे के सम्बन्ध में एक आरोप पत्र दायर किया।
  - इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर और एंट्रिक्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक के. आर. श्रीधरमूर्ति शामिल थे।
- इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन: देवास मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (ICC) में विलोपन के खिलाफ मध्यस्थता शुरू की।
  - भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के तहत देवास मल्टीमीडिया में मॉरीशस के निवेशकों द्वारा और भारत-जर्मनी द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के तहत एक जर्मन कंपनी - ड्यूश टेलीकॉम द्वारा दो अलग-अलग मध्यस्थता भी शुरू की गई थी।
  - भारत को तीनों विवादों में हार का सामना करना पड़ा और नुकसान के तौर पर कुल 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा।

- ट्रिब्यूनल के निर्णय बाद: भारत सरकार द्वारा मुआवज़े का भुगतान नहीं करने के कारण एक फ्राँसीसी न्यायालय ने हाल ही में पेरिस में भारत सरकार की संपत्ति को फ्रीज़ करने का आदेश दिया है, ताकि 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान किया जा सके।
- भारतीय मध्यस्थता परिदृश्य: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के वर्ष 2011 के रुख को दोहराया और भारत में देवास मल्टीमीडिया व्यवसाय को बंद करने का निर्देश दिया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पिछले फैसले को भी बरकरार रखा।
  - एंट्रिक्स ने जनवरी 2021 में भारत में देवास के परिसमापन के लिये NCLAT में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इसे एक अनुचित तरीके से निगमित किया गया था।
  - इन न्यायाधिकरणों ने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने का निर्देश दिया था और इस उद्देश्य के लिये एक अस्थायी परिसमापक नियुक्त किया था।

विदेशों में भारतीय संपत्ति की ज़ब्ती

- नियमों के मुताबिक, राज्य और उसकी संपत्ति अन्य देशों के न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही से सुरक्षित हैं।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है, जिसे 'स्टेट इम्युनिटी' कहा जाता है।
  - इसमें क्षेत्राधिकार और निष्पादन दोनों से उन्मुक्ति शामिल होती है।
- हालाँकि विभिन्न देशों की कानूनी प्रणालियों से राज्य की सुरक्षा का कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन उपलब्ध नहीं है।
  - इसने एक अंतर्राष्ट्रीय शून्यता को जन्म दिया है।
  - नतीजतन, विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय कानूनों और 'स्टेट इम्युनिटी' पर घरेलू न्यायिक प्रथाओं के माध्यम से इस शून्यता को कम करने का प्रयास किया है।
- फ्राँस जैसे देश प्रतिबंधात्मक इम्युनिटी की अवधारणा का पालन करते हैं (एक विदेशी राज्य केवल संप्रभु कार्यों के लिये ही प्रतिरक्षित है) और पूर्ण इम्युनिटी (विदेशी न्यायालय में सभी कानूनी कार्यवाही से समग्र सुरक्षा) के सिद्धांत को नहीं मानते हैं।
- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के तहत दिये गए निर्णयों के निष्पादन के संदर्भ में इसका तात्पर्य है कि संप्रभु कार्यों (राजनयिक मिशन भवन, केंद्रीय बैंक संपत्ति, आदि) में संलग्न राज्य संपत्ति को ज़ब्त नहीं किया जा सकता है।
- हालाँकि वाणिज्यिक कार्यों में संलग्न संपत्तियों को ज़ब्त किया जा सकता है।

S-बैंड स्पेक्ट्रम

- एस-बैंड स्पेक्ट्रम, जो देवास-इसरो सौदे का हिस्सा है, मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिये उपयोग होने के साथ-साथ रुपए के मामले में भी बेहद मूल्यवान है।
- इस आवृत्ति (यानी 2.5 Ghz बैंड) का उपयोग विश्व स्तर पर फोर्थ जनरेशन की तकनीकों जैसे वाईमैक्स और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) का उपयोग करके मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने हेतु किया जाता है।
- यह आवृत्ति बैंड अद्वितीय है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम (190 मेगाहर्ट्ज) है, जिसे मोबाइल सेवाओं के लिये उपयोग किया जा सकता है।

द्विपक्षीय निवेश संधि

- द्विपक्षीय निवेश समझौते से तात्पर्य एक ऐसे समझौते से है जो उन नियमों एवं शर्तों को तय करता है, जिनके तहत किसी एक देश के नागरिक व कंपनियाँ किसी दूसरे देश में निजी निवेश करते हैं। ऐसी अधिकतर संधियों में विवादों की स्थिति में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ मध्यस्थता का कार्य करती हैं।
- एक-दूसरे के क्षेत्रों में हस्ताक्षरकर्त्ता देश के नागरिकों द्वारा किये गए निजी निवेश के प्रचार और संरक्षण के लिये पारस्परिक उपक्रम वाले दो देशों के बीच एक समझौता।
- बीआईटी के एक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवैध राष्ट्रीयकरण और विदेशी संपत्तियों के स्वामित्व व अन्य कार्यों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है जो अन्य हस्ताक्षरकर्ता के राष्ट्रीय स्वामित्व या आर्थिक हित को कमज़ोर कर सकते हैं।

- बीआईटी में भारत सरकार द्वारा निवेशक के अधिकारों और सरकारी दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों और व्यवहारों के परिप्रेक्ष्य में भारत में विदेशी निवेशकों और विदेश में भारतीय निवेशकों को समुचित सुरक्षा प्रदान की गई है।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के पास है।
- एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक दोहन व प्रचार प्रसार के लिये सरकार के स्वामित्व वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष से संबंधित औद्योगिक क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाना है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा के रूप में एंट्रिक्स पूरे विश्व में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध करा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- इसे संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिये वर्ष 1865 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह की कक्षाओं को आवंटित करता है, तकनीकी मानकों को विकसित करता है ताकि नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ा जा सके और दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों के लिये ICT तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास किया जाए।
- भारत को अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिये पुनः अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 1952 से इसका एक नियमित सदस्य बना हुआ है।

इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC)

- ICC दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा देने के लिये काम कर रहा है।
- यह वर्ष 1923 से व्यापार और निवेश का समर्थन करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों में कठिनाइयों को हल करने में मदद कर रहा है।
- ICC का मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है।

मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और मॉरीशस सरकार ने संयुक्त रूप से भारत के विकास समर्थन के हिस्से के रूप में मॉरीशस में भारतीय-सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - मई 2016 में भारत ने मॉरीशस को विशेष आर्थिक पैकेज (SEP) के रूप में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया ताकि मॉरीशस द्वारा चिंहित पाँच प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को निष्पादित किया जा सके।
  - यह परियोजनाएँ है: मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सर्वोच्च न्यायालय बिल्डिंग, नया ईएनटी अस्पताल (New ENT Hospital), प्राथमिक स्कूली बच्चों को डिजिटल टैबलेट की आपूर्ति और सामाजिक आवास परियोजना।

- सामाजिक आवास परियोजना के उद्घाटन के साथ ही एसईपी के तहत सभी हाई प्रोफाइल परियोजनाओं को लागू किया गया है।

- दो अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी:
  - अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज का निर्माण:
    - मॉरीशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान वर्ष 2017 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत इसे 4.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान समर्थन के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
    - एक बार निर्माण हो जाने के बाद यह मॉरीशस के सिविल सेवकों को विभिन्न प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिये पूरी तरह से सुसज्जित तथा कार्यात्मक सुविधा प्रदान करेगा।
    - यह भारत के साथ संस्थागत संबंधों को और मज़बूत करेगा।
    - भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सर्विस कॉलेज परियोजना के महत्त्व को भी स्वीकार किया तथा मिशन कर्मयोगी की सीख साझा करने की पेशकश की।
  - 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म:
    - इसमें मॉरीशस के लगभग 10,000 घरों को विद्युतीकृत करने के लिये सालाना लगभग 14 GWh हरित ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु 25,000 PV सेल की स्थापना शामिल है।
    - यह 13,000 टन CO_2 उत्सर्जन से मॉरीशस के सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों को कम करने में मदद करेगा।
    - वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल का विचार भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अक्तूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की पहली सभा में रखा गया था।
  - दो प्रमुख द्विपक्षीय समझौतों का आदान-प्रदान:
    - मेट्रो एक्सप्रेस और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये भारत द्वारा मॉरीशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार हेतु समझौता।
    - लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन।

भारत-मॉरीशस संबंध

- परिचय:
  - भारत और मॉरीशस के बीच संबंध वर्ष 1730 से पहले के हैं और राजनयिक संबंध वर्ष 1948 में मॉरीशस के स्वतंत्र राज्य बनने (1968) से पहले स्थापित किये गए थे।
  - भारत ने मॉरीशस को प्रवासी भारतीयों के नज़रिये से देखा है। यह शायद स्वाभाविक था, क्योंकि भारतीय मूल के समुदाय इस द्वीप में एक महत्त्वपूर्ण बहुमत का गठन करते हैं।
    - भारतीय मूल के लोग मॉरीशस की आबादी के लगभग 70% हैं।
  - यह प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है जो भारतीय डायस्पोरा से संबंधित मुद्दों के लिये एक मंच है।
- भारत के लिये महत्त्व:
  - भू-रणनीतिक: विगत कुछ वर्षों में भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश को सामरिक दृष्टि से महत्त्व देना प्रारंभ किया है।
    - वर्ष 2015 में अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने महत्त्वाकांक्षी नीति सागर (Security and Growth for All-SAGAR) की शुरुआत की। यह पिछले कई दशकों में भारत द्वारा हिंद महासागर में किया गया एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था।
    - 2015 में भारत और मॉरीशस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जो भारत को मॉरीशस द्वीपों पर सैन्य ठिकानों की स्थापना के मामले में बुनियादी ढाँचे को विकसित करने की अनुमति देता है।
  - भू-आर्थिक: विशेष भौगोलिक अवस्थिति के कारण हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस का वाणिज्यिक एवं कनेक्टिविटी के लिहाज़ से विशेष महत्त्व है।
    - अफ्रीकी संघ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग के सदस्य के तौर पर भी मॉरीशस की भौगोलिक अवस्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है।

- SIDS (Small Island Developing States) के संस्थापक सदस्य के रूप में यह एक विशेष पड़ोसी राष्ट्र है।
- भारत मॉरीशस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है जो वर्ष 2007 से मॉरीशस में वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है।

- क्षेत्रीय केंद्र के रूप में: मॉरीशस में नए निवेश अफ्रीका से आते हैं, अत: मॉरीशस भारत की अपनी अफ्रीकी आर्थिक आउटरीच के लिये सबसे बड़ा केंद्र हो सकता है।
  - भारत तकनीकी नवाचार के एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में मॉरीशस के विकास में योगदान दे सकता है। अत: भारत को उच्च शिक्षा सुविधाओं के लिये मॉरीशस की मांगों पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिये।
  - मॉरीशस क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र साबित हो सकता है।
- द्वीप नीति का केंद्रबिंदु: अभी तक भारत दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के वैनिला द्वीप (Vanilla islands) कहे जाने वाले देशों; जिनमें कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, मैयट, रीयूनियन और सेशेल्स शामिल हैं, का द्विपक्षीय रणनीतिक आधार पर सामना करने का प्रयास कर रहा है।
  - यदि भारत मॉरीशस के विकास में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तो आने वाले समय में मॉरीशस दिल्ली की द्वीपीय नीति का केंद्र बिंदु बन जाएगा।
  - यह दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में एक बैंकिंग गेटवे और पर्यटन के केंद्र के रूप में भारत की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।
- चीन के संदर्भ में: चीन ने "स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स" की अपनी नीति के तहत ग्वादर (पाकिस्तान) से लेकर हम्बनटोटा (श्रीलंका), यौप्यु (म्याँमार) तक हिंद महासागर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण संबंध स्थापित किये हैं।
  - ऐसे में भारत को अपनी समुद्री क्षमताओं को मज़बूत करने में और क्षमता वृद्धि करने के लिये मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशल्स जैसे हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों की सहायता करनी चाहिये।

- महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम:
  - वर्ष 2021 में, भारत तथा मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECAP) पर हस्ताक्षर को मंज़ूरी दी गई।
  - भारत ने उन्नत हल्के हेलीकाप्टर एमके III के निर्यात के लिये मॉरीशस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मॉरीशस पुलिस बल द्वारा किया जाएगा।

आगे की राह

- हालाँकि भारत और मॉरीशस दोनों ही देश औपनिवेशिक काल से एक-दूसरे के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं तथा हाल के वर्षों में दोनों के बीच एक विशेष साझेदारी है, भारत मॉरीशस के प्रभाव को हल्के में नहीं ले सकता है और इस महत्त्वपूर्ण द्वीपीय देश के साथ भारत को अपने संबंधों को ओर अधिक प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है।
- जैसा कि भारत दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें मॉरीशस का स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है इसलिये, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (Neighbourhood First policy) में सुधार करना आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा पर भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने "पर्यावरणीय तनाव के तहत सतत् खाद्य उत्पादन" पर संयुक्त भारत-ब्रिटेन बैठक को संबोधित किया और खाद्य सुरक्षा एवं शून्य भूख के लक्ष्यों को प्राप्त करने जैसे पारस्परिक चिंता के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग का आह्वान किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग का आह्वान:
  - भारत और ब्रिटेन को कृषि, चिकित्सा, खाद्य, फार्मा, इंजीनियरिंग या रक्षा और विज्ञान के विभिन्न आयामों में वैश्विक सहयोग को आमंत्रित करना चाहिये।
  - भारत-ब्रिटेन संयुक्त सहयोग में छात्र आदान-प्रदान, बुनियादी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद विकास के साथ-साथ उत्पाद/प्रक्रिया प्रदर्शन और संयुक्त सहयोग में उनके कार्यान्वयन जैसे कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।
- संकुचित कृषि योग्य भूमि का मुद्दा:
  - सतत् खाद्य उत्पादन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्र वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या के अलावा कृषि योग्य भूमि के संकुचन का सामना कर रहा है, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।
    - दक्षिण एशिया में कृषि योग्य भूमि वर्ष 2018 में 43.18% बताई गई थी जो वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत से स्थिर रही है और हाल ही में घट रही है।
  - उपज और भूमि का अधिक गहन उपयोग फसल उत्पादन में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार होगा और कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में नुकसान की भरपाई भी करेगा।
- पोषाहार व खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार:
  - राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (National Agri-Food Biotechnology Institute) दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन के तहत राष्ट्रों की पोषण सुरक्षा को संबोधित करने की आवश्यकता को गति प्रदान कर सकता है।
    - NABI एक प्रमुख संस्थान है जो कृषि-खाद्य और पोषण जैव प्रौद्योगिकी के लिये कार्य करता है।
- चुनौतियों का समाधान करने के लिये संयुक्त अनुदान:
  - खाद्य उत्पादन और वितरण के वैश्विक पैटर्न को जलवायु परिवर्तन की प्रगति के रूप में महत्त्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है।
  - एक सुसंगत और हितधारक-प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) कार्यक्रम विकसित करने के लिये संयुक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है जो इस चुनौती का समाधान करेगा।

भारत-ब्रिटेन साझेदारी:

- भारत-ब्रिटेन साझेदारी के बारे में:
  - साझा इतिहास और समृद्ध संस्कृति पर बनी साझेदारी के साथ भारत और यूके जीवंत लोकतंत्र हैं।
  - यूके में विविध भारतीय डायस्पोरा, जो "लिविंग ब्रिज" के रूप में कार्य करता है, दोनों देशों के बीच संबंधों को गतिशीलता प्रदान करते हैं।
  - G20 देशों में यूके भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
  - हाल ही में दोनों देशों ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत करने की घोषणा की है जिसमें प्रारंभिक लाभ देने के लिये एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार करना शामिल है।
  - भारत-प्रशांत क्षेत्र की ओर ब्रिटेन के झुकाव के हिस्से के रूप में यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सिंगापुर, कोरिया गणराज्य, जापान और भारत के साथ सहभागिता कर रहा है।
- रोडमैप 2030:
  - द्विपक्षीय संबंधों को "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाने के लिये दोनों देशों ने वर्ष 2021 में रोडमैप 2030 को अपनाया है।
  - यह स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा क्षेत्र में ब्रिटेन-भारत संबंधों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।

नोट :

- सुरक्षा और रक्षा:
  - समुद्री क्षेत्र में जागरूकता पर सहयोग:
    - इसमें गुरुग्राम स्थित भारत के सूचना संलयन केंद्र में शामिल होने हेतु ब्रिटेन को निमंत्रण और एक महत्त्वाकांक्षी अभ्यास कार्यक्रम शामिल है।
  - लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2:
    - ब्रिटेन, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 (Light Combat Aircraft Mark-2) के विकास में सहायता करेगा।
  - अभ्यास:
    - वायु सेना अभ्यास 'इंद्रधनुष'।
    - नौसेना अभ्यास कोंकण।
    - थल सेना अभ्यास 'अजय योद्धा'।
- जलवायु परिवर्तन:
  - भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 वर्ल्ड लीडर्स समिट में एक नई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की, जो 80 से अधिक देशों द्वारा समर्थित है, जिसका उद्देश्य एक स्वच्छ विश्व की ओर वैश्विक ट्रांज़ीशन को गति प्रदान करना है।
  - 'ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव - वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' (GGI-OSOWOG) नामक इस नई पहल का उद्देश्य महाद्वीपों, देशों और समुदायों में परस्पर बिजली ग्रिड के विकास एवं तैनाती में तेज़ी लाना तथा गरीबों के लिये ऊर्जा तक पहुँच में सुधार करना है।

बुर्किना फासो में सैन्य शासन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बुर्किना फासो की सेना ने घोषणा की कि उसने राष्ट्रपति रोच काबोरे को अपदस्थ कर संविधान को निलंबित कर दिया है, साथ ही सरकार और राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया है और देश की सीमाओं को बंद कर दिया है।

- सेना ने पिछले 18 महीनों में माली और गिनी में सरकारों को गिरा दिया है।
- चाड के उत्तरी मैदान में में विद्रोहियों से लड़ते हुए राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु के बाद पिछले साल (2021) चाड में सेना ने भी पदभार संभाला।

प्रमुख बिंदु

- बुर्किना फासो:
  - एक पूर्व फ्राँसीसी उपनिवेश, बुर्किना फासो को वर्ष 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से कई तख्तापलट सहित अस्थिरता का सामना करना पड़ा है।
  - बुर्किना फासो के नाम का शाब्दिक अर्थ है "ईमानदार पुरुषों की भूमि", इसे क्रांतिकारी सैन्य अधिकारी थॉमस शंकरा द्वारा चुना गया था, जिन्होंने वर्ष 1983 में सत्ता संभाली थी। वर्ष 1987 में उनकी सरकार को गिरा दिया गया और उन्हें मार दिया गया।
  - वर्ष 2015 से बुर्किना फासो इस्लामी विद्रोह से प्रभावित है यह विद्रोह पड़ोसी देश माली से फैला और इसने इसके महत्त्वपूर्ण पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुँचाया है।
  - भूमि आबद्ध देश बुर्किना फासो जो सोने का उत्पादक होने के बावजूद पश्चिम अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक है, ने वर्ष 1960 में फ्राँस से स्वतंत्रता के बाद से कई तख्तापलट का अनुभव किया है।
  - इस्लामी उग्रवादियों ने बुर्किना फ़ासो के एक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लियाहै और कुछ क्षेत्रों के निवासियों को इस्लामी कानून के अपने कठोर संस्करण का पालन करने के लिये मजबूर किया है, जबकि विद्रोह को दबाने के लिये सेना के संघर्ष के चलते दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों को समाप्त कर दिया है।

- काबोरे को हाल के महीनों में उग्रवादियों द्वारा नागरिकों और सैनिकों की हत्याओं पर निराशा के बीच विरोध की लहरों का सामना करना पड़ा था, जिनमें से कुछ का संबंध इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से है।
    - यह असंतोष नवंबर 2021 में बढ़ गया, जब मुख्य रूप से सुरक्षा बलों के 53 सदस्यों को संदिग्ध जिहादियों द्वारा मार डाला गया।
- परिचय:
    - घोषणा में सुरक्षा की स्थिति में गिरावट का हवाला दिया गया और सेना ने पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र को एकजुट करने तथा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में काबोरे की अक्षमता के रूप में वर्णित किया है।
    - यह बयान पहले द पैट्रियटिक मूवमेंट फॉर सेफगार्ड एंड रिस्टोरेशन (Patriotic Movement for Safeguard and Restoration) या MPSR (फ्रेंच-भाषा का संक्षिप्त नाम) के नाम पर दिया गया था। MPSR में सेना के सभी वर्ग शामिल हैं।
    - MPSR ने कहा कि वह देश के विभिन्न वर्गों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक उचित समय सीमा के भीतर संवैधानिक व्यवस्था की वापसी के लिये एक कैलेंडर का प्रस्ताव करेगा।
    - सेना ने बुर्किना फासो की सीमाओं को बंद करने की भी घोषणा की।
- वैश्विक प्रतिक्रिया:
    - अफ्रीकी और पश्चिमी शक्तियों ने "तख्तापलट के इस प्रयास" की निंदा की है साथ ही यूरोपीय संघ ने राष्ट्रपति की "तत्काल" रिहाई की मांग की।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी राष्ट्रपति की रिहाई का आह्वान किया है और "सुरक्षा बलों के सदस्यों से बुर्किना फासो के संविधान एवं नागरिक नेतृत्व का सम्मान करने का आग्रह किया।"
    - संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने बुर्किना फासो में सेना द्वारा सरकार बनाए जाने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा की है और तख्तापलट का नेतृत्व करने वालों से अपने हथियार डालने का आह्वान किया है।
    - अफ्रीकी संघ और क्षेत्रीय ब्लॉक, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States-ECOWAS) ने भी सत्ता के जबरदस्ती अधिग्रहण की निंदा की है, ECOWAS ने कहा कि यह सैनिकों को अपदस्थ राष्ट्रपति की सहायता के लिये ज़िम्मेदार ठहराता है।
        - अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित 55 राज्य शामिल हैं।
        - ECOWAS पंद्रह सदस्य देशों से बना है जो पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में स्थित हैं।

भारत और इज़रायल संबंध

चर्चा में क्यों ?

भारत-इज़रायल राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ को आकार देने के लिये भारत और इज़रायल द्वारा एक स्मारक लोगो (commemorative logo) का शुभारंभ किया गया है।

- इस लोगो में डेविड का सितारा और अशोक चक्र- दो प्रतीक हैं जो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज में प्रदर्शित होते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ को दर्शाते हुए 30 का अंक बनाते है।

प्रमुख बिंदु

- राजनयिक गठबंधन:
    - हालाँकि भारत ने वर्ष 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी, लेकिन दोनों देशों द्वारा 29 जनवरी, 1992 को ही पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किया गया। भारत दिसंबर 2020 तक इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 164 संयुक्त राष्ट्र (UN) सदस्य राज्यों में से एक था।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
    - दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 1992 के 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2020-फरवरी 2021 की अवधि के दौरान 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुँच गया था, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।

        - हीरे का व्यापार इस द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है।
    - भारत, एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
        - इज़रायल की कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट और जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है तथा भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
    - भारत एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन हेतु भी इज़रायल के साथ वार्ता कर रहा है।
- रक्षा
    - भारत, इज़रायल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, वहीं इज़रायल रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्त्ता है।
    - भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज़रायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिसमें फाल्कन 'AWACS' (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स) और हेरॉन, सर्चर-II व हारोप ड्रोन, बराक एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम एवं स्पाइडर क्विक-रिएक्शन एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
    - इस अधिग्रहण में कई इज़रायली मिसाइलें और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है, जिसमें पायथन और डर्बी हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर क्रिस्टल मेज़ (Crystal Maze) और स्पाइस-2000 बम (Spice-2000 Bombs) शामिल हैं।
    - भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक दस वर्षीय रोडमैप तैयार करने हेतु टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- कृषि में सहयोग:
    - मई 2021 में कृषि विकास में सहयोग के लिये "तीन वर्ष के कार्य समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए थे।
    - कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, सीओई की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों व सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी:
    - हाल ही में भारत और इज़रायल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं शासी निकाय की बैठक में भारत-इज़रायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार-विमर्श किया।
    - उन्होंने 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 3 संयुक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इज़रायल सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपायों का सुझाव दिया गया।
        - I4F 'प्रमुख क्षे त्रों' में चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत और इज़रायल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने एवं समर्थन करने हेतु दोनों देशों के बीच एक सहयोग है।
- अन्य:
    - इज़रायल, भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में भी शामिल हो रहा है, जो दोनों देशों के अक्षय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है।

आगे की राह

- दोनों देशों के बीच संबंधों में वर्ष 1992 से मुख्य रूप से साझा रणनीतिक हितों और सुरक्षा खतरों के कारण वृद्धि हुई है।
- भारत इज़रायल के प्रति सहानुभूति रखता है और सरकार अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपनी पश्चिम एशिया नीति को संतुलित एवं पुनर्गठित कर रही है।
- भारत और इज़रायल को अपने धार्मिक चरमपंथी पड़ोसियों की भेद्यता व जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, जनसंख्या विस्फोट तथा भोजन की कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर उत्पादक रूप से काम करने की आवश्यकता है।
- एक अधिक आक्रामक और सक्रिय मध्य पूर्वी नीति भारत के लिये समय की आवश्यकता है ताकि अब्राहम समझौते द्वारा धीरे-धीरे किये जा रहे भू-राजनीतिक पुनर्गठन का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

नोट :

भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आभासी प्रारूप में पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

- इसमें कज़ाखस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया।
- यह पहल भारत-मध्य एशिया सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगाँठ के साथ मेल खाता है।
- यह शिखर सम्मेलन चीन-मध्य एशिया सम्मेलन के दो दिन बाद हुआ था, जिसमें चीन ने सहायता के तौर पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी और प्रतिवर्ष लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्तमान स्तर से व्यापार को 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का वादा किया था।

प्रमुख बिंदु:

- शिखर सम्मेलन का संस्थानीकरण:
  - इस सम्मेलन में भारत-मध्य एशिया संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के अगले कदमों पर चर्चा की गई एवं, नेताओं ने हर 2 साल में इसे आयोजित करने का एतिहासिक निर्णय लेकर शिखर सम्मेलन तंत्र को संस्थागत बनाने पर सहमति व्यक्त की।
  - शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिये आधार तैयार करने हेतु विदेश मंत्रियों, व्यापार मंत्रियों, संस्कृति मंत्रियों और सुरक्षा परिषद के सचिवों की नियमित बैठकों पर भी सहमति व्यक्त की गई।
  - नए तंत्र का समर्थन करने के लिये नई दिल्ली में एक भारत-मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
- भारत-मध्य एशिया सहयोग:
  - नेताओं ने व्यापार और संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्रों में और विशेष रूप से सांस्कृतिक एवं लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग के लिये दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की। इनमें शामिल हैं:
    - ऊर्जा और संपर्क पर गोलमेज बैठक।
    - अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर संयुक्त कार्य समूह।
    - मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनी और सामान्य शब्दों का भारत-मध्य एशिया शब्दकोश।
    - संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास।
    - मध्य एशियाई देशों से भारत में हर साल 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा और मध्य एशियाई राजनयिकों के लिये विशेष पाठ्यक्रम।
  - नेताओं द्वारा एक व्यापक संयुक्त घोषणा को अपनाया गया जो एक स्थायी और व्यापक भारत-मध्य एशिया साझेदारी के लिये उनके सामान्य दृष्टिकोण की गणना करता है।
- अफगानिस्तान:
  - नेताओं ने एक वास्तविक प्रतिनिधि और समावेशी सरकार के साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान के लिये अपने मज़बूत समर्थन को दोहराया।
  - भारत ने अफगान लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता से अवगत कराया।
- भारत का रुख:
  - कज़ाखस्तान: यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बन गया है। भारत ने हाल ही में कज़ाखस्तान में हुए जन-धन के नुकसान पर भी संवेदना व्यक्त की।
  - उज़्बेकिस्तान: भारत की राज्य सरकारें भी उज़्बेकिस्तान के साथ इसके बढ़ते सहयोग में सक्रिय भागीदार हैं।
  - ताजिकिस्तान: सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का पुराना सहयोग रहा है।

- तुर्कमेनिस्तान: यह क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है जो अश्गाबात समझौते में भागीदारी से स्पष्ट है।
  - मध्य एशिया में क्षेत्रीय संपर्क अश्गाबात समझौता 2018 का एक प्रमुख अंग है।

भारत के लिये शिखर सम्मेलन का महत्त्व

- भू-राजनीतिक गतिशीलता:
  - यह शिखर सम्मेलन भारत तथा मध्य एशियाई देशों के नेताओं द्वारा एक व्यापक और स्थायी भारत-मध्य एशिया साझेदारी के महत्त्व का प्रतीक है।
  - यह एक ऐसे महत्त्वपूर्ण समय पर आयोजित किया जा रहा है जब पश्चिम और रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) व चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत को भी भू-राजनीतिक परिणामों का सामना करना पड़ा है जैसे चीन के साथ सीमा तनाव तथा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा।
  - यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का अनुसरण करता है जो भारत को यूरेशिया में चीन को संतुलित करने और अफगानिस्तान से खतरों को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकता है
  - कज़ाखस्तान में हालिया अशांति ने यह भी प्रदर्शित किया है कि "नए अभिनेता" इस क्षेत्र में प्रभाव के लिये होड़ में हैं, हालाँकि उनके इरादे अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।
- व्यापार:
  - भारत ने हमेशा सभी पाँच मध्य एशियाई राज्यों के साथ उत्कृष्ट राजनयिक संबंध बनाए रखा है, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका दौरा किया है। फिर भी उनके साथ भारत का व्यापार वर्ष 2019 में केवल 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही रहा है।
  - वर्ष 2017 में भारत इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में शामिल हो गया। लेकिन SCO में शामिल होना रूस एवं चीन जैसे प्रतिद्वंद्विता को नियंत्रित करने के लिये केवल एक रास्ता है ताकि किसी भी शक्ति को इस क्षेत्र पर हावी होने से रोका जा सके।
    - रूस, भारत-चीन तनाव को नियंत्रित करने के लिये SCO का उपयोग करता है।
- सुरक्षा:
  - शिखर सम्मेलन भारत की कूटनीति के लिये एक बड़ा कदम है। चूँकि यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा नीति हेतु अधिक महत्त्वपूर्ण है, इसलिये इस क्षेत्र के प्रति भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने हेतु शिखर सम्मेलन का प्रभाव महत्त्वपूर्ण होगा।

भारत-मध्य एशिया वार्ता:

- यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे- कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।
- शीत युद्ध के पश्चात् वर्ष 1991 में USSR के पतन के बाद सभी पाँच राष्ट्र स्वतंत्र राज्य बन गए।
- तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
- बातचीत कई मुद्दों पर केंद्रित है जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार और युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थिरता संबंधी उपाय शामिल है।

आगे की राह

- भारत को सबसे पहले इस क्षेत्र की अपनी 'बिग पिक्चर इमेजिनेशन' को सही करने की आवश्यकता है। मध्य एशिया निस्संदेह भारत के सभ्यतागत प्रभाव का क्षेत्र है।
  - फरगना घाटी 'ग्रेट सिल्क रोड' में भारत का क्रॉसिंग-पॉइंट था। यहीं से बौद्ध धर्म शेष एशिया में फैल गया।
  - घाटी अभी भी भारत को तीन देशों से जोड़ती है: उज्बेकिस्तान, किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तान।
- जब अन्य देश अपने दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं, जैसे- आर्थिक (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन), सामरिक (सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से रूस), जातीय (तुर्क परिषद से तुर्की)और धार्मिक से इस्लामी विश्व, तब शिखर स्तरीय वार्षिक बैठक के माध्यम से इस क्षेत्र को सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देना भारत के लिये उपयुक्त होगा।

- रूस के अपवाद के साथ मध्य एशिया का किसी भी देश के प्रति कोई विशेष रुख नहीं है जबकि जिन देशों के रणनीतिक दृष्टिकोण अक्सर अपारदर्शी होते हैं, वे चीन से सावधान रहते हैं।
- हालाँकि भारत पर बहुत कम या बिल्कुल भी आर्थिक निर्भरता की तुलना में उनके चीन के साथ मज़बूत आर्थिक संबंध हैं।
- पाकिस्तान के प्रति या तो जनसंख्या के क्रमिक इस्लामीकरण के कारण या शायद पाकिस्तान के प्रति रूस के बदले हुए रवैये के कारण इस क्षेत्र का नकारात्मक रवैया कम हो रहा है,।
- पीढ़ीगत बदलाव के साथ भारत की सॉफ्ट पावर फीकी पड़ रही है। इसको रोकने की ज़रूरत है। वाणिज्य के अलावा केवल एक मूल्य-संचालित सांस्कृतिक नीति ही भारत-मध्य एशिया बंधनों के पुनर्निर्माण के वर्तमान अपरिभाषित लक्ष्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है।

चीन-लिथुआनिया तनाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय संघ ने लिथुआनिया को निशाना बनाने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने हेतु 'विश्व व्यापार संगठन' (WTO) में चीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - नवंबर 2021 में लिथुआनिया में एक ताइवानी प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया था। उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब ताइवान को यूरोपीय संघ के भीतर एक कार्यालय खोलने के लिये अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।
  - इसके पश्चात् चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड करते हुए इसे 'वन चाइना पॉलिसी' का उल्लंघन बताया था। चीन ने लिथुआनिया के उत्पादों का अनौपचारिक रूप से बहिष्कार भी किया है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश से प्राप्त किया गया हो।
    - चीन का आरोप है कि लिथुआनिया ताइवान का उपयोग करके और चीन एवं यूरोप के बीच कलह फैलाने हेतु अमेरिकी के साथ मिलकर काम कर रहा है।
    - 'वन चाइना पॉलिसी' का अर्थ है कि चीनी जनवादी गणराज्य (मेनलैंड चाइना) के साथ राजनयिक संबंध चाहने वाले देशों को चीनी गणराज्य (ताइवान) के साथ आधिकारिक संबंध तोड़ना चाहिये।
- विश्व व्यापार संगठन में कार्रवाई:
  - विश्व व्यापार संगठन में जाकर यूरोपीय संघ ने लिथुआनिया के व्यापारिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों के आरोपों का समर्थन किया है, जिनके मुताबिक, चीन ने लिथुआनिया से आयात को अवरुद्ध कर दिया है और अन्य आर्थिक प्रतिबंध लागू किये हैं।
    - गौरतलब है कि लिथुआनिया के आयात पर चीन की कार्रवाई अन्य यूरोपीय देशों को भी प्रभावित करती है।
    - इसके अलावा चीन ने फ्राँस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों से माल के आयात पर भी व्यापार प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये भी लिथुआनिया की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं।
    - यूरोपीय संघ वर्तमान में चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और लिथुआनिया के निर्यात का लगभग 80-90% शेष यूरोपीय संघ के साथ विनिर्माण अनुबंधों पर आधारित है।
  - विवाद को एक पैनल के समक्ष ले जाने से पहले दोनों पक्षों के बीच समाधान के लिये 60 दिन की अवधि निर्धारित की गई थी।
- लिथुआनिया द्वारा चीन का प्रतिरोध करने के कारण:
  - घरेलू कारण:
    - कुछ हद तक चीन के खिलाफ लिथुआनिया के वर्तमान विरोध को वर्ष 2020 में सरकार के परिवर्तन के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया है।
    - लिथुआनिया की नई सरकार लोकतंत्र और स्वतंत्रता की "मूल्य-आधारित" विदेश नीति का समर्थन करती है जिसने स्पष्ट रूप से वर्ष 2020 में ही ताइवान के लिये अपना समर्थन प्रदान किया।

    - भू-राजनीतिक कारण:
        - यह यूरोपीय संघ पर पूर्वी यूरोप में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और लिथुआनिया के प्रतिकूल पड़ोसियों, रूस व बेलारूस के साथ नाटो के पतन का कारण भी है।
        - लिथुआनिया सोवियत संघ से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बाहर होने वाला प्रथम राज्य है। इसका चीन के विरुद्ध खड़े होने के लिये इसका अपना ऐतिहासिक संदर्भ और वैचारिक तर्क है।
        - पश्चिम के खिलाफ बढ़ती चीन-रूस साझेदारी ने भी लिथुआनिया को चीन के प्रति सतर्क कर दिया है।
    - अन्य कारण:
        - शिनजियांग और हॉन्गकॉन्ग के मुद्दों पर लिथुआनिया यूरोपीय संघ के देशों में चीन के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहा है।
        - लिथुआनिया ने कोविड -19 महामारी के मद्देनजर चीन के विरोध के बावजूद वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में पर्यवेक्षक बनने के लिये ताइवान का समर्थन किया।
        - इसके अलावा लिथुआनिया का तर्क है कि आर्थिक संबंध केवल लोकतांत्रिक शासन के साथ ही टिकाऊ हो सकते हैं, जिस कारण लिथुआनिया एवं चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है।
        - मई 2021 में लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच को "विभाजनकारी" कहकर स्वयं को इससे अलग कर लिया जिस कारण यह अब 16+1 देशों का ही समूह है।
        - लिथुआनिया इस समूह का पहला देश है जिसने इससे अलग होने का कारण चीन की आर्थिक गैर-पारस्परिकता व यूरोप की अखंडता के लिये खतरा बताया है।
        - सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लिथुआनिया ने अपने देश के लोगों को चीन में बने स्मार्टफोन खरीदने से बचने की सलाह दी है और चीन को अपने क्लेपेडा बंदरगाह में नियंत्रण हिस्सेदारी तथा अपनी 5G अवसंरचना बोलियों (5G Infrastructure Bids) से भी दूर रखा है।
- भू-राजनीतिक नतीजा:
    - ताइवान ने चीन के दबाव के कारण लिथुआनियाई अर्थव्यवस्था की भरपाई के प्रयास किये हैं।
        - लिथुआनियाई रम की लगभग 20,000 बोतलें जो चीन के लिये बाध्य थीं, ताइवान द्वारा समर्थन के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में खरीदी गईं।
        - लिथुआनिया के आर्थिक नुकसान की भरपाई में मदद के लिये ताइवान 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश योजना लेकर आया है।
        - विशेष रूप से वर्तमान अर्द्धचालक आपूर्ति की कमी को देखते हुए यह भी माना जाता है कि यूरोपीय संघ के बाज़ार तक पहुँचने हेतु लिथुआनिया को ताइवान का प्रवेश द्वार बनाया गया है।
        - ताइवान लिथुआनियाई व्यवसायों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बना रहा है।
    - अमेरिका ने लिथुआनिया के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले जर्मनी जैसे यूरोपीय संघ के देशों के साथ-साथ ताइवान पर लिथुआनिया को मजबूर करने के चीन के प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त की है।

आगे की राह

- लिथुआनिया-चीन तनाव से परे भारत के लिये विशेष रूप से यह ज़रूरी है कि यूरोपीय संघ एक प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के साथ संबंधों को कैसे आगे बढ़ाएगा क्योंकि यह समान रूप से तेज़ी से बढ़ते व्यापारिक संबंधों के खिलाफ रणनीतिक विचारों को प्रदर्शित करता है।
    - चीन द्वारा व्यापार का अनुचित उपयोग, जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की 50वीं वर्षगाँठ पर इसकी घोषणा के बिल्कुल विपरीत है तथा इसके साथ ही एक और चिंता का विषय यह है कि वह "सत्ता की राजनीति" और "आधिपत्य" से बचता है।
    - लिथुआनिया के साथ चीन का व्यापार अधिशेष एक अपवाद है तथा चीन के बाज़ार तक पहुँचने के लिये किसी प्रकार के दबाव की आवश्यकता नहीं है।
- भारत, ताइवान के मुद्दे पर चीन के मुकाबले लाभों और लागतों का आकलन करने के लिये यूरोपीय संघ के कदम पर करीब से नज़र रखेगा।

भारत और ओमान

चर्चा में क्यों?

ओमान सल्तनत के रक्षा मंत्रालय महासचिव भारत के दौरे पर हैं।

- वह दिल्ली में भारत के रक्षा सचिव के साथ संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (JMCC) की सह-अध्यक्षता करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - अरब सागर के दोनों देश एक-दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं तथा दोनों के बीच सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिसका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों को दिया जाता है।
  - भारत और ओमान के बीच संबंधों के बारे में जानकारी यहाँ के लोगों के मध्य 5000 वर्षों के संपर्क के आधार पर प्राप्त जा सकती है, दोनों देशों के बीच वर्ष 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित किये गए थे और वर्ष 2008 में इस संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। ओमान, भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है।
    - सल्तनत ऑफ ओमान (ओमान) खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA) के लिये एक महत्त्वपूर्ण वार्ताकार है।
  - गांधी शांति पुरस्कार 2019 स्वर्गीय एचएम सुल्तान काबूस को भारत और ओमान के बीच संबंधों को मज़बूत करने तथा खाड़ी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देने हेतु किया गया था।
- रक्षा संबंध:
  - संयुक्त सैन्य सहयोग समिति:
    - JMCC रक्षा के क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच जुड़ाव का सर्वोच्च मंच है।
    - JMCC की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित होने की उम्मीद होती है, लेकिन वर्ष 2018 में ओमान में आयोजित JMCC की 9वीं बैठक के बाद से इसका आयोजन नहीं किया जा सका।
    - 10वीं JMCC के आयोजन से जारी रक्षा आदान-प्रदान का व्यापक मूल्यांकन करने तथा आने वाले वर्षों में रक्षा संबंधों को और अधिक मज़बूत करने के लिये एक रोडमैप प्रदान करने की उम्मीद है।
  - सैन्य अभ्यास:
    - सैन्य अभ्यास: अल नागाह
    - वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
    - नौसेना अभ्यास: नसीम अल बह्र
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
  - ओमान के साथ भारत अपने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता देता है। संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) तथा संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) जैसे संस्थागत तंत्र भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग को मज़बूती प्रदान करते हैं।
  - भारत, ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
    - भारत, ओमान के लिये आयात का तीसरा सबसे बड़ा (UAE और चीन के बाद) स्रोत और वर्ष 2019 में इसके गैर-तेल निर्यात के लिये तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार (UAE और सऊदी अरब के बाद) था।
  - प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थानों की ओमान में उपस्थिति है। भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कपड़ा आदि क्षेत्रों में निवेश किया है।
  - भारत-ओमान संयुक्त निवेश कोष (OIJIF), भारतीय स्टेट बैंक और ओमान के स्टेट जनरल रिज़र्व फंड (SGRF) के बीच एक संयुक्त उपक्रम है तथा भारत में निवेश करने के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन है, का संचालन किया गया है।

- ओमान में भारतीय समुदाय:
  - ओमान में करीब 6.2 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से करीब 4.8 लाख कर्मचारी और पेशेवर हैं। ओमान में 150-200 से अधिक वर्षों से भारतीय परिवार रह रहे हैं।
  - यहाँ कई ऐसे भारतीय स्कूल हैं जो लगभग 45,000 भारतीय बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

भारत के लिये ओमान का सामरिक महत्त्व:

- परिचय:
  - ओमान, खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार है और भारत के रक्षा एवं सामरिक हितों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
    - ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का पाँचवाँ हिस्सा आयात करता है।
  - भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी की मज़बूती के लिये रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। दोनों देशों के बीच रक्षा आदान-प्रदान एक 'समझौता ज्ञापन' फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित होते हैं जिसे हाल ही में वर्ष 2021 में नवीनीकृत किया गया था।
  - ओमान खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है, जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएँ नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती हैं, जिससे पेशेवर स्तर पर घनिष्ठ सहयोग और विश्वास को बल मिलता है।
  - ओमान समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिये अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती को महत्त्वपूर्ण परिचालन सहायता भी प्रदान करता है।
  - दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण सहयोग भी काफी मज़बूत है, क्योंकि ओमान की सेना नियमित रूप से भारत में पेशेवर और साथ ही उच्च कमान स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। भारतीय सशस्त्र बल भी ओमान में आयोजित स्टाफ और कमांड कार्यक्रमों में हिस्सा लेती है।
  - ओमान 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।
  - भारत ने ओमान को राइफलों की आपूर्ति की है। साथ ही भारत ओमान में एक रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने पर विचार कर रहा है।
- दुकम बंदरगाह:
  - हिंद महासागर क्षेत्र में विस्तार करने हेतु एक रणनीतिक कदम के तौर पर भारत ने सैन्य उपयोग और सैन्य समर्थन के लिये ओमान में दुकम के प्रमुख बंदरगाह तक पहुँच प्राप्त कर ली है। यह खाड़ी क्षेत्र में चीन के प्रभाव और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये भारत की समुद्री रणनीति का हिस्सा है।
  - दुकम बंदरगाह ओमान के दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है।
  - यह रणनीतिक रूप से ईरान में चाबहार बंदरगाह के निकट स्थित है। मॉरीशस में सेशेल्स और अगालेगा में विकसित किये जा रहे अनुमान द्वीप के साथ दुकम भारत के सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोडमैप में सही बैठता है।
  - दुकम बंदरगाह में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है जहाँ कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा रहा है।

आगे की राह

- भारत के पास अपनी वर्तमान या भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त ऊर्जा संसाधन नहीं हैं। तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा मांग ने ओमान जैसे देशों की दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की आवश्यकता में योगदान दिया है।
- ओमान का दुकम पोर्ट पूर्व में पश्चिम एशिया के साथ जुड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के मध्य में स्थित है।
- भारत को दुकम पोर्ट औद्योगिक शहर के उपयोग के लिये ओमान के साथ जुड़ने और पहल करने की आवश्यकता है।

आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के साथ आसियान देशों के डिजिटल मंत्रियों (ADGMIN) की दूसरी बैठक आयोजित की गई तथा इस दौरान क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिये भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना वर्ष 2022 को अंतिम रूप दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - ADGMIN, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के 10 देशों और संवाद साझेदार देशों-ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूरसंचार मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक है। .
    - आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
- भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022:
  - भारत और आसियान देशों ने संयुक्त रूप से एक कार्य योजना को मंज़ूरी दी है जिसके तहत वे चोरी और नकली मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से निपटने के लिये एक प्रणाली विकसित करेंगे।
  - सहयोग के अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शामिल है।
  - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), 5G, उन्नत उपग्रह संचार, साइबर फोरेंसिक जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्र में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।
- ICT का महत्त्व:
  - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) नागरिकों और राज्य के बीच बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणालियों व संस्थानों को सक्षम एवं मज़बूत करती है।
  - ICT का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और सूचना के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिये नागरिकों को अवसर प्रदान करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।
  - प्रौद्योगिकी कोविड -19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है जो न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिये एक चुनौती है बल्कि देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
- भारत द्वारा उठाए गए संबंधित कदम:
  - दूरसंचार मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लोगों की मदद करने और उनके चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिये एक पोर्टल लॉन्च किया था।
    - यह परियोजना केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) प्रणाली द्वारा समर्थित है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा सुरक्षा, चोरी और मोबाइल हैंडसेट की पुन: प्रोग्रामिंग सहित अन्य चिंताओं को दूर करने के लिये शुरू किया गया था।

अन्य संबंधित समूह

- आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) प्लस:
  - यह 10 आसियान देशों और आठ संवाद भागीदार देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है।
  - एडीएमएम-प्लस देशों में दस आसियान सदस्य राज्य और आठ अन्य देश शामिल हैं- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका।

- आसियान क्षेत्रीय मंच:
  - वर्ष 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है।
  - इसमें 27 सदस्य शामिल हैं: 10 आसियान सदस्य देश, 10 आसियान संवाद भागीदार (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका); बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका व तिमोर-लेस्ते एवं एक आसियान पर्यवेक्षक (पापुआ न्यू गिनी)।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS):
  - वर्ष 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) भारत-प्रशांत क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय नेताओं (देशों) का एक मंच है।
  - इसमें आसियान के दस सदस्य देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार,फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ 8 अन्य देश- ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वेब 3.0

चर्चा में क्यों?

वेब 3 की अवधारणा, जिसे वेब 3.0 भी कहा जाता है, का उपयोग इंटरनेट के संभावित अगले चरण का वर्णन करने के लिये किया जाता है और यह वर्ष 2021 में काफी चर्चा में रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब के रूप में भी जाना जाता है वेब सर्वर में संग्रहीत वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है जो इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटरों से जुड़ा होता है।
  - इन वेबसाइटों में टेक्स्ट पेज, डिजिटल इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि होते हैं। उपयोगकर्त्ता कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल फोन आदि जैसे अपने उपकरणों का उपयोग करके इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी हिस्से से इन साइट्स की सामग्री तक पहुँच सकते हैं।
  - वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है यह उपयोग में आने वाले संस्करणों, वेब 1.0 और वेब 2.0 से अलग होगा।
  - वेब 3 में उपयोगकर्त्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी जो तकनीकी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं।
  - ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कंपनी एथेरियम (Ethereum) के संस्थापक गेविन वुड ने वर्ष 2014 में पहली बार वेब 3 शब्द का इस्तेमाल किया था और पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य लोगों ने वेब 3 के विचार को जोड़ा है।
- पिछला संस्करण:
  - वेब 1.0:
    - वेब 1.0 वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट है जिसका आविष्कार वर्ष 1989 में हुआ था। यह वर्ष 1993 से लोकप्रिय हुआ और वर्ष 1999 तक चला।
    - वेब 1.0 के समय में इंटरनेट अधिकतर स्टैटिक वेब पेज थे, जहाँ उपयोगकर्त्ता एक वेबसाइट पर जाते थे और फिर स्टैटिक या स्थिर जानकारी प्राप्त करते थे।
    - भले ही शुरुआती दिनों में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स थीं, फिर भी यह एक अपेक्षाकृत बंद वातावरण था और उपयोगकर्त्ता स्वयं कोई सामग्री नहीं बना सकते थे या इंटरनेट पर समीक्षा पोस्ट नहीं कर सकते थे।
  - वेब 2.0:
    - वेब 2.0 किसी-न-किसी रूप में वर्ष 1990 के दशक के अंत में ही शुरू हुआ था, हालाँकि इसकी अधिकांश सुविधाएँ पूरी तरह से वर्ष 2004 में उपलब्ध हो सकीं। गौरतलब है कि अभी भी वेब 2.0 का युग जारी है।
    - वेब 1.0 की तुलना में वेब 2.0 की विशिष्ट विशेषता यह है कि उपयोगकर्त्ता स्वयं भी कंटेंट पोस्ट बना सकते हैं।
    - वे टिप्पणियों के रूप में वार्ता कर सकते हैं, अपनी पसंद बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें या वीडियो अपलोड कर सकते हैं तथा ऐसी अन्य सभी गतिविधियाँ कर सकते हैं।
    - मुख्य रूप से एक सोशल मीडिया प्रकार की वार्ता वेब 2.0 की विशिष्ट विशेषता है।
- वेब 3.0 की आवश्यकता:
  - वेब 2.0 में इंटरनेट और इंटरनेट ट्रैफ़िक संबंधी अधिकांश डेटा का स्वामित्व या प्रबंधन कुछ विशिष्ट कंपनियों जैसे- गूगल द्वारा ही किया जाता है।

- इसने डेटा गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और डेटा के दुरुपयोग से संबंधित समस्याएँ पैदा कर दी हैं।
- इसके कारण इंटरनेट का मूल उद्देश्य विकृत हो गया है।
- वेब 3.0 का महत्त्व:
  - विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट: वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा, जहाँ उपयोगकर्त्ता अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं।
  - यह मध्यस्थों को हटाता है: ब्लॉकचेन के साथ लेन-देन का समय और स्थान स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है।
    - इस प्रकार वेब 3 मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त कर सहकर्मी से सहकर्मी (विक्रेता से खरीदार) के मध्य लेन-देन को बढ़ावा देता है। इस अवधारणा को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है
  - विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता: वेब 3 विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन (DAO) पर केंद्रित है।
    - DAO सभी व्यावसायिक नियमों से संबंधित है एवं किसी भी लेन-देन में शासी नियम किसी को भी देखने के लिये पारदर्शी रूप से उपलब्ध हैं तथा इन नियमों के अनुरूप सॉफ्टवेयर के द्वारा लिखा जाएगा।
    - DAO के साथ प्रमाणित या मान्य करने के लिये केंद्रीय प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

आगे की राह:

- वेब 3 अपने शुरुआती चरण में है और इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि यह वेब 1.0 या वेब 2.0 की तरह शुरू होगा या नहीं। उद्योग और अकादमिक समुदाय के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों को इस बात को लेकर संदेह है कि Web 3 उन समस्याओं को हल नहीं करता है जिन्हें हल करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया जा रहा है।
- वेब 3 को वर्तमान आर्किटेक्चर से अलग करने की आवश्यकता होगी जहाँ एक फ्रंट-एंड (Front-End) मिडिल लेयर (Middle Layer) और बैक-एंड (Back-End) है।
- Web 3 के आर्किटेक्चर को ब्लॉकचेन को संभालने, ब्लॉक चेन में डेटा को बनाए रखने और इंडेक्स करने, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशंस आदि हेतु बैकएंड सॉल्यूशंस की आवश्यकता होगी।
- इसी तरह मिडिल लेयर (Middle Layer), जिसे बिज़नेस रूल्स लेयर (Business Rules Layer) भी कहा जाता है, को ब्लॉकचेन आधारित बैकएंड से संभालने की आवश्यकता होगी।

5G टेलीकॉम और एयरलाइन सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने चेतावनी दी है कि 5G तकनीक संवेदनशील नेविगेशन उपकरण, जैसे- अल्टीमीटर के साथ हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे "विनाशकारी व्यवधान" उत्पन्न हो सकता है।

- अमेरिकी हवाई अड्डों के पास दूरसंचार कंपनियों द्वारा 5G के रोलआउट के कारण भारत आदि दुनिया भर की एयरलाइंस अपनी निर्धारित उड़ानों को अमेरिका में समायोजित कर रही हैं।

5G तकनीक

- 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G नेटवर्क एमएम वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा।
- यह एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सहित लगभग सभी को एक साथ जोड़ने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट स्पीड को 20 Gbps (गीगाबिट्स प्रति सेकंड) के रूप में परीक्षण किया गया है, जबकि ज्यादातर मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा स्पीड 1 Gbps दर्ज की गई है।
- भारत में सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन-इंडिया (एसआईए) ने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में मिलीमीटर वेव (मिमी वेव) बैंड को शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - स्पेक्ट्रम में आवृत्ति जितनी अधिक होगी सेवाएँ उतनी ही तेज़ गति से मिलेंगी। इसलिये 5G की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिये ऑपरेटर उच्च आवृत्तियों पर कार्य करना चाहते हैं।
  - नीलाम किये गए कुछ C बैंड (3.7 और 4.2 गीगाहर्ट्ज़ के बीच एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड) स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल सैटेलाइट रेडियो के लिये किया गया था लेकिन 5जी में संक्रमण बहुत अधिक व्यस्त होगा।
  - नई C बैंड 5जी सेवा बड़ी संख्या में विमानों को अनुपयोगी बना सकती है, जिससे अमेरिकी उड़ानों में अफरातफरी मच सकती है और हज़ारों अमेरिकी विदेशों में फंस सकते हैं।
- चिंताएँ:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 की शुरुआत में C बैंड में लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर में मोबाइल फोन कंपनियों को मिड-रेंज 5G बैंडविड्थ की नीलामी की है।
  - एफएए ने चेतावनी दी कि 4.2-4.4 गीगाहर्ट्ज़ रेंज में कार्य कर रहे अल्टीमीटर, जो यह मापते हैं कि एक हवाई जहाज़ ज़मीन से कितनी ऊँचाई पर यात्रा कर रहा है, की कार्यप्रणाली में बाधा आ सकती है, जो C रेंज की आवृत्ति के समान है।
    - ऊँचाई के अलावा अल्टीमीटर रीडआउट का उपयोग स्वचालित लैंडिंग की सुविधा के लिये और विंड शीयर नामक खतरनाक धाराओं का पता लगाने में मदद के लिये भी किया जाता है।
  - कंपनियों ने तर्क दिया है कि C बैंड 5G को विमानन हस्तक्षेप के मुद्दों के बिना लगभग 40 अन्य देशों में तैनात किया गया है। वे हस्तक्षेप के जोखिम को कम करने हेतु छह महीने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 50 हवाई अड्डों को बफर ज़ोन के लिये सहमत हुए हैं, जो फ्राँस में उपयोग किये जाते हैं।
- उपाय
  - अल्पावधि में कंपनियाँ उड़ानों में एक व्यवधान को रोकने के लिये प्रमुख हवाई अड्डों के पास कुछ वायरलेस टावरों को अस्थायी रूप से बंद करने पर सहमत हुईं हैं।
  - दीर्घावधि में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिये अमेरिकी वाणिज्यिक हवाई जहाज़ बेड़े के बड़ी संख्या को कम करने और कई हवाई अड्डों पर कम दृश्यता लैंडिंग करने की अनुमति देना अनिवार्य है, जहाँ 5G सी-बैंड तैनात किया जाएगा। इसका अर्थ एल्टीमीटर (Altimeters) को 5G बेस स्टेशनों के पास संचालित करने के लिये प्रमाणित करने से है।

डार्क मैटर आकाशगंगाओं को आकार देता है

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने जाँच में पाया है कि कुछ आकाशगंगाओं (stellar bars) के केंद्र में सितारों की गति से डार्क मैटर का आकार कैसे प्रभावित होता है साथ ही उन्होंने पाया कि इससे वर्जित आकाशगंगाओं में डार्क मैटर हेलो (dark matter halos) के माध्यम से विमान के बाहर की ओर झुकने को समझाया जा सकता है।

- 'वर्जित आकाशगंगाओं' या तारों से बनी केंद्रीय छड़ के आकार की संरचना में छड़ का समतल से बाहर की ओर झुकने से एक दुर्लभ छड़ की मोटाई बढने की क्रियाविधि को बकलिंग के रूप में जाना जाता है।
- एक गहरा प्रभामंडल अदृश्य सामग्री (डार्क मैटर) का अनुमानित प्रभामंडल होता है जो आकाशगंगाओं के समूहों को घेरता है।

नोट:

- एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा में तारों से बनी एक केंद्रीय छड़ के आकार की संरचना होती है।
- उदाहरण के लिये मिल्की वे तारों से बनी एक डिस्कनुमा आकाशगंगा है जो एक चपटी डिस्क के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमती है, जिसके केंद्र में तारों का घना संग्रह होता है जिसे उभार कहा जाता है।

- इन उभारों का आकार लगभग गोलाकार से लेकर आकाशगंगा डिस्क जितना सपाट हो सकता है। आकाशगंगा के केंद्र में एक सपाट बॉक्सी या मूंगफली के आकार का उभार होता है।
- आकाशगंगाओं में तारकीय छड़ें के मोटे होने के कारण इस तरह के उभार बनते हैं।

- यह एक प्रबल स्थूलन बकलिंग है, जहाँ आकाशगंगा डिस्क के सपाट होने के कारण तारकीय छड़ों में झुकाव होता है।
- तारकीय छड: आकाशगंगाओं में तारों का एक छड़ के आकार का संचय।

प्रमुख बिंदु:

- डार्क मैटर के बारे में:
  - डार्क मैटर का हालाँकि कभी पता नहीं चला लेकिन माना जाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है।
  - यह माना जाता है कि पुराने ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग में बने थे, डार्क मैटर का स्रोत हैं। यह प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग द्वारा कहा गया था।
  - ऐसा माना जाता है कि डार्क एनर्जी के साथ मिलकर यह ब्रह्मांड के 95% से अधिक भाग का निर्माण करता है।
  - इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाशगंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है।
  - हालाँकि भूमिगत प्रयोगों या दुनिया के सबसे बड़े त्वरक, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (एलएचसी) सहित त्वरक अन्य प्रयोगों का उपयोग करके ऐसे डार्क मैटर कणों का पता लगाने के प्रयास अब तक विफल रहे हैं।
- ब्रह्मांड में डार्क मैटर की उपस्थिति:
  - गुरुत्त्वाकर्षण के नियम यह उम्मीद पैदा करते हैं कि तारों की तुलना में तेज़ी से घूमते हुए आकाशगंगाओं के केंद्र के करीब देख पाएंगे।
    - हालाँकि अधिकांश आकाशगंगाओं में केंद्र के करीब के तारे और आकाशगंगाओं के किनारे के तारे एक चक्कर लगाने में लगभग समान समय लेते हैं।
  - इसका तात्पर्य यह था कि कुछ अदृश्य आकाशगंगाओं के माध्यम से बाहरी तारों पर अतिरिक्त दवाब लग रहा था, जिससे वे गति कर रहे थे।
  - यह इकाई 1930 के दशक से ब्रह्मांड विज्ञान में अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इसे 'डार्क मैटर' नाम दिया गया था।
  - इस सामग्री को 'पदार्थ' माना जाता है क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है और यह अंधेरे से युक्त होता है क्योंकि यह प्रकाश (या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी भी भाग) के साथ संबंधित नहीं होता है।
- डार्क मैटर और डार्क एनर्जी:
  - डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित (Attracts) और धारण (Holds) करता है, जबकि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है।
  - दोनों घटकों के अदृश्य होने के बावजूद डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है, क्योंकि 1920 के दशक में डार्क मैटर के अस्तित्व के बारे में बताया गया, जबकि 1998 तक डार्क एनर्जी की खोज नहीं की गई थी।
- डार्क एनर्जी:
  - बिग बैंग की उत्पत्ति एवं इसका विस्तार लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ। पूर्व में खगोलविदों का मानना था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाएगा और फिर अंततः इसका लोप (Recollapse) हो जाएगा।
    - हालाँकि हबल टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा के अनुसार, ब्रह्मांड का तेज़ी से विस्तार हो रहा है।
  - खगोलविदों का मानना है कि तेज़ी से विस्तार की यह दर उस रहस्यमय डार्क फोर्स या एनर्जी के कारण है जो आकाशगंगाओं को अलग कर रही है।
    - 'डार्क' (Dark) शब्द का प्रयोग अज्ञात को दर्शाने हेतु किया जाता है।
  - निम्नलिखित चित्र 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड के जन्म के बाद से उसके विस्तार की दर में परिवर्तन को दर्शाता है।

नोट :

ब्लैक होल:

- यह अंतरिक्ष में एक ऐसे बिंदु को संदर्भित करता है जहाँ संकुचन के कारण इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता।
- इस अवधारणा को 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और 'ब्लैक होल' शब्द को 1960 के दशक के मध्य में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था।
- आमतौर पर ब्लैक होल की दो श्रेणियाँ होती है:
  - एक श्रेणी तारकीय ब्लैक होल की है जो कुछ सौर द्रव्यमानों से बनती है। ऐसा माना जाता है कि बड़े तारों के मृत होने से ब्लैक होल बनते हैं।
  - दूसरी श्रेणी सुपरमैसिव ब्लैक होल की है। ये सौरमंडल के सूर्य की संख्या की तुलना में हज़ारों गुना की संख्या में हैं। ऐसा माना जाता है कि जब दो या दो से अधिक ब्लैक होल आपस में मिल जाते हैं तो इनका निर्माण होता है।
- अप्रैल 2019 में इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल (अधिक सटीक रूप से इसकी छाया की) की पहली छवि जारी की।
  - इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित 8 रेडियो टेलीस्कोप (अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिये प्रयुक्त) का एक समूह है।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए विलीन हो जाते हैं।

नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में परमाणु सुरक्षा और विकिरण संरक्षण प्राधिकरण (Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection-ANVS), नीदरलैंड ने एक बयान जारी किया जिसमें कानूनी रूप से दी गई अनुमति से अधिक रेडियोधर्मिता वाले विभिन्न नकारात्मक आयन वाले परिधेय अर्थात् पहनने योग्य (Wearable) उत्पादों की पहचान की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत उत्पादों में नकारात्मक आयनों को लागू करती है और इसे वर्तमान में स्वास्थ्य को बनाए रखने, ऊर्जा को संतुलित करने तथा विकास में लगातार सुधार के साधन के रूप में विज्ञापित किया जा रहा है।
  - इस तकनीक का उपयोग कुछ सिलिकॉन रिस्टबैंड (silicone wristbands), क्वांटम या स्केलर-एनर्जी पेंडेंट (quantum or scalar-energy pendants) और किनेस्थिसियोलॉजी टेप (kinesthesiology tape) में किया जाता है।
    - सूर्य के प्रकाश, विकिरण, वायु और जल में ऑक्सीजन के क्षरण से भी ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं।
  - इन नकारात्मक आयनों को उत्पन्न करने वाले खनिजों में अक्सर यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ शामिल होते हैं।
  - ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक आयन सकारात्मक अनुभूति उत्पन्न करते हैं और दिमाग को संतुलित करते हैं। इनसे विभिन्न मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि तनाव में कमी, बेहतर नींद, श्वसन आदि। जबकि ये आयन प्रदूषकों पर भी कार्य कर सकते हैं, उन्हें नकारात्मक रूप से आवेशित कर सकते हैं और उन्हें सतह पर एकत्र कर सकते हैं।
- संबंधित चिंताएँ:
  - इनमें से कुछ उत्पादों में पाया गया कि विकिरण पृष्ठभूमि स्तर से अधिक है और कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता के लिये पर्याप्त है।

- उत्पादों में उपयोग किये जाने वाले खनिजों में रेडियोधर्मिता के विभिन्न स्तर होते हैं, उपभोक्ता के लिये यह जानना मुश्किल हो सकता है कि ये वस्तुएँ कितनी रेडियोधर्मी हैं।
    - रेडियोधर्मिता स्वत: विकिरण उत्सर्जित करने की एक क्रिया है।
- उत्पादों में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते है जिससे लगातार आयनकारी विकिरण का उत्सर्जन होता हैं, जिससे उत्पादों को प्रयोग करने वाले को पहचाना जा सकता है।
- आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और लंबे समय तक उत्पादों को पहनना स्वास्थ्य के लिये जोखिमपूर्ण हो सकता है जिसमें ऊतक और डीएनए क्षति शामिल है।
- एक्सपोज़र गंभीर हानिकारक प्रभाव भी पैदा कर सकता है, जैसे: त्वचा की जलन, तीव्र विकिरण बीमारी जो कैंसर और बालों के झड़ने का कारण बनती है, सफेद रक्त कोशिकाओं की अस्थायी कमी, संभावित गुणसूत्र क्षति, संक्रमण के प्रतिरोध में कमी।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA) के शोधकर्त्ताओं ने पाया कि मलेशिया और अन्य जगहों पर अंडरगारमेंट उद्योग ने विज्ञापन दिया कि उनके "नकारात्मक आयन अंडरगारमेंट्स" (Negative Ion Undergarments) में टूमलाइन (Tourmaline), मोनाज़ाइट (Monazite) और ज़िरकोन (Zircon) होते हैं जिन्हें यूरेनियम व थोरियम के लिये जाना जाता है।

- प्रभाव:
    - "विकिरण संरक्षण और विकिरण स्रोतों की सुरक्षा: अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी सुरक्षा मानक" (2014) में IAEA मानता है कि खिलौनों और व्यक्तिगत गहनों या श्रृंगार में विकिरण या रेडियोधर्मी पदार्थों का तुच्छ उपयोग होता है जिसके परिणामस्वरूप अनुचित गतिविधियों में वृद्धि होती है।
    - IAEA ने "उपभोक्ता उत्पादों के लिये विकिरण सुरक्षा (2016)" शीर्षक से एक विशिष्ट सुरक्षा मार्गदर्शिका प्रकाशित की।
    - भारत में परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में IAEA के अनुरूप प्रावधान हैं।

The Vision

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

घरेलू खतरनाक अपशिष्ट

चर्चा में क्यों?

मज़बूत बुनियादी ढाँचे के अभाव में अधिकांश भारतीय शहरों के लिये घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का पृथक्करण एक दूर का सपना बना हुआ है।

- इंदौर देश का एकमात्र शहर है जो अपने घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन करता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - घरेलू खतरनाक अपशिष्ट ऐसा कोई भी रसायन या उत्पाद है जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है या यदि अनुचित तरीके से इसको संग्रहीत, परिवहन या निपटान किया जाता है तो यह पर्यावरण या स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा कर सकता है।
  - जब खतरनाक अपशिष्ट को कूड़ेदान में, नाले के नीचे या ज़मीन पर फेंक दिया जाता है तो पानी और मिट्टी दूषित हो सकती है या कचरा संग्रहकर्ता को नुकसान हो सकता है।
  - खतरनाक, ज्वलनशील, ज़हर और संक्षारक लेबल वाले अधिकांश उत्पादों को खतरनाक अपशिष्ट माना जाता है।
  - उदाहरण: ऑटो बैटरी, उर्वरक, बैटरी (गैर-क्षारीय), पेंट।
- भारत में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट:
  - वर्ष 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली और IIT बॉम्बे के शोधकर्त्ताओं द्वारा जहरीले भारी धातुओं व कीटनाशकों जैसे लगातार कार्बनिक संदूषकों का एक महत्त्वपूर्ण स्तर पाया गया है।
    - उन्होंने देश भर में आठ डंप साइटस् से बारीक कणों का विश्लेषण किया है।
- घरेलू कचरे को नियंत्रित करना:
  - घरेलू कचरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में उल्लिखित नियमों द्वारा शासित होता है।
  - ये नियम घरेलू कचरे को सूखे और गीले कचरे में विभाजित करते हैं।
    - गीले कचरे को किसी भी कचरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो स्वयं ही विघटित या खराब हो जाता है।
    - अन्य सभी कचरा नियमानुसार सूखे कचरे में गिना जाता है।
- मुद्दे:
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:
    - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 इसे "घरेलू स्तर पर उत्पन्न पेंट ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटबल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर्ड दवाएँ, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, इस्तेमाल की गई बैटरी, इस्तेमाल की गई सुई और सीरिंज एवं दूषित गेज आदि" के रूप में परिभाषित करता है।
    - यह परिभाषा संपूर्ण नहीं है इसलिये व्यक्तिगत घरों और स्थानीय सरकारी निकायों जैसे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिये छोड़ दिया जाता है।
    - उदाहरण के लिये नियम सिगरेट बट्स को छोड़ देते हैं, भले ही उनमें भारी धातुओं तथा अन्य रसायनों के निशान हों।
  - ज़मीनी स्तर पर नियमों के क्रियान्वयन का अभाव:
    - नियमों के अनुसार, परिवारों को कचरे को गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जैसी श्रेणियों में अलग करना चाहिये।

- स्थानीय सरकारी निकायों को घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को एकत्र करना चाहिये और/या प्रति 20 किलोमीटर की दूरी पर एक संग्रह केंद्र स्थापित करना चाहिये ताकि परिवार स्वयं अपशिष्ट को जमा कर सकें।
- इसके पश्चात् स्थानीय अधिकारियों को एकत्रित कचरे को निपटान सुविधाओं तक सुरक्षित रूप से पहुँचाना चाहिये। ये नियम वर्ष 2018 तक अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने और लोगों को संवेदनशील बनाने का भी निर्देश देते हैं।
- लेकिन इनमें से किसी भी नियम को धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं किया गया है।

- पर्याप्त निपटान सुविधाओं की कमी:
  - यदि अपशिष्ट एकत्र कर भी लिया जाता है, तो देश में उनके सुरक्षित निपटान के लिये पर्याप्त निपटान सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
  - एक निपटान सुविधा में आमतौर पर विशिष्ट लैंडफिल मौजूद होते हैं, जो ज़मीन में जहरीले लीचेट के रिसाव को रोकते हैं ।
  - केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में जारी 'भारत में रसायन और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन व हैंडलिंग पर हैंडबुक' के अनुसार, वर्तमान में देश में ऐसी केवल 45 सुविधाएँ ही हैं।

आगे की राह

- खराब प्रदर्शन को देखते हुए भारत खतरनाक अपशिष्ट को 'एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' (EPR) के तहत शामिल करने पर विचार कर सकता है।
  - भारत में वर्तमान में केवल प्लास्टिक उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों के लिये ही EPR नीति मौजूद है। कनाडा में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट वर्ष 1990 के दशक से EPR के अधीन है।
  - इस नीति ने सरकार और करदाताओं को घरेलू खतरनाक अपशिष्ट संग्रह के उत्तदयित्त्व से राहत दी है।
  - एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (Extended Producer Responsibility-EPR) के तहत मैन्युफैक्चरर्स पर अपने पोस्ट-कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एकत्र करने और संचालित करने की ज़िम्मेदारी होती है।
  - भारत में वर्तमान में केवल प्लास्टिक उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों के लिये EPR नीति है। कनाडा में, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट 1990 के दशक से ईपीआर के अधीन है।
- अधिकारियों को कचरे का सुरक्षित भंडारण और खतरनाक अपशिष्ट निपटान सुविधा के लिये परिवहन भी सुनिश्चित करना चाहिये।
  - चूँकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत नगर निगम के अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे तिमाही या समय-समय पर खतरनाक कचरे को इकट्ठा करें और/या ऐसे जमा केंद्र स्थापित करें जहाँ ऐसे अपशिष्ट को पैदा करने वालों द्वारा छोड़ा जा सके।

2021 छठा सबसे गर्म वर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दो अमेरिकी एजेंसियों ने डेटा जारी कर जानकारी दी है कि वर्ष 2021 रिकॉर्ड स्तर पर पृथ्वी का छठा सबसे गर्म वर्ष था।

- वहीं जब से तापमान के संबंध में रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया है, तब से पिछले 10 वर्ष सबसे गर्म वर्ष रहे।
- यह डेटा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (NOAA) द्वारा एकत्र किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2021 में पृथ्वी:
  - वर्ष 2021 में पृथ्वी 19वीं सदी के अंत के औसत यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की तुलना में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म थी।
- उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध:
  - इस वर्ष उत्तरी गोलार्द्ध में भूमि की सतह का तापमान रिकॉर्ड में तीसरा सबसे उच्चतम था, जबकि वर्ष 2016 और वर्ष 2020 क्रमशः पहले और तीसरे स्थान पर हैं।
  - वर्ष 2021 में दक्षिणी गोलार्द्ध की सतह का तापमान रिकॉर्ड में नौवाँ उच्चतम था।

- समुद्र की सतह का तापमान:
  - अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के कुछ हिस्सों में समुद्री सतह पर रिकॉर्ड-उच्च तापमान दर्ज किया गया।
  - वर्ष 2021 में ऊपरी महासागरीय हीट रिकॉर्ड स्तर पर सबसे अधिक थी और इसने बीते वर्ष 2020 में निर्धारित रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।
  - पिछले सात वर्षों (2015-2021) में सात उच्चतम महासागरीय हीट दर्ज की गई हैं, यानी बीते 7 वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक नया रिकॉर्ड बना है।
- अंटार्कटिक सागर:
  - दिसंबर 2021 के दौरान अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की सीमा 3.55 मिलियन वर्ग मील थी।
  - यह मान औसत से 11.6% कम है और रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे छोटी दिसंबर की सीमा थी।
  - केवल वर्ष 2016 और 2018 के दिसंबर में यह सीमा थोड़ी कम थी।
- ला नीना के प्रभाव:
  - ला नीना के प्रभाव ने दुनिया के तापमान को कम रखा।
    - ला नीना एक मौसम पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में घटित होती है लेकिन दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है।
    - ला नीना घटना तब घटित होती है जब दक्षिण अमेरिकी उष्णकटिबंधीय के प्रशांत तट के साथ समुद्र की सतह का पानी ठंडा हो जाता है। यह लगभग हर दो से सात वर्ष में होता है।
- तापन प्रवृत्ति के कारण:
  - दुनिया भर में यह तापन प्रवृत्ति मानवीय गतिविधियों के कारण है, जिसने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि की है।
    - पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में आर्कटिक समुद्री बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जंगल की आग अधिक गंभीर होती जा रही है और पशु प्रवास पैटर्न बदल रहे हैं।

भारत में बढ़ता तापमान:

- इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) का पहला भाग क्लाइमेट चेंज 2021: द फिज़िकल साइंस बेसिस अगस्त, 2021 में जारी किया।
- भारतीय उपमहाद्वीप विशिष्ट निष्कर्ष:
  - हीटवेव्स: 21वीं सदी के दौरान दक्षिण एशिया में हीटवेव और आर्द्र गर्मी का तनाव अधिक तीव्र और लगातार होगा।
  - मानसून: मानसून वर्षा में परिवर्तन की भी उम्मीद है, वार्षिक और ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा दोनों में वृद्धि होने का अनुमान है।
    - एरोसोल की वृद्धि के कारण पिछले कुछ दशकों में दक्षिण पश्चिम मानसून में गिरावट आई है, लेकिन एक बार यह कम हो जाने पर देश में भारी मानसूनी वर्षा का हो सकती है।
  - समुद्र का तापमान: हिंद महासागर जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शामिल है, वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है।
    - हिंद महासागर के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान उस स्थिति में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है जब ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।
- भारत द्वारा हाल ही में किये गए जलवायु संबंधी उपाय:
  - COP26 में पाँच तत्त्वों के साथ एक महत्त्वाकांक्षी क्लाइमेट एक्शन विज़न का अनावरवर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना।
    - वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना।
    - वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना।
    - वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना।
    - वर्ष 2070 तक "नेट ज़ीरो" के लक्ष्य को प्राप्त करना।

- भारत अब स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है और पिछले सात वर्षों में गैर-जीवाश्म ऊर्जा में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है तथा यह कुल ऊर्जा मिश्रण का 40% तक पहुँच गया है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI) जैसी पहलों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है।

तेज़ी से हरित मंज़ूरी पर राज्यों की रैंकिंग

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों विशेष रूप से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (State Environment Impact Assessment Authorities) को उस गति से रैंक करने का निर्णय लिया है जिस गति से वे विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंज़ूरी (Environmental Clearances) प्रदान करते हैं।

- "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business)" के लिये विशेष रूप से "मंज़ूरी हेतु समय के आधार पर राज्यों की रैंकिंग" के संदर्भ में की गई कार्रवाई का मुद्दा नवंबर 2021 में उठाया गया था।
- सभी क्षेत्रों में पर्यावरण मंज़ूरी दिये जाने की औसत अवधि वर्ष 2019 के 150 दिनों से कम की तुलना में वर्ष 2021 में 90 दिनों से कम है।

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAAs):

- SEIAAs बुनियादी ढाँचे, विकासात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं के एक बड़े हिस्से के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और लोगों पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव का आकलन करने और इस प्रभाव को कम करने का प्रयास करना है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) के अनुदान में दक्षता और समयबद्धता के आधार पर राज्यों को स्टार-रेटिंग प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।
  - यह मान्यता और प्रोत्साहन के साथ-साथ जहाँ आवश्यक हो, सुधार के लिये प्रेरित करने के तरीके के रूप में अभिप्रेत है।
  - राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) जो कम से कम समय में परियोजनाओं को मंज़ूरी देता है, मंज़ूरी की उच्च दर तथा कम "आवश्यक विवरण" चाहता है, उसे सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा।
- रेटिंग प्रणाली हेतु पैरामीटर:
  - SEIAAs को पाँच मापदंडों पर 0 और 1 के बीच और EC देने के लिये 0 और 2 के बीच वर्गीकृत किया जाएगा।
  - पैरामीटर हैं:
    - परियोजनाओं के लिये EC या संदर्भ की शर्तों (ToR) की मांग वाले प्रस्तावों को स्वीकार करने हेतु एसईआईएए द्वारा लिये गए दिनों की औसत संख्या।
    - प्राधिकरण द्वारा संबोधित शिकायतों की संख्या।
    - उन मामलों का प्रतिशत जिनके लिये SEIAAs या 'राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों' (SEACs) द्वारा साइट का दौरा किया जाता है।
    - उन मामलों का प्रतिशत जिनमें प्राधिकरण परियोजना प्रस्तावकों से एक से अधिक बार अतिरिक्त जानकारी मांगता है।
    - 30 दिनों से अधिक पुराने नए या संशोधित ToRs चाहने वाले प्रस्तावों के निपटान का प्रतिशत।
    - 120 दिनों से अधिक पुराने, नए या संशोधित EC चाहने वाले प्रस्तावों के निपटान का प्रतिशत।

- इस कदम की आलोचना
  - SEIAA को 'रबड़ स्टैम्प प्राधिकरण' बनाना:
    - इस तरह की रेटिंग प्रणाली SEIAA को एक 'रबर स्टैम्प अथॉरिटी' बना देगी, जहाँ उसके प्रदर्शन को उस रूप में आँका जाएगा, जहाँ वे पर्यावरणीय गिरावट और सामुदायिक आजीविका को खतरे में डालते हैं।
  - अनुच्छेद-21 के विरुद्ध:
    - यह रेटिंग प्रणाली भी पर्यावरण के कानून के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) का उल्लंघन करती है तथा पर्यावरण एवं लोगों की कीमत पर केवल व्यापार को लाभ पहुँचाती है।
  - SEIAAs के जनादेश को बाधित करना:
    - यह कदम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत SEIAAs के जनादेश को गंभीर रूप से बाधित करेगा।
    - यह रेटिंग प्रणाली पर्यावरण प्रभाव आकलन की गुणवत्ता में और कमी ला सकती है और यह प्रणाली केवल नियामक प्रक्रिया को कमज़ोर करती है, जबकि यह तर्क भी सही नहीं है कि मौजूदा प्रणाली के कारण व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि व्यवसायों की खराब स्थिति अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति के कारण है।
    - SEIAAs के प्रदर्शन का आकलन करने हेतु इससे संबंधित मानदंड पर्यावरण संरक्षण जनादेश से अलग होने चाहिये।
    - यह अधिनियम केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिये विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने हेतु अधिकृत (धारा 3 (3) के तहत) प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
- भारत में पर्यावरणीय मंज़ूरी
  - भारत में किसी परियोजना की पर्यावरणीय मंज़ूरी या तो राज्य सरकार और/या केंद्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिये।
  - पर्यावरणीय मंज़ूरी के पीछे मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का कम-से-कम नुकसान सुनिश्चित करना और परियोजना निर्माण के चरण में उपयुक्त उपचारात्मक उपायों को शामिल करना है।
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना हेतु निर्णय लेने के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी और जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण शामिल है।
  - यह EIA अधिसूचना सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र दोनों के लिये उनके द्वारा शुरू की गई बड़ी परियोजनाओं हेतु मान्य है।
  - पर्यावरण पर भौतिक-रासायनिक, जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक घटकों के सापेक्ष प्रस्तावित परियोजनाओं, योजना कार्यक्रमों या विधायी कार्यों की संख्या का संभावित प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह:

- हालाँकि पर्यावरण प्रभाव का आकलन पर्यावरण की रक्षा करने तथा पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था, विकास तथा प्रदूषण के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु आवश्यक है, लेकिन इसके दीर्घकालिक चरणों में सुधार करना आवश्यक है क्योंकि यह भारत में व्यापार शुरू करने में एक बड़ी बाधा बन गया है।
- पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक और नौकरशाही के मुद्दों ने स्थानीय निवेशकों के लिये भारत में निवेश को कठिन बना दिया है।

बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है।

- भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों के पुनरुत्पादन के लिये दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है जिनका उपयोग अन्य बाघ रेंज वाले देशों द्वारा किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की प्रगति और बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के लिये यह सम्मेलन महत्त्वपूर्ण है।
  - इसका आयोजन मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) द्वारा किया गया था।
  - भारत इस वर्ष (2022) के अंत में रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिये नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की दिशा में बाघ रेंज वाले देशों को सुविधा प्रदान करेगा।
    - वर्ष 2010 में नई दिल्ली में एक "प्री-टाइगर समिट" आयोजित की गई थी, जिसमें ग्लोबल टाइगर समिट के लिये बाघ संरक्षण के मसौदा को अंतिम रूप दिया गया था।
    - भारत, बाघ रेंज वाले देशों के अंतर-सरकारी मंच ग्लोबल टाइगर फोरम के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
    - पिछले कुछ वर्षों में GTF ने भारत सरकार, भारत में बाघ राज्य और बाघ रेंज वाले देशों के साथ मिलकर कार्य करते हुए कई विषयगत क्षेत्रों पर अपने कार्यक्रम का विस्तार किया है।
    - GTF में बाघ रेंज वाले देश: बांग्लादेश, भूटान, भारत, कंबोडिया, नेपाल, म्याँमार और वियतनाम।
- बाघ संरक्षण का महत्व:
  - पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण:
    - बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - वनों को स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये जाना जाता है।
  - खाद्य श्रृंखला बनाए रखना:
    - यह खाद्य श्रृंखला का एक उच्च उपभोक्ता है जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है और जंगली (मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी) आबादी पर नियंत्रण रखता है।
    - इस प्रकार बाघ शिकार द्वारा उन शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पतियों के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिन पर वह भोजन के लिये निर्भर होता है।
- बाघ संरक्षण की स्थिति:
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
  - वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट- I
- भारत की बाघ संरक्षण स्थिति:
  - भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है।
  - भारत के 18 राज्यों में कुल 53 बाघ अभयारण्य हैं और वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई।
    - गुरु घासीदास (छत्तीसगढ़) 53वाँ टाइगर रिज़र्व है।
  - भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (St. Petersburg Declaration) से चार वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।
  - भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है।
- उठाए गए कदम:
  - कंज़र्वेशन एश्योर्ड|टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS):
    - भारत में 14 टाइगर रिज़र्व को पहले ही कंज़र्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS) से सम्मानित किया जा चुका है तथा अधिक से अधिक टाइगर रिज़र्व को (CA|TS) के तहत लाने के लिये प्रयास जारी हैं।
  - प्रोजेक्ट टाइगर:
    - यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।

नोट :

- बजटीय आवंटन:
  - बाघों के संरक्षण के लिये बजटीय आवंटन वर्ष 2014 में 185 करोड़ रुपए था जिसे वर्ष 2022 में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- फ्रंटलाइन स्टाफ की मदद करना:
  - फ्रंटलाइन स्टाफ जो कि बाघ संरक्षण का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय की हालिया पहल ई-श्रम के तहत प्रत्येक संविदा/अस्थायी कार्यकर्त्ता को 2 लाख रुपए का जीवन कवर और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है।

भारतीय पर्यावरण सेवा (IES)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अखिल भारतीय स्तर पर एक समर्पित भारतीय पर्यावरण सेवा (Indian Environment Service- IES) स्थापित करने के लिये कहा है।

- भारतीय पर्यावरण सेवा (IES) के गठन की सिफारिश वर्ष 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की गई थी।

नोट:

- उच्च स्तरीय समिति का गठन अगस्त 2014 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) द्वारा सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया था।
- इसका गठन देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें तत्कालीन ज़रूरतों के अनुरूप बनाने के लिये किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय: यह पर्यावरणीय मामलों के संबंध में आगामी दशकों में सार्वजनिक और अर्द्ध-सरकारी क्षेत्रों में एक विशेषज्ञ समूह के रूप में कार्य करेगी।
- आवश्यकता: निरंतर पर्यावरणीय क्षरण, पारिस्थितिकी असंतुलन, जलवायु परिवर्तन, जल की कमी आदि भारत के समक्ष मौजूद बड़ी चिंताएँ हैं।
  - नागरिकों को पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं जैसे- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट और कचरे का निपटान न हो पाना तथा प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ रहा है।
  - मौजूदा प्रणाली में व्याप्त दोष पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारणों में से एक है जो विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण संबंधी संस्थानों की प्रवर्तन क्षमताओं में निहित है।
- टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की टिप्पणी: वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी कर्मचारी पर्यावरणीय उद्देश्यों हेतु विशेष समय निकलने में समर्थ नहीं है।
  - विशिष्ट संवर्ग का अभाव: राज्यों और केंद्र सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन, प्रशासन, नीति निर्माण और पर्यवेक्षण में शामिल प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव बना हुआ है।
  - भारत के पास एक मज़बूत पर्यावरण नीति और विधायी ढाँचा तो था लेकिन इसके कमजोर कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संरक्षण विशेषज्ञों एवं न्यायपालिका द्वारा इसके पर्यावरण प्रशासन की आलोचना की जाती रही है।
  - इस समिति ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के एकीकरण के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/संस्थाओं के मध्य प्रभावी समन्वय के अभाव को उजागर किया।
- संबद्ध चुनौतियाँ: भारतीय पर्यावरण सेवा (IES) पहले से मौजूद एक अखिल भारतीय सेवा (भारतीय वन सेवा) के साथ ओवरलैप करेगी।
  - इसके अलावा भारतीय पर्यावरण सेवा (IES) देश के संघीय ढाँचे के लिये भी एक चुनौती होगी।

आगे की राह

- नई अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) का निर्माण इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि AIS अधिकारियों का एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण है, जबकि समकालीन चुनौतियों के लिये अधिक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण कानूनों को लागू करने हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये एक 'भारतीय पर्यावरण सेवा अकादमी' की स्थापना की जा सकती है।

पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल

चर्चा में क्यों?

पेरू की सरकार ने तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90-दिवसीय "पर्यावरणीय आपातकाल" की घोषणा की है, इस तेल रिसाव की घटना के दौरान समुद्र में 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था।

- यह रिसाव टोंगा में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न 'फ्रीक वेव्स' यानी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील लहरों के कारण हुआ था।
- यह तेल रिसाव स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल के एक टैंकर से हुआ। यह घटना पेरू की राजधानी लीमा से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित 'ला पैम्पिला रिफाइनरी' में हुआ जो कि बंदरगाह शहर कैलाओ के वेंटानिला ज़िले में स्थित है।

प्रमुख बिंदु

- फ्रीक वेव्स:
  - 'फ्रीक वेव्स' को आमतौर पर एक ऐसी लहर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी ऊँचाई किसी क्षेत्र की 'सिग्नीफिकेंट वेब' की ऊँचाई से दो गुना अधिक होती है।
  - 'सिग्नीफिकेंट वेब' की ऊँचाई एक निश्चित अवधि में उठने वाली उच्चतम एक-तिहाई तरंगों का औसत है।
  - ये तथाकथित 'फ्रीक वेव्स' अटलांटिक महासागर या उत्तरी सागर तक ही सीमित नहीं हैं।
  - दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट उन जगहों में से एक है, जहाँ पर सबसे अधिक बार इस प्रकार की लहरें दर्ज की जाती हैं।
- तेल रिसाव:
  - परिचय: तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उत्पादों के अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है।
    - तेल रिसाव की घटना भूमि, वायु या पानी को प्रदूषित कर सकती है, हालाँकि इसका उपयोग सामान्य तौर पर समुद्र में तेल रिसाव के संदर्भ में किया जाता है।
  - प्रमुख कारण:
    - मुख्य रूप से महाद्वीपीय चट्टानों पर गहन पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन तथा जहाज़ों में बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के परिणामस्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गई है।
    - नदियों, खाड़ियों और समुद्र में होने वाला तेल रिसाव अक्सर टैंकरों, नावों, पाइपलाइनों, रिफाइनरियों, ड्रिलिंग क्षेत्र तथा भंडारण सुविधाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण होता है।
  - पर्यावरणीय प्रभाव:
    - स्थानीय लोगों के लिये खतरा: समुद्री भोजन पर निर्भर रहने वाली स्थानीय आबादी हेतु तेल प्रदूषण स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न करता है।
    - जलीय जीवों के लिये हानिकारक: समुद्र की सतह पर मौजूद तेल जलीय जीवों के कई रूपों में हानिकारक होता है, क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में सूर्य के लिये प्रकाश को सतह में प्रवेश करने से रोकता है और साथ ही घुलित ऑक्सीजन के स्तर को भी कम करता है।
    - अतिताप (Hyperthermia): कच्चा तेल पक्षियों के पंखों और फर के तापरोधक व जलरोधक गुणों को नष्ट कर देता है।

- अत: अतिताप (शरीर का तापमान सामान्य स्तर से अधिक) के कारण तेल से लिप्त पक्षी व समुद्री स्तनधारी की मृत्यु हो सकती है।
- विषाक्त प्रभाव: उपरोक्त के अलावा अंतर्ग्रहण तेल प्रभावित जानवरों के लिये विषाक्त हो सकता है और उनके आवास व प्रजनन दर को नुकसान पहुँचा सकता है।
- मैंग्रोव के लिये खतरा: खारे पानी युक्त दलदल और मैंग्रोव अक्सर तेल रिसाव से प्रभावित होते हैं।

◆ आर्थिक प्रभाव:
- पर्यटन: यदि समुद्र के तट और आबादी वाली तटरेखाएँ प्रदूषित होती है, तो पर्यटन व वाणिज्य बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।
- ऊर्जा संयंत्र: ऊर्जा संयंत्र और अन्य उपयोगिताएँ जो समुद्र के जल को खींचने या विसर्जित करने पर निर्भर करती हैं, तेल रिसाव से गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं।
- मत्स्य पालन: तेल रिसाव के बाद अक्सर वाणिज्यिक उद्देश्य से मछली पकड़ने में तत्काल कमी आती है।

◆ उपचार:
- जैव उपचार: जैव उपचार (बायोरेमेडिएशन) के ज़रिये समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिये बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- कुछ विशिष्ट जीवाणुओं, जो तेल और गैसोलीन में मौजूद होते हैं, का उपयोग हाइड्रोकार्बन जैसे विशिष्ट संदूषकों को जैव उपचारित करने के लिये किया जा सकता है।
- पैरापरलुसीडिबाका(Paraperlucidibaca),साइक्लोक्लास्टिकस (Cycloclasticus), ओईस्पिरा (Oleispira), थैलासोलिटस (Thalassolituus) ज़ोंगशानिया (Zhongshania) और इसी प्रकार के अन्य बैक्टीरिया का उपयोग करने से कई प्रकार के दूषित पदार्थों को हटाने में मदद मिल सकती है।
- कंटेनमेंट बूम्स: तेल के प्रसार को रोकने और इसे हटाने के लिये फ्लोटिंग बैरियर, जिन्हें 'बूम' के नाम से जाना जाता है, का उपयोग किया जा सकता है।
- स्कीमर: ये पानी की सतह पर मौजूद तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिये उपयोग किये जाने वाले उपकरण हैं।
- सॉर्बेंट्स: विभिन्न प्रकार के सॉर्बेंट्स (उदाहरण के लिये स्ट्रॉ, ज्वालामुखीय राख और पॉलिएस्टर-व्युत्पन्न प्लास्टिक की छीलन) जो पानी से तेल को अवशोषित करते है, का उपयोग किया जाता है।
- डिस्पर्सिंग एजेंट: ये ऐसे रसायन होते हैं, जिनमें तेल जैसे तरल पदार्थों को छोटी बूँदों में तोड़ने का काम करने वाले यौगिक मौजूद होते हैं। वे समुद्र में इसके प्राकृतिक फैलाव को तेज़ करते हैं।

◆ भारत में संबंधित कानून:
- वर्तमान में भारत में तेल रिसाव और इसके परिणामी पर्यावरणीय क्षति को कवर करने वाला कोई कानून नहीं है लेकिन ऐसी स्थितियों से निपटने हेतु भारत के पास वर्ष 1996 की राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (National Oil Spill Disaster Contingency Plan- NOS-DCP) है।
- यह दस्तावेज़ रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996 में जारी किया गया था। इसे अंतिम बार मार्च 2006 में अपडेट किया गया था।
- यह भारतीय तटरक्षक बल को तेल रिसाव के सफाई कार्यों में सहायता के लिये राज्य के विभागों, मंत्रालयों, बंदरगाह प्राधिकरणों तथा पर्यावरण एजेंसियों के साथ समन्वय करने का अधिकार देता है।
- वर्ष 2015 में भारत ने बंकर तेल प्रदूषण क्षति, 2001 (बंकर कन्वेंशन) के लिये नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की पुष्टि की।
- कन्वेंशन तेल रिसाव से होने वाले नुकसान के लिये पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी मुआवज़ा सुनिश्चित करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization - IMO) द्वारा प्रशासित है।

नजफगढ़ झील के लिये पर्यावरण प्रबंधन योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली और हरियाणा को पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसे दोनों सरकारों ने नजफगढ़ झील, एक ट्रांसबाउंडरी आर्द्रभूमि (वेटलैंड) के कायाकल्प और संरक्षण के लिये तैयार किया है।

- इन कार्य योजनाओं से संबंधित कार्यान्वयन की निगरानी राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा की जानी है।
- इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एकीकृत रूप से ईएमपी (EMP) को तैयार करने के लिये तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया था।

प्रमुख बिंदु:

- पर्यावरण प्रबंधन योजना:
  - आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत नजफगढ़ झील एवं उसके प्रभाव क्षेत्र को अधिसूचित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
    - ये नियम आर्द्रभूमि और उनके 'प्रभाव क्षेत्र' के भीतर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करते हैं।
  - इसमें भू-चिह्नित स्तंभों का उपयोग करके आर्द्रभूमि की सीमा का सीमांकन करने और हाइड्रोलॉजिकल मूल्यांकन तथा प्रजातियों की सूची की शुरुआत करने सहित तत्काल उपायों को सूचीबद्ध किया गया है।
  - दो से तीन वर्षों में लागू किये जाने वाले मध्यम अवधि के उपायों में नजफगढ़ झील से मिलने वाले प्रमुख नालों का स्व:स्थाने (in-situ) उपचार, जलपक्षी आबादी की नियमित निगरानी एवं बिजली उप-स्टेशनों जैसे प्रवाह अवरोधों को स्थानांतरित करना शामिल है।
    - इस झील को प्रवासी और निवासी जलपक्षी आवास के रूप में जाना जाता है।
  - यह अनुमानित आबादी के 15 वर्षों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सीवेज उत्पादन (sewage generation) का विस्तृत अनुमान और झील में प्रदूषण में योगदान करने वाले सभी नालों की पहचान का भी प्रस्ताव करता है।
- नजफगढ़ झील:
  - यह राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर गुरुग्राम-रजोकरी सीमा के निकट दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में एक प्राकृतिक डिप्रेशन/अवतलित भूमि में स्थित है।
  - यह झील बड़े पैमाने पर गुरुग्राम और दिल्ली के आस-पास के गाँवों से निकलने वाले सीवेज (मल-जल) से भरी हुई है। झील का एक हिस्सा हरियाणा के अंतर्गत आता है।
  - झील में 281 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति की सूचना मिली है, जिनमें इजिप्टियन वल्चर, सारस क्रेन, स्टेपी ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल जैसे कई संकटग्रस्त और मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवास करने वाले पक्षी शामिल हैं।
- संबंधित चिंताएँ:
  - बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण दिल्ली और गुरुग्राम में फैले जल निकाय केवल सात वर्ग किमी. तक सिमट कर रह गए हैं, जो कभी 226 वर्ग किमी. में फैला हुए थे।
    - इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के अनुसार, झील के पुनरुद्धार से 3.5 लाख की आबादी की सहायता के लिये एक दिन में लगभग 20 मिलियन गैलन पानी का उत्पादन होगा।
    - INTACH एक गैर-लाभकारी संगठन है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
  - कई लाभों और विविध प्रजातियों के स्थायी आवासों का स्रोत होने के बावजूद नजफगढ़ झील अत्यधिक खंडित और रूपांतरित हो गई है, यहाँ विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य किये गए हैं, अपशिष्टों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया गया है और साथ ही यह विभिन्न आक्रामक प्रजातियों से भी पीड़ित है।

- नज़फगढ़ झील साहिबी नदी का प्राकृतिक बाढ़ का मैदान थी, यह अब एक नाले में परिवर्तित हो गई है। आर्द्रभूमि के क्षय से हरियाणा और दिल्ली की बस्तियाँ बाढ़ के उच्च जोखिम से प्रभावित हैं तथा इनके भू-जल स्तर में भी कमी आई है।
- आर्द्रभूमि के भीतर हालिया निर्माण प्राकृतिक आर्द्रभूमि कार्यों को बाधित करते हुए क्षेत्र के भीतर उच्च भूकंपीयता और द्रवीकरण के कारण बने हैं।

- महत्त्व:
  - नज़फगढ़ झील क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक बुनियादी ढाँचा है जो बाढ़ को बफर करना, अपशिष्ट जल का उपचार, भूजल को रिचार्ज (महत्त्वपूर्ण आबादी को पानी की आपूर्ति के लिये उच्च क्षमता के साथ) और कई पौधों, जानवरों एवं पक्षियों की प्रजातियों को आवास प्रदान करती है।
  - यह ऊष्मा और कार्बन सिंक होने के कारण माइक्रॉक्लाइमेट को नियंत्रित कर सकती है। वास्तव में यदि EMPs को ठीक से और पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो यह झील जलवायु परिवर्तन के स्थानीय प्रभावों को कम करने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षमता का केंद्र बन सकती है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण:

- यह पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम' (2010) के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया और साथ ही वह ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश भी है।
- 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम' (2010) ने ट्रिब्यूनल को उन मुद्दों पर कार्रवाई करने हेतु एक विशेष भूमिका प्रदान की है, जहाँ सात निर्दिष्ट कानूनों (अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित) के तहत विवाद उत्पन्न हुआ- जल अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम।
- NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।

आर्द्रभूमि:

- आर्द्रभूमियाँ पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट-जल उपचार तालाब व जलाशय आदि शामिल हैं।
- आर्द्रभूमियाँ कुल भू सतह के लगभग 6% हिस्से को कवर करती हैं। पौधों और जानवरों की सभी 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं।
- यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है।
- 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। वर्ष 1971 में इसी तारीख को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था।

ग्रेट निकोबार द्वीप में विकास परियोजना: त्रुटिपूर्ण EIA

चर्चा में क्यों?

ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिये हाल ही में जारी 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' (EIA) मसौदा रिपोर्ट के तहत गलत या अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने, वैज्ञानिक अशुद्धि और उचित प्रक्रिया का पालन न करने से संबंधित गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक समिति ने मई 2021 में EIA रिपोर्ट तैयार करने हेतु 'संदर्भ की शर्तें' (ToR) जारी की थीं।
- इससे पहले अंडमान और निकोबार समूह में 680 वर्ग किमी लंबे संवेदनशील 'लिटिल अंडमान' द्वीप के सतत् एवं समग्र विकास की एक योजना ने संरक्षणवादियों के बीच चिंता पैदा कर दी थी।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

- यह एक प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, जिसमें लाभ और प्रतिकूल दोनों तरह के अंतर-संबंधित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक व मानव-स्वास्थ्य प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित है जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर और गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है।
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) परियोजना प्रस्तावक है।
    - पारिस्थितिक विज्ञानी और शोधकर्त्ता इस परियोजना के बारे में एक साल से अधिक समय से चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं।
- EIA रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे:
  - गलत या अधूरी जानकारी:
    - द्वीप का क्षेत्रफल एक स्थान पर 1,045 वर्ग किमी. के रूप में वर्णित है, जबकि यह 910 वर्ग किमी. (वर्तमान आधिकारिक आँकड़ा) है।
    - यह बताया गया कि गैलाथिया बंदरगाह (Galathea port) क्षेत्र किसी भी प्रवाल भित्तियों को रिकॉर्ड नहीं करता है, जबकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के अध्ययन से पता चलता है कि गैलाथिया खाड़ी (Galathea Bay) में प्रवाल भित्तियाँ 116 हेक्टेयर में फैली हुई है।
    - गैलाथिया की खाड़ी भारत में जायंट लीथेरबैक (Giant Leatherback) के लिये एक प्रतिष्ठित नेस्टिंग साइट है जो तीन दशकों में किये गए सर्वेक्षणों के तहत दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है।
    - द्वीप में जीवों की 330 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जबकि वहीं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अध्ययन के अनुसार इसकी संख्या दोगुना से अधिक यानी 695 है।
    - EIA का कहना है कि ग्रेट निकोबार से दूसरी जगह किसी प्रवासी पक्षी की सूचना नहीं मिली है, जबकि यह सर्वविदित है कि यह द्वीप विश्व स्तर पर दो महत्त्वपूर्ण पक्षी फ्लाईवे का स्थान है, इसके साथ ही ग्रेट निकोबार में प्रवासी पक्षियों की 40 से अधिक प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं।
  - संस्थागत उदासीनता:
    - EIA रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावक (ANDICO) की पर्यावरण नीति जैसे इसकी मानक संचालन प्रक्रिया, पर्यावरण और वन मानदंडों के उल्लंघन को उजागर करने की प्रक्रिया तथा पर्यावरण मंज़ूरी शर्तों (environmental clearance conditions) के अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी विवरण होने की उम्मीद थी।
    - जनजातीय कल्याण निदेशालय द्वारा नियुक्त उपक्रम एजेंसी ने द्वीपों पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने की प्राथमिकता के साथ कार्य किया।
    - इसके द्वारा पहले यह आश्वासन दिया जाता है कि "आदिवासियों के अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा की जाएगी और उनका ध्यान रखा जाएगा"।
    - फिर यह निष्कर्ष निकलता है कि "जब भी परियोजना के निष्पादन हेतु भूमि के मौजूदा नियमों/नीतियों/कानून से कोई छूट प्रदान करने की आवश्यकता होगी, तो यह निदेशालय सक्षम प्राधिकारी से उस प्रभाव के लिये आवश्यक छूट की मांग करेगा"।
- पर्यावरणविदों द्वारा उठाए गए मुद्दे:
  - इस परियोजना से द्वीपों पर स्थित कछुए और मेगापोड के घोंसले (megapode nesting) तथा प्रवाल भित्तियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

नोट :

- ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व और एक आदिवासी रिज़र्व की भूमि सहित कई आरक्षित क्षेत्रों को परियोजना के लिये गैर-अधिसूचित किये जाने की उम्मीद है।
    - लगभग 81.74% द्वीप राष्ट्रीय उद्यानों, रिज़र्व और जंगलों से आच्छादित है।
- परियोजना का जैव विविधता और स्वदेशी ओंगे जनजाति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
    - ओंगे भारत के अंडमान द्वीप समूह की जनजातियों में से एक हैं।

ग्रेट निकोबार

- परिचय:
    - ग्रेट निकोबार 'निकोबार द्वीप समूह' का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
    - इसमें 1,03,870 हेक्टेयर के अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।
    - यह एक बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स की 650 प्रजातियाँ शामिल हैं।
    - जीवों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ 1800 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियाँ भी हैं।
- पारिस्थितिकी विशेषताएँ:
    - ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों, पर्वत शृंखलाओं और समुद्र तल से 642 मीटर (माउंट थ्यूलियर) की ऊँचाई वाले पारिस्थितिक तंत्रों की एक विस्तृत शृंखला है।
- जनजाति:
    - मंगोलोइड शोम्पेन जनजाति, जिसमें लगभग 200 सदस्य हैं, विशेष रूप से नदियों और नदी धाराओं के किनारे जैवमंडल रिज़र्व के वनों में पाई जाती है।
    - एक अन्य मंगोलोइड जनजाति, निकोबारी में लगभग 300 सदस्य थे और ये पश्चिमी तट के किनारे बस्तियों में निवास करती थी।
        - वर्ष 2004 में आई सुनामी, जिसने पश्चिमी तट पर बनी बस्ती को तबाह कर दिया, के बाद उन्हें उत्तरी तट और कैम्पबेल बे में अफरा खाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया।

फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) ने 'फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन' के गठन का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
    - एनजीटी (NGT) कोयला ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के 'अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण' पर ध्यान देता है।
    - उदाहरण के लिये रिहंद जलाशय में औद्योगिक अपशिष्टों और फ्लाई ऐश की निकासी।
    - फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन (Fly Ash Management and Utilisation Mission), अप्रयुक्त फ्लाई ऐश के वार्षिक स्टॉक के निपटान की निगरानी के अलावा यह सुनिश्चित करेगा की 1,670 मिलियन टन (accumulated) फ्लाई ऐश का कम-से-कम खतरनाक तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है और बिजली संयंत्रों द्वारा सभी सुरक्षा उपाय कैसे किये जा सकते हैं।
    - मिशन कोयला बिजली संयंत्रों में फ्लाई ऐश प्रबंधन की स्थिति का आकलन करने और व्यक्तिगत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग हेतु रोडमैप बनाने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिये एक महीने के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा।
        - ये बैठकें एक वर्ष तक प्रत्येक माह आयोजित की जाएंगी।

- लक्ष्य:
  - फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन तथा निपटान हेतु समन्वय एवं निगरानी करना।
- प्रमुख और नोडल एजेंसी:
  - मिशन का नेतृत्त्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय के सचिव तथा मिशन से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव करेंगे।
  - MoEF&CC के सचिव समन्वय और अनुपालन के लिये नोडल एजेंसी होंगे।
- फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021 से भिन्न:
  - फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई थी।
    - कोयले या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के भूमि या जल निकायों में डंप करने और निपटान पर रोक लगाते हुए केंद्र ने ऐसे संयंत्रों हेतु ऐश/राख का 100% उपयोग पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है तथा पहली बार 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत के आधार पर इसका अनुपालन न करने पर दंड व्यवस्था की शुरुआत की है।
    - नए नियमों का अनुपालन न करने वाले विद्युत संयंत्रों पर हर वित्तीय वर्ष के अंत में प्रयोग में न आने वाली ऐश पर 1,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से पर्यावरणीय मुआवज़े लगाया जाएगा।
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों से एकत्र की गई राशि का उपयोग अनुपयोगी राख के सुरक्षित निपटान के लिये किया जाएगा। इसका उपयोग राख आधारित उत्पादों सहित राख के उपयोग पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिये भी किया जा सकता है।
    - ऐसे मामलों में जहाँ विभिन्न गतिविधियों में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है, बिजली संयंत्रों को परियोजना स्थलों पर मुफ्त में फ्लाई ऐश पहुँचाना होगा।
    - हालाँकि बिजली संयंत्र राख की लागत और परिवहन के लिये पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार शुल्क ले सकता है, अगर वह अन्य तरीकों से राख का निपटान करने में सक्षम है।
  - दिसंबर 2021 की नई फ्लाई ऐश अधिसूचना में कोयला ताप विद्युत संयंत्रों और उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग एवं कार्यान्वयन की प्रगति के 'प्रवर्तन, निगरानी, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग' का प्रावधान किया गया है।
  - यह अधिसूचना CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (PCC) को इसके तहत जनादेश के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार ठहराती है।
  - हालाँकि इन वैधानिक नियामकों के साथ 'मिशन फ्लाई ऐश' प्रबंधन की ज़िम्मेदारी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी देता है।
  - अधिसूचना व्यक्तिगत थर्मल पावर प्लांट के लिये अपने वेब पोर्टल पर राख उत्पादन और उपयोग के बारे में मासिक जानकारी अपलोड करना अनिवार्य करती है।
    - दूसरी ओर NGT द्वारा निर्देशित मिशन सभी हितधारकों को जानकारी प्रदान करने के लिये तिमाही आधार पर MoEF&CC की वेबसाइट पर सभी ताप विद्युत संयंत्रों और उनके समूहों हेतु फ्लाई ऐश उपयोग में रोडमैप और प्रगति उपलब्ध कराएगा।

फ्लाई ऐश

- परिचय:
  - फ्लाई ऐश (Fly Ash) प्राय: कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक है, जिसे दहन कक्ष से निकास गैसों द्वारा ले जाया जाता है।
  - इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर या बैग फिल्टर द्वारा निकास गैसों से एकत्र किया जाता है।
  - इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ESP) को एक फिल्टर उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग प्रवाहित होने वाली गैस से धुएँ और धूल जैसे महीन कणों को हटाने के लिये किया जाता है।
  - इस उपकरण को प्राय: वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों के लिये प्रयोग किया जाता है।
  - संयोजन: फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2), एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al_2O_3), फेरिक ऑक्साइड (Fe_2O_3) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) शामिल होते हैं।

नोट :

- गुण:
  - यह पोर्टलैंड सीमेंट के समान दिखता है परंतु रासायनिक रूप से अलग है।
    - पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण एक महीन पाउडर के रूप में संयोजनकारी सामग्री है जो चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को जलाने तथा पीसने से प्राप्त होता है।
    - इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्युमिनेट और कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट शामिल हैं।
- प्रमुख विशेषता:
  - एक सीमेंट युक्त सामग्री वह है जो जल के साथ मिश्रित होने पर कठोर हो जाती है।
- अनुप्रयोग: इसका उपयोग कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, मेटल रिकवरी और मिनरल फिलर आदि में किया जाता है।
- हानिकारक प्रभाव: फ्लाई ऐश के कण ज़हरीले वायु प्रदूषक हैं। वे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं।
  - ये जल के साथ मिलने पर भूजल में भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बनते हैं।
  - ये मृदा को भी प्रदूषित करते हैं और पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
  - राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-2021 के दौरान फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की सारांश रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इस उप-उत्पाद के सकल अल्प-उपयोग के कारण 1,670 मिलियन टन फ्लाई ऐश का संचय हुआ है।
- संबंधित पहलें:
  - वर्ष 2021 में 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन' (NTPC) लिमिटेड ने फ्लाई ऐश की बिक्री के लिये 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) आमंत्रित किया था।
  - 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन' ने फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिये देश भर के सीमेंट निर्माताओं के साथ भी गठजोड़ किया है।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नई निर्माण प्रौद्योगिकियों (उदाहरण के लिये फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा के प्रति लचीले हैं।
    - यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने भी अपनी फ्लाई ऐश उपयोग नीतियाँ प्रस्तुत की हैं जैसे- इस नीति को अपनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था।
  - सरकार द्वारा फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की निगरानी के लिये एक वेब पोर्टल और "ऐश ट्रैक" (ASHTRACK) नामक एक मोबाइल आधारित एप लॉन्च किया गया है।
  - फ्लाई ऐश और उसके उत्पादों पर जीएसटी की दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

दुर्लभ मृदा तत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्त्व आपूर्ति पर चीन के कथित "चोकहोल्ड" (Chokehold) को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है।

- विधेयक का उद्देश्य "दुर्लभ मृदा तत्त्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना और इन तत्त्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा चीन पर इसकी निर्भरता को कम करना है।"
- कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के "रणनीतिक रिज़र्व" के निर्माण की आवश्यकता होगी।
  - इस रिज़र्व को आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में एक वर्ष के लिये सेना की तकनीकी क्षेत्र और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों का जवाब देने का काम सौंपा जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - यह 17 दुर्लभ धातु तत्त्वों का समूह है। इसमें आवर्त सारणी में मौजूद 15 लैंथेनाइड और इसके अलावा स्कैंडियम तथा अट्रियम शामिल हैं, जो लैंथेनाइड्स के समान ही भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं।
  - 17 रेयर अर्थ मेटल्स में सीरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलिनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंथेनम (La), ल्यूटेटियम (Lu), नियोडिमियम (Nd) प्रेजोडायमियम (Pr), प्रोमेथियम (Pm), समैरियम (Sm), स्कैंडियम (Sc), टेरबियम (Tb), थुलियम (Tm), येटरबियम (Yb) और इट्रियम (Y) शामिल हैं।
  - इन खनिजों में अद्वितीय चुंबकीय, ल्यूमिनसेंट व विद्युत रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं और इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एवं नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा, आदि सहित कई आधुनिक तकनीकों में उपयोग किया जाता है।
  - यहाँ तक कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों में भी इन REE की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिये उच्च तापमान सुपरकंडक्टिविटी, हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्थाहेतु हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण और परिवहन, पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग एवं ऊर्जा दक्षता से संबंधित मुद्दों आदि में)।
  - उन्हें 'दुर्लभ मृदा' (Rare Earth) कहा जाता है क्योंकि पहले उन्हें तकनीकी रूप से उनके ऑक्साइड रूपों से निकालना मुश्किल था।
  - वे कई खनिजों में विद्यमान होते हैं लेकिन आमतौर पर कम सांद्रता में इन्हें किफायती तरीके से परिष्कृतकिया जाता है।
- दुर्लभ मृदा तत्त्वों के लिये भारत की वर्तमान नीति:
  - भारत में अन्वेषण का कार्य खान ब्यूरो और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है। खनन और प्रसंस्करण अतीत में कुछ छोटे निजी कम्पनियों द्वारा किया गया है, लेकिन वर्तमान में यह आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड), परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किया जाता है।
  - भारत ने आईआरईएल जैसे सरकारी निगमों को प्राथमिक खनिजों पर एकाधिकार प्रदान किया है जिसमें शामिल REEs हैं: कई तटीय राज्यों में पाए जाने वाले मोनाजाइट समुद्र तटीय रेत।
  - इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (IREL) दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड (कम लागत, कम-प्रतिफल वाली अपस्ट्रीम प्रक्रियाएँ) का उत्पादन करती है, इन्हें उन विदेशी फर्मों को बेचती है, जो धातुओं को निकालते हैं और अंतिम उत्पादों (उच्च लागत, उच्च-प्रतिफल वाली डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएँ) का निर्माण करते हैं।
  - IREL का फोकस मोनाजाइट से निकाले गए थोरियम को परमाणु ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराना है।

- चीन का एकाधिकार:
  - चीन ने समय के साथ रेयर अर्थ धातुओं पर वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर लिया है, यहाँ तक कि एक बिंदु पर इसने दुनिया की 90% रेयर अर्थ धातुओं का उत्पादन किया था।
  - वर्तमान में हालाँकि यह 60% तक कम हो गया है और शेष अन्य देशों द्वारा उत्पादन किया जाता है, जिसमें क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) देश शामिल हैं।
  - वर्ष 2010 के बाद जब चीन ने जापान, अमेरिका और यूरोप की रेयर अर्थ्स शिपमेंट पर रोक लगा दी, तो एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में छोटी इकाइयों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका में उत्पादन इकाइयाँ शुरू की गई।
  - फिर भी संसाधित रेयर अर्थ धातुओं का प्रमुख हिस्सा चीन के पास है।
- चीन पर भारी निर्भरता (भारत और विश्व):
  - भारत में रेयर अर्थ तत्त्वों का दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा भंडार है, जो ऑस्ट्रेलिया से लगभग दोगुना है, लेकिन यह चीन से अपनी अधिकांश रेयर अर्थ धातुओं की ज़रूरतों को तैयार रूप में आयात करता है।
  - वर्ष 2019 में अमेरिका ने अपने रेयर अर्थ खनिजों का 80% चीन से आयात किया, जबकि यूरोपीय संघ को इसकी आपूर्ति का 98% चीन से मिलता है।

आगे की राह

- भारत को दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के लिये एक नया विभाग (Department for Rare Earths- DRE) बनाने की ज़रूरत है, जो इस क्षेत्र में व्यवसायों के लिये एक नियामक और प्रवर्तक की भूमिका निभाएगा।
  - वर्तमान में खनन और प्रसंस्करण बड़े पैमाने पर आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड के हाथों में केंद्रित है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है।
- भारतीय कंपनियों को भारतीय बाज़ार में आरईई और फीड वैल्यू एडेड उत्पादों की संभावना के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसे एक्सप्लोरेशन व्यवसाय बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - इस क्षेत्र की अधिकांश सरकारों की खनन और अन्वेषण के अनुकूल नीतियाँ व निवेश का स्वागत है। इस क्षेत्र में भारत के मज़बूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और प्रवासी संबंध हैं जो सदियों से चले आ रहे व्यापार एवं प्रवास के दौरान विकसित हुए हैं।
- भारत वैश्विक आपूर्ति संकटों के खिलाफ बफर के रूप में रणनीतिक रिज़र्व का निर्माण करते हुए क्वाड जैसे समूहों के साथ सीधे साझेदारी करने के लिये अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर सकता है।

इंडोनेशिया द्वारा अपनी राजधानी का स्थानांतरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को धीरे-धीरे डूब रहे जकार्ता से जंगलयुक्त बोर्नियो द्वीप में 2,000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंज़ूरी दे दी है, जिसे "नुसंतारा" नाम दिया जाएगा।

- इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर और घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था।
- जकार्ता जावा के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। इंडोनेशिया में सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा, जावा, कालीमंतन (इंडोनेशियाई बोर्नियो), सुलावेसी और न्यू गिनी का इंडोनेशियाई हिस्सा (पापुआ या इरियन जया के रूप में जाना जाता है) हैं।

प्रमुख बिंदु

- स्थानांतरण का कारण:
  - जकार्ता लंबे समय से गंभीर रूप से बुनियादी ढाँचे की समस्याओं और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ से त्रस्त है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहर का एक-तिहाई हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है।
    - जकार्ता के बड़े मेट्रो क्षेत्र में 30 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं।

- इसके अलावा जकार्ता प्रशासन, शासन, वित्त और व्यापार का केंद्र है, इसने अनिवार्य रूप से शहर में अथक निर्माण का नेतृत्व किया है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में पानी ज़मीन में रिसने में सक्षम नहीं है, जिससे अपवाह में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। पिछले कुछ दशकों से यह शहर भीड़-भाड़ वाला और बेहद प्रदूषित हो गया है।
- राजधानी को जावा द्वीप से बोर्नियो द्वीप में स्थानांतरित करने का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण बढ़ती वित्तीय असमानता है।
  - जावा द्वीप, विशेष रूप से जकार्ता जो 661.5 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है, अत्यधिक आबादी वाला है जबकि पूर्वी कालिमंतान, 127,346.92 वर्ग किलोमीटर में फैला है यानी यह जकार्ता से बड़ा है और वर्तमान राजधानी की तुलना में बहुत कम आबादी वाला है।

- स्थानांतरण स्थल:
  - नई राजधानी (नुसंतारा) बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालिमंतान प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएँ मलेशिया और ब्रुनेई के साथ मिलती हैं।
  - हालाँकि राजधानी के स्थानांतरण के इस कदम को लकर पर्यावरणविद् ने चेतावनी दी है कि यह इस क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा सकता है, जहाँ खनन और ताड़ के बागान पहले से ही वर्षावनों के लिये खतरा बने हुए हैं, जो बोर्नियो की लुप्तप्राय प्रजातियों के निवास स्थान हैं।

नोट:

- इंडोनेशिया इस क्षेत्र का पहला देश नहीं है, जो अधिक आबादी के कारण राजधानी स्थानांतरित कर रहा है।
- मलेशिया ने वर्ष 2003 में अपनी राजधानी को कुआलालंपुर से पुत्रजया में स्थानांतरित कर दिया था, जबकि म्याँमार ने वर्ष 2006 में रंगून से अपनी राजधानी नेपीडॉ में स्थानांतरित कर दी थी।

समुद्र के स्तर में वृद्धि (SLR):

- परिचय: SLR जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण दुनिया के महासागरों के जल स्तर में हुई वृद्धि है, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग जो कि तीन प्राथमिक कारकों से प्रेरित है:
  - ऊष्मीय विस्तार: जब पानी गर्म होता है, तो वह फैलता है। पिछले 25 वर्षों में समुद्र के स्तर में वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा गर्म महासागरों के कारण है जो अपेक्षाकृत अधिक स्थान घेरते हैं।
  - ग्लेशियरों का पिघलना: ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप उच्च तापमान के कारण पर्वतीय हिमनद गर्मियों में अधिक पिघलते हैं।
    - यह अपवाह और समुद्र के वाष्पीकरण के बीच असंतुलन पैदा करता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है।
  - ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों को हानि: बढ़ी हुई गर्मी के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को कवर करने वाली विशाल बर्फ की चादरें पर्वतीय ग्लेशियरों की तरह और अधिक तेज़ी से पिघल रही हैं तथा समुद्र जल में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
- SLR की दर:
  - समुद्र के स्तर को मुख्य रूप से ज्वार स्टेशनों और उपग्रह लेज़र अल्टीमीटर का उपयोग करके मापा जाता है।
  - इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी), 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र के स्तर में वृद्धि वर्ष 1901-1971 की तुलना में तीन गुना अधिक हो गई है। आर्कटिक सागर की बर्फ 1,000 वर्षों में सबसे कम हुई है।
- SLR के परिणाम:
  - तटीय बाढ़: विश्व के 10 सबसे बड़े शहरों में से आठ एक तट के पास हैं, जिनको तटीय बाढ़ से खतरा है
  - तटीय जैव विविधता का विनाश: SLR विनाशकारी क्षरण, आर्द्रभूमि बाढ़, जलभृत और नमक के साथ कृषि मिट्टी संदूषण व जैव विविधता आवास के विनाश का कारण बन सकता है।
  - खतरनाक तूफानों में वृद्धि: समुद्र का ऊँचा स्तर अधिक खतरनाक तूफानों का कारण बन रहा है जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है।

- पार्श्व और अंतर्देशीय प्रवासन: निचले तटीय क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ लोगों को उच्च भूमि पर प्रवास करने के लिये मजबूर कर रही है जिससे विस्थापन हो रहा है और बदले में दुनिया भर में शरणार्थी संकट पैदा हो रहा है।
- बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव: उच्च तटीय जल स्तर की संभावना से इंटरनेट की पहुँच जैसी बुनियादी सेवाओं को खतरा है।
- अंतर्देशीय जीवन के लिये खतरा: बढ़ता समुद्र जल स्तर नमक के साथ मिट्टी और भूजल को दूषित कर सकता है।
- पर्यटन और सैन्य तैयारी: तटीय क्षेत्रों में पर्यटन और सैन्य तैयारी भी एसएलआर में वृद्धि के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

- SLR से निपटने के लिये उठाए गए कदम:
  - स्थानांतरण: कई तटीय शहरों ने पुनर्वास को एक शमन रणनीति के रूप में अपनाने की योजना बनाई है। उदाहरण के लिये किरिबाती द्वीप ने फिज़ी में स्थानांतरण की योजना बनाई है, जबकि इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया जा रहा है।
  - समुद्री दीवार का निर्माण: वर्ष 2014 में इंडोनेशिया सरकार ने शहर को बाढ़ से बचाने के लिये एक विशाल समुद्री दीवार या "विशालकाय गरुड़" नामक एक तटीय विकास परियोजना शुरू की।
  - बिल्डिंग एनक्लोज़र: शोधकर्त्ताओं ने उत्तरी यूरोप को घेरने वाले विशाल बाँध/उत्तरी यूरोपीय एनक्लोज़र डैम (Northern European Enclosure Dam- NEED) का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 15 उत्तरी यूरोपीय देशों को बढ़ते समुद्री स्तर से बचाने के लिये पूरे उत्तरी सागर को घेरा गया है। फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर और लाल सागर को भी ऐसे क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया जो इसी प्रकार की विशाल घेराबंदी/ बाड़ों से लाभान्वित हो सकते हैं।
  - पानी के प्रवाह को चलाने के लिये निर्माण कार्य: डच सिटी रॉटरडैम ने अस्थायी तालाबों के साथ "वाटर स्क्वायर" जैसी बाधाओं, जल निकासी और नवीन स्थापत्य सुविधाओं का निर्माण किया।
- भारत के संदर्भ में:
  - भेद्यता:
    - भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में मुख्य भूमि पर 5,422 किलोमीटर और नौ राज्यों एवं चार केंद्रशासित प्रदेशों के द्वीपों पर 2,094 किलोमीटर की तटरेखा शामिल है।
    - समुद्र तट देश के व्यापार का 90% हिस्सा है और यह 3,331 तटीय गाँवों तथा 1,382 द्वीपों तक फैला है।
  - संबंधित पहलें:
    - तटीय विनियमन क्षेत्र।
    - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना।

प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर'

चर्चा में क्यों?

प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' द्वीप राष्ट्र टोंगा से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ हाल ही में हुंगा-टोंगा-हुंगा-हापाई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे हज़ारों फीट तक राख और धुआँ हवा में घुल गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत रिम या सर्कम-पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किये जाते हैं।
  - पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटनाएँ शामिल हैं।
- भौगोलिक खिंचाव:
  - रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआन डे फूका, कोकोस, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, नाज़्का, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है।

- यह श्रृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ लगती है, अलास्का में एल्यूशियन द्वीपों (Aleutian Islands) को पार कर न्यूज़ीलैंड व पूर्व एशिया के पूर्वी तट तथा अंटार्कटिका के उत्तरी तट के साथ लगती है।
- बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूज़ीलैंड और अंटार्कटिका रिंग ऑफ फायर में स्थित कुछ महत्त्वपूर्ण स्थान हैं।

- ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण:
  - टेक्टोनिक प्लेट एक-दूसरे की ओर बढ़ते हुए सबडक्शन ज़ोन बनाते हैं। इसमें एक प्लेट नीचे की ओर या दूसरी प्लेट द्वारा क्षेपित हो जाती है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ष सिर्फ एक या दो इंच की गति से संचालित होती है।
  - जैसे ही यह सबडक्शन (Subduction) की क्रिया होती है तो चट्टानें पिघलकर, मैग्मा का निर्माण करती हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुँच जाती हैं तथा ज्वालामुखी गतिविधि का कारण बनती हैं।
    - टोंगा के मामले में प्रशांत प्लेट इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोंगा प्लेट के नीचे खिसक गई, जिससे पिघली हुई चट्टानों के ऊपर उठने पर ज्वालामुखियों की श्रृंखला निर्मित हो गई।
- हाल ही में किये गए शोध:
  - पैसिफिक प्लेट, जो रिंग ऑफ फायर में अधिकांश टेक्टोनिक गतिविधि को संचालित करती है, ठंडी हो रही है।
  - वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्रशांत प्लेट के सबसे छोटे हिस्से (लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराने) प्लेट के पुराने हिस्सों (लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने) की तुलना में तेज़ी से ठंडे हो रहे हैं और तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं।
  - प्लेट के छोटे हिस्से इसके उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते हैं जो रिंग ऑफ फायर के सबसे सक्रिय भाग पर स्थित हैं।

सबडक्शन:

- सबडक्शन की प्रक्रिया तब होती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो जाती हैं और एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल दी जाती है। समुद्र तल की यह गति एक "खनिज परिवर्तन" की स्थिति उत्पन्न करती है, जो मैग्मा के पिघलने और जमने की ओर अर्थात् ज्वालामुखियों का निर्माण करती है।
  - दूसरे शब्दों में, जब एक आंतरिक महासागरीय प्लेट गर्म मेंटल प्लेट से मिलती है तो यह गर्म हो जाती है, वाष्पशील तत्त्व मिश्रित हो जाते हैं और इससे मैग्मा उत्पन्न होता है। मैग्मा फिर ऊपर की प्लेट के माध्यम से ऊपर उठता है तथा सतह पर बाहर की ओर निकलता है।
- यह घटना दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव को चिह्नित करती है।
- जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक 'सबडक्शन ज़ोन' में मिलती हैं, तो एक झुकती है और दूसरे के नीचे की ओर खिसकती है एवं क्रस्ट के नीचे की सबसे गर्म परत के नीचे की ओर झुकती है।

असामान्य ठंड और वृष्टि-बहुल शीत ऋतु

चर्चा में क्यों?

भारत, विशेष रूप से उत्तर भारत में वर्ष 2021-22 की शीत ऋतु असामान्य रूप से अत्यधिक ठंडी और लंबी अवधि की रही है एवं दिन के दौरान सामान्य से अधिक ठंड देखी गई।

प्रमुख बिंदु

- असामान्य ठंड और वृष्टि-बहुल शीतऋतु के बारे में:
  - अत्यधिक ठंड:
    - दिसंबर 2021 के बाद से उत्तर, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्रों में तापमान लगातार सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप ठंडे दिन या "कोल्ड डे" की स्थिति बन गई है। तकनीकी रूप से इसका मतलब एक दिन से अधिक की ठंड से होता है।
    - एक ठंडा दिन वह होता है जिसमें अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, ऐसी घटना जो आमतौर पर भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में सर्दियों के महीनों के दौरान देखी जाती है।

- वृष्टि-बहुल शीत ऋतु:
  - उत्तर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान हल्की से मध्यम तीव्रता की वर्षा भी आमतौर पर देखी जाती है।
  - हालाँकि इस वर्ष जनवरी माह में भारत के मध्य, उत्तर-पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वर्षा देखी गई है।
  - इस महीने कम-से-कम 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अधिक बारिश दर्ज की गई है।
- सामान्य से कम कोहरा :
  - दिसंबर एवं जनवरी माह पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे (dense fog) के लिये जाने जाते हैं।
  - जनवरी 2022 में राष्ट्रीय राजधानी सामान्य 292 घंटों के मुकाबले 252 घंटे कोहरे से प्रभावित रही है।
  - आईएमडी (IMD) के अधिकारियों ने कहा है कि वर्तमान सर्दियों में दिल्ली में वर्ष 1991-92 के बाद से सबसे कम कोहरा दर्ज किया गया है।

- कारण:
  - पश्चिमी विक्षोभ:
    - 25 जनवरी, 2022 तक सात पश्चिमी विक्षोभ भारत के ऊपर से गुज़रे हैं, ये सभी इतने मज़बूत थे कि इसने पाकिस्तान और पूर्वोत्तर भारत के बीच बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक बारिश, बर्फबारी व अशांत मौसम की स्थिति पैदा हो गई थी।
    - इसके कारण उत्तरी महाराष्ट्र में ओलावृष्टि और तमिलनाडु में भारी वर्षा हुई।
  - ला नीना (La Niña):
    - अधिक संख्या में पश्चिमी विक्षोभ ला नीना की घटना से जुड़े हुए हैं।
    - वर्तमान में मध्यम तीव्रता वाली ला नीना स्थितियाँ हैं जो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सामान्य समुद्री सतह के तापमान की तुलना में ठंडी होती हैं।
  - सुदूर उत्तर से ठंडी हवाएँ:
    - पश्चिमी विक्षोभ के भारत को पार करने के बाद देश के सुदूर उत्तर से ठंडी हवाएँ निचले अक्षांशों में प्रवेश कर रही हैं और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र तक भी पहुँच सकती हैं, जिससे ठंडे मौसम व शीत लहर की स्थिति बन जाती है।
  - निचले बादल और नमी:
    - निचले बादलों की उपस्थिति और भारत-गंगा के मैदानी इलाकों में नमी की मौजूदगी ने इसे ठंडे दिन की स्थिति और दिन के दौरान अनुभव किये जाने वाले अतिरिक्त सर्द के कारक हेतु अनुकूल बना दिया।
    - यह सीज़न का अब तक का सबसे लंबा और सबसे तीव्र चरण था।

पश्चिमी विक्षोभ

- पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक 'बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान' के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह विक्षोभ 'पश्चिम' से 'पूर्व' की दिशा की ओर आता है।
  - ये विक्षोभ अत्यधिक ऊँचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली 'वेस्टरली जेट धाराओं' (Westerly Jet Streams) के साथ यात्रा करते हैं।
- विक्षोभ का तात्पर्य 'विक्षुब्ध' क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है।
  - प्रकृति में संतुलन मौजूद है जिसके कारण एक क्षेत्र में हवा अपने दबाव को सामान्य करने की कोशिश करती है।
- "बहिरूष्ण कटिबंधीय तूफान" शब्द में तूफान कम दबाव के क्षेत्र को संदर्भित करता है तथा "अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय"का अर्थ है उष्णकटिबंधीय के अतिरिक्त। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसलिये "बहिरूष्ण कटिबंधीय" शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है।

ला नीना:

- ला नीना घटनाएँ पूर्व-मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान की द्योतक हैं।
  - इसे समुद्र की सतह के तापमान में कम-से-कम पाँच क्रमिक त्रैमासिक अवधि में 0.9°F से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया जाता है।
- जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की घटना देखी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है।
- भारत में ला नीना आमतौर पर सामान्य सर्दियों की तुलना में ठंडा और सामान्य से अधिक वर्षा के लिये ज़िम्मेदार है।

दृष्टि The Vision

नोट :

इतिहास

कोहिमा वार सीमेट्री

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम स्थित कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन (Commonwealth War Graves Commission-CWGC) ने असामान्य विशेषताओं वाली पाँच साइट्स को सूचीबद्ध किया है। ये स्थल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं।

- नगालैंड की राजधानी कोहिमा को कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान/कोहिमा वार सीमेट्री (Kohima War Cemetery) की वजह से सूची में शामिल किया गया है।

कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन:

- CWGC छह सदस्य-राज्यों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम) का एक अंतर-सरकारी संगठन है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि युद्ध में मारे गए पुरुषों और महिलाओं को कभी नहीं भुलाया जाएगा।
- इसका गठन वर्ष 1917 में इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन के रूप में किया गया था। हालाँकि वर्तमान नाम वर्ष 1960 में दिया गया था।
- इसका मुख्यालय मेडेनहेड, यूके में स्थित है।

प्रमुख बिंदु

- कोहिमा वार सीमेट्री के बारे में:
  - नगालैंड की राजधानी कोहिमा में संभवत: विश्व का एकमात्र कब्रिस्तान/सीमेट्री है जहाँ टेनिस कोर्ट है।
  - कोहिमा युद्ध सीमेट्री सीडब्ल्यूजीसी द्वारा महाद्वीपों में बनाए गए 23,000 विश्व युद्ध की कब्रों में से एक है।
- सीमेट्री का गठन:
  - 3 अप्रैल, 1944 को 15,000 सैनिकों की एक जापानी सेना ने कोहिमा और उसके 2,500 मज़बूत सैनिक बलो पर हमला किया था।
  - इसने दो सप्ताह की कठिन, खूनी लड़ाई का नेतृत्त्व किया था
  - इस घर के लॉन में एक टेनिस कोर्ट था जिसका उपयोग ब्रिटिश अधिकारी मनोरंजन के लिये करते थे।
  - बचे हुए रक्षकों ने अपने अंतिम स्टैंड के लिये तैयार गार्डन टेनिस कोर्ट के चारों ओर डेरा डाला। जैसे ही जापानी सेना हमला करने के लिये तैयार हुई उस पर एक राहत बल के प्रमुख टैंकों द्वारा हमला किया गया और रक्षकों को बचाया गया इस प्रकार हमलावरों को पीछे धकेल दिया गया।
  - इस घटना के बावजूद जापानी सेना ने कोहिमा के लिये लड़ना जारी रखा और अंतत: वह मई 1944 में पीछे हटने के लिये मजबूर हो गई।
  - जो लोग कोहिमा युद्ध में मारे गए थे उन्हें युद्ध के मैदान में ही दफनाया गया था, जो बाद में एक स्थायी सीडब्ल्यूजीसी सीमेट्री बन गया।
  - डिज़ाइनर कॉलिन सेंट क्लेयर ओक्स ने सीमेट्री के डिज़ाइन में टेनिस कोर्ट को शामिल किया।
- सूची में अन्य कब्रिस्तान (सीमेट्री):
  - प्रथम विश्व युद्ध "क्रेटर सीमेट्री" - फ्राँस में पास डी कैलाइस क्षेत्र में ज़िवी क्रेटर और लिचफील्ड क्रेटर।
  - साइप्रस में निकोसिया (वेन्स कीप) सीमेट्री या "सीमेट्री इन नो मैन्स लैंड"।

द्वितीय विश्व युद्ध में कोहिमा का महत्त्व

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उप-महाद्वीप के केवल कुछ ही विशिष्ट स्थान जैसे- नगालैंड और उससे सटा मणिपुर शामिल थे।
- वर्ष 1944 में बर्मी जंगल में कड़ी लड़ाई के बाद इस क्षेत्र में जापानी सेना ने चिंदविन नदी को पारकर भारत में प्रवेश कर लिया था। उनकी लड़ाई 'फोर्टीन आर्मी' से हुई थी, जो राष्ट्रमंडल की सेनाओं से मिलकर बनी थी।
- यह आक्रमण दो प्रमुख बिंदुओं- इंफाल और कोहिमा पर हुआ था। यहाँ 'फोर्टीन आर्मी' की हार का मतलब था कि जापान, भारत पर और बड़ा हमला कर सकता था।
- कोहिमा की सामरिक स्थिति काफी महत्त्वपूर्ण थी, जो कि दीमापुर के जंगल के पहाड़ों से गुज़रने का उच्चतम बिंदु था और अब यह नगालैंड का वाणिज्यिक केंद्र है।
- दीमापुर के पतन का अर्थ था कि इंफाल में मौजूद सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ लड़ने वाले जापानी सैनिकों की दया पर छोड़ देना।

द्वितीय विश्व युद्ध

- परिचय:
  - द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939-45 के बीच एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था।
  - 1 सितंबर, 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के छह साल और एक दिन बाद यह समाप्त हो गया, जिसने 20वीं सदी के दूसरे वैश्विक संघर्ष को जन्म दिया।
  - 2 सितंबर, 1945 को जब यह एक अमेरिकी युद्धपोत पर समाप्त हुआ, तब इसमें लगभग 60-80 मिलियन लोग शामिल हुए थे जो दुनिया की आबादी की लगभग 3% थी।
  - मरने वालों में अधिकांश साधारण नागरिक थे, जिनमें 6 मिलियन यहूदी भी शामिल थे, जो युद्ध के दौरान नाजी बंदी शिविरों में मारे गए थे।
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी:
  - धुरी शक्तियाँ- जर्मनी, इटली और जापान
  - मित्र राष्ट्र- फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने और वर्ष भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है।

- अलंकरण समारोह के दौरान वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के लिये 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' भी प्रदान किये जाएंगे।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किये गए अमूल्य योगदान एवं निस्वार्थ सेवा को पहचानने व सम्मानित करने हेतु वार्षिक 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' की स्थापना की गई है।
- पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को की जाती है।
- इसमें संस्था के मामले में 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- जन्म:
  - सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस (Prabhavati Dutt Bose) और पिता का नाम जानकीनाथ बोस (Janakinath Bose) था।
    - उनकी जयंती 23 जनवरी को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाई जाती है।
- शिक्षा और प्रारंभिक जीवन:
  - वर्ष 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा पास की थी। हालाँकि बाद में बोस ने इस्तीफा दे दिया।
  - वह विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे।
  - उनके राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे।
    - वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 'फॉरवर्ड' के संपादन का कार्यभार संभाला।
- कॉन्ग्रेस के साथ संबंध:
  - उन्होंने बिना शर्त स्वराज (Unqualified Swaraj) अर्थात् स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट (Motilal Nehru Report) का विरोध किया जिसमें भारत के लिये डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी।
  - उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया।
  - वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कॉन्ग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे।
  - बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
  - वर्ष 1939 में त्रिपुरी (Tripuri) में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या (Pattabhi Sitaramayya) के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता।
  - उन्होंने एक नई पार्टी 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मज़बूत करना था।
- भारतीय राष्ट्रीय सेना:
  - वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान-नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' जारी किया और 21 अक्तूबर, 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की।
  - भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा (Iwaichi Fujiwara) के नेतृत्त्व में किया गया था तथा इसमें मलायन (वर्तमान मलेशिया) अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किये गए ब्रिटिश-भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था।
  - साथ ही इसमें सिंगापुर की जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण-पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इसकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 हो गई थी।
  - INA ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया।
  - नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा INA के सदस्यों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।
- मृत्यु:
  - वर्ष 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मृत्यु हो गई। हालाँकि अभी भी उनकी मृत्यु के संबंध में कई राज छिपे हुए हैं।

टीपू सुल्तान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुंबई में टीपू सुल्तान पर एक खेल के मैदान का नामकरण करने पर विवाद खड़ा हो गया।

प्रमुख बिंदु

- संक्षिप्त परिचय:
    - नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और एक महान योद्धा थे, जिन्हें 'मैसूर के बाघ' के रूप में भी जाना जाता है।
    - वह अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषा में पारंगत व्यक्ति थे।
    - हैदर अली (शासनकाल- 1761 से 1782 तक) और उनके पुत्र टीपू सुल्तान (शासनकाल- 1782 से 1799 तक) जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर की शक्ति में काफी बढ़ोतरी हुई।
    - टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उनके द्वारा शुरू किये गए सिक्के, नया मौलूदी चंद्र-सौर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की।
    - पारंपरिक भारतीय हथियारों के साथ-साथ उन्होंने तोपखाने और रॉकेट जैसे पश्चिमी सैन्य तरीकों को अपनाया ताकि उनकी सेनाएँ प्रतिद्वंद्वियों को मात दे सकें और उनके विरुद्ध भेजी गई ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला कर सकें।
- सशस्त्र बलों का रखरखाव:
    - टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल के आधार पर संगठित किया।
        - यद्यपि उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिये फ्राँसीसी अधिकारियों की मदद ली, किंतु उन्होंने फ्राँसीसी अधिकारियों को कभी भी एक दबाव समूह के रूप में विकसित होने की अनुमति नहीं दी।
    - वह एक नौसैनिक बल के महत्त्व से अच्छी तरह वाकिफ थे।
        - वर्ष 1796 में उन्होंने 'नौवाहन विभाग बोर्ड' की स्थापना की और 22 युद्धपोतों तथा 20 फ्रिगेट के बेड़े के निर्माण की योजना बनाई।
        - उन्होंने मैंगलोर, वाजेदाबाद और मोलिदाबाद में तीन डॉकयार्ड स्थापित किये। हालाँकि उनकी योजनाएँ साकार नहीं हो सकीं।
- मराठों के खिलाफ युद्ध:
    - वर्ष 1767 में टीपू ने पश्चिमी भारत के कर्नाटक क्षेत्र में मराठों के खिलाफ घुड़सवार सेना की कमान संभाली और वर्ष 1775-79 के बीच कई मौकों पर मराठों के खिलाफ युद्ध किया।
- आंग्ल-मैसूर युद्धों में भूमिका:
    - अंग्रेज़ों ने हैदर और टीपू को एक ऐसे महत्त्वाकांक्षी, अभिमानी और खतरनाक शासकों के रूप में देखा जिन्हें नियंत्रित करना अंग्रेज़ों के लिये आवश्यक हो गया था।
    - चार आंग्ल-मैसूर युद्ध हुए जिनके आधार पर निम्नलिखित संधियाँ की गईं।
        - 1767-69: मद्रास की संधि।
        - 1780-84: मैंगलोर की संधि।
        - 1790-92: श्रीरंगपटनम की संधि।
        - 1799: सहायक संधि।
    - कंपनी ने अंततः श्रीरंगपटनम के युद्ध में जीत हासिल की और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपटनम की रक्षा करते हुए मारे गए।
    - मैसूर को वाडियार वंश के पूर्व शासक वंश के अधीन रखा गया था और राज्य के साथ एक सहायक गठबंधन किया गया।
- अन्य संबंधित बिंदु:
    - वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षक भी थे तथा उन्हें भारत में 'रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी' के रूप में श्रेय दिया जाता है।
        - उन्होंने रॉकेट के संचालन की व्याख्या करते हुए एक सैन्य मैनुअल (फतुल मुजाहिदीन) लिखा।
    - टीपू लोकतंत्र के एक महान प्रेमी और महान राजनयिक थे जिन्होंने वर्ष 1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना करने में श्रीरंगपटनम में फ्राँसीसी सैनिकों को समर्थन दिया था।
        - टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब के सदस्य बने और स्वयं को सिटीज़न टीपू कहलाने की अनुमति दी।
        - उन्होंने श्रीरंगपटनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया।

सहायक संधि

- लॉर्ड वेलेजली ने वर्ष 1798 में भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासकों को अपने शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेज़ों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिये आर्थिक भुगतान करने को बाध्य किया गया था।
- सहायक संधि करने वाले देशी राजा अथवा शासक किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेज़ों की सहमति के बिना समझौते करने के लिये स्वतंत्र नहीं थे।
- यह संधि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, लेकिन इसका पालन अंग्रेज़ों ने कभी नहीं किया।
- मनमाने ढंग से निर्धारित एवं भारी-भरकम आर्थिक भुगतान ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया एवं राज्यों के लोगों को गरीब बना दिया।
- वहीं ब्रिटिश अब भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बड़ी सेना रख सकते थे।
    - वे संरक्षित सहयोगी की रक्षा एवं विदेशी संबंधों को नियंत्रित करते थे तथा उनकी भूमि पर शक्तिशाली सैन्य बल की तैनाती करते थे।
- लॉर्ड वेलेजली ने वर्ष 1798 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ 'सहायक संधि' पर हस्ताक्षर किये।
- इस संधि पर वर्ष 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिये मज़बूर किया गया।
- पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वर्ष 1802 में बेसिन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किये।

सामाजिक न्याय

विशेष विवाह अधिनियम 1954

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में अंतर-धार्मिक विवाहों को नियंत्रित करने वाले कानून, विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

- वर्ष 2021 में इसके कई प्रावधानों को रद्द करने के लिये याचिकाएँ दायर की गईं।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954:

- विशेष विवाह अधिनियम भारत में अंतर-धार्मिक एवं अंतर्जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है।
- यह एक नागरिक अनुबंध के माध्यम से दो व्यक्तियों को अपनी शादी विधिपूर्वक करने की अनुमति देता है।
- अधिनियम के तहत किसी धार्मिक औपचारिकता के निर्वहन की आवश्यकता नहीं होती।
- इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध विवाह शामिल हैं।
- यह अधिनियम न केवल विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नागरिकों पर बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।

वर्तमान याचिका के बारे में:

- SMA की धारा 5 में इस कानून के तहत शादी करने वाले व्यक्ति को इच्छित विवाह की सूचना देने की आवश्यकता होती है।
- धारा 6(2) के मुताबिक, इसे विवाह अधिकारी के कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर चिपका दिया जाना चाहिये।
- धारा 7(1) किसी भी व्यक्ति को नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर विवाह पर आपत्ति करने की अनुमति देती है, ऐसा न करने पर धारा 7(2) के तहत विवाह संपन्न किया जा सकता है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले इन प्रावधानों के कारण कई अंतर-धार्मिक जोड़ों ने अधिनियम की धारा 6 और 7 को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।

प्रमुख बिंदु

- अंतर-धार्मिक विवाह
  - अंतर-धार्मिक विवाह का आशय अलग-अलग धार्मिक आस्थाओं वाले दो व्यक्तियों के बीच वैवाहिक संबंध से है।
  - एक अलग धर्म में शादी करना किसी वयस्क के लिये अपनों व्यक्तिगत पसंद का मामला है।
- अंतर-धार्मिक विवाह से संबंधित मुद्दे:
  - माना जाता है कि अंतर-धार्मिक विवाह के तहत पति-पत्नी (ज़्यादातर महिलाएँ) में से किसी एक का जबरन धर्मांतरण होता है।
  - मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, गैर-मुस्लिम से शादी करने के लिये धर्म परिवर्तन ही एकमात्र तरीका है।
  - हिंदू धर्म केवल एक विवाह की अनुमति देता है और जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं वे दूसरा रास्ता अपनाते हैं।
  - ऐसे विवाहों से पैदा हुए बच्चों के जाति निर्धारण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
  - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 समाज के पिछड़ेपन के अनुकूल नहीं है।
  - उच्च न्यायालय द्वारा अंतर-धार्मिक विवाह को रद्द करने के संदर्भ में अनुच्छेद 226 की वैधता पर बहस चल रही है।
    - अनुच्छेद 226: रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति।

नोट :

- अंतर-धार्मिक विवाहों से संबंधित कानूनों पर विचार करते समक्ष चुनौतियाँ:
  - मौलिक अधिकारों के विरुद्ध: किसी व्यक्ति को विवाह के चुनाव में कानून का हस्तक्षेप उसके मौजूदा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जैसे:
    - समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)।
    - स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।
    - धर्म की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 25 व अनुच्छेद 21)।
  - धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध: भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रमुख सिद्धांतों में शामिल किया गया है।
    - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
    - इसलिये भारत में अंतर-धार्मिक विवाहों की अनुमति है क्योंकि संविधान किसी भी व्यक्ति को अन्य धर्म को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ भिन्नता:
    - सर्वोच्च न्यायालय ने शफीन जहान बनाम अशोक केएम (2018) मामले में अनुच्छेद 21 के एक भाग के रूप में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखा है।
    - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, संविधान प्रत्येक व्यक्ति की जीवन-शैली या विश्वास का पालन करने की क्षमता को सुरक्षित करता है जिसका वह पालन करना चाहता है।
    - इसलिये अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
    - इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम यूओआई (2017) के फैसले ने "पारिवारिक जीवन के चुनाव के अधिकार" को मौलिक अधिकार के रूप में माना है।
  - पितृसत्तात्मक: इससे पता चलता है कि कानून की जड़ें पितृसत्तात्मक हैं, जिसमें महिलाओं को माता-पिता एवं सामुदायिक नियंत्रण में रखा जाता है और यहाँ तक की जीवन के निर्णय लेने के अधिकार से वंचित किया जाता है, अगर वे निर्णय उनके अभिभावकों को स्वीकार्य न हो।

आगे की राह

- किसी भी कानून को शामिल करने से बचने के लिये मानसिक और सामाजिक स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की स्वीकृति होनी चाहिये।
- अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिये, केवल विवाह हेतु धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है।

ऑक्सफैम रिपोर्ट: इनइक्वालिटी किल्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में "इनइक्वालिटी किल्स" शीर्षक वाली ऑक्सफैम रिपोर्ट जारी की गई है, जिसने वैश्विक स्तर पर और भारत में कोविड-19 महामारी के कारण आय पर बुरे प्रभाव की ओर इशारा किया है।

प्रमुख बिंदु:

- बढ़ती असमानताओं का परिणाम: आर्थिक, लैंगिक और नस्लीय असमानताओं के साथ-साथ देशों के बीच मौजूद असमानता हमें दुनिया से अलग कर रही है।
  - महामारी शुरू होने के बाद से दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुने स्तर पर पहुँच गई है।
  - कोविड-19 के कारण 99% लोगों की आय में गिरावट हुई है।
  - असमानता हर चार सेकंड में कम-से-कम एक व्यक्ति की मौत का कारण बनती है।

- आर्थिक असमानता: एक प्रकार की आर्थिक असमानता तब होती है जब सबसे अमीर तथा सबसे शक्तिशाली लोगों के लिये संरचनात्मक नीति विकल्प बनाए जाते हैं। यह सबसे गरीब लोगों, महिलाओं एवं लड़कियों तथा नस्लीय समूहों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है।
  - स्वास्थ्य देखभाल तक असमान पहुँच: अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा एक मनुष्य का अधिकार है, लेकिन इसे अक्सर अमीर लोगों के लिये विलासिता के रूप में देखा जाता है।
  - लिंग आधारित हिंसा: यह पितृसत्ता और लिंगवादी आर्थिक व्यवस्था में निहित सोच है। उदाहरण के लिये लिंग-चयनात्मक गर्भपात।
  - गरीबी से प्रेरित भूख: भूख उन कारणों में से एक है जिससे गरीब मरते है और इसका सामना हर दिन दुनिया भर में अरबों आम लोगों को करना पड़ता है।
  - जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता: सबसे अमीर लोगों द्वारा उत्सर्जन इस जलवायु परिवर्तन का कारण रहा है, 20 सबसे अमीर अरबपतियों द्वारा CO_2 उत्सर्जन औसतन सबसे गरीब लोगों द्वारा किये गए उत्सर्जन का 8,000 गुना होने का अनुमान है।
- वैक्सीन रंगभेद: अमीर देश अपने फार्मास्युटिकल अरबपतियों का समर्थन कर सकते हैं और अपनी आबादी की रक्षा के लिये टीके जमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे अपने ही लोगों को उस उत्परिवर्तन से ज़ोखिम की ओर धकेलते हैं जिससे वैक्सीन रंगभेद उत्पन्न होता है।
  - एक अवधारणा के रूप में वैक्सीन रंगभेद ऐतिहासिक रूप से अधीनस्थ लोगों पर असमान वैक्सीन वितरण नीतियों के प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

भारतीय परिदृश्य

- सामाजिक सुरक्षा व्यय में गिरावट:
  - कोविड-19 से भारत के स्वास्थ्य बजट में वर्ष 2020-21 के आरई (Revised Estimates) से 10% की गिरावट देखी गई।
  - शिक्षा के लिये आवंटन में 6% की कटौती की गई है।
  - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय बजट के 1.5% से घटकर 0.6% हो गया है।
- बढ़ती असमानताएँ: रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में देश के 84 फीसदी परिवारों की आय में गिरावट आई लेकिन साथ ही भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई।
  - अमीरी में इजाफा: महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई।
    - वैश्विक स्तर पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद भारत में अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है।
    - वर्ष 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में 39% की वृद्धि हुई है।
  - गरीबों की संख्या में वृद्धि: वर्ष 2020 में 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के अत्यधिक गरीब होने का अनुमान है जो संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार नए वैश्विक गरीबों का लगभग आधा हिस्सा है।
    - साथ ही वर्ष 2020 में राष्ट्रीय संपत्ति में नीचे की 50% आबादी का हिस्सा मात्र 6% था।
    - भारत में बेरोजगारी भी बढ़ी है।
- लैंगिक समानता को झटका: वर्ष 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में महिलाओं की सामूहिक रूप से कमाई में 59.11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
- बढ़ता राजकोषीय घाटा: पिछले वर्ष (2020) निवेश को आकर्षित करने के लिये कॉर्पोरेट करों को 30% से घटाकर 22% करने से 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसने भारत के राजकोषीय घाटे को और अधिक बढाया।
- असमान संघवाद: देश के संघीय ढाँचे के बावजूद राजस्व संसाधन केंद्र के हाथों में ही केंद्रित है।

हालाँकि महामारी का प्रबंधन उन राज्यों को नहीं दिया गया था जो इसके वित्तीय या मानव संसाधनों के स्तर पर इसे संभालने में सक्षम नहीं थे।

आगे की राह:

- असमानता से निपटने हेतु अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक धन का निवेश: सभी सरकारों को इस महामारी की अवधि के दौरान अत्यधिक धनी लोगों द्वारा अर्जित लाभ पर तुरंत कर लगाना चाहिये।

- जीवन को सुरक्षित करने तथा भविष्य में निवेश करने हेतु उस धन को पुनर्निर्देशित करने पर बल: सभी सरकारों को जीवन बचाने और भविष्य में निवेश करने के लिये साक्ष्य-आधारित तथा उचित नीतियों में निवेश करना चाहिये।
  - महामारी की से बचाव के लिये गुणवत्तापूर्ण, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित और सार्वजनिक रूप से वितरित सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिये।
- अर्थव्यवस्था और समाज में बनियमों में परिवर्तन और सत्ता में बदलाव: इसमें सेक्सिस्ट कानूनों को समाप्त करना शामिल है, जिसका अर्थ है कि लगभग 3 बिलियन महिलाओं को कानूनी तौर पर पुरुषों के समान नौकरी चुनने से रोका जाता है।

देश के मेंटर कार्यक्रम: दिल्ली सरकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार अपने प्रमुख 'देश के मेंटर' कार्यक्रम को तब तक के लिये स्थगित कर दे, जब तक कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी खामियों को दूर नहीं किया जाता।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग:

- NCPCR का गठन मार्च 2007 में 'कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स' (Commissions for Protection of Child Rights- CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।
- आयोग का अधिदेश (Mandate) यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।
- यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।
- यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012] के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

प्रमुख बिंदु

- देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में:
  - इसे अक्तूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को स्वैच्छिक सलाहकारों (Voluntary Mentors) से जोड़ना था।
  - दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा बनाए गए एप के माध्यम से 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग मेंटर बनने हेतु साइन अप कर सकते हैं, जो कि आपसी हितों के आधार पर छात्रों से जुड़े रहेंगे।
  - मेंटरशिप में कम-से-कम दो महीने के लिये नियमित फोन कॉल शामिल हैं, जिसे वैकल्पिक रूप से अगले चार महीनों तक चलाया जा सकता है।
  - इस विचार का उद्देश्य युवा मेंटर्स को उच्च शिक्षा और कॅरियर विकल्पों जैसे मामलों में छात्रों को मार्गदर्शन के लिये प्रेरित करना है, ताकि वे बेहतर ढंग से उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकें और दबाव मुक्त हो सकें।
  - अब तक 44,000 लोगों ने मेंटर के रूप में साइन अप किया है, जो कि 1.76 लाख बच्चों के साथ काम कर रहे हैं।
- NCPCR द्वारा उठाई गई चिंताएँ:
  - बच्चों को केवल समान लिंग के मेंटर के साथ जोड़ना ही दुर्व्यवहार से उनकी रक्षा करने का उपाय नहीं है।
  - मेंटर के पुलिस सत्यापन का अभाव।
  - साइकोमेट्रिक टेस्ट किसी भी बच्चे के लिये संभावित खतरे के संदर्भ में किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रमाण मूल्यांकन नहीं है।

- बातचीत को फोन कॉल तक सीमित करना भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है क्योंकि "बच्चे से संबंधित अपराध फोन कॉल के माध्यम से भी शुरू किये जा सकते हैं।"
- बच्चों को ऐसी स्थितियों से बचाने की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही विभाग की होती है। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में माता-पिता की सहमति का उपयोग के रूप में नहीं किया जा सकता है।

बेटियों की विरासत पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया है कि वर्ष 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) के तहत कानून के लागू होने से पहले की संपत्तियों पर भी बेटियों को समान अधिकार होगा।

- इस निर्णय में एक ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का विवाद शामिल था, जिसकी वर्ष 1949 में मृत्यु हो गई थी और वह अपने पीछे एक बेटी छोड़ गया था, जिसकी 1967 में मृत्यु हो गई थी।
- इससे पूर्व ट्रायल कोर्ट ने माना था कि चूँकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले उस महिला की मृत्यु हो गई थी और याचिकाकर्त्ता और उसकी अन्य बहनें उस महिला की मृत्यु की तारीख को वारिस नहीं बनी थीं और इसलिये संपत्ति में हिस्से के विभाजन की हकदार नहीं थीं। बाद में उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के खिलाफ अपील खारिज कर दी।

प्रमुख बिंदु

- विरासत में बेटियों की हिस्सेदारी: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक ऐसे व्यक्ति की संपत्ति, जो बिना वसीयत किये मर गया और उसकी केवल एक बेटी हो तो उसकी बेटी को संपत्ति में समग्र अधिकार प्राप्त होगा, न कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को।
  - इससे पहले वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान शर्तों पर हिंदू महिलाओं के लिये पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी और सहदायक (संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी) के अधिकार का विस्तार किया है।
- प्राचीन ग्रंथ और न्यायिक घोषणाएँ: सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्राचीन ग्रंथों (स्मृति), प्रसिद्ध विद्वानों की टिप्पणियों और यहाँ तक कि न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख किया है, जिन्होंने कई महिला उत्तराधिकारी के रूप में, पत्नियों और बेटी के अधिकारों को मान्यता दी है।
  - विरासत पर प्रथागत हिंदू कानून के स्रोतों का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 'मिताक्षरा कानून' पर चर्चा की।
  - SC ने श्यामा चरण सरकार विद्या भूषण द्वारा हिंदू कानून के एक डाइजेस्ट, 'व्यवस्था चंद्रिका' को भी देखा जिसमें 'वृहस्पति' को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि 'पत्नी को उसके पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है तथा उसकीअनुपस्थिति में एक पुत्र के रूप में बेटी उसके वंश को आगे बढ़ाती हैं।
  - SC ने यह भी नोट किया कि पुस्तक में मनु द्वारा कहा गया है कि "एक आदमी का बेटा उसका उतराधिकारी होता है और बेटी बेटे के बराबर होती है। फिर कोई अन्य उसकी संपत्ति का वारिस कैसे बन सकता है, उसके जीवित रहने के बावजूद, जो कि जैसा है, वैसा ही है".
- पुराना कानून: एक विधवा या बेटी का स्व-अर्जित संपत्ति का उत्तराधिकार या एक हिंदू पुरुष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से का अधिकार पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।
  - यदि एक मृत हिंदू पुरुष की निर्वसीयत संपत्ति एक स्व-अर्जित संपत्ति है या एक सहदायिक या पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त संपत्ति है तो वह उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित होगी न कि उत्तरजीविता द्वारा, और ऐसे हिंदू पुरुष की बेटी हकदार होगी कि इस तरह की संपत्ति में उसे अन्य की अपेक्षा वरीयता प्राप्त हो।
- महिला की मृत्यु के बाद संपत्ति: न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर एक हिंदू महिला बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाती है, तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास जाएगी, जबकि उसके पति से प्राप्त संपत्ति ससुर के वारिसों के पास जाएंगी।

भारत में भूमि अधिकार और महिलाएँ

- संबंधित डेटा: भारत में संपत्ति बड़े पैमाने पर पुरुष उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं। यह बदले में महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता से वंचित करता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, 43% महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पास अकेले या संयुक्त रूप से घर/भूमि है, लेकिन वास्तव में संपत्ति तक पहुँच और महिलाओं की नियंत्रण क्षमता के बारे में संदेह बना हुआ है।
    - वास्तव में, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के 2020 के एक वर्किंग पेपर में ग्रामीण जमींदार घरों में बमुश्किल 16% महिलाओं के पास अपनी ज़मीन है।
- पितृसत्ता: गहरे पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों और ग्रामीण-कृषि व्यवस्था में संपत्ति, जिसे धन के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा जाता है, का अधिकार काफी हद तक पुरुष उत्तराधिकारियों को दिया जाता है।
- राज्य कानून: कृषि भूमि के लिये विरासत कानूनों में केंद्रीय व्यक्तिगत कानूनों और राज्य कानूनों में परस्पर विरोध है।
    - इस संबंध में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (यूपी) और यहाँ तक कि दिल्ली जैसे राज्यों में प्रतिगामी उत्तराधिकार प्रावधान हैं।
    - वास्तव में हरियाणा ने दो बार HSA, 1956 के माध्यम से महिलाओं को दिये गए प्रगतिशील अधिकारों को छीनने की कोशिश की, जबकि यूपी में वर्ष 2016 से विवाहित बेटियों को प्राथमिक उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है।
- ज़मीनी स्तर पर विरोध: कई उत्तर भारतीय राज्यों में महिलाओं के लिये ज़मीन के पंजीकरण का जमीनी स्तर पर विरोध भी हो रहा है. इस प्रकार महिला सशक्तीकरण और संपत्ति का अधिकार एक अधूरी परियोजना बनी हुई है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:

- परिचय:
    - हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया, संपत्ति के वारिस एवं उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित किया गया, जिसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी।
    - यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के तहत हिंदू माना गया हैं।
    - एक अविभाजित हिंदू परिवार में कई पीढ़ियों के संयुक्त रूप से कई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति की संयुक्त रूप से देख-रेख करते हैं।
- हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम [Hindu Succession (Amendment) Act], 2005:
    - 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक/कॉपर्सेनर के रूप में मान्यता दी गई।
    - अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए एक कॉपर्सेनर की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान कॉपर्सेनर माना गया।
    - इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियाँ दी गई।
    - यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है, जहाँ उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि एक इच्छा-पत्र के माध्यम से।

हिंदू कानून से संबंधित विधियाँ/नियम

मिताक्षरा कानून	दयाभागा कानून
मिताक्षरा पद की उत्पत्ति याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित एक टीका के नाम से हुई है।	दयाभाग पद जिमुतवाहन द्वारा लिखी गई, समान नाम की पुस्तक से लिया गया है।
भारत के सभी भागों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है और यह बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र एवं द्रविड़ शैली में उप-विभाजित है।	बंगाल और असम में इसका प्रभाव देखने को मिलता है।

नोट :

जन्म से ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में पुत्र की हिस्सेदारी होती है।	पुत्र का संपत्ति पर जन्म से कोई स्वामित्व/अधिकार नहीं होता है, परंतु वह अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वत: ही इस अधिकार को प्राप्त कर लेता है।
एक पिता के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान परिवार के सभी सदस्य को कॉपर्सनरी का अधिकार प्राप्त होता है।	पिता के जीवनकाल में पुत्र को कॉपर्सनर का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
इसमें कॉपर्सनर का भाग परिभाषित नहीं है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।	प्रत्येक कॉपर्सनर के हिस्से को परिभाषित किया गया है और इसे समाप्त किया जा सकता है।
पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकिन उसे अपने पति और पुत्रों के बीच किसी भी बँटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त है।	यहाँ महिलाओं के लिये समान अधिकार मौजूद नहीं है क्योंकि पुत्र बँटवारे की मांग नहीं कर सकता हैं और यहाँ पिता ही पूर्ण मालिक होता है।

वैवाहिक/दांपत्य अधिकारों पर याचिका

चर्चा में क्यों ?

हिंदू पर्सनल लॉ (हिंदू विवाह अधिनियम 1955) के तहत वैवाहिक/दांपत्य अधिकारों की बहाली की अनुमति देने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका महीनों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

- ओजस्वा पाठक बनाम भारत संघ शीर्षक वाली यह याचिका फरवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। इस मामले की आखिरी सुनवाई जुलाई 2021 में हुई थी।

प्रमुख बिंदु

- वैवाहिक/दांपत्य अधिकार:
  - वैवाहिक अधिकार विवाह द्वारा स्थापित अधिकार हैं, उदाहरण के लिये पति या पत्नी का एक-दूसरे के समाज पर अधिकार।
  - विवाह, तलाक आदि से संबंधित हिंदू पर्सनल लॉ तथा आपराधिक कानून दोनों में ही इन अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिसके तहत पति या पत्नी को भरण-पोषण और गुज़ारा भत्ता के भुगतान की आवश्यकता होती है।
    - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 22 पति या पत्नी को स्थानीय ज़िला न्यायालय के समक्ष यह शिकायत करने हेतु सशक्त बनाती हैं कि दूसरा साथी बिना किसी 'उचित कारण' के विवाह से अलग हो गया।
  - वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा को अब हिंदू पर्सनल लॉ में संहिताबद्ध किया गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक काल में हुई थी।
  - यहूदी कानून से उत्पन्न, वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत तथा अन्य समान कानून वाले देशों तक पहुँचा।
  - ब्रिटिश कानून पत्नियों को पति की निजी संपत्ति/अधिकार मानता था, इसलिये उन्हें अपने पति को छोड़ने की अनुमति नहीं थी।
  - मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ-साथ तलाक अधिनियम, 1869 (जो ईसाई समुदाय के कानून को नियंत्रित करता है) में भी इसी तरह के प्रावधान किये गए हैं।
  - वर्ष 1970 में ब्रिटेन ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के कानून को समाप्त कर दिया था।
- प्रावधान जिसे चुनौती दी गई है:
  - हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9:
    - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है। इसके अनुसार,

- जब पति और पत्नी दोनों में से कोई एक पक्ष किसी उचित कारण के बिना ही दूसरे के समाज से अलग हो जाता है तब पीड़ित पक्ष ज़िला अदालत में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है।
- यदि अदालत याचिका में दिये गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट है और आश्वस्त है कि कोई ऐसा कानूनी आधार नहीं है कि इस तरह के आवेदन को क्यों खारिज किया जाना चाहिये तो वह वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकती है।

- कानून को चुनौती देने का कारण:
  - अधिकारों का उल्लंघन:
    - कानून को अब इस मुख्य आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
    - वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
    - निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत जीवन के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के रूप में संरक्षित है।
    - वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय ने समलैंगिकता के अपराधीकरण, वैवाहिक बलात्कार, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बलात्कार की जाँच में टू-फिंगर टेस्ट जैसे कई कानूनों की संभावित चुनौतियों के लिये एक आधार निर्मित किया है।
    - याचिका में तर्क दिया गया कि न्यायालय द्वारा दांपत्य अधिकारों की अनिवार्य बहाली राज्य की ओर से एक "जबरन लागू किया गया अधिनियम" (Coercive Act) है, जो किसी की यौन और निर्णयात्मक स्वायत्तता तथा निजता एवं गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।
  - महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण:
    - यद्यपि यह कानून लैंगिक रुप से तटस्थ है क्योंकि यह पत्नी और पति दोनों को वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अनुमति देता है लेकिन इसके प्रावधान महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।
    - प्रावधान के तहत महिलाओं को अक्सर अपने पति के घर वापस आना पड़ता है और यह मानते हुए कि वैवाहिक बलात्कार एक अपराध नहीं है, इच्छा न होने के बावजूद उन्हें पति के साथ रहना होता है।
    - यह भी तर्क दिया गया है कि क्या विवाह को सुरक्षित करने में राज्य की इतनी अधिक रुचि हो सकती है कि राज्य कानून द्वारा पति-पत्नी को एक साथ रहने के लिये बाध्य कर सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप नहीं:
    - वर्ष 2019 के जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (Joseph Shine v Union of India) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में विवाहित महिलाओं की निजता के अधिकार और दैहिक स्वायत्तता पर ज़ोर दिया है जिसमें न्यायालय ने कहा है कि विवाह महिलाओं की यौन स्वतंत्रता और उनकी पसंद के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है।
    - यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक स्वायत्तता, पसंद और निजता का अधिकार है तो न्यायालय दो वयस्कों को एक साथ रहने के लिये कैसे बाध्य कर सकता है यदि उनमें से एक ऐसा नहीं करना चाहता है।
  - प्रावधान का दुरुपयोग:
    - एक अन्य विचारणीय और प्रासंगिक मामला यह है कि तलाक की कार्यवाही तथा गुज़ारा भत्ता भुगतान के खिलाफ ढाल के रूप में इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है।
    - अक्सर पीड़ित पति या पत्नी अपने निवास स्थान से तलाक के लिये अर्जी देते हैं और मुआवज़े हेतु मांग करते हैं।
- पूर्व के निर्णय:
  - 1960 के दशक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीरथ कौर मामले में वैवाहिक अधिकारों की बहाली को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि "एक पत्नी का अपने पति के प्रति पहला कर्तव्य है कि वह आज्ञाकारितापूर्वक स्वयं को उसके अधिकारों के प्रति प्रस्तुत करे और उसकी शरण एवं आश्रय के अधीन बनी रहे।"
  - 1980 के दशक के दौरान कई फैसलों में न्यायालयों ने कानून का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि पत्नी द्वारा पति को स्थायी रूप से वापस आने से इनकार करके उसे वैवाहिक और यौन जीवन से वंचित करना मानसिक व शारीरिक दोनों तरह की क्रूरता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1984 में सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (Saroj Rani v Sudarshan Kumar Chadha) मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि यह प्रावधान विवाह को टूटने से रोककर एक सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है।
- वर्ष 1983 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस प्रावधान को पहली बार टी. सरिता बनाम टी. वेंकटसुब्बैया (T. Sareetha vs T. Venkatasubbaiah) मामले में शून्य घोषित कर दिया था।
  - इसने अन्य कारणों के साथ निजता के अधिकार का हवाला दिया। अदालत ने यह भी माना कि "पत्नी या पति से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित मामले में पक्षकारों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना अकेला छोड़ दिया जाता है"।
  - न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण रूप से यह भी माना था कि "यौनिक संबंधों" के लिये मज़बूर किये जाने से महिलाओं पर गंभीर परिणाम होंगे।
- पत्नी (धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, भार्या या अनुगमिनी) की इस रूढ़िवादी अवधारणा और खुद को पति की इच्छा के अधीन करने की उम्मीदों में महिलाओं में शिक्षा एवं उच्च साक्षरता के साथ, संविधान में महिलाओं के समान अधिकारों की मान्यता के साथ व जीवन के सभी क्षेत्रों में लिंग भेद के उन्मूलन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है।
- वह पति के साथ समान स्थिति और समान अधिकारों के साथ विवाह में भागीदार है तथा विवाह एक अत्याचार नहीं हो सकता।
- हालाँकि उसी वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस कानून के बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह चौधरी (Harvinder Kaur vs Harmander Singh Chaudhary) के मामले में इस प्रावधान को बरकरार रखा।
- विभा श्रीवास्तव मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा:

आगे की राह

- वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर बहस इस बात पर फिर से विचार करने के लिये मजबूर करती है कि कैसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रावधान लिंग-तटस्थ होने के बावजूद महिलाओं पर एक अतिरिक्त दवाब उत्पन्न करते हैं और उनकी शारीरिक स्वायत्तता, गोपनीयता एवं व्यक्तिगत गरिमा के लिये प्रत्यक्ष खतरा पैदा करते हैं।
- हम लैंगिक समानता और कानून की लिंग तटस्थ गुणवत्ता के विषय में तो बात करते हैं, लेकिन भारतीय समाज में महिलाएँ अभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हैं जिसे ऐसे प्रावधान बढ़ावा देते हैं।
- दहेज हत्याएँ समाज पर कलंक हैं, जिसके लिये महिलाओं को भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है।
- यह समय भारतीय न्यायपालिका और समाज द्वारा विवाह के प्रगतिशील सिद्धांत के साथ ही अधिक प्रगतिशील विचारों को अपनाने का है। विवाह, समारोहों के आधार पर नहीं बल्कि दो व्यक्तियों की स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता पर निर्मित होता है, जिसे नए दंपत्ति एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिये सहमत होते हैं।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

चर्चा में क्यों?

हर साल 24 जनवरी को भारत राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) के रूप में मनाता है।

प्रमुख बिंदु

- शुरुआत:
  - राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा की गई थी।
  - इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज का नज़रिया बदलने, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने और घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

- 'सेव द गर्ल चाइल्ड' वेबिनार:
  - राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सहित लड़कियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिये यह वेबिनार आयोजित किया गया था।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2022:
  - इस अवसर पर 29 बच्चों को नवाचार, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में उनकी असाधारण उपलब्धियों और बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिये पुरस्कार दिया गया।
  - इन्हें ऑनलाइन आयोजित एक कार्यक्रम में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए डिजिटल प्रमाणपत्र और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।

बालिकाओं से संबंधित मुद्दे

- कन्या बाल हत्या और भ्रूण हत्या:
  - भारत में कन्या भ्रूण हत्या की दर विश्व भर में कन्या भ्रूण हत्या की उच्चतम दरों में से एक है।
  - कन्या भ्रूण हत्या का कारण पुत्र को वरीयता देना, दहेज प्रथा और उत्तराधिकारी की पितृवंशीय आवश्यकता है।
  - वर्ष 2011 की जनगणना में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात (914) दर्ज किया गया है, जिसमें 3 मिलियन लापता लड़कियाँ शामिल थीं। इनकी संख्या वर्ष 2001 में 78.8 मिलियन की तुलना में वर्ष 2011 में 75.8 मिलियन हो गई।
- बाल विवाह:
  - प्रत्येक वर्ष, भारत में कम-से-कम 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है, जिसके चलते भारत में बाल वधुओं की संख्या विश्वभर में सबसे अधिक (वैश्विक रूप से कुल संख्या का एक-तिहाई) है। वर्तमान में 15-19 आयु वर्ग की लगभग 16% किशोरियों की शादी हो चुकी है।
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 5 के अनुसार बाल विवाह में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2015-16 के 27% से घटकर में वर्ष 2019-20 में 23% हो गई है।
- शिक्षा:
  - लड़कियाँ घर के कामों में अधिक व्यस्त रहती हैं और कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देती हैं।
    - इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की तुलना में स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की शादी होने की संभावना 3.4 गुना अधिक होती है या उनकी शादी पहले तय हो चुकी होती है।
- स्वास्थ्य और मृत्यु दर:
  - भारत में लड़कियों को अपने घरों के अंदर और बाहर अपने समाज में ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में असमानता का अर्थ है लड़कियों के लिये असमान अवसर।
  - भारत में पाँच साल से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में 8.3 फीसदी अधिक है। विश्व स्तर पर यह लड़कों के लिये 14% अधिक है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- बेटी बचाओ बेटी पढाओ: वर्ष 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात और कम होते बाल लिंगानुपात (वर्ष 2011 में प्रत्येक 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- सुकन्या समृद्धि योजना: बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2015 में यह योजना शुरू की गई। यह माता-पिता को लड़कियों के भविष्य के अध्ययन और विवाह पर होने वाले खर्च के लिये निवेश करने तथा धन एकत्रित करने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- सीबीएसई उड़ान योजना: यह योजना सीबीएसई द्वारा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन और स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के बीच शैक्षिक अंतराल को दूर करने के लिये शुरू की गई एक परियोजना है।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये लड़कियों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE): यह वर्ष 2008 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर 14-18 आयु वर्ग में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से ऐसी लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये, जिन्होंने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।

आगे की राह

- बाल विवाह की समस्या का समाधान शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना है क्योंकि यह प्रथा एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है।
    - स्कूलों में स्किल एंड बिज़नेस ट्रेनिंग और सेक्स एजुकेशन से भी सहायता मिलेगी।
- विवाह की उम्र में वृद्धि और नए कानून बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिये बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता है, जो कि दबावपूर्ण उपायों से कहीं अधिक प्रभावी होगा।
- NFHS के निष्कर्ष लड़कियों की शिक्षा में अंतराल कम करने और महिलाओं एवं बच्चों की दयनीय पोषण स्थिति को दूर करने की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

चकमा और हाजोंग समुदाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अपने एक आदेश में गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार को राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के लोगों की कथित नस्लीय प्रोफाइलिंग और स्थानांतरण के खिलाफ छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

- इसके अलावा गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार दोनों को "यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है कि चकमा एवं हाजोंग लोगों के मानवाधिकार सभी तरीकों से सुरक्षित हों।"
- विदित हो कि दोनों समुदायों के सदस्य कथित तौर पर घृणा अपराध, पुलिस अत्याचारों और मानवाधिकारों से वंचित रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
    - वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को चकमा और हाजोंग लोगों को नागरिकता देने का निर्देश दिया था, लेकिन इसे अभी तक पूर्णत: लागू नहीं किया गया है।
        - वर्ष 1996 में दिये गए एक निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि "राज्य के भीतर रहने वाले चकमा समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी"।
    - इन आदेशों के आलोक में और यह देखते हुए कि चकमा/हाजोंग समुदाय के अधिकांश सदस्य राज्य में ही पैदा हुए थे तथा शांति से रह रहे हैं, अगस्त 2021 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा कि चकमा/हाजोंग समुदाय के लोगों को राज्य के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, पूर्णत: अनुचित थी।
    - उसके बाद चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (सीडीएफआई) ने अवैध जनगणना के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के 65,000 चकमा और हाजोंग आदिवासियों की नस्लीय प्रोफाइलिंग के खिलाफ एनएचआरसी से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया क्योंकि राज्य से उनका निर्वासन/निष्कासन/स्थानांतरण 31 दिसंबर, 2021 से शुरू होने वाला था (बाद में जनगणना की योजना को हटा दिया गया था)।
        - नस्लीय प्रोफाइलिंग सरकार या पुलिस गतिविधि है जिसमें लोगों की जाँच के लिये उनकी पहचान करने हेतु नस्लीय और सांस्कृतिक विशेषताओं का उपयोग करना शामिल है।
- विशेष जनगणना के मुद्दे:
    - चकमा संगठनों ने कहा कि जनगणना उनके जातीय मूल के कारण दो समुदायों की नस्लीय रूपरेखा के अलावा और कुछ नहीं थी एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व भारत द्वारा अनुमोदित नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन है।
        - अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।

    - अक्तूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया।
- चकमा और हाजोंग:
  - मिज़ोरम और त्रिपुरा में बौद्ध चकमाओं की एक बड़ी आबादी है जबकि हिंदू हाजोंग ज़्यादातर मेघालय के गारो हिल्स एवं आस-पास के क्षेत्रों में निवास करते हैं।
  - अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान एवं वर्तमान बांग्लादेश के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए प्रवासी हैं।
  - 1960 के दशक में कर्णफुली नदी पर कप्टई बाँध से विस्थापित होकर चकमा और हाजोंग ने भारत में शरण मांगी तथा वर्ष 1964 से 1969 तक अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में राहत शिविरों में आकर बस गए।
    - उनमें से अधिकांश वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग ज़िले में निवास करते हैं।
- नागरिकता की स्थिति:
  - 65,000 चकमा और हाजोंग लोगों से लगभग 60,500 नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जन्म से नागरिक हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले हुआ है, या इस तिथि से पहले पैदा हुए लोगों के वंशज के रूप में हैं।
    - वर्ष 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शेष 4,500 जीवित प्रवासियों के आवेदनों पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है।
  - वर्ष 2019 का नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, जिसने वर्ष 1955 के अधिनियम की दो धाराओं में संशोधन किया, का चकमा-हाजोंग समुदाय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्हें वर्ष 1960 के दशक में भारत संघ द्वारा स्थायी रूप से बसाया गया था।
  - चूँकि 95% प्रवासियों का जन्म 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी' या अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, इसलिये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन-1873, जिसके तहत राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के लिये इनर लाइन परमिट अनिवार्य है, उन पर लागू नहीं होता है।

आगे की राह

- दशकों पुराने मुद्दे का समाधान राज्य में कानून के शासन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करने में निहित है।
- चकमा-हाजोंग मुद्दे से लाभ प्राप्त करने वाले राजनेताओं को अपनी राजनीति बंद करनी चाहिये।

आंतरिक सुरक्षा

भारत-रूस: 'PASSEX' अभ्यास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत का आईएनएस 'कोच्चि' और रूस के जहाज़ 'अंतर्राष्ट्रीय पैसेज अभ्यास' (PASSEX) में शामिल हुए।

- पूर्व-नियोजित समुद्री अभ्यासों के विपरीत 'पैसेज सैन्य अभ्यास' अवसर के अनुसार कभी भी आयोजित किया जा सकता है।
- इससे पूर्व भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने अमेरिकी नौसेना के साथ भी 'PASSEX' का आयोजन किया था।

प्रमुख बिंदु

- भारत के लिये रूस का महत्व:
  - हिंद महासागर क्षेत्र में:
    - हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के एक संवाद भागीदार के रूप में रूस के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में संतुलन बनाने और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान प्रयासों पर एक संभावित समुद्री सुरक्षा संरचना सहित भारत के साथ सहयोग के लिये कई सारे अवसर खुल गए हैं।
  - आर्कटिक क्षेत्र में: आर्कटिक क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक, पर्यावरण, वाणिज्यिक एवं रणनीतिक हित हैं और रूसी आर्कटिक संभावित रूप से भारत के ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों को संबोधित कर सकता है।
  - हाइड्रोकार्बन: रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, जो वर्तमान उत्पादन दरों के तहत लगभग 80 वर्षों तक के लिये पर्याप्त है।
  - सामरिक खनिज: रूसी आर्कटिक में कोबाल्ट, तांबा, हीरा, सोना, लोहा, निकल, प्लैटिनम, उच्च मूल्य वाले दुर्लभ तत्त्व, टाइटेनियम, वैनेडियम और ज़िरकोनियम के विशाल भंडार भी हैं।
    - आर्कटिक में रूस के निकल तथा कोबाल्ट उत्पादन का 90%, तांबे का 60% और प्लैटिनम धातुओं का 96% से अधिक का उत्पादन होता है।
    - भारतीय दुर्लभ भू-भंडार हल्के अंशों में अधिक समृद्ध हैं और भारी मात्रा में कम हैं।
    - सामरिक उद्योगों में उपयोग किये जाने वाले अधिकांश दुर्लभ भू-उत्पाद जैसे- पवन टरबाइन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये रक्षा, फाइबर ऑप्टिक संचार, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा भी महत्त्वपूर्ण हैं।
    - इसलिये रूसी आर्कटिक में दुर्लभ पृथ्वी और सामरिक खनिजों में भारत की महत्त्वपूर्ण कमियों को कम करने की क्षमता है।
  - उत्तरी समुद्री मार्ग: भारतीय बंदरगाहों को उत्तरी समुद्री मार्ग या एनएसआर से कोई लाभ नहीं होता है और यह रॉटरडैम के लिये वर्तमान मार्ग से अधिक लंबा है।
    - हालाँकि NSA में सहयोग के अन्य रास्ते भी हैं।
    - रूस ने अन्य बातों के साथ-साथ NSA के जल में साल भर, सुरक्षित, अबाधित और लागत प्रभावी नौवहन सुनिश्चित करने की घोषणा की है।
    - भारत ने रूस के साथ साझेदारी करने की अपनी इच्छा का संकेत देते हुए कहा है कि "भारत और रूस भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य हेतु NSA को खोलने में भागीदार होंगे"। इसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस NSA में भारत के हितों का स्वागत करता है।
  - सुदूर पूर्व में रूस: रूस सुदूर पूर्व या RFE में प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है।
    - देश के सभी कोयला भंडारों और हाइड्रो-इंजीनियरिंग संसाधनों का लगभग एक तिहाई भाग इस क्षेत्र में उपलब्ध है। इस क्षेत्र के वन रूस के कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% हैं।

- NSR सहित RFE के विकास में भारत के सहयोग का दोनों देशों ने समर्थन किया है।
- वर्ष 2019 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (Eastern Economic Forum- EEF) को संबोधित करते हुए भारत ने RFE के विकास में और योगदान देने हेतु 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की थी।

- भारत और रूस के अन्य अभ्यास:
  - अभ्यास TSENTR 2019 (बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास)।
  - इंद्र अभ्यास - संयुक्त त्रि-सेवा (सेना, नौसेना, वायु सेना) अभ्यास।
  - ZAPAD 2021 (बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास)।

INS कोच्चि

- यह कोलकाता-श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक का स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया दूसरा जहाज़ है, जिसे भारतीय नौसेना के लिये प्रोजेक्ट 15A के कोड नाम के तहत बनाया गया था।
- इसका निर्माण मुंबई में मझगाँव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा किया गया था और बाद में व्यापक समुद्री परीक्षणों से गुज़रने के बाद वर्ष 2015 में इसे भारतीय नौसेना सेवाओं में शामिल किया गया था। .
- इससे पहले इसने कई अन्य नौसैनिक सेवाओं में भाग लिया, जिनमें शामिल हैं:
  - जायद तलवार: यह भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
  - 'अल-मोहद अल-हिंदी': भारत और सऊदी अरब ने अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया।
  - भारत- यूएस पासेक्स

आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद (Global Counter Terrorism Council- GCTC) द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Counter Terrorism Conference) 2022 का आयोजन किया गया।

- GCTC एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक-टैंक काउंसिल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों की आतंकवाद के प्रति सुभेद्यता को कम करना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, उनका मुकाबला करना और आतंकवाद के लिये उकसाने एवं आतंकी गतिविधियों के लिये भर्ती करने वालों पर मुकदमा चलाना है।
- इससे पूर्व वर्ष 2021 में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य योजना को अपनाया गया था।

प्रमुख बिंदु

- भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे:
  - नए रिलिजियोफोबिया (धार्मिक भय) का उदय:
    - विशेष रूप से हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के खिलाफ नए "धार्मिक भय" का उभरना गंभीर चिंता का विषय है और ऐसे मुद्दों पर संतुलित चर्चा हेतु इसे क्रिश्चियनोफोबिया, इस्लामोफोबिया और यहूदी-विरोधी की तरह ही पहचानने की ज़रूरत है।
    - रिलिजियोफोबिया (Religiophobia): यह धर्म, धार्मिक विश्वासों, धार्मिक लोगों या धार्मिक संगठनों के प्रति विवेकहीन या आसक्तिपूर्ण भय या चिंता है।
  - आतंकवाद का वर्गीकरण:
    - पिछले दो वर्षों में कई सदस्य राज्य आतंकवाद को नस्लीय और जातीय रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद, हिंसक राष्ट्रवाद एवं दक्षिणपंथी उग्रवाद आदि जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास करते रहे हैं।
    - इसे "खतरनाक" प्रवृत्ति बताते हुए भारत ने कहा कि यह हाल ही में अपनाई गई वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किये गए कुछ स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ है।

- वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति में कहा गया है कि आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों की निंदा की जानी चाहिये और आतंकवाद के किसी भी कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

- आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु भारत के प्रयास:
  - आतंकवाद के खिलाफ भारत का वार्षिक संकल्प:
    - आतंकवाद विरोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की पहली समिति में सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
    - भारत, जो कि राज्य-प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित रहा है, आतंकवादी समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों के अधिग्रहण से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न गंभीर खतरे को उजागर करने में सबसे आगे रहा है।
  - अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता (CCIT):
    - बढ़ती आशंकाओं के बीच कि आतंकवादी फिर से अफगानिस्तान में नियंत्रण स्थापित करेंगे और अफ्रीका में हमले तीव्र गति से होंगे, भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में सम्मेलन को अपनाने का आग्रह किया है।
    - वर्ष 1996 में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक बोधगम्य कानूनी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने UNGA को 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता' (Comprehensive Convention on International Terrorism-CCIT) को अपनाने का प्रस्ताव दिया था।
    - CCIT आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा, विशेष कानूनों के तहत आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, सीमा पार आतंकवाद को दुनिया भर में एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध बनाने की मांग करता है।
  - वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF):
    - भारत FATF का सदस्य है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता हेतु मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिये मानक निर्धारित करना तथा कानूनी, नियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- भारत में आतंकवाद
  - 'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम' भारत में लागू एक महत्त्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी कानून है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) एक अर्द्ध-सैनिक बल है जो मुख्य रूप से आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी अभियानों हेतु उत्तरदायी है।
  - भारत को कश्मीर, उत्तर-पूर्व और कुछ हद तक पंजाब में अलगाववादियों, मध्य, पूर्व-मध्य और दक्षिण-मध्य भारत में वामपंथी चरमपंथी समूहों से आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है।

आगे की राह

- आतंकवाद के खिलाफ युद्ध एक कम तीव्रता वाला संघर्ष या स्थानीय युद्ध है, इसे समाज के पूर्ण एवं निरंतर समर्थन के बिना प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिये समाज के मनोबल और संकल्प में कमी आ जाए तो आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध की तीव्रता में कमी आ सकती है।
- भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित कई मुद्दों पर नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जैसे कि खुफिया तंत्र, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन।
- सीमा सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को बढ़ाने और इनके पूरक विकल्प तलाशने के लिये तकनीकी समाधान आवश्यक है।

नोट :

चर्चा में

मकर संक्रांति

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा फसल त्योहारों मकर संक्रांति, उत्तरायण, भोगी, माघ बिहू और पोंगल के अवसर पर देश भर में लोगों को बधाई दी गई।

- इन त्योहारों के माध्यम से देश भर के लाखों किसान अपनी कड़ी मेहनत और उद्यम का जश्न मनाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- मकर संक्रांति:
  - मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि (मकर) में प्रवेश को दर्शाता है क्योंकि यह अपने खगोलीय पथ (Celestial Path) की परिक्रमा करता है।
  - यह दिन गर्मियों की शुरुआत और हिंदुओं के लिये छह महीने की शुभ अवधि का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण (सूर्य की उत्तर की ओर गति) के रूप में जाना जाता है।
    - 'उत्तरायण' के एक आधिकारिक उत्सव के रूप में गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1989 से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
  - इस दिन से जुड़े उत्सवों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है:
    - उत्तर भारतीय हिंदुओं और सिखों द्वारा लोहड़ी के रूप में।
    - मध्य भारत में संकरात।
    - असमिया हिंदुओं द्वारा भोगली बिहू।
    - तमिल और अन्य दक्षिण भारतीय हिंदुओं द्वारा पोंगल के रूप में।
- बीहू:
  - यह तब मनाया जाता है जब असम में वार्षिक फसल होती है। असमिया नए वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करने हेतु लोग रोंगाली/माघ बिहू मनाते हैं।
  - ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत उस समय से हुई थी जब घाटी के लोगों ने ज़मीन जोतना शुरू कर दिया था। बिहू त्योहार को ब्रह्मपुत्र नदी जितना पुराना माना जाता है।
- पोंगल:
  - पोंगल शब्द का अर्थ है 'उफान' (Overflow) या विप्लव (Boiling Over)।
  - इसे थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है, यह चार दिवसीय उत्सव तमिल कैलेंडर के अनुसार 'थाई' माह में मनाया जाता है, जब धान आदि फसलों की कटाई की जाती है और लोग ईश्वर तथा भूमि की दानशीलता के प्रति आभार प्रकट करते हैं।
  - इस उत्सव के दौरान तमिल लोग चावल के आटे से अपने घरों के आगे कोलम नामक पारंपरिक रंगोली बनाते हैं।

तिरुवल्लुवर

प्रधानमंत्री ने तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को उनकी जयंती 'तिरुवल्लुवर दिवस' (Thiruvalluvar Day) के अवसर पर याद किया।

- वर्तमान समय में इसे आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है और यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - तिरुवल्लुवर जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि-संत थे।
  - धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है सामान्यत: उन्हें तीसरी-चौथी या आठवीं-नौवीं शताब्दी का माना जाता है।
  - सामान्यत: उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालाँकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे।
  - द्रविड़ समूहों (Dravidian Groups) ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे।
  - उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या 'कुराल' (Tirukkural or 'Kural') की रचना की गई थी।
  - तिरुक्कुरल में 10 कविताएँ व 133 खंड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को तीन पुस्तकों में विभाजित किया गया है:
    - अराम- Aram (सद्गुण- Virtue)।
    - पोरुल- Porul (सरकार और समाज)।
    - कामम- Kamam (प्रेम)।
  - तिरुक्कुरल की तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों से की गई है।

संगम साहित्य

- 'संगम' शब्द संस्कृत शब्द संघ का तमिल रूप पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीन अलग-अलग कालों में अलग-अलग जगहों पर फली-फूली।
- इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ई. के दौरान संकलित किया गया था और प्रेम एवं युद्ध के विषयों के आसपास काव्य प्रारूप में रचा गया था।
- तमिल किंवदंतियों के अनुसार, प्राचीन दक्षिण भारत में तीन संगमों (तमिल कवियों का समागम) का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चंगम (Muchchangam) कहा जाता था।
  - माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
  - दूसरा संगम 'कपाटपुरम्' में आयोजित किया गया था, इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ 'तोलकाप्पियम्' ही उपलब्ध है।
  - तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है।
- संगम साहित्य जो तीसरे संगम से काफी हद तक समेकित था, ईसाई युग की शुरुआत के आसपास लोगों के जीवन की स्थितियों पर जानकारी देता है।
  - यह सार्वजनिक और सामाजिक गतिविधियों जैसे- सरकार, युद्ध दान, व्यापार, पूजा, कृषि आदि धर्मनिरपेक्ष मामलों से संबंधित है।
- संगम साहित्य में प्राचीनतम तमिल रचनाएँ (जैसे तोलकाप्पियम), दस कविताएँ (पट्टुपट्टू), आठ संकलन (एट्टुटोगई) और अठारह लघु रचनाएँ (पदीनेकिलकनक्कु) तथा तीन महाकाव्य शामिल हैं।

टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट

हाल ही में टोंगा के दक्षिणी प्रशांत द्वीप में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिससे प्रशांत महासागर के चारों ओर सुनामी लहरें उठी रही हैं।

- टोंगा द्वीप समूह 'रिंग ऑफ फायर' में मौजूद है, जो कि प्रशांत महासागर के बेसिन को घेरने वाली ऊँची ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि की परिधि है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - यह एक अंडर-सी ज्वालामुखी विस्फोट है, जिसमें दो छोटे निर्जन द्वीप, हुंगा-हापाई और हुंगा-टोंगा शामिल हैं।

नोट :

- पिछले कुछ दशकों में हुंगा-टोंगा-हुंगा-हापाई में नियमित रूप से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है।
    - वर्ष 2009 और वर्ष 2014-15 की घटनाओं के दौरान भी मैग्मा और भाप के गर्म जेट के साथ विस्फोट हुए थे। लेकिन हालिया घटनाओं (जनवरी 2022) की तुलना में ये विस्फोट काफी छोटे थे।
- इस बार का विस्फोट उन बड़े विस्फोटों में से एक है, जो प्रत्येक हज़ार वर्ष में रिकॉर्ड किये जाते हैं।
- इसके अत्यधिक विस्फोटक होने का एक कारण 'फ्यूल-कूलेंट इंटरेक्शन' है।

- प्रभाव:
    - विशाल ज्वालामुखी विस्फोट कभी-कभी अस्थायी वैश्विक शीतलन का कारण बन सकते हैं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को समताप मंडल में पंप किया जाता है। लेकिन टोंगा विस्फोट के मामले में प्रारंभिक उपग्रह माप से संकेत मिलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का केवल 0.01 सेल्सियस वैश्विक औसत शीतलन पर एक छोटा प्रभाव डालेगा।
    - विस्फोट ने वायुमंडलीय दबाव को बदल दिया जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल में कोहरे को दूर करने में कुछ समय के लिये मदद की होगी।
    - इन लहरों ने प्रशांत को पार किया और इनकी वजह से पेरू में दो लोग डूब गए तथा न्यूज़ीलैंड एवं सांताक्रूज़, कैलिफोर्निया में मामूली क्षति हुई।
    - यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अनुमान लगाया है कि विस्फोट 5.8 तीव्रता के भूकंप के बराबर था।

ज्वालामुखी

- ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटन है जो मैग्मा के रूप में गर्म तरल और अर्द्ध-तरल चट्टानों, ज्वालामुखीय राख और गैसों के रूप में बहार निकलता है।
- ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं।
- ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब ज्वालामुखी से लावा और गैस कभी-कभी विस्फोटक रूप में बहार निकलती है।

समुद्र के नीचे ज्वालामुखी:

- समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट एक ऐसे ज्वालामुखी में होता है जो समुद्र की सतह के नीचे स्थित होता है। समुद्र के भीतर अनुमानित एक मिलियन ज्वालामुखी हैं और उनमें से अधिकांश टेक्टोनिक प्लेटों के पास स्थित हैं।
- इन छिद्रों से लावा के अलावा राख भी निकलती है। ये समुद्र के तल पर जमा हो जाते हैं और समुद्री टीले का निर्माण करते हैं - पानी के नीचे स्थित पर्वत जो समुद्र के तल पर निर्मित होते हैं लेकिन पानी की सतह तक नहीं पहुँचते हैं।

ईंधन-शीतलक इंटरैक्शन

- यदि मैग्मा समुद्र के पानी में धीरे-धीरे ऊपर उठता है, तो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी मैग्मा तथा पानी के बीच भाप की एक पतली परत बन जाती है। यह मैग्मा की बाहरी सतह को ठंडा करने के लिये इन्सुलेशन की एक परत प्रदान करता है। लेकिन यह प्रक्रिया तब काम नहीं करती जब तक कि ज्वालामुखी गैस से भरी जमीन से मैग्मा का विस्फोट न हो।
- जब मैग्मा तेज़ी से पानी में प्रवेश करता है तो भाप की परत जल्द ही बाधित हो जाती है, जिससे गर्म मैग्मा ठंडे पानी के सीधे संपर्क में आ जाता है।
- यह एक रासायनिक विस्फोटों के समान है।
- अत्यधिक हिंसक विस्फोट मैग्मा को अलग कर देता हैं।
- एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती है, नए मैग्मा के टुकड़े पानी के लिये ताज़ा गर्म आंतरिक सतहों को उजागर करते हैं और विस्फोट अंततः ज्वालामुखी कणों को बाहर निकालते हैं तथा सुपरसोनिक गति के साथ विस्फोट करते हैं।

पंजाब में रविदासिया

हाल ही में भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India- ECI) ने पंजाब में रविदासिया समुदाय (Ravidassia community) के महत्त्व के कारण विधानसभा चुनाव के मतदान स्थगित कर दिया है।

राज्य सरकार और राजनीतिक दलों ने चिंता जताई कि है 16 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती मनाने के कारण कई भक्त वाराणसी (एक स्मारक मंदिर में) में होंगे जिस कारण वे मतदान में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।

- हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार, माघ महीने में पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास की जयंती मनाई जाती है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - रविदासिया दलित समुदाय के लोग हैं, जिनमें से अधिकांश लगभग 12 लाख की आबादी दोआब क्षेत्र में रहती है।
  - डेरा सचखंड बल्लन जो कि दुनिया भर में 20 लाख अनुयायियों के साथ उनका सबसे बड़ा डेरा है, बाबा संत पीपल दास द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किया गया था।
  - पूर्व में सिख धर्म से निकटता से जुड़े होने के बावजूद इस डेरा ने वर्ष 2010 में दशकों पुराने संबंधों को तोड़ दिया और घोषणा की कि वे रविदासिया धर्म का पालन करेंगे।
    - यह घोषणा वाराणसी में रविदास जयंती के अवसर पर की गई।
  - वर्ष 2010 से डेरा सचखंड बल्लन ने रविदासिया मंदिरों और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब को अपने स्वयं के ग्रंथ, अमृतबनी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, जिसमें गुरु रविदास के 200 भजन शामिल थे।
- गुरु रविदास:
  - गुरु रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि संत थे और उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की।
  - ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में एक मोची के परिवार में हुआ था।
  - एक ईश्वर में विश्वास और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं की रचना के कारण उन्हें ख्याति प्राप्त हुई।
  - उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिये समर्पित कर दिया और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा की खुले तौर पर निंदा की।
  - उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर त्वरित प्रभाव डाला। उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक पाठ 'गुरु ग्रंथ साहिब' में भी शामिल किया गया।

ग्रेट रेज़िगनेशन

हाल ही में कोविड-19 के बाद बड़ी संख्या में लोग "एंटीवर्क" के सिद्धांत को अपनाकर अपनी नौकरी से बाहर निकल रहे हैं विशेष कर अमेरिका और यूरोपीय देशों में।

- यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) के अनुसार, अगस्त 2021 में रिकॉर्ड 4.3 मिलियन लोगों ने इस्तीफा दिया, जो जुलाई से 2,42,000 अधिक है।
- अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एंथनी क्लॉट्ज़ ने इसे "ग्रेट रेज़िगनेशन" कहा है जो कार्य-जीवन समीकरण में प्राथमिकताओं को फिर से तैयार करने का आह्वान है।

प्रमुख बिंदु:

- कोविड का प्रभाव:
  - कार्य से बाहर निकलने वालों में प्रमुख रूप से खुदरा और आतिथ्य क्षेत्र के वे कर्मचारी शामिल हैं जो नौकरी बदलने या अपने विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करने के इच्छुक थे।
  - मध्य और पूर्वी यूरोप के कई देशों ने कुशल श्रम शक्ति में गिरावट दर्ज की है।
    - हालाँकि यह मज़बूत सामाजिक सुरक्षा जाल के कारण हो सकता है।
  - महामारी और लॉकडाउन के मध्य जीवित रहना और इसका सामना करना कई लोगों को 'काम-मुक्त' जीवन को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखने हेतु प्रेरित करता है।

- 'ग्रेट रेज़िगनेशन' का महत्त्व
  - कम वेतन, अव्यावहारिक कार्य समय-सीमा और खराब लीडरशिप या बॉस आदि से संबंधित समस्याओं ने 'ग्रेट रेज़िगनेशन' को और अधिक बढ़ावा दिया है।
  - इसका मतलब यह भी है कि इन श्रमिकों के पास अपने मौजूदा नियोक्ताओं से परे बाज़ार मूल्य मौजूद हैं और वे इससे अधिक बेहतर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं।
    - वे बेहतर नौकरी के अवसर प्राप्त करने या स्टार्ट-अप चुनने के लिये अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं।
  - एक सामान्य आशंका यह भी है कि क्षमता निर्माण में पर्याप्त पूंजी आवंटन नहीं किया गया है।
- भारत की स्थिति:
  - सामाजिक सुरक्षा और बेरोज़गारी लाभ की अनुपस्थिति के कारण भारत में ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई है।
    - नौकरियों से बाहर निकलने की विलासिता या विशेषाधिकार भारत में अधिकांश लोगों के लिये उपलब्ध नहीं था।
  - हालाँकि 'रिमोट वर्किंग' या 'वर्क फ्रॉम होम' ने कॉरपोरेट्स और कर्मचारियों के लिये लचीले वर्क मॉडल को संभव बना दिया है।
  - इससे टियर-II और टियर-III शहरों में लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। जिससे भारत की स्थानिक अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है।
    - साथ ही वर्क फ्रॉम होम ने बाज़ार में मांग संरचना में बदलाव को गति दी है।
  - इसके अलावा भारतीय आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों में भी लोग अपनी नौकरी बदल रहे हैं।
    - कई स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न बन गए हैं और कई थोक में काम पर रख रहे हैं तथा काफी अधिक भुगतान करने के लिये तैयार हैं।

स्ट्रीट्स फॉर पीपल एंड नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिये ग्यारह विजेता शहरों की घोषणा की और नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के पायलट चरण के लिये दस विजेता शहरों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज:
  - यह शहरों के नेतृत्त्व वाली एक एक डिज़ाइन प्रतियोगिता है।
  - यह प्रतियोगिता हितधारकों और नागरिकों के परामर्श से लोगों के लिये सड़कों की एकीकृत दृष्टि विकसित करने हेतु देश भर के शहरों का समर्थन करती है।
  - इसके तहत प्रत्येक शहर स्थान, समय-सीमा और पुरस्कारों पर विशिष्ट विवरण के साथ अपनी खुद की डिज़ाइन प्रतियोगिता शुरू करता है।
- नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज:
  - यह एक तीन वर्षीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थान, गतिशीलता, पड़ोस योजना, प्रारंभिक बचपन संबंधी सेवाओं और सुविधाओं तक सभी की पहुँच तथा शहरी एजेंसियों के डेटा प्रबंधन में सुधार करने के लिये विभिन्न मानकों एवं तरीकों का समर्थन करना है।
  - यह सभी स्मार्ट शहरों, 5,00,000 से अधिक आबादी वाले अन्य शहरों और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियों के लिये खुला होगा।
  - क्षमता निर्माण में शहरों को निम्नलिखित हेतु तकनीकी एवं अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त होगी:
    - पार्कों एवं खुले स्थानों की पुन: परिकल्पना
    - बाल-देखभाल सुविधाओं तक पहुँच में सुधार
    - बचपन उन्मुख सुविधाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों को अपनाना
    - छोटे बच्चों और परिवारों के लिये सुलभ, सुरक्षित, चलने योग्य सड़कों का निर्माण

- अन्य नवीनतम पहलें:
  - इंडिया साइकिल्स4चेंज चैलेंज
  - जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढाँचा (CSCAF) 2.0

सारथी मोबाइल ऐप

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल एप सारथी लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाज़ार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
  - यह एप केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड (एमएफ), हालिया बाज़ार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में भी बताएगा।
- आवश्यकता:
  - हाल ही में व्यक्तिगत निवेशकों के बाज़ार में प्रवेश करने में वृद्धि देखी गई है, और इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन आधारित है।
  - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' के आँकड़ों के अनुसार, व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी वर्ष 2021 में बढ़कर 45% हो गई, जो वर्ष 2020 में 39% थी।
    - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है।
- प्रतिभूति बाज़ार:
  - प्रतिभूतियाँ एक प्रकार का वित्तीय साधन हैं, जो धन जुटाने हेतु जारी किये जाते हैं।
  - प्रतिभूति बाज़ारों का प्राथमिक कार्य उन लोगों से पूंजी के प्रवाह को सक्षम करना है, जिनके पास इसकी अधिकता है।
  - प्रतिभूति बाज़ार निवेश के लिये धन के आवंटन हेतु चैनल प्रदान करते हैं और इस तरह इन दोनों गतिविधियों को अलग कर देते हैं।
    - नतीजतन, बचतकर्त्ता और निवेशक अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं की वजह से विवश नहीं होते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था की क्रमशः निवेश तथा बचत करने की क्षमता से बाध्य होते हैं जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश को बढ़ाता है।
  - उदाहरण: इक्विटी, ऋण प्रतिभूतियाँ आदि।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):

- SEBI 12 अप्रैल, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसका मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना तथा विनियमित करना है।
- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य पूर्णकालिक व अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- सेबी समय पर जब भी आवश्यक हो के दबाव वाले मुद्दों को देखने के लिये, विभिन्न समितियों की नियुक्ति भी करता है।

इस्टर्न स्वैंप डियर

हाल ही में काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व (असम) में सुभेद्य इस्टर्न स्वैंप डियर की आबादी में गिरावट आई है। इस्टर्न स्वैंप डियर दक्षिण एशिया में अन्य स्थानों से विलुप्त हो गया है।

- वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में आईं बाढ़ों को इस गिरावट का कारण माना जा सकता है।
- हालाँकि, इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि 'स्टर्न स्वैंप डियर' अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है, जैसे कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और लाओखोवा-बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य (असम)।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- दलदली हिरण के बारे में: भारतीय उपमहाद्वीप में दलदली हिरण की तीन उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - पश्चिमी दलदली हिरण (Rucervus duvaucelii) नेपाल में पाया जाता है।
  - मध्य और उत्तर भारत में पाए जाने वाले दक्षिणी दलदली हिरण /हार्ड ग्राउंड बारासिंघा (Rucervus duvaucelii branderi)।
  - काजीरंगा (असम) और दुधवा राष्ट्रीय उद्यानों (उत्तर प्रदेश) में पाए जाने वाले पूर्वी दलदली हिरण (Rucervus duvaucelii ranjitsinhi)।
- दलदली हिरण की संरक्षण स्थिति:
  - IUCN की लाल सूची: सुभेद्य
  - CITES: परिशिष्ट I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

कैबिनेट ने इरेडा के लिये कोष को मंजूरी दी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है।

- इससे इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपए उधार देने में सक्षम होगा।
- इससे पहले इरेडा द्वारा 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021' के एक भाग के रूप में 'व्हिसलब्लोअर पोर्टल' लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- कोष का महत्त्व:
  - इस इक्विटी निवेश से लगभग 10,200 रोज़गार के अवसरों के सृजन में मदद मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 7.49 मिलियन टन की कमी आएगी।
  - भारत सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इक्विटी निवेश इरेडा को सक्षम बनाएगा:
    - अक्षय ऊर्जा (RE) के क्षेत्र में लगभग 12000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर 3500-4000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को सुविधाजनक बनाना।
    - यह अपने नेटवर्थ को बढ़ाने हेतु RE के क्षेत्र में वित्तपोषण में मदद कर भारत सरकार को लक्ष्यों में बेहतर योगदान देगा।
    - अपने उधार और उधार संचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CAR) में सुधार करना।
    - CRAR, जिसे CAR (पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात) के रूप में भी जाना जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है जो वित्तीय संगठनों के पास दिवालिया होने से पहले उनके पास उचित मात्रा में नुकसान को अवशोषित करने हेतु पर्याप्त हो।
- IREDA:
  - यह भारत सरकार के 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरत्न (श्रेणी 1) कंपनी है।
  - इसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' (Public Financial Institution) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
  - इसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक' के नियमों के अंतर्गत 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' (Non-Banking Financial Company) के रूप में पंजीकृत किया गया है।
  - इसे वर्ष 1987 में 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था।
  - इसका उद्देश्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोमोट करना, इनका विकास करना तथा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

नोट :

ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु 'ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (RADPFI) दिशानिर्देश, 2017' को संशोधित किया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - RADPFI 2021 दिशानिर्देश स्थानिक ग्रामीण नियोजन को बढ़ावा देने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है और यह गाँवों में दीर्घकालिक नियोजन हेतु एक परिप्रेक्ष्य विकसित कर ग्रामीण परिवर्तन का मार्ग तैयार करेगा।
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी भूमि उपयोग नियोजन और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होगा।
- विशेषताएँ
  - इसमें शहरी क्षेत्रों में नगर नियोजन योजनाओं की तर्ज पर 'ग्राम नियोजन योजना' (VPS) शामिल है।
  - ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (GPDP) को स्थानिक भूमि उपयोग योजना से जोड़ने के प्रावधान।
  - ग्राम पंचायत विकास के लिये स्थानिक मानक।
- उद्देश्य
  - इसका उद्देश्य गाँवों में रहने की सुगमता सुनिश्चित करना और सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे एवं सुविधाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिये संसाधन व अवसर प्रदान करके बड़े शहरों में प्रवास को कम करने में मदद करना है।
- महत्त्व:
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवंत आर्थिक समूहों के विकास को बढ़ावा देगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगे।
  - यह केंद्र सरकार के प्रयासों जैसे पंचायती राज मंत्रालय की 'स्वामित्व योजना' और ग्रामीण विकास मंत्रालय के रुर्बन मिशन का भी पूरक होगा और भू-स्थानिक जानकारी के बेहतर उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएँ

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005
- दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान

मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस

मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा (21 जनवरी) के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री एवं अन्य नेताओं द्वारा तीनों पूर्वोत्तर राज्यों की परंपराओं और संस्कृति की प्रशंसा की गई।

- 21 जनवरी, 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के तहत तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मणिपुर का भारत में विलय:
  - 15 अगस्त, 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ता के ज़रिये ऐसे लगभग सभी राज्यों, जिनकी सीमाएँ भारतीय संघ के साथ लगती थीं, को विलय हेतु एकजुट कर लिया गया था।
  - अधिकांश राज्यों के शासकों ने 'परिग्रहण के साधन (Instrument of Accession)' नामक एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये, जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिये सहमत है।

नोट :

- आज़ादी से कुछ समय पूर्व मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिये विलयपत्र पर हस्ताक्षर किये थे।
- जनमत के दबाव में, महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इस प्रकार मणिपुर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग था।
- मणिपुर की विधान सभा में भारत के साथ विलय को लेकर अत्यधिक मतभेद थे। भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर की विधान सभा के परामर्श के बिना एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में सफलता प्राप्त की थी।

- त्रिपुरा का भारत में विलय:
    - 15 नवंबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी।
    - 17 मई, 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा बीर बिक्रम सिंह के निधन के पश्चात् महारानी कंचनप्रभा (महाराजा बीर बिक्रम की पत्नी) ने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व संभाला।
    - भारतीय संघ में त्रिपुरा राज्य के विलय में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई थी।
- मेघालय का भारत में विलय:
    - वर्ष 1947 में गारो एवं खासी क्षेत्र के शासकों ने भारतीय संघ में प्रवेश किया।
    - मेघालय, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा पहाड़ी राज्य है जो 2 अप्रैल, 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।
- वर्ष 1972 में व्यापक बदलाव:
    - वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया।
    - इस तरह दो केंद्रशासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला।

अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित

एक ऐतिहासिक कदम के तहत अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्वाला/नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्वाला (National War Memorial Flame) में विलय हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- अमर जवान ज्योति:
    - इसे वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था यह वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिह्नित करने से संबंधित थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
    - दिसंबर 1971 में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस पर वर्ष 1972 में इसका उद्घाटन किया था।
    - मध्य दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति पर शाश्वत लौ स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिय शहीद हुए सैनिकों को देश की श्रद्धांजलि का एक प्रतिष्ठित प्रतीक था।
        - इंडिया गेट स्मारक ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1914-1921 के बीच अपनी जान गँवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की याद में बनाया गया था।
- स्थानांतरण के कारण:
    - इंडिया गेट पर अंकित नाम केवल कुछ शहीदों के हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो-अफगान युद्ध में अंग्रेज़ो के लिये लड़ाई लड़ी थी तथा इस प्रकार यह हमारे औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है।
    - वर्ष 1971 इसके पहले और बाद के युद्धों सहित सभी युद्धों के सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लिखे गए हैं।

- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक:
  - इसका उद्घाटन वर्ष 2019 में किया गया, यह इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है।
  - इसमें मुख्य तौर पर चार संकेंद्रित वृत्त शामिल हैं, जिनका नाम है:
    - 'अमर चक्र' या अमरता का चक्र,
    - 'वीरता चक्र' या वीरता का चक्र,
    - 'त्याग चक्र' या बलिदान का चक्र और
    - 'रक्षक चक्र' या सुरक्षा का चक्र।
  - राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव पहली बार 1960 के दशक में बनाया गया था।
  - यह स्मारक उन सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध, वर्ष 1947, वर्ष 1965 तथा वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्धों, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना अभियानों और वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान देश की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दी थी।
  - राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों को भी याद करता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, मानवीय सहायता आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन, आतंकवाद विरोधी अभियान और कम तीव्रता वाले संघर्ष संचालन (एलआईसीओ) में भाग लिया और सर्वोच्च बलिदान दिया।

भारत बना दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक

हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल-अक्तूबर (2020-21) के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गर्किन यानी अचारी खीरे (Gherkin) का निर्यात किया।

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने बुनियादी ढाँचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उत्पाद को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिये कई पहलें की हैं।

प्रमुख बिंदु

- गर्किन (अचारी खीरा):
  - 'गर्किन' शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर नमकीन अचार वाले खीरे के लिये किया जाता है। गर्किन और वाणिज्यिक खीरे एक ही प्रजाति (Cucumis sativus) के हैं लेकिन विभिन्न कृषक समूहों से संबंधित हैं।
  - खीरे की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात की शुरूआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में एक छोटे से स्तर के साथ हुई थी तथा बाद में इसका आरंभ पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हुआ।
    - इन क्षेत्रों में खीरे की खेती के लिये आदर्श प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ का वांछनीय तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता, जो इन क्षेत्रों को खीरे की खेती के लिये अनुकूल बनाता है।
  - वैश्विक स्तर पर खीरे की मांग का लगभग 15% हिस्सा भारत में उत्पादित होता है।
  - खीरा वर्तमान में 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें प्रमुख गंतव्य उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देश और महासागरीय देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्ज़ियम, रूस, चीन, श्रीलंका तथा इज़राइल शामिल हैं।
- महत्त्व:
  - खीरा, लघु एवं सीमांत किसानों के साथ अनुबंध में उगाया जाता है। वर्तमान में 1,00,000 से अधिक लघु एवं सीमांत किसान खीरे का उत्पादन करते हैं।
  - यह वह उद्योग है जिसने अनुबंध कृषि के सही और सफल मॉडल को प्रदर्शित किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार अंतिम उपज पर अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम है।
    - अनुबंध कृषि को किसानों तथा प्रसंस्करण और/या विपणन फर्मों के बीच अग्रिम समझौतों के तहत कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो प्राय: पूर्व निर्धारित कीमतों पर आधारित होता है।

- निर्माताओं द्वारा दिये गए गुणवत्ता आश्वासन के कारण लगातार बढ़ती मांग के साथ प्रत्येक वर्ष 700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के साथ भारतीय खीरे का निर्यात किया जाता है।
- अपनी निर्यात क्षमता के अलावा, खीरा उद्योग ग्रामीण रोज़गार के सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

- यह संसद के एक अधिनियम तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है।
- इसे निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों जैसे- फल, सब्जियां, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक और गैर-मादक पेय आदि के विकास की ज़िम्मेदारी के साथ आज्ञापित किया गया है।
- एपीडा (APEDA) को चीनी के आयात की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है।

बेसल स्टेम रोट: कवक

हाल ही में केरल के शोधकर्त्ताओं ने जीनस गनोडर्मा (Genus Ganoderma) से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की है जिनका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से है।

प्रमुख बिंदु

- बेसल स्टेम रोट के बारे में:
  - दो कवक प्रजातियाँ- गनोडर्मा केरलेंस (Ganoderma keralense) और गनोडर्मा स्यूडोएप्लानेटम (Ganoderma pseudoapplanatum) हैं।
  - नारियल के मूल तने (Butt Rot or Basal Stem Rot Of Coconut) को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है: गनोडर्मा विल्ट (आंध्र प्रदेश), अनाबरोगा (कर्नाटक) और तंजावुर विल्ट (तमिलनाडु)।
  - संक्रमण जड़ों से शुरू होता है परंतु इसके लक्षणों में तना और पत्तियों का रंग बदलना व सड़ना शामिल है। बाद के चरणों में फूल एवं नारियल फल समाप्त होना शुरू हो जाता है और अंत में संपूर्ण नारियल (कोकोस न्यूसीफेरा) नष्ट हो जाता है।
  - यह एक लाल भूरे रंग का बहता/रिसता पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। इस रिसाव युक्त पदार्थ की उपस्थिति केवल भारत में ही बताई गई है।
  - एक बार संक्रमित होने के बाद पौधों के ठीक होने की संभावना नहीं होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इससे भारी नुकसान होता है, भारत में वर्ष 2017 में किये गए कुछ अनुमानों के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 12 मिलियन लोग नारियल की खेती पर निर्भर हैं।
  - संक्रमण का एक अन्य संकेत शेल्फ जैसी "बेसिडिओमाटा (basidiomata)" की उपस्थिति है, जो पेड़ के तने पर कवक के फलने या प्रजनन करने वाली संरचनाएँ हैं।
- कवक:
  - कवक एकल कोशिका या बहु जटिल बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं।
  - वे लगभग किसी भी आवास में पाए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर जमीन पर रहते हैं, मुख्य रूप से समुद्र या मीठे पानी के बजाय मिट्टी या पौधों पर पाए जाते है।
  - अपघटक नामक समूह मृदा में या मृत पौधों के पदार्थ पर उगता है, जहाँ वे कार्बन और अन्य तत्वों के चक्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - कुछ पौधों के परजीवी फफूंदी, स्कैब, पपड़ी जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं।
  - बहुत कम संख्या में कवक जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। मनुष्यों में इनमें एथलीट फुट, दाद और थ्रश जैसे त्वचा रोग शामिल हैं।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (GIDM) और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिये वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चुना गया है।

- GIDM की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी और तब से यह गुजरात की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) क्षमता को बढ़ाने के लिये काम कर रहा है।
- प्रोफेसर विनोद शर्मा ने DRR को राष्ट्रीय एजेंडे में आगे लाने की दिशा में अथक प्रयास किया है।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कार के बारे में:
  - केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किये गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने तथा सम्मानित करने के लिये वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है।
  - इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है।
  - इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए तथा प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- आपदा ज़ोखिम प्रबंधन:
  - आपदा ज़ोखिम प्रबंधन का तात्पर्य प्राकृतिक खतरों और संबंधित पर्यावरणीय एवं तकनीकी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिये समाज व समुदाय की नीतियों, रणनीतियों एवं इसके कार्यान्वयन की क्षमताओं को लागू करने हेतु प्रशासनिक निर्णयों, संगठन, परिचालन कौशल व क्षमताओं का उपयोग करने की व्यवस्थित प्रक्रिया से है।
  - इनमें खतरों के प्रतिकूल प्रभावों से बचने (रोकथाम) या सीमित (शमन और तैयारी) करने हेतु संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों सहित सभी प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं।
  - आपदा प्रबंधन में गतिविधियों के तीन प्रमुख चरण हैं:
    - आपदा पूर्व: इस चरण में खतरों के कारण मानव, सामग्री, या पर्यावरणीय नुकसान की संभावना को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि आपदा आने पर इन नुकसानों को कम-से-कम करने हेतु उपाय शामिल हैं।
    - आपदा के दौरान: इस चरण में कई प्राथमिक क्रियाकलाप अनिवार्य हो जाते हैं। इसमें निकासी, खोज, बचाव और उसके बाद की बुनियादी आवश्यकता (भोजन, वस्त्र, आश्रय स्थल व दवाईयाँ) प्रभावित समुदाय के सामान्य जीवन के लिये जरूरी हैं।
    - आपदा के बाद: इसमें शीघ्र समाधान प्राप्त करने और सुभेद्यता तथा भावी जोखिम कम करने के लिये प्रयास शामिल हैं।
  - आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों को नीचे दिये गए आपदा चक्र आरेख में दर्शाया गया है।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान

हाल ही में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (इसरो) के अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में 'SSLV-D1 माइक्रो सैट' के प्रक्षेपण का उल्लेख किया है।

- SSLV (स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) का उद्देश्य छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में लॉन्च करना है। हाल के वर्षों में विकासशील देशों, विश्वविद्यालयों के छोटे उपग्रहों और निजी निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 'स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल' काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल:
  - यह अपेक्षाकृत छोटे वाहन होते हैं, जिनका वजन मात्र 110 टन होता है। इन्हें एकीकृत होने में केवल 72 घंटे लगते हैं, जबकि एक प्रक्षेपण यान के लिये यह अवधि लगभग 70 दिन के आसपास होती है।

- यह 500 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकता है, जबकि 'ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान' (PSLV) 1000 किलोग्राम वज़न के उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है।
    - SSLV एक तीन चरणों वाला ठोस वाहन है और इसमें 500 किलोग्राम के उपग्रह को 'लो अर्थ ऑर्बिट' (LEO) और 'सन सिंक्रोनस ऑर्बिट' (SSO) में लॉन्च करने की क्षमता है।
- यह एक समय में कई माइक्रोसेटेलाइट लॉन्च करने हेतु पूरी तरह से अनुकूल है और कई प्रकार की 'ऑर्बिटल ड्रॉप-ऑफ' का समर्थन करता है।
- SSLV की प्रमुख विशेषताओं में कम लागत, लो टर्न-अराउंड टाइम, कई उपग्रहों को समायोजित करने में लचीलापन, मांग व्यवहार्यता और न्यूनतम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर (launch on demand feasibility) इत्यादि शामिल हैं।
- सरकार ने तीन उड़ानों (एसएसएलवी-डी1, एसएसएलवी-डी2 और एसएसएलवी-डी3) के माध्यम से वाहन प्रणालियों के विकास, योग्यता और उड़ान प्रदर्शन सहित विकास परियोजना के लिये कुल 169 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।
- इसरो के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ को वर्ष 2018 से तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एसएसएलवी (SSLV) को डिज़ाइन और विकसित करने का श्रेय दिया जाता है।
    - SSLV की पहली उड़ान जुलाई 2019 में शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 और अन्य मुद्दों के कारण इसकी उड़न में देरी हो रही है।

- SSLV का महत्त्व:
    - SSLV के विकास और निर्माण से अंतरिक्ष क्षेत्र एवं निजी भारतीय उद्योगों के बीच अधिक तालमेल बनाने की उम्मीद है जो अंतरिक्ष मंत्रालय का एक प्रमुख उद्देश्य है।
        - भारतीय उद्योग के पास पीएसएलवी (PSLV) के उत्पादन हेतु एक सहायता संघ है और एक बार परीक्षण के बाद एसएसएलवी (SSLV) का उत्पादन करने के लिये इन्हें एक साथ आना चाहिये।
    - नव-निर्मित इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के जनादेशों में से एक है- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV और अधिक शक्तिशाली PSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्माण करना।
        - इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग भागीदारों के माध्यम से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये इसरो द्वारा वर्षों से किये गए अनुसंधान और विकास कार्यों का उपयोग करना है।
    - अब तक छोटे उपग्रहों को 'ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान' (PSLV) जो कि 50 से अधिक सफल प्रक्षेपणों की उडान के साथ इसरो का वर्क-हॉर्स (ISRO's Work-Horse) है, के माध्यम से बड़े उपग्रहों के साथ ही लॉन्च किया जाता था, जिसके कारण छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण, बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण पर निर्भर रहता था।

अमेरिका प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम

संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्त्वाकांक्षी अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्री-एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एवं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ (COMPETES) एक्ट, 2022 का अनावरण किया है जो एक नए स्टार्ट-अप वीज़ा के साथ दुनिया भर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिये नए रास्ते खोलने का प्रस्ताव करता है। .

- इसका उद्देश्य आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत बनाना और आने वाले दशकों में चीन तथा बाकी दुनिया को पछाड़ने हेतु देश की अर्थव्यवस्था के नवाचार को फिर से मज़बूत करना है।

प्रमुख बिंदु

- प्रावधान:
    - यूएस में सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अन्य कार्यक्रमों के बीच आपूर्ति शृंखला में लचीलापन, विनिर्माण में सुधार के लिये अनुदान तथा ऋण हेतु 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवधान है।

- सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और आप्रवासन को संबोधित करने हेतु वित्तपोषण। उदाहरण के लिये यह एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणित) पीएचडी के लिये ग्रीन कार्ड सीमा से छूट प्रदान करता है तथा उद्यमियों के लिये एक नया ग्रीन कार्ड बनाता है।
  - ग्रीन कार्ड धारक (स्थायी निवासी) वह व्यक्ति होता है जिसे स्थायी आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
- यह विधेयक/बिल चीन के शिनजियांग में निर्मित सौर घटकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्भरता को कम करने हेतु विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण के लिये प्रतिवर्ष 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी करता है।
- यह किसी स्टार्ट-अप इकाई में एक स्वामित्व हित वाले उद्यमियों, एक स्टार्ट-अप इकाई के आवश्यक कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी और बच्चों के लिये गैर-आप्रवासियों की एक नई श्रेणी- 'W' बनाता है।

- महत्त्व:
  - इसका अर्थ यह है कि अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं और कुशल कामगारों के लिये अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
  - ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष कई भारतीय और भारतीय कंपनियाँ, उस वर्ष जारी किये गए एच-1बी 'वर्क परमिट' का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करती हैं। इस नई श्रेणी के साथ भारतीय पेशेवरों द्वारा उन अवसरों को प्राप्त करने की भी संभावना है, जो अधिनियम द्वारा प्रदान किये जाएंगे।

वर्क वीज़ा:

- परिचय:
  - भारत जैसे विकासशील देशों में आईटी क्रांति, इंटरनेट और कम लागत वाले कंप्यूटरों के आगमन ने अमेरिका में अपेक्षाकृत कम लागत पर काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या को जन्म दिया है जो नियोक्ता और कर्मियों दोनों के लिये एक बेहतरीन स्थिति है।
  - अमेरिकी प्रशासन आईटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल कम लागत वाले कर्मचारियों के रिक्त स्थान भरने हेतु प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वीज़ा जारी करता है।
  - ये वीज़ा अमेरिका के बाहर की कंपनियों को क्लाइंट साइटों पर काम करने के लिये कर्मचारियों को भेजने की अनुमति देते हैं।
- वीज़ा के विभिन्न प्रकार:
  - H1-B वीज़ा::
    - संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक लोगों को H1-B वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक होता है। H1-B वीज़ा वस्तुत: 'इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट' (Immigration and Nationality Act) की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक गैर-अप्रवासी (Non-immigrants) नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा है।
    - यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
  - H2-B वीज़ा:
    - इस तरह के वीज़ा का आवेदन करने के लिये आवेदन पत्र को श्रम विभाग से प्रमाणित होना चाहिये। यह अस्थायी रोज़गार के लिये जारी किया जाता है।
  - L-1 वीज़ा:
    - यह एक गैर-प्रवासी वीज़ा है जिसके तहत कंपनियाँ विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में मौजूद अपनी सहायक कंपनियों या फिर मूल कंपनी में रख सकती हैं।
  - H-4 वीज़ा:
    - H1-B वीज़ा धारकों के आश्रित परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी) को एक H-4 वीज़ा जारी किया जाता है जो कि H1-B वीज़ा धारक के साथ उनके प्रवास के दौरान अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। H-4 वीज़ा के तहत मुख्य आवेदक H1-B वीज़ा धारक ही होता है। H-4 वीज़ा के लिये परिवार के सदस्य जैसे पति/पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे अर्हता प्राप्त हैं और अपने देश के ही अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में आवेदन कर सकते हैं।

स्वच्छता स्टार्ट-अप चुनौती

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (DPIIT) तथा 'फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी' (AFD) के साथ साझेदारी में 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0' के तहत 'स्वच्छता स्टार्ट-अप चैलेंज' शुरू की है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0

- SBM-U 2.0 को अगले पाँच वर्षों में 'कचरा मुक्त शहरों' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 01 अक्तूबर, 2021 में लॉन्च किया गया था।
- यह कचरे के स्रोत व इसके पृथक्करण, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण व विध्वंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी पुराने डंप साइटों के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है।
- इस मिशन के तहत अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जाएगा और सरकार इस जल के अधिकतम पुन: उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इस चुनौती को स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु अभिनव स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया है।
    - यह चुनौती चार विषयगत क्षेत्रों में समाधान आमंत्रित करती है, जिसमें (i) सामाजिक समावेश, (ii) ज़ीरो डंप (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन), (iii) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और (iv) डिजिटल सक्षमता के माध्यम से पारदर्शिता शामिल है।
  - इसका उद्देश्य SBM-U 2.0 के तहत उद्यम विकास के लिये एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है।
  - फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (AFD) 10 चयनित स्टार्ट-अप्स में से प्रत्येक को 25 लाख रुपए की सीड फंडिंग और एक वर्ष की अनुकूलित सहायता प्रदान करेगी।
  - इसके मूल में नवाचार की भावना के साथ स्टार्ट-अप स्पेस में भारत के अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की अपार संभावनाएँ हैं।
    - यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अनुरूप है।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से प्रभावशाली और बाज़ार के व्यावसायिक समाधान हेतु युवा नवोन्मेषकों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करके स्टार्ट-अप आंदोलन को भुनाना है।
- महत्त्व:
  - यह पहल ऐसे समय में की गई है जब फ्राँस और यूरोपीय संघ (यूरोपीय संघ) प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक संधि पर बातचीत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
  - यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज स्टार्ट-अप स्पेस तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसमें भारत 70 से अधिक यूनिकॉर्न (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन को पार कर) के साथ दुनिया में अग्रणी है।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु पहलें:

- वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर वैश्विक नेताओं ने "प्लास्टिक प्रदूषण को हराने" और प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया।
- G-20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों के समूह ने वैश्विक स्तर पर समुद्री प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने हेतु एक नए कार्यान्वयन ढाँचे को अपनाने पर सहमति व्यक्त की।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान के लिये बुनियादी ढाँचे की स्थापना हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय को ज़िम्मेदार होना चाहिये।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा पेश की।

- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक नए राष्ट्रीय ढाँचे के तहत कार्य किया जा रहा है, जो निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में तीसरे पक्ष का ऑडिट शुरू करेगा।

- प्लास्टिक को उसकी मूल्य श्रृंखला से कम करने के लिये समयबद्ध प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के सहयोग से सितंबर 2021 में इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया गया जो एशिया में इस प्रकार का प्रथम पैक्ट था।

वीरता पुरस्कार

73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना के छह कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है।

- इनमें से पाँच को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।
- 'वीरता पुरस्कारों' की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है- गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।

प्रमुख बिंदु

- भारत में वीरता पुरस्कार:
  - स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को प्रारंभिक तीन वीरता पुरस्कार- परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किये गए थे, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।
  - इसके बाद वर्ष 1952 में अन्य तीन वीरता पुरस्कार- 'अशोक चक्र वर्ग-I', 'अशोक चक्र वर्ग-II' और 'अशोक चक्र वर्ग-III' स्थापित किये गए, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।
    - जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया।
  - इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम है- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र।
- पुरस्कार के लिये पात्र लोग:
  - थल सेना, नौसेना और वायु सेना या किसी भी आरक्षित बल, प्रादेशिक सेना तथा किसी अन्य कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सभी अधिकारी इन पुरस्कारों के लिये पात्र हैं।
  - उपर्युक्त कर्मियों के अतिरिक्त मैट्रॉन, नर्स, नर्सिंग सेवाओं के कर्मचारी और अस्पतालों एवं नर्सिंग सेवाओं से संबद्ध कर्मचारी, नियमित या अस्थायी भी इसके लिये पात्र हैं।
- सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:
  - परमवीर चक्र:
    - यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध (चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में या हवा में) के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिये दिया जाता है।
  - महावीर चक्र:
    - यह ज़मीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिये दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।
  - वीर चक्र:
    - यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है।
  - सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार:
    - अशोक चक्र:
    - यह शांतिकाल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई या बलिदान के लिये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है।
    - यह शांतिकाल में विशिष्ट बहादुरी या किसी अन्य साहस या वीरता या आत्म-बलिदान से संबंधित कार्य करने के लिये प्रदान किया जाता है।
    - कीर्ति चक्र:

- यह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और शांति काल में साहसिक कार्रवाई करने या आत्म-बलिदान के लिये दिया जाता है।
- शौर्य चक्र:
- यह असाधारण वीरता के लिये सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है।

- अन्य पुरस्कार:
  - सेना पदक:
  - यह थलसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के कार्यों के लिये दिया जाता है।
  - नौसेना पदक:
  - यह नौसेना में कर्तव्य या साहस के प्रति असाधारण समर्पण के व्यक्तिगत कृत्यों के लिये दिया जाता है।
  - वायुसेना पदक:
  - यह वायुसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के व्यक्तिगत कृत्यों के लिये प्रदान किया जाता है।

क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस)

हाल ही में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (Regional Rapid Transit System- RRTS) के अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि आरआरटीएस (RRTS) लगभग 1.5 लाख निजी वाहनों को सड़क से हटाकर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगी।

- यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद से होते हुए मेरठ (उत्तर प्रदेश) के मोदीपुरम पहुंचेगा।
- राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तरह का पहला आरआरटीएस है जिसकी ट्रैक पर ट्रेन की औसत रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा रहेगी और यात्री 50-60 मिनट में मेरठ पहुँच सकेगें।

प्रमुख बिंदु

- भूमिका:
  - योजना आयोग द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिये एक मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Urban Development) के सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
  - इसे क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली 'क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली' (RRTS) पर विशेष ज़ोर देने के साथ एनसीआर 2032 के लिये एकीकृत परिवहन योजना में शामिल किया गया था।
  - टास्क फोर्स ने 8 कॉरिडोर की पहचान की और कार्यान्वयन हेतु तीन कॉरिडोर अर्थात् दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर को प्राथमिकता दी।
- RRTS के बारे में:
  - 'क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली' NCR में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई, उच्च गति, उच्च क्षमता, आरामदायक कम्यूटर सेवा है।
  - RRTS परंपरागत रेलवे से भी अलग है क्योंकि यह उसकी तुलना में अधिक विश्वसनीय है तथा उच्च गति के साथ अधिक चक्र पूरे करती है।
  - RRTS मेट्रो से अलग है क्योंकि इसमें मेट्रो की तुलना में कम स्टॉप और अधिक गति होती है तथा अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
- इच्छित लाभ:
  - पर्यावरण के अनुकूल: कॉरिडोर से कुल वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से 2.5 लाख टन CO_2 के कम उत्सर्जित होने का अनुमान है जिससे शहर स्वच्छ और रहने के लिये एक बेहतर जगह बन जाएगे ।
  - आर्थिक विकास: कॉरिडोर के साथ सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की हिस्सेदारी को 37% से बढ़ाकर 63% करने का अनुमान है।

- हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास होगा, जिससे एक ही स्थान पर होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों के बजाय समाज के सभी वर्गों और विकास के कई बिंदुओं पर आर्थिक लाभ मिलेगा।
- सतत् शहरीकरण: यह परियोजना भारत के अन्य शहरी क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले रैपिड शहरी ट्रांज़िट कॉरिडोर विकसित करने हेतु एक मॉडल के रूप में काम करेगी।
  - यह NCR में यातायात की भीड़ और परिवहन क्षेत्र से कुल उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।

भारतीय अनार के लिये बांग्लादेश शीर्ष गंतव्य

बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिये शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है।

- पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) में भारत ने 68,502.9 टन फलों का निर्यात किया था, जिसमें से 36,906.77 टन (50% से अधिक) बांग्लादेश को किया गया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अनार (पुनिका ग्रेनटम) दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है।
    - यह अर्द्ध-शुष्क परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे औसत समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊँचाई तक उगाया जा सकता है। यह गर्म एवं शुष्क तथा सर्दियों में अच्छी तरह से उगता है, बशर्ते कि उपयुक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो।
  - अनार अधिकांशत: महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में उगाया जाता है, अनार राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये एक प्रमुख निर्यात फसल के रूप में उभरा है।
  - पिछले कुछ वर्षों में भारतीय निर्यात लगभग 50,000-60,000 टन पर स्थिर हो गया है, क्योंकि फलों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने के कारण विकास क्षमता प्रभावित हुई है।
  - जबकि यूरोपीय संघ एक प्रमुख बाज़ार है जहाँ फल प्रीमियम मूल्य प्राप्त करते हैं और वहाँ गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले मानक अधिक हैं।
    - निर्यात के लिये तैयार फलों की अनुपलब्धता ने पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय निर्यातकों के आकर्षण को कम किया है।
- बांग्लादेश में निर्यात वृद्धि के कारण:
  - परिवहन में आसानी और अपेक्षाकृत आसान आयात मानदंडों (Ease of transportation and relatively relaxed import norms) ने भारतीय उत्पादकों को अपने फल (fruit) बांग्लादेश ले जाने में मदद की है, भले ही यूरोपीय देशों को निर्यात के हिस्से में गिरावट आई है।
  - यह फल (fruit) पूरे वर्ष बांग्लादेश को निर्यात किया जा सकता है और इस प्रकार यूरोपीय मौसम समाप्त होने पर भी अपनी उपज भेज सकते हैं।
    - यह कार्य-अध्ययन से संबंधित ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों पर छात्रों हेतु है।

पद्म पुरस्कार 2022

जनरल बिपिन रावत (पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ), जिनकी हाल ही में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान राज्य का नेतृत्व किया, को गणतंत्र दिवस (73वें) की पूर्व संध्या पर मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

पद्म शृंखला का हिस्सा, पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को की जाती है।

- ◆ वर्ष 1954 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
- उद्देश्य:
  - ◆ यह ऐसी सभी विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है, जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्त्व शामिल हो।
- श्रेणियाँ:
  - ◆ ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं:
    - पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये)
    - पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा)
    - पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा)
    - पद्म भूषण और पद्म श्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है।
- संबंधित क्षेत्र:
  - ◆ ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं, जैसे- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि।
- चयन प्रक्रिया:
  - ◆ पद्म पुरस्कार समिति: ये पुरस्कार 'पद्म पुरस्कार समिति' द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किये जाते हैं, जिसका गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
  - ◆ राष्ट्रपति द्वारा प्रदत: ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर प्रतिवर्ष मार्च/अप्रैल के महीने में प्रदान किये जाते हैं।

भारत रत्न:

- भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा/उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है।
- इसकी घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है। भारत रत्न की सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती हैं।
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम तीन तक हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस (25 जनवरी) पर लोगों को बधाई दी।

राजकीय जंतु: हिम तेंदुआ

राजकीय पक्षी: वेस्टर्न ट्रेगोपेन

राजकीय पुष्प: पिंक रोडोडेंड्रोन/ या बुरांस या बुरुंश

राजकीय भाषा: हिंदी और स्थानीय बोलियाँ

प्रमुख नदियाँ और बाँध: सतलुज (भाखड़ा बाँध, गोबिंद सागर जलाशय, कोल्डम बाँध), व्यास (पंडोह बाँध, महाराणा प्रताप सागर जलाशय), रावी (चमेरा बाँध), पार्वती

प्रमुख झीलें: रेणुका, रेवलसर, खज्जियार, दाल, ब्यास कुंड, दसौर, ब्रिघू, पराशर,मणि महेश, चंदर ताल, सूरज ताल, करेरी, सरोलसर, गोविंद सागर, नाको झील

राष्ट्रीय उद्यान: ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा, इंदरकिला तथा सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान

प्रमुख बिंदु

ब्रिटिश शासन के दौरान का इतिहास:

- वर्ष 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद पहाड़ी ब्रिटिश क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए।
- ब्रिटिश शासन के दौरान चंबा, मंडी और बिलासपुर राज्यों ने कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की।

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान पहाड़ी राज्यों के लगभग सभी शासक वफादार रहे और उन्होंने सैनिकों एवं आवश्यक सामग्रियों दोनों के रूप में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों मंम योगदान दिया।

स्वतंत्रता के बाद का इतिहास:

- स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद वर्तमान हिमाचल प्रदेश के इतिहास की रूपरेखा नीचे दी गई है:
    - हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल, 1948 को अस्तित्व में आया था।
    - हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के कार्यान्वयन के साथ 'भाग C' राज्य (भाग VII के तहत) बन गया।
    - 1 जुलाई, 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया।
    - राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर, 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश बना।
    - कांगड़ा और पंजाब के अधिकांश अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को 1 नवंबर, 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, हालाँकि तब भी यह एक केंद्रशासित प्रदेश ही रहा।
    - 18 दिसंबर, 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी, 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के अठारहवें राज्य के रूप में सामने आया। तब से हिमाचल प्रदेश ने एक लंबा सफर तय किया है। इसने कई पूर्ण सरकारों का कार्यकाल देखा है जिन्होंने राज्य को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है।

राज्य पुनर्गठन आयोग

- ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के लिये 500 से अधिक रियासतों को प्रभावी प्रांतीय इकाइयों में पुनर्गठित करना सबसे बड़े कार्यों में से एक था।
- इसी क्रम में एस. के. धर आयोग (1948) और जेवीपी समिति (1948) ने भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय आत्मनिर्भरता तथा विकास की क्षमता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की।
- हालाँकि आंध्र राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामालू (Potti Srirammalu) की अचानक मौत के कारण एक अस्थिर स्थिति पैदा हो गई थी।
- वर्ष 1953 में फज़ल अली आयोग की स्थापना की गई और भाषायी मानदंडों (अन्य मानदंड भी शामिल थे) के आधार पर राज्य के पुनर्गठन हेतु इसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था।

यूएस फेडरल रिज़र्व और भारतीय बाज़ार

हाल ही में यूएस फेडरल रिज़र्व (अमेरिका का केंद्रीय बैंक) ने ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी का संकेत दिया है। इससे भारतीय बाज़ारों में घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है।

फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में परिवर्तन या अन्य फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि यह अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों पर एक निश्चित प्रभाव डालता है।

प्रमुख बिंदु

- फेडरल रिज़र्व और भारतीय बाज़ारों का सह-संबंध:
    - भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकसित देशों जैसे- अमेरिका और कई (मुख्य रूप से पश्चिमी) यूरोपीय देशों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च ब्याज दरें होती हैं।
    - अत: वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors- FIIs), कम ब्याज दरों पर अमेरिका से पैसा उधार लेकर उस पैसे को अधिक ब्याज दर पर उभरते देशों के सरकारी बॉण्ड में निवेश करते हैं।
    - जब फेडरल रिज़र्व अपनी घरेलू ब्याज दरों को बढ़ाता है तो दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच अंतर कम हो जाता है, इस प्रकार भारतीय मुद्रा बाज़ार के लिये कम आकर्षक रह जाता है।

- यह भारत को करेंसी कैरी ट्रेड (Currency Carry Trade) हेतु कम आकर्षक बनाता है जिसके परिणामस्वरूप कुछ धन के भारतीय बाज़ारों से बाहर निकलने और अमेरिका में वापस आने की उम्मीद की जा सकती है।
- करेंसी कैरी ट्रेड एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत अधिक उपज वाली मुद्रा में निवेश के लिये कम उपज वाली मुद्रा का कम ब्याज दर के साथ व्यापार किया जाता है।
- इसलिये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है।

- भारत पर बढ़ी हुई ब्याज दरों का प्रभाव:
  - इक्विटी मार्केट पर प्रभाव:
    - वैश्विक बाज़ार में डॉलर की बढ़ती कमी से बॉण्ड यील्ड (Bond Yields) में बढ़ोतरी होगी।
    - इससे पहले, भारत में ऋण और इक्विटी बाज़ारों में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बहिर्वाह देखा गया था जो कि मज़बूत डॉलर एवं अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ तथा अन्य प्रमुख देशों के बीच व्यापार युद्ध से उत्पन्न अनिश्चितताओं का प्रतिफल था।
  - निर्यात और विदेशी मुद्रा पर प्रभाव:
    - भारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देशों में से एक है।
    - डॉलर की तुलना में कमज़ोर रुपए के परिणामस्वरूप कच्चे तेल का अधिक महँगा आयात होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागत-संचालित मुद्रास्फीति (Cost-Driven Inflationary) को बढा सकता है जो कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
    - दूसरी ओर भारत के निर्यात विशेष रूप से आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं को रुपए के संबंध में मज़बूत डॉलर से कुछ हद तक लाभ होगा।
    - हालाँकि निर्यात बाज़ार में मजबूत प्रतिस्पर्द्धा के कारण निर्यातकों को पूरी तरह से एक समान लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

धार्मिक तीर्थयात्राओं पर भारत-पाकिस्तान संयुक्त प्रोटोकॉल, 1974

हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने घोषणा की है कि भारत धार्मिक तीर्थयात्रा पर वर्ष 1974 के संयुक्त प्रोटोकॉल के उन्नयन पर पाकिस्तान के साथ बातचीत में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और संलग्न होने के लिये तैयार है।

- यह हवाई यात्रा की अनुमति देगा और साथ ही दोनों देशों के तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।
- भारत सरकार करीब 20 महीने बाद पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर (Kartarpur Sahib Gurudwara Corridor) को फिर से खोलने पर विचार कर रही है ताकि सिख तीर्थयात्रियों को वहाँ से गुज़रने की अनुमति मिल सके। इसे कोविड -19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था।
- इससे पहले भारत तथा पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - प्रोटोकॉल के तहत दोनों देश ऐसे तीर्थस्थलों की यात्रा की सुविधा हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं:
    - धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव के बिना एक देश से दूसरे देश में तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जल्द ही पत्राचार के माध्यम से दर्शन किये जाने वाले तीर्थस्थलों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
    - सहमत सूची को समय-समय पर आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
    - प्रोटोकॉल में वर्तमान में भारतीय पक्ष में पाँच मुस्लिम तीर्थस्थल और पाकिस्तानी पक्ष में 15 तीर्थस्थल शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश गुरुद्वारे हैं।
    - प्रतिवर्ष एक देश से दूसरे देश में 20 दलों को यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। इस संख्या को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

- यह सुनिश्चित करने के लिये हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिये कि सहमत सूची में उल्लिखित धार्मिक पूजा स्थलों का उचित रखरखाव हो और उनकी पवित्रता बनी रहे।
- ऐसे आगंतुकों/विज़िटर्स को विज़िटर कैटेगरी (Visitor Category) का वीजा दिया जाएगा।

- करतारपुर कॉरिडोर:
  - करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक साहिब से जोड़ता है।.
  - यह कॉरिडोर 12 नवंबर, 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के अवसर पर बनाया गया था।

निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया नया परजीवी पौधा

हाल ही में निकोबार द्वीप समूह में परजीवी फूल वाले पौधे का एक नया जीनस (सेप्टेमेरंथस) खोजा गया है।

- सेप्टेमेरंथस के अलावा, गैर-परजीवी पौधों के चार अन्य जीनस निकोबारियोडेंड्रोन (हिप्पोक्रेटेसी), स्यूडोडिप्लोस्पोरा (रूबियासी), प्यूबिस्टिलिस (रूबियासी), स्पिरेंथेरा, (यूफोरबियासी) भी निकोबार द्वीप समूह से खोजे गए हैं, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्त्व को उजागर करते हैं।

परजीवी पौधा:

- ऐसा पौधा जो अपने पोषण का पूरा या कुछ हिस्सा दूसरे पौधे (पोषक) से उसे बिना लाभ प्रदान किये प्राप्त करता है एवं कभी-कभी उस मेजबान पौधे को अत्यधिक नुकसान पहुँचाता है।
- एक परजीवी पौधे की परिभाषित संरचनात्मक विशेषता 'हौस्टोरियम' है, यह एक विशेष अंग है जो मेजबान पौधे में प्रवेश करता है और दोनों के बीच एक संवहनी संघ का निर्माण करता है।
- परजीवी पौधे, क्लाइम्बिंग वाइंस, लियनास, एपिफाइट्स और एरोफाइट्स आदि से अलग होते हैं। बाद वाले परजीवी नहीं होते हैं, क्योंकि वे अन्य पौधों का उपयोग पानी या पोषक तत्त्वों के प्रत्यक्ष स्रोत के बजाय केवल एक संरचना के रूप में करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - 'सेप्टेमेरंथस' जीनस पौधे की प्रजाति 'हॉर्सफील्डियाग्लाब्रा' (ब्लूम) वारब के सहारे बढ़ता है।
  - 'सेप्टेमेरंथस' केवल आंशिक रूप से अपने मेज़बान पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्षम पत्ते भी मौजूद होते हैं।
  - यह केवल निकोबार द्वीप समूह के लिये ही स्थानिक है।
  - 'सेप्टेमेरंथस' नाम लैटिन शब्द 'सेप्टम' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सात', जो फूलों की व्यवस्था के क्रम का वर्णन करता है।
  - यह जीनस 'लोरेंथेसी' परिवार से संबंधित है, जो सैंडलवुड (चंदन) ऑर्डर के तहत एक हेमी-पैरासाइट है, जो कि काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
    - हेमी-पैरासाइट पौधे अपने पोषण के लिये आंशिक रूप से अपने मेज़बान पौधों पर निर्भर होते हैं।
- विशेषताएँ:
  - पौधे की पत्तियाँ बहुत लंबी नोक वाली दिल के आकार की होती हैं तथा अंडाशय, फल और बीज 'यूर्सोलेट (urceolate)' (मिट्टी के घड़े के आकार के) होते हैं।
  - इसकी एक संशोधित जड़ संरचना पेड़ के तने पर फैली रहती।
- अर्द्ध-परजीवी (Hemi-Parasites):
  - अर्द्ध-परजीवी को आमतौर पर मिस्टलेटो (mistletoes) के रूप में भी जाना जाता है जिसमें लगभग 2,200 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं।
  - दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण आवासों में इनके वितरण को विकसित और प्रदर्शित करने के लिये उन्हें एक पोषिता पेड़ या झाड़ी की आवश्यकता होती है जो क्रम में लगभग पाँच गुना विकसित और वन पारिस्थितिकी, विकृति विज्ञान एवं चिकित्सा में महत्त्वपूर्ण हैं।
  - वे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे फ्रुजीवोरस (frugivorous- फलों को खाने वाले) पक्षियों के लिये भोजन प्रदान करते हैं।

विविध

तिरुवल्लुवर दिवस

प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी, 2022 को तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को उनकी जयंती 'तिरुवल्लुवर दिवस' (Thiruvalluvar Day) के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह पहली बार 17-18 मई को वर्ष 1935 में मनाया गया था। वर्तमान समय में इसे आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है और यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। तिरुवल्लुवर जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि-संत थे। धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है सामान्यत: उन्हें तीसरी-चौथी या आठवीं-नौवीं शताब्दी का माना जाता है। सामान्यत: उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालाँकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे। द्रविड़ समूहों (Dravidian Groups) ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या 'कुराल' (Tirukkural or 'Kural') की रचना की गई थी। वर्ष 2009 में बंगलूरू के पास उलसूर में प्रसिद्ध तमिल कवि की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। लंदन के रसेल स्क्वायर में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के बाहर भी वल्लुवर की एक प्रतिमा लगाई गई है। तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊँची प्रतिमा कन्याकुमारी में भी है। अक्तूबर 2002 में तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले में तमिलनाडु सरकार द्वारा तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1976 में वल्लुवर कोटम नामक एक मंदिर-स्मारक चेन्नई में बनाया गया जो एशिया में सबसे बड़े सभागारों में से एक है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में चेन्नई के मायलापुर में एकमबेश्वरेश्वर मंदिर परिसर में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक मंदिर बनाया गया था।

इब्राहिम बाउबकर केस्टा

माली के अपदस्थ राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर केस्टा का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केस्टा ने माली का वर्ष 2020 (सात साल) तक नेतृत्व किया, जिहादी अशांति से निपटने के लिये सरकार विरोधी भारी आंदोलन के बाद उन्हें तख्तापलट में हटा दिया गया था। आर्थिक संकट और विवादित चुनावों ने भी उनके शासन के खिलाफ प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया। केस्टा तीन दशकों से अधिक समय तक राजनीति में शामिल रहे, उन्होंने वर्ष 1994 से 2000 तक समाजवादी प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म कौटियाला में हुआ, उनके पिता एक सिविल सेवक थे, उन्होंने पेरिस में साहित्य, इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया। वह वर्ष 1980 में माली लौटने से पूर्व वे यूरोपीय विकास कोष के सलाहकार के रूप में पहली बार काम करने से पहले पेरिस विश्वविद्यालय में अध्यापन सहित दशकों तक फ्राँस में रहे और काम किया। वर्ष 2012 में आज़ादी और जिहादी विद्रोहों के फैलने के बाद से माली सुरक्षा एवं राजनीतिक संकट की चपेट में है। राष्ट्रपति केस्टा वर्ष 2013 में "शांति और सुरक्षा लाने" के वादे पर चुने गए, लेकिन फिर भी उनकी सरकार माली की गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को समाप्त करने में विफल रही, और उन्हें अगस्त 2020 में सेना द्वारा हटा दिया गया।

नई दिल्ली में योनेक्स-सनराइज़ इंडिया ओपन बैडमिंटन

भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू को शनिवार को यहां योनेक्स-सनराइज़ इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा जबकि विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने अपने पहले विश्व टूर सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। उत्तराखंड के 20 साल के खिलाड़ी लक्ष्य ने विश्व रैंकिंग में 60वें स्थान पर काबिज मलेशिया के नग त्जे योंग को पुरूष एकल के अंतिम चार मुकाबले में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 19-2, 21-16, 21-12 से हराया। शीर्ष वरीय और घरेलू प्रबल दावेदार सिंधू को महिला एकल के सेमीफाइनल में थाइलैंड की छठी वरीय सुपानिडा काटेथोंग से 14-21, 21-13, 10-21 से पराजय झेलनी पड़ी। पुरूष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की दुनिया की 10वें नंबर की जोड़ी ने फ्राँस के विलियम विलेगर और फैबियन डेलरू की जोड़ी को 21-10 21-18 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

नोट :

इब्राहिम अश्क

मशहूर गीतकार इब्राहिम अश्क (Ibrahim Ashq) का रविवार को निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे और साथ ही निमोनिया के भी मरीज़ थे। इब्राहिम अश्क मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनकी पहचान एक गीतकार के साथ शायर की भी थी। उन्होंने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी और कई अखबार एवं मैग्ज़ीन के लिये काम किया था। इब्राहिम अश्क की शुरुआती पढ़ाई उज्जैन के बंदनगर से हुई। इंदौर विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री ली। बॉलीवुड में उन्होंने 'कहो ना प्यार है', 'कोई मिल गया', 'जानशीन', 'ऐतबार', 'आप मुझे अच्छे लगने लगे', 'कोई मेरे दिल से पूछे' और 'धुंध' जैसी फिल्मों के लिये गाने लिखे। 'कहो ना प्यार है' का टाइटल ट्रैक, गाना 'ना तुम जानो ना हम' उन्होंने ही लिखा था।

बिरजू महाराज

हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे 83 साल के थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। उनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। वे कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभु महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज ने डेढ़ इश्किया, देवदास, उमराव जान और बाजी राव मस्तानी जैसी कामयाब और हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाने वाली फिल्मों के लिये डांस कोरियोग्राफ की। उन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस

राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रदेश की पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। इस संबंध में जारी सूचना के मुताबिक, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) इस वर्ष अप्रैल माह तक तकरीबन 300 और नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। हालाँकि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी में कुल 2000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करना है, जो कि प्रदेश में प्रदूषण का मुकाबला करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है। इलेक्ट्रिक बसें न्यूनतम 120 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और प्रदेश में कुछ निश्चित स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था की जाएगी। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व बीते वर्ष दिसंबर माह में कर्नाटक ने सार्वजनिक परिवहन हेतु अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की थी। कर्नाटक राज्य की सड़कों पर इस समय 25 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इन बसों में रीयल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PIS), आपात स्थिति हेतु पैनिक बटन, ऑटोमेटिक बस व्हीकल लोकेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्टॉप रिक्वेस्ट बटन आदि जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।

'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार'

हाल ही में नगालैंड के 'सोम' ज़िला प्रशासन को 'कोविड-19 के प्रबंधन में आईसीटी के उपयोग' संबंधी श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार- 2020-21' प्रदान किया गया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'सोम' ज़िला प्रशासन ने 'प्रशासन की सहायता में प्रौद्योगिकी' नामक पहल के तहत कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और आम जनमानस की कठिनाई को कम करने हेतु व्यापक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी विभिन्न उभरती तकनीकों का उपयोग किया। इस व्यवस्था के तहत विभिन्न योजनाओं और पहलों के निर्माण व कार्यान्वयन के लिये क्षेत्रीय स्तर पर कई निजी कंपनियों एवं गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया। ज्ञात हो कि यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित ई-गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया। 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार' प्रतिवर्ष ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किये जाते हैं। इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।

'इंडिया ओपन बैडमिंटन' टूर्नामेंट

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 'लक्ष्य सेन' ने हाल ही में पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के मौजूदा विश्व चैंपियन को हराकर 'इंडिया ओपन बैडमिंटन' टूर्नामेंट जीत लिया है। 20 वर्षीय खिलाड़ी 'लक्ष्य सेन' का 'विश्व बैडमिंटन संघ' दौरे पर यह पहला 'सुपर 500' खिताब है। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2021 विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में श्रीकांत से हारकर कांस्य पदक जीता था। इंडिया ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जो वर्ष 2008 से भारत में आयोजित की जा रही है और यह एक BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 ग्रेड अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का हिस्सा है।

छत्तीसगढ़ 'रोज़गार मिशन'

छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी पाँच वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक 'रोज़गार मिशन' स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस मिशन के तहत राज्य सरकार राज्य में रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों की विशेषज्ञता का भी लाभ उठाएगी। गौरतलब है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) द्वारा वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर 2.1% है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में यह चौथे स्थान पर है।

सुगंधित पौधे

जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने जम्मू-कश्मीर में एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान CSR फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत शुरू किया गया ताकि उत्पादकों को बड़े पैमाने पर सुगंधित पौधों की खेती करने में मदद मिल सके। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान (Indian Institute of Integrative Medicine – IIIM) के विभाग द्वारा इस जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किया गया और कृषि विभाग द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम शुरू किये गए। इन पौधों की मदद से उत्पादक और युवा उद्यमी अपनी इकाइयाँ स्थापित कर तथा रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर अन्य लोगों को भी इस अभियान में शामिल कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अपने ज्ञान को साझा करेंगे ताकि उत्पादकों को सही दृष्टिकोण लागू करने और नुकसान से बचने में मदद मिल सके। सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण के बारे में उत्पादकों को उचित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुगंधित पौधे वे होते हैं जिनमें सुगंधित यौगिक पाए जाते हैं, मूल रूप से आवश्यक तेल (Essential Oils)। ये आवश्यक तेल (Essential Oils) कमरे के तापमान पर अस्थिर होते हैं और गंधयुक्त, हाइड्रोफोबिक और अत्यधिक केंद्रित होते हैं। उन्हें फूल, कलियों, बीज, पत्तियों, छाल, टहनियों, फलों, जड़ों और लकड़ी से प्राप्त किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट

फरवरी 2017 में मलयालम फिल्म उद्योग (मोलीवुड) की प्रमुख महिला अभिनेत्री का एक फिल्म में पुरुषों के एक समूह द्वारा अपहरण और यौन उत्पीड़न किया गया था। अभिनेत्री के सहयोगी और मुख्य अभिनेता दिलीप को आरोपी/साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया, जिसने यौन उत्पीड़न और अपराध करने के लिये पैसे दिये थे। इसमें लगभग 20 गवाह अभियुक्तों के प्रभाव को देखते हुए अभियोजन पक्ष से मुकर गए और हाल ही में एक नया मामला दर्ज किया गया है। हालाँकि इस घटना ने महिला अभिनेत्रियों द्वारा की गई शिकायतों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिससे बाकी महिला अभिनेताओं के उत्पीड़न को प्रकाश में लाया गया। उसी समय 'वूमेन इन सिनेमा कलेक्टिव' द्वारा एक ज्ञापन (मोलीवुड में महिला कलाकारों द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव और उत्पीड़न पर प्रकाश डालने के लिये) प्रस्तुत किया गया था। इस समिति का गठन 01 जुलाई, 2017 को किया गया था और दो साल बाद 31 दिसंबर, 2019 को 5000 पृष्ठ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तब से, इसमें निहित जानकारी की 'संवेदनशीलता' के कारण रिपोर्ट को "गोपनीय" रखा गया है। रिपोर्ट के खुलासे के लिये आरटीआई अनुरोधों को खारिज़ कर दिया गया है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, समिति की सिफारिशों का वर्तमान में विश्लेषण किया जा रहा है।

जागरूक वोटर कैंपेन

हाल ही में मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिये ट्विटर ने "जागरूक वोटर" अभियान शुरू किया है। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले, ट्विटर ने गुरुवार को 'जागरूक वोटर' अभियान के तहत कई पहलों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य नागरिकों को 'अपना वोट डालने से पहले सही ज्ञान' के साथ सशक्त बनाना है। ट्विटर की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक ओपन इंटरनेट द्वारा संचालित ये पहले न केवल मतदाता द्वारा मतदान को सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करती हैं कि मतदाता पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हों और सभी एक 'जागरुक वोटर' की भूमिका निभाएँ। ट्विटर द्वारा प्रारंभ की गई अन्य पहलों में "अधिसूचना एवं अनुस्मारक तंत्र" के साथ समर्थित एक अनुकूलित इमोजी को लॉन्च करना शामिल है, जो मतदाताओं को मतदान शुरू होने के दिन अनुस्मारक के लिये स्वेच्छा से साइन-अप करने की अनुमति देता है एवं ट्विटर ने भारत के चुनाव आयोग (@ECISVEEP) द्वारा संचालित अपने समर्पित खोज संकेत का विस्तार किया है, ताकि लोगों को विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से चुनावों पर रीयल-टाइम अपडेट और विकास किया जा सके।

विश्व आर्थिक मंच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी, 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस एजेंडा में अपना 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड' विशेष संबोधन दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड -19 के संकट से निपटने तथा टीकाकरण अभियान के प्रबंधन में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। कोविड-19 महामारी पर डेटा, आँकड़े और तथ्यों के साथ उन्होंने भारत को भविष्य की तकनीक के साथ-साथ विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत को विश्व समुदाय के एक अनिवार्य सदस्य के रूप में भी संबोधित किया। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। यह फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा को आकार देने के लिये राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संगठन है जिसका स्वयं का कोई हित नहीं है। यह फोरम स्विट्ज़रलैंड के पूर्वी आल्पस क्षेत्र दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिये प्रसिद्ध है। इस वर्ष 22-26 जनवरी को आयोजित की जाने वाली बैठक विश्व आर्थिक मंच की 48वीं सालाना बैठक होगी।

क्षुद्रग्रह 1994 PC1

हाल ही में क्षुद्रग्रह 1994 PC1 पृथ्वी के पास से 12 लाख मील की दूरी से गुज़रा। यह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी का पाँच गुना है, इसलिये इस क्षुद्रग्रह से पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इसे "7482" के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई एक किलोमीटर से अधिक है। इस क्षुद्रग्रह की गति 45,000 मील प्रति घंटा है। यह एक पथरीला क्षुद्रग्रह है। इसे संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह की श्रेणी में रखा गया है और निकट-पृथ्वी वस्तु (near – earth object) श्रेणी के अंतर्गत भी रखा गया है। क्षुद्रग्रहों को कभी-कभी 'छोटे ग्रह' (minor planets) भी कहा जाता है। ये चट्टानी अवशेष हैं, जिन्हें लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व सौरमंडल के आरंभिक निर्माण के दौरान छोड़ दिया गया था। सभी क्षुद्रग्रहों का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के उपग्रह के द्रव्यमान से कम होता है। 150 से अधिक क्षुद्रग्रहों के दो चन्द्रमा हैं। इसलिये इन्हें 'बाइनरी क्षुद्रग्रह' भी कहा जाता है। इनमें एक समान आकार के दो चट्टानी पिंड एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इनका वर्गीकरण मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी (main asteroid belt), ट्रोजन्स (trojans) और पृथ्वी के समीप उपस्थित क्षुद्रग्रह (near earth asteroids) में किया जाता है।

जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण

हाल ही में जलवायु अनुसंधान और सेवाएँ (Climate Research and Services-CRS) के वैज्ञानिकों द्वारा भारत के लिये एक जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस (Climate Hazards and Vulnerability Atlas) का निर्माण किया गया है। CRS भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के तहत कार्य करता है। वैज्ञानिकों द्वारा 14 चरम मौसम की घटनाओं के आधार पर इस एटलस का निर्माण किया गया है। उन्होंने स्थानीय आबादी और उनकी अर्थव्यवस्था पर इन 14 मौसम की घटनाओं द्वारा प्रस्तुत किये गए जोखिमों व खतरों पर भी विचार किया। यह गर्मी की लहरों, ठंडी लहरों, अत्यधिक वर्षा, गरज, बिजली और बर्फबारी, चक्रवात, हवाओं तथा कोहरे एवं ओलावृष्टि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह भेद्यता मूल्य और जोखिम मूल्य प्रदान करता है। इन मूल्यों की गणना मौसम विभाग के ऐतिहासिक जलवायु डेटा का उपयोग करके की गई है। यह नक्शा प्रत्येक ज़िले के लिये सामान्यीकृत भेद्यता सूचकांक प्रदान करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Science- MoES) की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।

ऑपरेशन सर्द हवा

राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर 23 से 28 जनवरी तक बीएसएफ का 'ऑपरेशन सर्द हवा' चलेगा। इसके तहत सीमा पर तारबंदी के आसपास निगरानी को बढ़ाया जाएगा। सर्दियों (Winter) के दिनों में कोहरे (Fog) और धुंध के कारण सीमा पार से घुसपैठ व किसी भी तरह की नापाक हरकत से निपटने के लिये सीमा सुरक्षा बल 'हाई अलर्ट' पर आ जाता है। बल अपने नियमित अभ्यास के तहत गर्मी में 'ऑपरेशन गर्म हवा' और सर्दी में 'ऑपरेशन सर्द हवा' चलाता है। ये अभियान हर वर्ष चलते है और इस दौरान सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। 'ऑपरेशन सर्द हवा' के दौरान सीमा पर बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग भी एक्टिव रहती है और अन्य खुफिया एजेंसियों से भी बीएसएफ का तालमेल रहता है। इस दौरान हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। ऑपरेशन सर्द हवा (Operation Sard Hawa) में सीमा से सटी पुलिस चौकियों की विशेष भूमिका रहेगी साथ ही निगरानी को और बढ़ाया जाएगा।

आईएनएस रणवीर

हाल ही में मुंबई नेवल डाकयार्ड में एक हादसे के दौरान तीन नौसैनिक कर्मियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आईएनएस रणवीर के अंदरूनी हिस्से में एक धमाका हुआ है, जिसमें तीन नौसैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।आईएनएस रणवीर भारतीय नौसेना के लिये बनाए गए पाँच राजपूत श्रेणी के विध्वंसक में से चौथा है। आईएनएस रणवीर को 28 अक्तूबर, 1986 को कमीशन किया गया था। आईएनएस रणवीर नवंबर, 2021 से पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। मामले की जाँच के लिये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिये गए हैं। आईएनएस रणवीर के साथ आईएनएस मैसूर को 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये श्रीलंकाई क्षेत्रीय जल के बाहर भेजा गया था। 22-26 मई 2015 को आईएनएस रणवीर ने आईएनएस शक्ति के साथ सिंगापुर का दौरा किया। 31 मई - 4 जून, 2015 को आईएनएस रणवीर ने आईएनएस शक्ति के साथ इंडोनेशिया के जकार्ता में एक पोर्ट कॉल किया।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल

प्रतिवर्ष 19 जनवरी को 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल' (NDRF) का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल' ने अपना 17वाँ स्थापना दिवस मनाया। 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल' (NDRF) की स्थापना वर्ष 2006 में 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत 6 बटालियनों के साथ की गई थी। वर्तमान में NDRF में 12 बटालियन हैं, जिनमें BSF और CRPF से तीन-तीन तथा CISF, SSB एवं ITBP से दो-दो बटालियन हैं एवं इसकी प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। स्थापना के बाद से NDRF ने अपनी कार्यकुशलता से देश तथा विदेशों में प्रशंसा प्राप्त की है। 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल' (NDRF) प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करने, राहत व बचाव कार्यों में जुटी अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने, आपदा क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने एवं राहत सामग्री का वितरण करने आदि में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पिछले कुछ वर्षों में NDRF वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा है। NDRF का महानिदेशक एक IPS अधिकारी होता है। वर्तमान में IPS अधिकारी एस.एन. प्रधान NDRF के महानिदेशक हैं।

TOI-2180 b: विशाल गैसीय ग्रह

नासा के एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी से लगभग 379 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल गैसीय ग्रह की खोज की है, जो सूर्य के समान द्रव्यमान वाले एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। बृहस्पति के आकार का यह विशाल 'TOI-2180 b' गैसीय ग्रह खगोलविदों के लिये विशिष्ट है, क्योंकि हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद कई ज्ञात गैस ग्रहों की तुलना में इसका 261 दिन का एक वर्ष तुलनात्मक रूप से काफी लंबा है। 'TOI-2180 b' बृहस्पति ग्रह से लगभग तीन गुना अधिक विशाल है, लेकिन इसका व्यास बृहस्पति ग्रह के ही समान है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह ग्रह बृहस्पति ग्रह से अधिक सघन है। गौरतलब है कि हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह प्रति 12 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है; जबकि शनि सूर्य की परिक्रमा में 29 वर्ष लगते हैं। लगभग 170 डिग्री फारेनहाइट के औसत तापमान के साथ 'TOI-2180 b' बृहस्पति और शनि ग्रह सहित हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की तुलना में अधिक गर्म है।

मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य दिवस

21 जनवरी, 2022 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि 21 जनवरी, 1972 को ये तीनों राज्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अधिनियम (पुनर्गठन), 1971 के तहत पूर्ण राज्य बने थे। भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन पर भारत सरकार के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन' पर हस्ताक्षर किये थे। वहीं 15 नवंबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय होने से पहले त्रिपुरा एक रियासत थी। त्रिपुरा रियासत के अंतिम राजा बीर बिक्रम का भारत की आज़ादी से ठीक पहले 17 मई, 1947 को निधन हो गया। इसके पश्चात् रानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा रियासत के भारतीय संघ के साथ विलय में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1947 में गारो एवं खासी क्षेत्र के शासकों ने भारतीय संघ में प्रवेश किया। मेघालय, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा पहाड़ी राज्य है जो 2 अप्रैल, 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। मेघालय राज्य में संयुक्त रुप से खासी एवं जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स ज़िले शामिल थे।

नोट :

सानिया मिर्ज़ा

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। सानिया मिर्ज़ा के मुताबिक, वर्ष 2022 के सीज़न में वे अपना आखिरी मैच खेलेंगी। टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपने असाधारण कॅरियर में 35 वर्षीय सानिया मिर्ज़ा ने छह ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 'महिला टेनिस संघ' युगल रैंकिंग के शिखर तक पहुँची हैं। सानिया मिर्ज़ा 'महिला टेनिस संघ' एकल रैंकिंग में शीर्ष 30 में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसके अलावा वह वर्ष 2005 में डब्ल्यूटीए एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं।

कोयला दर्पण' पोर्टल

कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) को आम लोगों के साथ साझा करने हेतु कोयला मंत्रालय ने हाल ही में 'कोयला दर्पण' पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत प्रारंभिक चरण में मुख्य तौर पर कोयला/लिग्नाइट उत्पादन, कोयला/लिग्नाइट की कुल खरीद, अन्वेषण डाटा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ, ताप-विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ, कोयला ब्लॉकों का आवंटन और कोयला मूल्य से संबंधित संकेतक प्रदान किये जाएंगे। गौरतलब है कि कोयला विश्व स्तर पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में तथा लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को 'थर्मल पावर' कहते हैं। कोयले को मुख्यत: चार रैंकों में वर्गीकृत किया जाता है: एन्थ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब-बिटुमिनस और लिग्नाइट। यह रैंकिंग कोयले में मौजूद कार्बन के प्रकार व मात्रा तथा कोयले की उष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल हैं।

मॉरीशस में प्रमुख मेट्रो स्टेशन 'महात्मा गांधी' के नाम पर

मॉरीशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के लिये भारत के समर्थन हेतु आभार प्रकट करने हेतु अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम राष्ट्रपिता 'महात्मा गांधी' के नाम पर रखने की घोषणा की है। इस अवसर पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही दोनों देशों की सरकारों ने लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। सरकारों ने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (EXIM) और SBM (मॉरीशस) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच चल रहे मौजूदा मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिये 190 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट हेतु भी एक समझौता किया। गौरतलब है कि भारत ने लंबे समय तक मॉरिशस को भारतीय मूल के प्रवासियों (Diaspora) के संदर्भ में ही देखा है जिनकी संख्या इस देश में अधिक है। हालाँकि बीते विगत कुछ वर्षों में भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में मौजूद इस द्वीपीय देश को सामरिक दृष्टि से भी महत्त्व देना प्रारंभ कर दिया है।

भारत-डेनमार्क सहयोग

भारत और डेनमार्क ने अपनी 'हरित सामरिक साझेदारी कार्य योजना- 2020-2025' के हिस्से के रूप में हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की हैं। भारत-डेनमार्क संयुक्त समिति ने एक आभासी बैठक में हरित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में निवेश हेतु रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। समिति ने मिशन-संचालित अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास पर द्विपक्षीय सहयोग से विकास पर ज़ोर दिया, जिसमें जलवायु व हरित ट्रांजिशन, ऊर्जा, पानी, अपशिष्ट, भोजन, आदि शामिल हैं।

रोबर्टा मेट्सोला

रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुना गया है और वह 20 वर्षों के लिये यह भूमिका अदा करेंगी। रोबर्टा मेट्सोला, 'माल्टा' से संबद्ध हैं। रोबर्टा मेट्सोला, यूरोपीय संघ के रूप में एक ऐसी संस्था का नेतृत्व करेंगी, जो बीते कुछ वर्षों में काफी शक्तिशाली हो गई है और जिसने डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और ब्रेक्ज़िट जैसे मुद्दों पर 27-राष्ट्र ब्लॉक की नीति तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य लिंगभेद के कारण भारतीय समाज में लड़कियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में बालिका के अधिकारों और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्त्व को रेखांकित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्तूबर को मनाया जाता है। भारतीय समाज और संस्कृति में सदियों से लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती रही है। इस भेदभाव और असमानता की शुरुआत लड़की के जन्म लेने से पूर्व ही शुरू हो जाती है। भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की इस स्थिति को बदलने और सामाजिक स्तर पर लड़कियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान, 'सुकन्या समृद्धि योजना', बालिकाओं के लिये मुफ्त या अनुदानित शिक्षा और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में सीटों का आरक्षण आदि शामिल है। माता-पिता में बेटियों के प्रति अपने प्यार और गर्व की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु एक सोशल मीडिया अभियान 'सेल्फी विद बेटी' भी आयोजित किया जा रहा है।

आदि बद्री बाँध

21 जनवरी, 2022 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने यमुनानगर ज़िले के आदि बद्री में बाँध बनाने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह बाँध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। इस स्थान को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार से धार्मिक मान्यताओं को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। इस क्षेत्र को तीर्थस्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह बाँध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 101.06 मीटर और ऊँचाई 20.5 मीटर होगी। परियोजना की कुल लागत 215.33 करोड़ रुपए है। आदि बद्री बाँध को सोम नदी से भी पानी मिलेगा जो यमुनानगर में आदि बद्री के पास यमुना नदी में मिलती है। बाँध की क्षमता हर साल 224.58 हेक्टेयर मीटर जल की होगी। इसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को 61.88 हेक्टेयर पानी मिलेगा जबकि शेष सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा।

लिविंग रूट ब्रिज

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने हेतु मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज़ के लिये कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। इन ब्रिजेज़ को जिंग कींग ज्रि (Jing Kieng Jri) भी कहा जाता है। इनका निर्माण पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़-तोड़ कर किया जाता है। सामान्यत: इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिये बनाया जाता है। मुख्यत: मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में सदियों से फैले 15 से 250 फुट के ये ब्रिज़ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का आकर्षण भी बन गए हैं। ये लोचदार होते हैं। इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये पौधे उबड़-खाबड़ और पथरीली मिट्टी में उगते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने यूनेस्को को इस राज्य को पहाड़ी राज्य के रूप में मान्यता देने की वकालत की, जिसने इसके निर्माण के 50वें वर्ष को चिह्नित किया। मेघालय वर्ष 1972 से 21 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। वन्यजीव विविधता और स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के लिये यूनेस्को टैग अर्जित करने हेतु आवश्यक शर्तें होंगी।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (GIDM) और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिये वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चुना गया है। GIDM को संस्थागत श्रेणी में चुना गया है, वहीं विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किये गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने तथा सम्मानित करने के लिये वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। इस वर्ष पुरस्कार के लिये 1 जुलाई, 2021 से नामांकन मांगा गया था और संस्थानों एवं व्यक्तियों से 243 वैध नामांकन प्राप्त हुए थे। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसमें पुरस्कृत संस्था को 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र एवं पुरस्कृत व्यक्ति को 5 लाख रुपए व प्रमाण पत्र दिया जाता है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का 12वाँ संस्करण मनाया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम, 'चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना', चुनाव के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने तथा सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिये पूरी प्रक्रिया को सरल व एक यादगार अनुभव बनाने के लिये भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर '25 जनवरी' को वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है। इस दिवस पर मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता का प्रसार किया जाता है। मतदान का उच्च प्रतिशत जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। जबकि मतदान का निम्न प्रतिशत राजनीतिक उदासीन समाज की ओर इशारा करता है। वस्तुत: देश में मौजूद विघटनकारी तत्त्व अक्सर ऐसी स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं जिससे न केवल लोकतंत्र के अस्तित्व के लिये खतरा पैदा होता है बल्कि इससे देश की समस्त राजनैतिक व्यवस्था भी उथल-पुथल होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है।

स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करना, नए मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रयासों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

आर. नागास्वामी

पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक आर. नागास्वामी का 23 जनवरी, 2022 को उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। पुरातत्व, वास्तुकला, पुरालेख, मुद्राशास्त्र, प्रतिमा विज्ञान, दक्षिण भारतीय कांस्य और मंदिर अनुष्ठानों से संबंधित नागास्वामी ने COVID-19 महामारी के दौरान तमिलनाडु में मंदिरों को बंद करने के विचार का समर्थन किया था। नागास्वामी का जन्म इरोड ज़िले के कोडुमुडी में हुआ था। उन्हें तमिल और संस्कृत का गहरा ज्ञान था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से भारतीय कला विषय पर पी.एच.डी. की। विभिन्न क्षमताओं के साथ पुरातत्व विभाग की सेवा करने के बाद वह वर्ष 1966 में इसके निदेशक बने और वर्ष 1988 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहे। उन्होंने वर्ष 1983 में एक किताब 'मास्टरपीस ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रोंजेस' लिखी और विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन को चिह्नित करने के लिये तमिलनाडु सरकार हेतु एक पुस्तक का संकलन किया। उनकी अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकें माम्मलपुरम से संबंधित हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उत्तरमेरुर और गंगईकोंडचोलपुरम द्वारा प्रकाशित हैं। उन्होंने तमिल में भी किताबें प्रकाशित की थीं।

20वाँ ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

ढाका में 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पी.एस विनोदराज निर्देशित फिल्म 'कूझंगल फ्रॉम इंडिया' ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्मों के लिये दिये गए 17 पुरस्कारों में चार और भारतीय प्रविष्टियाँ भी शामिल थीं। जयसूर्या को रंजीत शंकर निर्देशित फिल्म सनी के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक इंद्रनील रॉयचौधरी और सुगाता सिन्हा को भारत-बांग्लादेश फिल्म मायर जोंजाल हेतु तथा विशेष दर्शक पुरस्कार एमी बरुआ निर्देशित फिल्म सेमखोर को दिया गया। नेपाल से सुजीत बिदारी निर्देशित फिल्म 'आईना झ्याल' को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने ढाका में राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किये। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 70 देशों की 225 फिल्में प्रदर्शित की गईं।

असम वैभव पुरस्कार

हाल ही में असम सरकार द्वारा देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'असम वैभव पुरस्कार' (Assam Baibhav Award) प्रदान किया गया है। यह असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा "असम दिवस" के अवसर पर घोषित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता अपने पूरे जीवन में सरकारी खर्च पर चिकित्सा उपचार का लाभ प्राप्त कर सकता है। पुरस्कार के ऊपर जापी की एक छवि बनी हुई होती है तथा होलोंग पेड़ के पत्ते पर "असम वैभव" शब्द असमिया लिपि में अंकित होता है। रतन टाटा देश के एक जाने-माने उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष हैं। वर्ष 2008 में उन्हें पद्म विभूषण और वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल

हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड (Spice Board of India) द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल (Spice Xchange India) लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल वैश्विक स्तर पर भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के मध्य एक मीटिंग पॉइंट के रूप में कार्य करेगा जो देश में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में खरीदारों व विक्रेताओं को जोड़ने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। यह मसाला निर्यात बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में मूल्यवर्द्धन को बढ़ावा देगा। स्पाइस बोर्ड की स्थापना स्पाइसेस बोर्ड एक्ट, 1986 के तहत की गई थी। यह बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारत के कुल बागवानी निर्यात में मसालों का योगदान 41% है। भारतीय कृषि वस्तुओं में मसाले चौथे स्थान पर हैं। पहले तीन स्थानों पर क्रमश: समुद्री उत्पाद, गैर बासमती चावल और बासमती चावल हैं।

डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन' को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत तथा सिंगापुर में कई बिज़नेस स्कूलों एवं प्रबंधन संस्थानों में अध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं। डॉक्टर नागेश्वरन 'आईएफएमआर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिज़नेस' के डीन भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वे 'क्रिआ विश्वविद्यालय' में अर्थशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर नागेश्वरन वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। ज्ञात हो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) भारत सरकार में एक पद है, जो कि भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन का प्राथमिक कार्य वित्त मंत्रालय के तहत 'आर्थिक मामलों के विभाग' का नेतृत्त्व करना होगा।

नॉर्डिक 'क्लिंकर बोट्स'

संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन- यूनेस्को ने हाल ही में नॉर्डिक 'क्लिंकर बोट्स' को अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया है। हज़ारों वर्षों तक लकड़ी की इन नावों ने उत्तरी यूरोप के लोगों को अपना व्यापार बढ़ाने और कभी-कभी समुद्र और महाद्वीपों में युद्ध करने में काफी मदद की। इसके ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए दिसंबर माह में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने संयुक्त रूप से 'क्लिंकर बोट्स' को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने की मांग की थी। 'क्लिंकर' शब्द का प्रयोग नाव की लकड़ी के बोर्डों को एक साथ बाँधे जाने के तरीके को संदर्भित करने हेतु किया जाता है। इतिहासकारों द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के मुताबिक, 'क्लिंकर' तकनीक का विकास तकरीबन हज़ार वर्ष पूर्व कांस्य युग के दौरान हुआ था। यूनेस्को का यह निर्णय नाव-निर्माण तकनीकों की रक्षा और संरक्षण में मददगार होगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का यह निर्णय नॉर्डिक देशों को इस लुप्त होती परंपरा के अवशेषों को संरक्षित करने का प्रयास करने हेतु बाध्य करता है।

डिजिटल संसद एप

संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिये बल्कि बड़े पैमाने पर जनता के लिये भी सुलभ बनाने के उद्देश्य से हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा 'डिजिटल संसद एप' लॉन्च किया गया है। 'डिजिटल संसद' एप के माध्यम से लोकसभा के कामकाज से संबंधित सभी जानकारी देखने की सुविधा प्राप्त होगी। इसे लोकसभा के दैनिक कार्य से संबंधित सभी जानकारी देखने के लिये वन-स्टॉप डेस्टिनेशन प्रदान करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। यह एप्लीकेशन आम लोगों को सभी संसद सदस्यों, सत्रों में उनकी भागीदारी और वर्ष 1947 के बाद से सभी बजट भाषणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक सदन की समग्र कार्यवाही का संग्रह उपलब्ध रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस

26 जनवरी, 2022 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह दिवस 'डेटा संस्कृति को अपनाकर और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना' थीम के साथ आयोजित किया गया। यह दिवस विश्व भर की सीमाओं पर वस्तु एवं माल के प्रवाह की देखभाल के कार्य के लिये कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित करता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा गठित यह दिवस वर्ष 1953 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) के उद्घाटन सत्र की शुरुआत को चिह्नित करता है। वर्ष 1994 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) कर दिया गया। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है और वर्तमान में इसके कुल 183 सदस्य हैं।

विश्व कुष्ठ दिवस 2022

विश्व कुष्ठ दिवस (World Leprosy Day) जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार यह 30 जनवरी, 2022 को पूरे विश्व में मनाया गया। इस वर्ष हेतु इसकी थीम 'यूनाइटेड फॉर डिग्निटी' (United for Dignity) और कुष्ठ रोगियों के लिये सम्मानजनक जीवन जीने हेतु वातावरण तैयार करना है। इस दिन की शुरुआत पहली बार वर्ष 1954 में फ्राँसीसी व्यक्ति 'राउल फोलेरेउ' ने की थी, जिन्होंने लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में बताया। अब तक दुनिया भर में बहुत से लोग इस बीमारी से अवगत नहीं हैं और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलती है तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित अधिकांश लोगों को किसी-न-किसी रूप में कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनमें से आधे अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium Leprae) के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग (Chronic Infectious Disease) है। इस रोग की वज़ह से त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं और हाथों तथा पैरों की तंत्रिकाओं को भारी नुकसान पहुँचता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज करने वाले चिकित्सक का नाम डॉ. आर्मोर हैन्सेन है। इसलिये इस रोग को हैन्सेन का रोग के रूप में भी जाना जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मल्टीड्रग थेरेपी (Multidrug Therapy- MDT) द्वारा कुष्ठ रोग का प्रभावी उपचार किया जा सकता है।

एनआईपीईआर अनुसंधान पोर्टल

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने 28 जनवरी, 2022 को नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी. के. पॉल की उपस्थिति में एनआईपीईआर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) एक ऐसा अनुसंधान पोर्टल है जहाँ सभी एनआईपीईआर और उनकी शोध गतिविधियों, पेटेंट दायर और प्रकाशन जानकारी के बारे में सूचनाओं को एक स्थान पर प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि उद्योग व अन्य हितधारक उनके बारे में जान सकें। इस पोर्टल का उद्देश्य चल रहे शोध कार्यों की उपलब्धता को प्रमाणित करना है। यह अन्य शोधकर्ताओं और विशेष रूप से उद्योग से संबंधित संगठन के संपर्क में आने में मदद करेगा ताकि वे एक साथ काम कर सकें तथा शोध को अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक बना सकें। लंबे समय से शोध संस्थान सीमित दायरे में रहकर या एकांतवास में काम कर रहे हैं। यह अनुसंधान पोर्टल सरकार के भीतर विभिन्न विभागोंके अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के साथ इन संस्थानों को भी एक साथ लाने का प्रयास करेगा। प्रतिस्पर्द्धा एवं मांग अनुसंधान व नवाचार की आवश्यकता हैं, क्योंकि यह हमारे नागरिकों के लिये गुणवत्तापूर्ण विचारों और समाधानों को बढ़ावा देता है। फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निरंतर विकास के लिये अनुसंधान और नवाचार आवश्यक है।

'स्ट्रीट स्टूडेंट'

तेलुगू लघु फिल्म 'स्ट्रीट स्टूडेंट' ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सातवीं प्रतिष्ठित लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से रिकॉर्ड 190 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। श्री रोमी मेइतेई की 'कारफ्यू' फिल्म को 1.5 लाख रुपए के दूसरे पुरस्कार हेतु चुना गया है। यह फिल्म मणिपुर में एक बच्चे की कहानी के माध्यम से लोगों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के समक्ष रूढ़िवादी भय मनोविकृति जैसी बाधाओं को दर्शाती है। श्री नीलेश अंबेडकर की 'मुंध्यार' को 1 लाख रुपए के तीसरे पुरस्कार हेतु चुना गया है। संयोग से सभी पुरस्कार विजेता फिल्मों में बच्चों ने ही महत्त्वपूर्ण मानवाधिकारों की चिंताओं को उठाने और समाज की रूढ़िवादी सोच को उजागर करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। NHRC लघु फिल्म पुरस्कार योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण की दिशा में सिनेमाई व रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा स्वीकार करना है।

एश्ले बार्टी

विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। महिला एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में उन्होंने अमेरिका की डेनिएल कॉलिन्स को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से हराया। बार्टी का ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अब जीत-हार का रिकॉर्ड 24-8 का हो गया है। जहाँ उन्हें अमेरिकी सोफ़िया केनिन के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष में होने वाले टेनिस के चार ग्रैंडस्लैम में से पहला ग्रैंडस्लैम है (अन्य ग्रैंडस्लैम फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन) यह जनवरी महीने के अंतिम पखवाड़े के बीच में आयोजित होता है। ऑस्ट्रलियन ओपन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी तब से लेकर 1987 तक यह ग्रास कोर्ट में आयोजित हुआ। वर्ष 1988 के बाद से यह मेलबोर्न पार्क के हार्ड कोर्ट में आयोजित होने लगा।

नोट :